ગુજરાત રાજયના શિક્ષણવિભાગના પત્ર–ક્રમાંક
મશબ/1118/1511/છ, તારીખ: 26-03-2019–થી મંજૂર

सामाजिक विज्ञान

कक्षा 10

प्रतिज्ञापत्र

भारत मेरा देश है।
सभी भारतवासी मेरे भाई-बहन हैं।
मुझे अपने देश से प्यार है और इसकी समृद्धि तथा बहुविध परम्परा पर गर्व है।
मैं हमेशा इसके योग्य बनने का प्रयत्न करता रहूँगा।
मैं अपने माता-पिता, अध्यापकों और सभी बड़ों की इज्जत करूँगा एवं हर एक से नम्रतापूर्वक व्यवहार करूँगा।
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश और देशवासियों के प्रति एकनिष्ठ रहूँगा।
उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है।

રાજ્ય સરકારની વિનામૂલ્યે યોજના હેઠળનું પુસ્તક

तमसो मा ज्योतिर्गमय
गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडल
'विद्यायन', सेक्टर 10-ए, गांधीनगर-382010

© गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडल, गांधीनगर
इस पाठ्यपुस्तक के सर्वाधिकार गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडल के अधीन हैं।
इस पाठ्यपुस्तक का कोई भी अंश किसी भी रूप में गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडल के नियामक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता ।

विषय-सलाहकार
डॉ. जी. टी. सरवैया
प्रा. वाय. पी. पाठक

लेखन-संपादन
श्री सलीम एस. कुरेशी (कन्वीनर)
डॉ. बिमल एस. भावसार
श्री देवांगकुमार आर. देसाई
श्री प्रकाश के. वाघेला
डॉ. जिज्ञासाबहन एच. जोशी
श्री राजेन्द्रकुमार बी. महेता
श्री वसंतराय एम. तेरैया
श्री मनीष भूपेन्द्रभाई सोनी
श्री नंदाबहन ए. व्यास
श्री भरतकुमार ए. वाला

अनुवाद
श्री राजेशसिंह एस. क्षत्रिय
श्री महेन्द्रकुमार पाठक
श्री प्रमोद के. लोढा

अनुवाद-समीक्षा
डॉ. किशोरीलाल कलवार
श्री रमेशसिंह आर. तोमर
श्री राघवेन्द्रकुमार एन. रावत
श्री आशुतोष जे. गुप्ता

चित्रांकन
श्री उमेश भाटिया
श्री ग्राफिक्स

संयोजन
डॉ. चिराग एन. शाह
(विषय संयोजक : कॉमर्स)

निर्माण-संयोजन
श्री हरेन शाह
(नायब नियामक : शैक्षणिक)

मुद्रण-आयोजन
श्री हरेश एस. लीम्बाचीया
(नायब नियामक : उत्पादन)

प्रस्तावना

राष्ट्रीय अभ्यासक्रम के अनुसंधान में गुजरात माध्यमिक और उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड ने नए अभ्यासक्रम तैयार किए हैं। ये अभ्यासक्रम गुजरात सरकार द्वारा मंजूर किए गए हैं।

गुजरात सरकार द्वारा मंजूर किए गए **कक्षा 10, सामाजिक विज्ञान** विषय के नए अभ्यासक्रम के अनुसार तैयार की गई इस पाठ्यपुस्तक को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडल आनंद अनुभव कर रहा है।

इस पाठ्यपुस्तक का लेखन तथा समीक्षा विद्वान शिक्षकों और प्राध्यापकों से करवाई गई है। समीक्षकों के सुझाओं के अनुसार पांडुलिपि में योग्य सुधार करने के बाद यह पाठ्यपुस्तक प्रकाशित की गई है। यह गुजराती में लिखी गई मूल पाठ्यपुस्तक का हिन्दी अनुवाद है।

प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक को रसप्रद, उपयोगी और क्षतिरहित बनाने के लिए मंडल ने पूरा ध्यान रखा है। इसके बावजूद शिक्षा में रुचि रखनेवाले व्यक्तियों से पुस्तक की गुणवत्ता में वृद्धि करनेवाले सुझावों का स्वागत है।

पी. भारती (IAS)
नियामक
ता. 09-01-2020

कार्यवाहक प्रमुख
गांधीनगर

प्रथम संस्करण : 2017, पुनःमुद्रण : 2018, 2019, 2020

प्रकाशक : गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडल, 'विद्यायन', सेक्टर 10-ए, गांधीनगर की ओर से पी. भारती, नियामक

मुद्रक :

मूल कर्तव्य

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह* –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करनेवाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो; ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;

(ट) माता–पिता या संरक्षक, छः से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य को यथास्थिति शिक्षा का अवसर प्रदान करे।

* भारत का संविधान : अनुच्छेद 51–क

अनुक्रमणिका

1.	भारत की विरासत	1
2.	भारत की सांस्कृतिक विरासत : परंपराएँ, हस्तकला और ललितकलाएँ	8
3.	भारत की सांस्कृतिक विरासत : शिल्प और स्थापत्य	18
4.	भारत की साहित्यिक विरासत	30
5.	भारत : विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत	37
6.	भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल	43
7.	अपनी विरासत का संरक्षण	53
8.	प्राकृतिक संसाधन	59
9.	वन एवं वन्यजीव संसाधन	67
10.	भारत : कृषि	76
11.	भारत : जल संसाधन	90
12.	भारत : खनिज एवं शक्ति के संसाधन	96
13.	उत्पादन उद्योग	103
14.	परिवहन, संदेश-व्यवहार एवं व्यापार	112
15.	आर्थिक विकास	120
16.	आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण	128
17.	आर्थिक समस्याएँ और चुनौतियाँ : गरीबी और बेरोजगारी	133
18.	मूल्यवृद्धि और ग्राहक जागृति	146
19.	मानव विकास	160
20.	भारत की सामाजिक समस्याएँ और चुनौतियाँ	169
21.	सामाजिक परिवर्तन	177

CERTIFICATE OF THE MAPS

1. © Government of India, Copyright 2016
2. The responsibility for the correctness of internal details rests with the publisher.
3. The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line.
4. The external boundaries and coastlines of India agree with the Record/Master Copy certified by Survey of India.
5. The state boundaries between Uttarakhand & Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand and Chattisgarh & Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned.
6. The spellings of names in this map, have been taken from various sources.

1 भारत की विरासत

भारत प्राचीन संस्कृतिवाला देश है। भारत के प्राचीन ग्रंथ 'विष्णुपुराण' में भारत के विषय में कहा गया है –

"उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्।
वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः॥"

अर्थात् समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण स्थित स्थल का नाम भारतवर्ष है, जिसकी संतान भारतीय हैं। भारत में शुभकार्य के प्रारंभ में लिए जानेवाले संकल्पों में 'भारतवर्ष,' 'भरत खंड,' 'जंबूद्वीप,' आर्यावर्त जैसे शब्दों का उपयोग होता है। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण–तीनों दिशाओं में समुद्र और उत्तर दिशा में हिमालय की गिरिमालाएँ जैसी प्राकृतिक सीमाओंवाला हमारा देश है। हमारे देश की समृद्धि से आकर्षित हो करके अनेक विदेशी लोग व्यापार करने भारत आए, स्थायी हुए, और भारतीय संस्कृति की धारा में मिल गए। इस आदान–प्रदान की परस्पर प्रक्रिया द्वारा देश में अनेक परिवर्तन देखने को मिले और इसी तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारी विरासत का हस्तांतरण हुआ तथा उसका सातत्यपूर्ण विकास हुआ।

भारत का स्थान और विस्तार

वर्तमान भारत के स्थान और विस्तार के विषय में हम कक्षा 9 में अध्ययन कर चुके हैं। प्राचीन समय का भारत बहुत विशाल था और वर्तमान समय में भी भारत विस्तार की दृष्टि से विश्व में सातवें क्रम एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है।

वैविध्यपूर्ण विरासत

भारत भूमि ने हमें और विश्व को समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण विरासत दी है। भारतीय संस्कृति शांतिप्रिय और व्यापारी रही है। भारत की संस्कृति में से सत्, चित् और आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। इसके उपरांत यहाँ आकर बसी भिन्न–भिन्न संस्कृति के साथ आदान–प्रदान द्वारा भारतीय संस्कृति समृद्ध बनी। उसके द्वारा अपनाए गए अहिंसा एवं शांति के मूल्यों की आज समूचे विश्व में प्रशंसा हो रही है और उसे स्वीकार किया गया है।

सिंधु घाटी की संस्कृति के लोगों से लेकर आज तक लोगों ने भारत को अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति और कला–कौशल द्वारा समृद्ध बनाया है। भारत के भव्य विरासत के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए अनेक ऋषि–मुनियों, संतों, विदुषियों, विद्वानों, चिंतकों, कलाकारों, कारीगरों, वैज्ञानिकों संशोधकों, साहित्यकारों, शिक्षाशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों, इतिहासकारों, समाजसुधारकों वगैरह का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके धर्म, शासन–शैली, भाषा, कला, चित्र, बोली, पहनावा और रीति–रिवाज आदि भी भारत को मिले। इस तरह भारत में रंगबिरंगी संस्कृति का निर्माण हुआ।

संस्कृति का अर्थ

संस्कृति अर्थात् 'जीवन जीने की कला'। देश या समाज में समय–समय पर बदलते संयोगों के अनुसार जनजीवन में आनेवाले परिवर्तन, सुधार, सामाजिक नीति–रीति इत्यादि द्वारा भिन्न–भिन्न समाजों की संस्कृति बनती है। संस्कृति अर्थात् मानव मन की उपज और उसमें मानव समाज की आदतें, मूल्य, आचार–विचार, धार्मिक परंपराएँ, रहन–सहन और जीवन को उच्चतम उद्देश्य तक ले जानेवाले आदर्शों का योग, ऐसा भी कहा जा सकता है।

भारतीय संस्कृति की विरासत

'विरासत अर्थात् हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त अमूल्य भेट।' भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। विद्यालय में ली जानेवाली दैनिक प्रतिज्ञा में हम "मुझे अपने देश से प्यार है और इसकी समृद्धि तथा बहुविध परम्परा पर गर्व है।" ऐसा कहते हैं। यह समृद्ध विरासत अर्थात् भारत द्वारा समग्र विश्व को पूर्ण मानव जीवन के रहस्यों की देन, ऐसा कहा जा सकता है। आइए, भारतीय विरासत को नीचे दिए गए दो विभागों के माध्यम से समझें :

(1) भारत की प्राकृतिक विरासत (2) भारत की सांस्कृतिक विरासत

(1) भारत की प्राकृतिक विरासत : 'प्रकृति, पर्यावरण और मानवजीवन के बीच के निकटतम संबंधों का परिणाम अर्थात् प्राकृतिक विरासत।' 'प्राकृतिक विरासत' प्राकृतिक भेंट है। भारत की प्राकृतिक विरासत विशिष्ट और वैविध्यपूर्ण है। जिसमें ऊँचे पर्वत, नदियाँ, झरनें, सागर, लंबा समुद्रीतट, विशाल उपजाऊ मैदान, घाटी प्रदेश, रेगिस्तान का समावेश होता है तथा वृक्षों, वनस्पतियों, जीवजंतुओं, ऋतुओं, पशु-पक्षियों, प्राणियों और वैविध्यपूर्ण भूदृश्यों (Landscapes), विविध प्रकार की चट्टानों, खनिजों का समावेश होता है। हम सब प्रकृति की संतान हैं। प्रकृति ने हमारे भोजन, पानी, शुद्ध वायु तथा निवास जैसी लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए सुंदर व्यवस्था की है।

प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार श्रद्धापूर्वक रहा है, जिसके उदाहरण पंचतंत्र की कहानियों और बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में मिलते हैं। अपने लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में भी ऋतुओं और प्रकृति के साथ का संबंध देखने को मिलता है। अपने गीतों, त्योहारों, कविताओं, चित्रों में प्रकृति और ऋतुचक्र का निरूपण किया गया है। निसर्गोपचार (नेचरोपथी), आयुर्वेदिक, युनानी जैसी चिकित्सा पद्धति प्रकृति पर आधारित है।

(1) भूदृश्य (Landscapes) : भूमि-आकारों द्वारा अनेक भूदृश्यों का सर्जन देखने को मिलता है। जैसे, हिमालय पर्वत भूमि-आकार है। हिमालय में अनेक प्रकार की उपयोगी वनस्पति, खनिज, अद्‌भुत पशु-पक्षी और शिखर वर्फ से घिरे रहते हैं। जिनसे बड़ी नदियाँ बारहों मास भरपूर पानी से समृद्ध रहती हैं। तराई के जंगल भी वहाँ स्थित हैं। हिमालय में अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे यात्रा-स्थल, नंदादेवी जैसे शिखर भी हैं। भारत के लिए हिमालय बहुत महत्त्वपूर्ण है।

(2) नदी (Rivers) : प्राचीन काल से नदियाँ प्राकृतिक मार्ग के रूप में उपयोगी रही हैं। भारतीय संस्कृति सिंधु और रावी नदी के किनारे विकसित हुई है।

सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी लगभग सभी नदियों ने भारतीय लोकजीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। पीने का पानी, अन्य काम के लिए उपयोगी पानी, सिंचाई, बिजली, कृषि, जलमार्ग जैसी हमारी महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने में नदियों का स्थान प्रमुख है। इसके उपरांत मिट्टी के बर्तन, मकान, लिपाई-पुताई तथा उद्योगों के विकास के लिए भी मानव को नदियों के पानी पर आधारित रहना पड़ा है। इस तरह, नदियों ने भारतीय प्रजाजीवन को समृद्ध बनाया है। अपनी संस्कृति में प्राचीन काल से नदी तट के उषा और संध्या के विविध भूदृश्यों द्वारा भरपूर सौंदर्य, कला की समझ और कौशल का विकास भी संस्कृति की विरासत से मिला है, इसीलिए हमने नदियों को 'लोकमाता' का सम्मान दिया है।

(3) वनस्पतिजीवन (Vegetation) : भारतीय प्रजा आदिकाल से पर्यावरण प्रेमी रही है, जिसका प्रमाण उसका वृक्षप्रेम, पुष्पप्रेम और पौधों के प्रति आदर है। मनुष्य, प्राणी, पशु-पक्षी भोजन के लिए वनस्पति पर आधारित हैं। भारत में बरगद, पीपल, तुलसी आदि की पूजा, धूप-दीप किया जाता है, वटसावित्री व्रत में बरगद-पूजा की जाती है। अनाज, दलहन, तेलहन के पौधों, धन-धान्य से लहराते खेतों, वनसमृद्धि से पूर्ण जंगलों और औषधियों के लिए उपयोगी पौधों ने अति प्राचीनकाल से हमारे जीवन को समृद्ध बनाया है। हर्रा (हरड़), बहेर्रा, (बहेड़ा) आँवला, घीकुंवार, अडूसा, नीम आदि औषधियों तथा मोगरा, गुलाब, कमल, गेंदा, सूर्यमुखी, चंपा, निशिगंधा, जूही आदि पुष्पों ने मानवजीवन को खूब सुंदर, सुवासित, निरामय और समृद्ध बनाया है।

इस तरह, भारतीय, सामाजिक और धार्मिक जीवन पर वनस्पतियों का खूब प्रभाव रहा है।

(4) वन्यजीवन (Wild Life) : प्राचीन समय से भारत देश प्रकृति प्रेमी होने के साथ-साथ प्राणी प्रेमी संस्कृतिवाला देश है । बाघ, सिंह, हाथी, गैंडा, सियार, भालू, हिरन, सांभर, खरगोश, अजगर, साँप, नाग, नेवला, गोह, साही जैसे अनेक जीव देखने को मिलते हैं। विश्व में एशियाई सिंह केवल गुजरात के गीर के जंगल में देखने को मिलते हैं। अपनी धार्मिक मान्यताओं में लोगों ने बाघ, मोर, मगर, गरुड़ जैसे कुछ वन्यजीवों को देव-देवियों के वाहन के रूप में स्थान

दिया है। अपनी राष्ट्र मुद्रा में भी चार सिंह, घोड़ा, हाथी तथा बैल की आकृति रखकर उन्हें महत्त्व प्रदान किया गया है। इन वन्य जीवों की रक्षा के लिए अभयारण्य बनाकर उनके जीवन की सुरक्षा के लिए कानून भी बनाए गए हैं।

(2) भारत की सांस्कृतिक विरासत : भारत ने जगत को विविधतापूर्ण और समृद्ध विरासत की भेंट दी है। सांस्कृतिक विरासत अर्थात् मानवसर्जित विरासत। मनुष्य ने अपने बुद्धिचातुर्य, कौशल और कला-कौशल द्वारा जो कुछ प्राप्त किया या जिसका सर्जन किया, उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। आर्यों से लेकर शक, क्षत्रप, कुषाण, हूण, ईरानी, तुर्क, अरब, मुगल, पारसी, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि विविध जाति, प्रजाति भारत में आईं। इन सबके बीच हुए आदान-प्रदान से भारतीय संस्कृति समृद्ध बनी है।

प्रागैतिहासिक समय से भारत ने विश्व की प्रजा को सांस्कृतिक विरासत की बहुत-सी भेंट दी है। उदाहरण स्वरूप शिल्प स्थापत्य की कला लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है, जिसमें सिंधु घाटी संस्कृति के प्राचीन अवशेषों की गणना की जा सकती है। उसमें से प्राप्त देवी देवताओं की प्रतिमाओं, मानव शिल्पों, पशुओं एवं खिलौनों तथा दाढ़ीवाले पुरुष का शिल्प एवं नर्तकी की मूर्ति देखकर हमारे मन में अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति स्वाभिमान और गौरव की भावना जन्म लेती है। इसी क्रम में मौर्य युग की उलटे कमल की आकृति के ऊपर सिंह और वृषभ का शिल्प, बुद्ध की प्रज्ञा पारमिता का शिल्प, सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तनवाली महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा और उसके बाद के समयकाल की जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ, राष्ट्रकूट राजाओं के समय की इलोरा एवं अजन्टा की गुफाओं को देखकर हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति आदर और गर्व का अनुभव होता है।

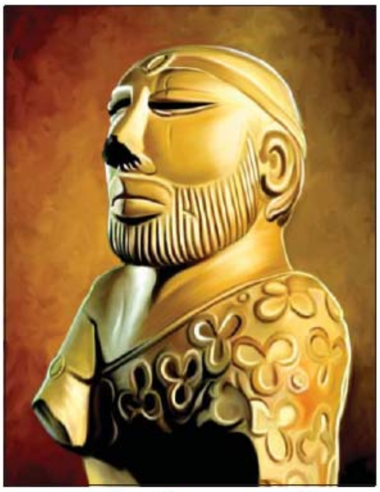

1.1 दाढ़ीवाले पुरुष का शिल्प

अपनी सांस्कृतिक विरासत में मंदिरों, शिलालेखों, स्तूपों, विहारों, चैत्यों, मकबरों, मस्जिदों, किलों, गुंबजों, राजमहलों, दरवाजों, इमारतों, उत्खनन किए स्थलों तथा ऐतिहासिक स्मारकों का समावेश किया जा सकता है। अपने स्वातंत्र्य संग्राम के ऐतिहासिक स्थलों जैसे कि साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन (कोलकाता), दिल्ली वगैरह को भी सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचाना जा सकता है। भाषा, लिपि, अंक, शून्य की खोज, गणित, पंचांम, खगोलशास्त्र, लोहा, साहित्य, धर्म, युद्ध शास्त्र, रथ, राजनीतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, वास्तुशास्त्र, धर्म, गणतंत्र, न्यायतंत्र, विधि-विधान, पर्यावरण-संरक्षण आदि कई महत्त्वपूर्ण खोज भी भारत में हुई है।

गुजरात की सांस्कृतिक विरासत

सांस्कृतिक, पौराणिक और पुरातत्त्वीय महत्त्व रखनेवाले स्थलों में लोथल (धोलका तहसील), रंगपुर (लीमड़ी तहसील, सुरेन्द्रनगर जिला), धोलावीरा (कच्छ जिला), रोज़ड़ी अथवा श्रीनाथगढ़ (राजकोट जिला) वगैरह मुख्य हैं। वडनगर का कीर्ति तोरण, जूनागढ़ में स्थित अशोक का शिलालेख, मोढेरा का सूर्य मंदिर, चांपानेर का दरवाज़ा, सिद्धपुर का रुद्र महालय, विरमगाम का मुनसर तालाब, अहमदाबाद में जामा मस्जिद, झूलती मीनार, सीदी सैयद की जाली, हठीसिंह का देहरा, पाटण का सहस्त्रलिंग तालाब, वडोदरा का राजमहल, जूनागढ़ का महोबतखान का मकबरा, नवसारी की पारसी अगियारी वगैरह ऐतिहासिक महत्त्ववाले दर्शनीय स्थल हैं। धार्मिक महत्त्ववाले स्थलों में द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर और जगद्गुरु

1.2 अशोक का शिलालेख

शंकराचार्य का शारदापीठ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर, उत्तर गुजरात में अंबाजी (बनासकांठा जिला), बहुचराजी (महेसाणा जिला) और महाकाली माताजी (पावागढ़-पंचमहाल जिला), मीरा दातार (उनावा-महेसाणा जिला), जैन तीर्थ पालीताना (भावनगर जिला), रणछोड़रायजी मंदिर, डाकोर (खेडा जिला) और शामलाजी (अरवल्ली जिला) वगैरह तीर्थस्थानों को गिनाया जा सकता है।

गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक, सामाजिक और प्रवासन लक्षी स्थलों में पोलो विजयनगर (साबरकांठा जिला), पतंगोत्सव और कांकरिया कार्निवल (अहमदाबाद), ताना-रीरी महोत्सव (वडनगर), उत्तरार्ध नृत्य महोत्सव (मोढेरा), रणोत्सव (कच्छ) वगैरह का समावेश होता है।

जैन-बौद्ध पर्यटन स्थल : गुजरात में जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार हुआ, जिसके आधार स्वरूप गुजरात में वडनगर, तारंगा, खंभालीडा, जूनागढ़, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, ढांक, झगड़िया वगैरह स्थलों पर बौद्ध और जैन गुफाएँ देखने को मिलती हैं।

गुजरात के मेले

गुजरात की रंगबिरंगी संस्कृति के विविध स्थलों पर परंपरागत रूप से तथा धार्मिक, सामाजिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मेले आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से मुख्य मेलों का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम	मेला का नाम	मेला का स्थल	मेला की तिथि/मेला का समय
1	मोढेरा का मेला	मोढेरा (महेसाणा)	श्रावण वदी अमावस्या
2	बहुचराजी का मेला	बहुचराजी (महेसाणा)	चैत्र सुदी पूनम
3	शामलाजी का कालिया ठाकोरजी का मेला	शामलाजी (अरवल्ली)	कार्तिक सुदी 11से पूनम
4	भादरवी (भादों) पूनम का मेला	अंबाजी (बनासकांठा)	भाद्रपद सुदी पूर्णिमा
5	भवनाथ का मेला	गिरनार (जूनागढ़)	मार्गशीर्ष वदी 9 से 12
6	तरणेतर का मेला	तरणेतर (सुरेन्द्रनगर)	भाद्रपद सुदी 4 से 6
7	भड़ियाद का मेला	भड़ियाद (अहमदाबाद)	रजब मास की तारीख 9, 10, 11
8	नकलंग का मेला	कोणियाक (भावनगर)	भाद्रपद वदी अमावस्या
9	माधवपुर का मेला	माधवपुर (पोरबंदर)	चैत्र सुदी 9 से 13
10	वौठा का मेला	धोलका (अहमदाबाद)	कार्तिक सुदी पूर्णिमा
11	मीरादातार का मेला	उनावा (महेसाणा)	रजब मास की तारीख 16 से 22
12	डांग दरबार का मेला	आहवा (डांग)	फाल्गुन सुदी पूर्णिमा
13	गोल गधे का मेला	गरबाड़ा (दाहोद)	होली के बाद का 5वाँ या 7वाँ दिन
14	कार्तिक पूर्णिमा का मेला	सोमनाथ (गीर)	कार्तिक सुदी पूर्णिमा
15	भांगुरिया का मेला	क्वांट (छोटा उदेपुर)	होली से रंगपंचमी तक

भारतभूमि और वहाँ के लोग

आदिमानव ने पूर्व दक्षिण अफ्रीका में जन्म लिया। भारत की रंगबिरंगी विरासत और समृद्धि के आकर्षण के कारण अनेक विदेशी प्रजा भारत की तरफ आकर्षित हुईं। यहाँ अनेक जातियाँ आईं। परिणाम स्वरूप भारत में लगभग सभी जातियों के तत्त्व प्राप्त होते हैं।

भारत में द्रविड़ प्रजा की गणना प्राचीनतम प्रजा के रूप में होती थी; परंतु नृवंश-शास्त्रियों और भाषाशास्त्र की अद्यतन खोजों से पता चला है कि 'द्रविड़ और अन्य छः जितनी भिन्न प्रजा भी यहाँ रहती थीं।' उनके विषय में थोड़ा विशेष जानेंगे :

(1) नेग्रीटो (हब्शी प्रजा) : नेग्रीटो अथवा निग्रो जाति (हब्शी) भारत के सबसे प्राचीन निवासी हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नेग्रीटो अथवा निग्रो (हब्शी) अफ्रीका से बलुचिस्तान के रास्ते से होकर भारत आए। वे रंग में श्याम, 4 से 5 फुट ऊँचे और सिर पर घुँघराले बालवाले थे।

(2) आस्ट्रेलॉइड (निषाद प्रजा) : यह प्रजा अग्नि एशिया से आई थी। रंग श्याम, लंबा और चौड़ा सिर, छोटा कद चपटीनाक इनकी शारीरिक विशेषता थी। भारत में आए आर्य इन्हें 'निषाद' कहते थे। भील प्रजा के लिए निषाद शब्द का प्रयोग किया जाता था। भारत की कोल और मुंडा जाति, असम की खासी प्रजा, निकोबार और ब्रह्मदेश (वर्तमान में म्यानमार) की जातियों में इस प्रजा के लक्षण विशेष देखने को मिलते हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता के विकास में इस प्रजा का योगदान विशिष्ट है। वे मिट्टी के बर्तन बनाने, खेती करने, सूती कपड़े बुनने - जैसे कई कौशल के लिए जाने जाते थे। उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएँ भी थीं।

(3) द्रविड़ : द्रविड़ों को मोंहे-जो-दड़ो की सिंधु संस्कृति का सर्जक और पाषाण युग की संस्कृति का उत्तराधिकारी माना जाता है। उत्तर से आई विविध प्रजा की भाषा और सांस्कृतिक लक्षण बने रहे। कालांतर में ये द्रविड़ कहलाए। द्रविड़ों ने माता स्वरूप में देवी अर्थात् पार्वती और पितृ स्वरूप में परमात्मा अर्थात् शिव की पूजा का ज्ञान दिया। दीप, धूप और आरती से पूजा करने की परम्परा हमें द्रविड़ों से मिली, ऐसा माना जाता है। इसके उपरांत प्रकृति और पशु-पूजा द्रविड़ों की भेंट है। द्रविड़ों के मूल देवों को आर्यों ने अपना लिया और उन्हें संस्कृति के देवरूप में पुनः स्थापित किया। समय के साथ-साथ उत्तर के प्रचंड प्रभाव के तहत द्रविड़ों में आर्य संस्कृति गहराई तक पहुँच गई। अंतरजातीय विवाह संबंध भी होने लगे।

द्रविडों में मातृप्रधान कुटुंब प्रथा प्रचलित थी। अवकाशीय ग्रहों के क्षेत्र में और विविध कलाएँ जैसे कि कताई-बुनाई, रंगाई, रक्षा-नौका आदि क्षेत्रों में उनका विशेष योगदान देखने को मिलता है।

आर्यों के प्रभुत्व के बाद वे दक्षिण भारत की तरफ़ खिसकते गए और वहाँ स्थायी हो गए। आज दक्षिण भारत में द्रविड़ कुल की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषा बोलनेवाले लोग रहते हैं। आरंभिक तमिल साहित्य ऊर्मि की अभिव्यक्ति से पूर्ण था।

(4) अन्य प्रजा : इनके उपरांत भारत में मोंगोलोइड, अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनोइड प्रजा भी थी।

मोंगोलोइड : यह प्रजा उत्तर-पश्चिम चीन में से तिबेट होते हुए भारत में आई। उन्होंने उत्तरी आसाम, सिक्किम, भूटान, पूर्वी बंगाल आदि जगहों पर अपना निवास बनाया। समय के साथ उनका 'भारतीयकरण' हो गया।

इस प्रजा का रंग पीला, चेहरा चिपटा, उभरे हुए गाल और बादाम के आकार की आँखें जैसे शारीरिक लक्षण थे।

मोंगोलोइड लोग पीले रंग के थे, वे 'किरात' कहलाते थे।

अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनोइड : ये मध्य एशिया से आई हुई प्रजा है। ये तीनों जातियाँ एक समान भौतिक गुणधर्मवाली जातियाँ हैं। इस प्रजा के अंश विशेष करके महाराष्ट्र, बंगाल, ओडिशा, गुजरात और सौराष्ट्र में अधिक प्रमाण में देखने को मिलते हैं।

(5) आर्य : भारत की आर्य सभ्यता के निर्माता आर्य (नोर्डिक) लोग थे। प्राचीनकाल में हिन्दू आर्य कहलाते थे। उनकी मुख्य संख्या जिस प्रदेश में थी वह प्रदेश 'आर्यावर्त' कहलाता था। प्राचीनकाल में प्रथम आर्य जनसंख्या वायव्य भारत में थी। वहाँ सात बड़ी नदियाँ होने के कारण उसे 'सप्तसिंधु' का प्रदेश कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में पूर्व में मिथिला (बिहार) तक और दक्षिण में विंध्याचल तक आर्यावर्त का विस्तार हो गया था। अन्य समकालीन प्रजा की तुलना में ये अधिक विकसित थे। आर्य भरत राजा या भरतकुल के नाम से यह विशाल प्रदेश भरतभूमि, भरतखंड, भारतवर्ष या भारत जैसे नामों से पहचाना जाने लगा।

आर्य प्रकृति-प्रेमी थे। वे वृक्ष, पर्वत, नदी, सूर्य, वायु, वर्षा आदि की पूजा-आराधना करते थे। उन्होंने इन सबकी स्तुतियों (ऋतुओं) की रचना की थी। कुछ समय पश्चात् वेदपाठ प्रचलित हुआ। कालांतर में उसमें से धार्मिक विधियाँ प्रारंभ हुईं और उसके बाद यज्ञादि क्रियाएँ भारत में शुरू हुईं।

भारत में आई विविध प्रजा की संस्कृतियों के विशिष्ट तत्त्वों को अपनाकर एक समन्वयी संस्कृति का सर्जन हुआ। कालांतर में भारत में आकार स्थायी हो जानेवाली सभी जातियों के बीच विवाह – संबंध द्वारा प्रजा का संमिश्रण होता रहा। सबके विशिष्ट रहन-सहन, भाषाओं, विचारों, धार्मिक मान्यताओं का भी समन्वय होता गया। इस तरह, प्रारंभिक काल से ही अपने देश में एक समन्वयकारी संस्कृति का निर्माण होता रहा है, जिसने भारत को भव्य एवं समृद्ध विरासत प्रदान की। भारत में रंगबिरंगी संस्कृति का विकास हुआ। ये लोग परस्पर इतना घुल मिल गए कि उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रह गया अर्थात् उनका भारतीयकरण हो गया।

इस तरह, प्राचीन भारत में आई विविध प्रजा के सम्मिश्रण से भारत की सांस्कृतिक विरासत विविधतापूर्ण, रंगबिरंगी और समृद्ध बनी।

विरासत की देखभाल और संरक्षण

भारत के विरासत की प्रत्येक बातों ने भारत को मोहक, नयनरम्य और आकर्षक बनाया है और भारत को गौरव दिलाया है। इस भव्य विरासत को संभालकर विश्व में प्रतिष्ठित गौरवपूर्ण अग्रिम स्थान प्राप्त किया है। उसे संभालना भारत के प्रत्येक नागरिक का पवित्र और प्राथमिक कर्तव्य है। हमने अपने प्राचीन ऐतिहासिक मूल्यवान और महत्त्वपूर्ण विरासत स्थलों को कोई हानि न पहुँचाए तथा उनकी देखभाल करे, इसके लिए संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। उसके अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-51(क) में भारत के नागरिकों के जो मूलभूत कर्तव्य दर्शाए गए हैं, उनमें भी (छ), (ज) और (ट) अर्थात् (6), (7) और (9)में दर्शाए अनुसार :

- हमारी सामासिक संस्कृति के समृद्ध विरासत का महत्त्व समझे, उसके परिरक्षण का कर्तव्य।
- प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करने और उसका संबर्धन करने तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखने का कर्तव्य।
- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने के कर्तव्य का समावेश किया गया है।

इस तरह, प्रकृति ने जो मनोरम भूदृश्य भारत की भूमि को दिए हैं; उसकी सुंदरता, पवित्रता, और शुद्धता को हम सबको साथ मिल करके, एक नैतिक कर्तव्य समझ करके सुरक्षित रखना चाहिए। विरासत की संरचना और क्रमिक विकास, भारत को मिली विशिष्ट प्राकृतिक रचना पर आधारित है। प्रकृति द्वारा भारत को अथाह संपत्ति प्राप्त हुई है। इन प्राकृतिक विशिष्टताओं ने भारत को प्रत्येक क्षेत्र में विकास हेतु अनमोल अवसर प्रदान किए हैं। भारत की विरासत, सदियों से भारत के लोगों द्वारा आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में किए गए विकास का परिणाम है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखिए :

(1) आर्य और द्रविड़ प्रजा के विषय में लिखिए।

(2) संस्कृति का अर्थ लिखकर विस्तार से समझाइए।

(3) 'गुजरात की सांस्कृतिक विरासत' विस्तार से समझाइए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्देवार उत्तर लिखिए :

(1) भारतीय विरासत की देखभाल और संरक्षण संबंधी अपने संवैधानिक कर्तव्य बताइए।

(2) प्राकृतिक विरासत का अर्थ समझा करके भारत की प्राकृतिक विरासत में समावेश होनेवाले विषय बताइए।

(3) भारत की सांस्कृतिक विरासत की सोच बताइए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए :

(1) आर्य प्रजा अन्य किस नाम से पहचानी जाती है?

(2) नेग्रीटो (हब्शी) प्रजा के विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए।

(3) भारत की राष्ट्रमुद्रा में कौन-कौन से प्राणी दर्शाए गए हैं?

4. प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) 'लोकमाता' शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है?

(A) भारत (B) प्रकृति (C) नदी (D) पनिहारी

(2) निम्नलिखित में से कौन-सी जोड़ी सही है?

(A) शारदापीठ – सोमनाथ (B) पोलो उत्सव – वड़नगर

(C) उत्तरार्ध नृत्य महोत्सव – मोढेरा (D) सीदी सैयद की जाली – भावनगर

(3) द्रविड़ कुल की भाषाओं में नीचे की किस भाषा का समावेश नहीं किया जा सकता है?

(A) हिन्दी (B) तमिल (C) कन्नड़ (D) मलयालम

प्रवृत्ति

- एटलस में भारत के स्थान का अध्ययन कीजिए।
- गुजरात के विविध पर्यटन स्थलों की मुलाकात लीजिए।
- गुजरात के विविध मेलों की मुलाकात का आयोजन बनाइए।
- राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त वृक्षों की जानकारी या विवरण प्राप्त कीजिए। उदा., सिद्धपुर में लुणवा नजदीक नीम का वृक्ष, कंथरपुर का बरगद (गांधीनगर जिला)।

2 भारत की सांस्कृतिक विरासत : परंपराएँ, हस्तकला और ललितकलाएँ

भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासतवाला देश है। जिसमें भौतिक और जैविक विरासत का समावेश होता है। बालक को जन्म के साथ ही माता-पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण मिलते हैं, जिसे जैविक विरासत के रूप में हम जानते हैं। जब घर, जमीन, जागीर या स्थावर-जंगम संपत्ति विरासत में मिले तो उसे भौतिक विरासत कहते हैं। उसी तरह मनुष्य अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति, कला-कौशल द्वारा जो कुछ प्राप्त करता है या सर्जन करता है उसे सामान्य रूप से सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। उसी तरह समाज-जीवन में पूर्वजों द्वारा शुरू की गई परंपराएँ, रूढ़ियाँ, रीति-रिवाज और एक विशेष प्रकार की जीवनशैली को भी हम सांस्कृतिक विरासत मानते हैं। इसके उपरांत हम दूसरी चीजें जैसे कि शिक्षा, कृषि, व्यापार, दैनिक जीवन के नीति-नियम, उत्सव, मनोरंजन, कला कारीगरी, मान्यता और कौशल का भी समावेश उसमें करते हैं।

भारत विश्व का प्राचीन देश है। उसकी उत्तम परंपराओं सामाजिक मूल्यों, रूढ़ियों, रीति-रिवाजों, परिवार व्यवस्था की विशेषतावाले सांस्कृतिक विरासत की देखभाल और संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। प्राचीन भारत की चौंसठ कलाएँ जिनमें हस्तकला, कारीगरी, कलाबत्तु हुनर, चित्र, संगीत, नाट्यकला और नृत्यकला इत्यादि को गिना सकते हैं। अपनी प्राचीन मुद्राएँ भी मूल्यवान थीं। भूतकाल में विदेशी यात्रियों या आक्रमणकारियों के लिए भारत की समृद्धि आकर्षण का केन्द्र थी। आज भारत की सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक समान योग विद्या को समग्र विश्व ने स्वीकार किया है और उसके परिणाम स्वरूप समग्र विश्व 21 जून को 'विश्व योग दिवस' के रूप में मनाता है।

इस प्रकरण में भारत की विविध प्रकार की कला कारीगरी के विषय में हम परिचय प्राप्त करेंगे :

भारतीय कारीगरों का कमाल

भारत की सांस्कृतिक विरासत का सौंदर्य भारतीय कारीगरों और कलाबत्तुओं (जरीकाम करनेवाले) के हुनर पारंगतता में समाया हुआ है। भारत के रंगबिरंगे जीवन को उन्होंने अपनी कला-कारीगरी और हुनर उद्योग द्वारा कुशलता से विकसित किया है। गूंथने का काम, काष्ठकला, मिट्टीकाम, धातुकाम, चित्रकला, चर्म उद्योग, मीना कारीगरी, नक्काशी काम, अकीक और हीरा संबंधी कौशलपूर्ण कारीगरी, शिल्प-स्थापत्य, हाथ बुनाई से जुड़ी कारीगरी आदि भारत की विशेष पहचान है।

मिट्टीकाम कला

मानवजीवन और मिट्टी के बीच बड़ा ही प्राचीन संबंध रहा है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा मिट्टी से जुड़ी रहती है। धातु की खोज नहीं हुई थी, तब मनुष्य अधिकांशतः मिट्टी से बनी वस्तुओं का उपयोग करता था, जिनमें मिट्टी के खिलौने, मटके, कुल्हड़, दिये, मिट्टी के चूल्हे तथा अनाज संग्रह की कोठी (बखार) वगैरह का समावेश होता है। उस समय घर की दीवारों को भी मिट्टी और गोबर से लीपकर सुरक्षित रखा जाता था। पानी, दूध, दही, छाछ और घी जैसे द्रव पदार्थ भी मिट्टी के बर्तनों में रखे जाते थे। रसोईघर के बर्तन भी मिट्टी के होते थे। लोथल, मोंहे-जो-दड़ो तथा हडप्पा संस्कृति समय के मिट्टी के लाल रंग के प्याले, मर्तबान (बरनी), रकाबी आदि बर्तन मिले हैं। कुम्हार के चाक को मिट्टी के काम के लिए प्राचीन भारत का प्रथम यंत्र माना जा सकता है। आज भी नवरात्रि में गरबा (अंदर में दीपक हो ऐसा छिद्रोंवाला मिट्टी का घड़ा) देखने को मिलता है।

कच्ची मिट्टी और कच्ची मिट्टी में से पकाए (टेराकॉटा) गए बर्तन तथा वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भारत प्राचीनकाल से ही प्रसिद्ध है। जिसका प्रमाण हमें दक्षिण भारत के नागार्जुनकोंडा और गुजरात के लांघणज (महेसाना) से मिले हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों के पुराने अवशेषों के आधार पर मिलता है।

बुनाई कला

रूई की पूनी में से रेशों को खींचने के साथ ऐंठकर लंबा धागा बनाने की कला को 'कताई' कहते हैं। महात्मा गांधीजी ने कताई–बुनाई गृह उद्योग को विशेष महत्त्व देते हुए आजादी आंदोलन में उसे स्वदेशी और स्वावलंबन के साथ जोड़ करके एक इतिहास बनाया।

हाथ–बुनाई : प्राचीन समय से ही भारत वस्त्र–विद्या के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि ढाका की मलमल का थान अंगूठी में से निकल जाता था और दियासलाई की डिब्बी में भी आ जाता था ! कश्मीर सहित भारत

2.1 हाथ–बुनाई का गालीचा

में बननेवाला गालीचा, पाटण का पटोला, कांजीवरम और बनारसी साड़ियाँ, राजस्थानी बाँधनी जैसे हाथ–बुनाई के विशिष्ट कारीगरी के नमूने भारत की पहचान थे।

गुजरात में सोलंकी युग के स्वर्णकाल दौरान उस समय की राजधानी पाटण में अनेक कारीगर आकर बसे। उनकी कारीगरी और कौशल के कारण विशेष करके पाटण का पटोला जग विख्यात बना। पाटण की यह कारीगरी लगभग 850 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। अत्यंत अटपटी, जटिल और समय लेनेवाली यह कला आज कुछ मर्यादित कारीगरों तक ही सीमित है। पाटण में बननेवाले इस रेशमी वस्त्र को पटोला कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ एक ही प्रकार की छाप दिखाई देती है ! अतः उसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। ऐसा पटोला कई वर्षों तक फटता नहीं है और रंग भी नहीं जाता है, इसीलिए गुजराती में एक कहावत प्रचलित है कि 'पड़ी पटोले भात, फाटे पर फीटे नहि'।

कढ़ाई–बुनाई की कला

हड़प्पा और मोंहे–जो–दड़ो के उत्खनन दौरान मिली मूर्तियों और पुतलों के वस्त्रों पर भी कढ़ाई–बुनाई का काम देखने को मिला है। भारत में पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों के वस्त्रों पर कढ़ाई–बुनाई करने की कारीगरी भी बहुत प्राचीन है। सिंधु संस्कृति के समय सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ के स्त्री–पुरुषों के वस्त्रों पर कशीदाकारी देखने को मिली है। इसी तरह कश्मीर का कश्मीरी कशीदा भी प्रसिद्ध है।

इसके उपरांत गुजरात के जामनगर, जेतपुर, भुज और मांडवी क्षेत्र बांधनी तथा उसके ऊपर की गई परंपरागत शैलीवाली हाथी, पुतली, चौरस, पक्षी, कलश आदि सुंदर डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध हैं। कपड़े के ऊपर छपाई और कढ़ाई–बुनाई गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र वगैरह प्रदेशों की स्त्रियों का गृह–व्यवसाय रहा है। चंदोवा, लता तोरण, चौका, तकिया, मसनद और झूले के उपरांत कई जातियों में पहनी जानेवाली मिरजई नामक वस्त्र के ऊपर की गई कढ़ाई–

बुनाई कला की परंपरा आज भी प्रख्यात है। कढ़ाई-बुनाई से सजा धुस्सा, रजाई के ऊपर भौमितिक और विविध आकृति प्रधान कृतियों से युक्त कशीदाकारी भी देखने को मिलती है। कच्छ के बन्नी क्षेत्र में 'जत' जैसी कौम की कशीदाकारी की भी एक अलग पहचान है।

चर्म उद्योग

प्राचीन भारत में मृत प्राणियों के चमड़े का विविध उपयोग होता था। प्राणी की मृत्यु के बाद परंपरागत रूप से चमड़ा तैयार (Process) किया जाता था। कृषि के लिए कुआँ से पानी निकालने के लिए पुर (चरसा) तथा पानी की मशक और पखालों में चमड़े का उपयोग होता था। ढोल, नगारा, तबला जैसे संगीत के साधनों के उपरांत लुहार की धौंकनी, विविध प्रकार के जूते और प्राणियों को बाँधने के लिए चमड़े का उपयोग होता था। युद्ध में उपयोग की जानेवाली ढाल में भी चमड़े का उपयोग होता था।

भारत में चर्म उद्योग का विशिष्ट स्थान था। जिसमें जूते और चमड़े की विविध चीज-वस्तुएँ जैसे कि चमड़े की कढ़ाई-बुनाईवाली-जूतियाँ, चम्पलें, पर्स, पट्टा (बेल्ट) तथा घोड़े और ऊँट जैसे प्राणियों के पीठ पर रखा जानेवाला साज, पलान, लगाम तथा चाबुक के लिए डोरी भी चमड़े की होती थी।

हीरा-मोतीकाम और मीनाकारीगरी

भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशाओं में 7517 किलोमीटर लंबाईवाला समुद्रीतट है। जिसके कारण हीरा-मोती का उपयोग बड़े पैमाने पर होता रहा है। समुद्रीमार्ग की यात्रा करके समुद्र पार के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध होने से हीरा-मोती का व्यापार भी होता रहा है। भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हीरे-मोती के आभूषणों की पहले से ही विदेशों में खूब माँग रही है। विश्व विख्यात कोहिनूर और ग्रेट मुगल हीरा भी भारत से मिला था। भारतीय लोग आभूषणों के शौकीन थे। सोने के गहनों के उपरांत श्रीमंत वर्ग, राजा-महाराजा और अमीर लोग वैविध्यपूर्ण हीरे-मोती के आभूषण पहनते थे।

प्राचीन समय में राजा-महाराजा, श्रेष्ठी और महाजन लोग भी हीरा, मोती, माणेक, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि रत्नों का उपयोग वस्त्राभूषणों की शोभा बढ़ाने के लिए करते थे। राजा-महाराजा और बादशाहों के सिंहासनों, मुकटों, मालाओं और बाजूबंद बनाने में रत्नों का उपयोग होता था। मोती के कलात्मक तोरण, माला, कलश, खिड़की, चौका, पंखा, विवाह के नारियल, घुनघुना, पिछौरी, गेंडुरी, बैलों के लिए कलात्मक शेहरा, सींगों की झालर आदि बुनाई की कला-कारीगरी अद्‌भुत रही है। संपूर्ण भारत में यह सारी कारीगरी हस्तकला कारीगरी के रूप में परंपरागत ढंग से देखने को मिलती है।

सोना, चाँदी तथा मीनाकारी की कला-कारीगरी में दुनियाभर के देशों में भारत का स्थान अग्रसर है। अपने यहाँ सोना-चाँदी के अलंकारों (माला, हार, अंगूठी, एरिंग, कंगन, चाबी का गुच्छा आदि) के काम में कुशल और निपुण कारीगर मीनाकारीगरी द्वारा लाल, हरा और आसमानी रंग भर करके गहनों की शोभा बढ़ाते हैं। मीना कारीगरी में कुशल कारीगर जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी और हैदराबाद में विशेष रूप से हैं।

जरीकाम

जरीकाम में अपना देश प्राचीनकाल से प्रसिद्ध है। चाँदी और सोने के तार के रूप में जरी बना करके उसका उपयोग कढ़ाई-बुनाई कला द्वारा कीमती वस्त्रों को सजाने में होता था। भारत में जरीकाम की कारीगरी के लिए सूरत प्रसिद्ध है। पानेतर (कन्या को व्याह के समय पहनाया जानेवाला वस्त्र), साड़ी, घरचोला जैसे वस्त्र-परिधान के लिए सूरत के कुशल कारीगर जरी की किनारी लगाकर बेजोड़ काम करते थे।

धातुकाम

धातु विद्या भी भारत की प्राचीन विद्या है। पाषाणयुग के बाद धातुयुग में धातुविद्या विकसित हुई। लोथल के कारीगर धातु में से हँसिया, बरमा (छिद्रक), घुमाववाली आरी, आरा और सूई जैसे ताँबे एवं काँसे के औजार बनाते थे। इसी तरह धातु में से औजारों के उपरांत बर्तन, मूर्तियाँ और पात्र बनाए जाते थे। युद्ध के लिए अस्त्र-शस्त्र भी धातु में से बनाते थे। सोना-चाँदी जैसी धातुओं का उपयोग गहने में होता था। ताँबा, पीतल और काँसा जैसी धातुओं का उपयोग बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में होता था। जबकि लोहे का उपयोग औजार एवं हथियार बनाने में होता था।

काष्ठकला

मानवजीवन का संबंध प्रारंभ से ही वृक्ष और जंगलों के साथ जुड़ा रहा है। शुरुआत में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग होता था। धीरे-धीरे औजारों, भवनों और मकानों के निर्माण में लकड़ी का उपयोग होने लगा। क्रमश: लकड़ी की मूर्तियाँ, बालकों के लिए खिलौने, गोखा (ताक), खंभे, खिड़की-दरवाजे, अटारी, सिंहासन, कुर्सी, जाली आदि बनने के साथ काष्ठकला-नक्काशी का विकास होता रहा। गुजरात में संखेड़ा का फर्नीचर, लकड़ी का झूला तथा ईडर के खिलौने प्रसिद्ध हैं।

जड़ाऊकाम

अलंकार और जड़ाऊकाम की कला भारत की एक प्राचीन कला है। भारत के राजा, सम्राट, अन्य शासक और उस समय के श्रीमंत वगैरह जिन स्वर्ण अलंकारों को धारण करते थे, उनमें हीरा, मोती, माणेक आदि प्रमुख थे। इन कीमती रत्नों को गले का हार, बाजूबंद, कड़ा, मुकुट, माथ बेंदी, अंगूठी, नथनी आदि में जड़ाकर पहनते थे। विशेष निपुणतावाले कारीगर ऐसी जड़ाऊ कला में सिद्धहस्त थे। राजस्थान का बीकानेर गहने के जड़ाऊकाम के लिए प्रसिद्ध है।

अकीककाम

अकीक भारत की कई नदियों के घाटी प्रदेश से मिलनेवाला एक कीमती पथ्थर है। जिसमें अकीक, चकमक और अर्धपारदर्शक सुंदर लाल पत्थर (कार्नेलियन) मुख्य हैं। विशेष करके सिलिका-मिश्रित नीले या सफेद रंग (केल्सीडोनिक) के पत्थरों को 'अकीक' कहते हैं। गुजरात में सूरत और राणपुर क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न आकार के अकीक के पत्थर मिलते हैं। अकीक के पत्थरों को अलंकारों में जड़ाऊ काम के लिए खंभात भेजा जाता है। खंभात के कारीगर अकीक के पत्थरों को तराशकर उन्हें विविध अलंकारों में जड़ाऊ योग्य बनाते हैं अथवा अकीक के पत्थरों की माला या मणका तैयार करते हैं।

चित्रकला

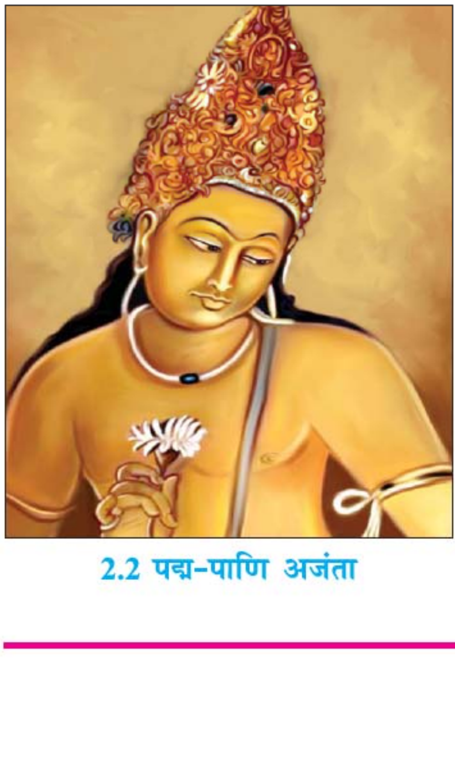
2.2 पद्म-पाणि अजंता

विविध कलाओं में चित्रकला का स्थान सर्वोपरि है। चित्रकला रंग और रेखाओं द्वारा कला एवं सौन्दर्य का रसपान कराती है। इसमें प्रकृति के जड़ और चेतन स्वरूप में रहे विविध भावों का दर्शन कराने की क्षमता है। लगभग 5000 वर्ष प्राचीन हड़प्पीय संस्कृति के अवशेषों में से भारतीय चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। पुरातत्त्व विभाग के उत्खनन में भी भारत की चित्रकला के नमूने मिलते रहते हैं। पाषाण युग के आदिमानव के गुफ़ा-चित्रों में पशु-पक्षियों के आलेखन देखने को मिलते हैं। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों के ऊपर भौमितिक रेखांकन की आकृति और फूल-पौधे बनाते थे। मध्यप्रदेश के हाथी, गैंडा, हिरन आदि चित्र उल्लेखनीय हैं। अजंता-इलोरा के चित्र भारतीय चित्रकला के बेजोड़ उदाहरण हैं। भारत में पारंपरिक रूप से मांगलिक प्रसंगों पर स्वस्तिक, कलश, गणेश के चित्र बनाने की और कुछ क्षेत्रों में रंगोली बनाने की प्रथा भी बड़ी पुरानी है।

भारत की ललितकला

गायन, वादन, नर्तन और विविध पात्रों की वेशभूषा धारण करके किसी कथा या प्रसंग का अभिनय करना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों और अन्य भारतीय साहित्य के आधार पर मनोरंजन के साथ लोकसंस्कार देने का कार्य काफी समय से भारत में चलता रहा है, जिसका विसद अध्ययन रसमय है।

संगीतकला

स्वर, ताल और लय की दृष्टि से भारतीय संगीत विश्व के अन्य देशों के संगीत से भिन्न है। हमारे 4 वेदों में से सामवेद संगीत से संबंधित वेद माना जाता है। सामवेद की ऋचाओं को संगीत के साथ तालबद्ध ढंग से गाना होता है। संगीत में गायन और वादन दोनों का समावेश होता है। सा, रे, ग, म, प, ध, नी – ये संगीत के मुख्य 7 स्वर हैं। अपने संगीत को मुख्य रूप से शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दो भागों में बाँट सकते हैं । संगीत के 5 राग हैं : (1) श्री (2) दीपक (3) हींडोल (4) मेघ और (5) भैरवी। ऐसा माना जाता है कि ये पाँचों राग भगवान शंकर के मुख से उत्पन्न हुए हैं। प्राचीन भारत में संगीत संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात का परिचय निम्नानुसार है :

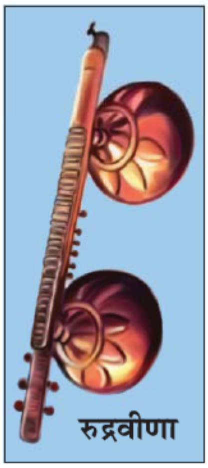

2.3 संगीत के साधन

(1) 'संगीत मकरंद' : संगीतशास्त्र के जानकार पंडित नारद ने ई. सन् 900 के आसपास 'संगीत मकरंद' नामक ग्रंथ लिखा था। जिसमें 19 प्रकार की वीणा और 101 प्रकार के ताल का वर्णन किया गया है।

(2) 'संगीत रत्नाकर' : संगीतशास्त्र के ज्ञाता पंडित सारंगदेव इस ग्रंथ के रचयिता थे। वे दौलताबाद (देवगिरि) में रहते थे, इसलिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संगीत से परिचित थे। पंडित विष्णुनारायण भारतखंडे ने 'संगीत रत्नाकर' को भारतीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ प्रमाणभूत ग्रंथ माना है। संगीत के अंगों को समझने के लिए यह ग्रंथ अद्वितीय माना जाता है।

(3) 'संगीत पारिजात' : पंडित अहोबल ने ई.स. 1965 में उत्तर हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के लिए इस महत्त्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने विविध रागों का एक महत्त्वपूर्ण लक्षण बताया है कि सभी राग एक दूसरे से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व और विशिष्टता रखते हैं। उन्होंने 29 प्रकार के स्वरों को बताया है।

अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन अमीर खुसरो संगीत और शायरी के क्षेत्र में अनेक योगदान के कारण 'तूती–ए–हिंद' के रूप में प्रसिद्ध थे। 15वीं और 16वीं सदी में भारत में भक्ति आन्दोलन शुरू हुआ, उस समय सूरदास, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीरा और नरसिंह मेहता के भजनों और कीर्तनों से देश में भक्तिमय वातावरण बन गया। 15वीं सदी में स्वामी हरिदास के शिष्य बैजू बावरा और तानसेन जैसी उसी समय की अपने गुजरात की संगीत जोड़ी ताना और रीरी नामक कन्याएँ खूब प्रसिद्ध थीं।

2.4 नृत्यकला के आदिदेव नटराज

नृत्यकला

नृत्य शब्द की व्युत्पत्ति मूल संस्कृत धातु 'नृत्' (नृत्य करना) पर से हुई है। नृत्य ताल और लय के साथ सौन्दर्य की अनभूति कराने का साधन है। नृत्यकला के आदि देव भगवान शिव (नटराज) माने जाते हैं। लोगों को नृत्य सिखाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर इस कला को सर्वप्रथम नटराज शिव लाए थे, ऐसी मान्यता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य के प्रकारों में भरतनाट्यम्, कुचीपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिशी और मणिपुरी मुख्य हैं।

भरतनाट्यम्

भरतनाट्यम का उद्‌भव स्थान तमिलनाडु राज्य का तंजावुर जिला माना जाता है। भरत मुनि रचित 'नाट्यशास्त्र' और नंदीकेश्वर रचित 'अभिनवदर्पण' ये दोनों ग्रंथ भरत नाट्यम् के आधार-स्रोत हैं। मृणालिनी साराभाई, गोपीकृष्ण के उपरांत फिल्म क्षेत्र की मशहूर अभिनेत्री वैजयंतीमाला और हेमामालिनी ने भी प्राचीन भारत की इस विरासत को जीवित रखा है।

2.5 भरतनाट्यम् नृत्यकला

कुचीपुड़ी नृत्यशैली

इस नृत्य की रचना 15वीं सदी के दौरान हुई है। मुख्य रूप से स्त्री सौंदर्य के वर्णन पर आधारित और स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों द्वारा किए जानेवाले कुचीपुड़ी नृत्य में भारतीय नृत्य की बुनियादी मुद्राओं को शामिल कर लिया गया है। यह आंध्र में विशेषरूप से प्रचलित है। गुरु प्रह्लाद शर्मा, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, शोभा नायडु आदि प्रख्यात नर्तकों ने भी इस शैली की प्राचीन विरासत को जीवित रखा है।

कथकली

कथकली केरल राज्य का प्रचलित नृत्य है। पौराणिक महाकाव्य, महाभारत के प्रसंग और संस्कृत-मलयालम मिश्रित नाटक बाद में कथकली कहे गए। कथकली की वेशभूषा घेरदार सुंदर कपड़ावाली होती है। उनके पात्रों को पहचानने के लिए उनके चेहरे पर की विशिष्ट मुखाकृति को समझना पड़ता है। इस नृत्य में नट कलात्मक मुकुट धारण करता है। नृत्य प्रस्तुति के समय एक ही तेल के दिये से रंगमंच प्रकाशित रहता है। नट परदे के पीछे आकर अपना संगीतमय परिचय देता है तथा तीनों लोक के पात्रों को चेहरे के हावभाव एवं हस्त मुद्रा से सजीव करता है।

केरल के कवि श्री वल्लथोल (स्थापित कलामंडल में कथकली), कलामंडलम्, कृष्णप्रसाद, शिवारमन वगैरह ने इस शैली को देश-विदेश में प्रसिद्धि दिलाई।

कथक नृत्य

'कथन करे सो कथक कहावे' उक्ति पर से कथक आया है। महाभारत में श्रीकृष्ण और गोपियों के साथ के नृत्य की कथाओं पर कथक नृत्य आधारित है। उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय की शृंगार भक्ति के साथ कथक नृत्य का विकास हुआ है। उसमें एक पैर पर गोल-गोल घूमना और नृत्य के प्रसंग प्रदर्शित किए जाते हैं। इस नृत्य में

स्त्रियाँ चूड़ीदार पायजामा और ऊपर घेरवाला वस्त्र पहनती हैं। पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारादेवी और कुमुदिनी लाखिया आदि ने इस कला को जीवंत रखा है।

2.6 मणिपुरी नृत्यकला

मणिपुरी नृत्य

मणिपुर की प्रजा हर उत्सव के प्रसंग पर नृत्य करती है। मणिपुरी नृत्यशैली मुख्य रूप से श्रीकृष्ण की बाललीला और रासलीला पर आधारित है । मणिपुरी नृत्यशैली के लास्य और तांडव दो प्रकार हैं। इस नृत्य के समय रेशम का ब्लाउज पहन करके कमर पर पट्टा बाँधते हैं तथा नीचे घेरदार हरे रंग का घाघरा 'कुमीन' पहनते हैं। गुरु आमोबीसिंह आतोम्बेसिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नयना झवेरी, निर्मल मेहता आदि ने इस नृत्य को देश-विदेश में प्रसिद्धि दिलाई है।

नाट्यकला

भारतीय नाट्यकला की मुख्य विशेषता मनोरंजन के साथ संस्कार रही है। नाटक का संचालन करनेवाले सूत्रधार और मनोरंजन द्वारा आनंदित करनेवाले विदूषक की जोड़ी ने भारतीय नाटकों को एक अलग पहचान दिलाई है। भरत मुनि रचित 'नाट्यशास्त्र' इस कलाक्षेत्र में अति प्रचलित हैं। नाट्यलेखन और मंचन द्वारा रंगमंच पर दृश्य, श्रव्य एवं अभिनय के त्रिवेणी संगम के साथ नाट्यकला सबको आनंदित करती है। यह आबाल-वृद्ध का मनोरंजन और लोकशिक्षण करनेवाली भारत की प्राचीनकला है। भरतमुनि इस कला में सभी कलाओं का समन्वय मानते हैं। वे नाट्यकला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि "ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जो नाट्यकला में न हो।" भरत मुनि रचित प्रथम नाटक का कथानक 'देवासुर संग्राम' था। संस्कृत साहित्य में महाकवि भास ने महाभारत आधारित 'कर्णभार', 'उरुभंग' और 'दूतवाक्यम्' जैसे नाटकों की विरासत हमें दी है। महाकवि कालिदास का 'अभिज्ञान शाकुंतलम्', 'विक्रमोवर्शीयम्' तथा 'मालविकाग्निमित्रम्' नाटक सबसे अधिक प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनके उपरांत प्राचीन काल में नाट्यकला के क्षेत्र में कई नाट्यकार हुए, जिन्होंने संस्कृत नाट्यकला को समृद्ध बनाया।

गुजरात की नाट्य कलाओं में जयशंकर 'सुंदरी' का नाम सबसे ऊपर है। इनके उपरांत अमृत नायक, बापूलाल नायक (नंदबत्रीसी नाटक), प्राणसुख नायक, दीना पाठक, जशवंत ठाकर, उपेन्द्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, सरिता जोशी, दीपक घीवाला आदि का योगदान भी उल्लेखनीय है। देशी नाट्यसमाज और अन्य नाट्यसंस्थानों का योगदान भी महत्त्वपूर्ण रहा है।

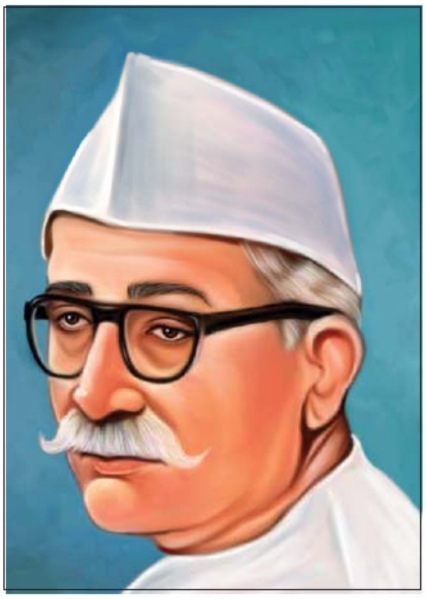

2.7 जयशंकर 'सुंदरी'

भवाई

शास्त्रकारों ने भवाई को 'भावप्रधान नाटक' कहा है। भवाई गुजरात की लगभग 700 वर्ष पुरानी विशिष्ट प्रकार की नाट्यकला है, जिसे असाइत ठाकर ने शुरू किया था। सस्ते खर्च में लोकशिक्षण के साथ मनोरंजन करनेवाली इस नाट्यकला को सोलंकी युग में प्रोत्साहन मिला है। ज्यादातर पर्दे के बिना अभिनय किया जानेवाला नाटक, हल्की-फुल्की शैली में मनोरंजन और भूंगल वाद्य के

साथ संगीत प्रधान नाटक और वेश (रामदेव का वेश, झंडा झूलन का वेश, बेमेल जोड़े का वेश आदि) ये सब भवाई की विशेषता रही है। भवाई के विषयवस्तु में सामाजिक कुरीतियों के प्रतिकार का भी समावेश होता है। गुजरात में कन्या शिक्षण, बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रमों के लिए रंगला-रंगली जैसे पात्रों के साथ भवाई नाट्यप्रयोगों का आयोजन होता है। भवाई करनेवाला भवाया भूंगल वाद्य बजाकर माताजी की स्तुति करता है।

गुजरात के लोकनृत्य

गुजरात की लोकप्रिय प्रजा की विवध कौम और जातियों में रूढ़ियों, रीतिरिवाजों और परंपराओं के अनुसार लोकनृत्य देखने को मिलते हैं। ऐसे नृत्य में आदिवासी लोकनृत्य, गरबा, रास तथा अन्य लोकनृत्य गिनाए जा सकते हैं। त्योहारों, विवाह प्रसंगों, मेला वगैरह के समय ऐसे नृत्य देखने को मिलते हैं।

आदिवासी नृत्य

गुजरात के आदिवासियों में होली और दूसरे त्योहारों, विवाह अवसरों, देवी-देवताओं को खुश करने के लिए और मेले में नृत्य देखने को मिलता है। ज्यादातर नृत्य वृत्ताकार स्वरूप में घूमते-घूमते होता है। ढोल और रूढ़िगत मंजीरा, थाली, तुरही, तंबूरा आदि वाद्ययंत्रों के साथ स्थानीय बोली में गाने के साथ यह नृत्य होता है। ऐसे नृत्यों में से 'चाडो' नृत्य में मोर, गिलहरी, गौरया जैसे पक्षियों की नकल होती है। डांग में भी ऐसा 'मालीनो चाडो' तथा 'ठाक्यां चाडो' नृत्य देखने को मिलता है। जबकि भील और कोली जातियों में श्रमहारी टिपणी नृत्य में मोटी लकड़ी के नीचे लकड़ी का टुकड़ा जड़ करके जमीन के ऊपर टकराकर ताल द्वारा समूह नृत्य किया जाता है।

2.8 आदिवासी नृत्य

गरबा

गरबा शब्द ''गर्भ-दीप'' के ऊपर से बना है। छिद्रोंवाले मिट्टी के घड़े में दीपक प्रज्वलित करके रखना और फिर उसके चारों ओर या उसे सिर पर रखकर वृत्ताकार नृत्य करना ही गरबा है। समग्र गुजरात राज्य में नवरात्रि-आश्विन सुदी-1 से आश्विन सुदी-9 (कहीं पर सुदी-10 या शरद पूनम) दौरान गरबा खेला जाता है। आद्यशक्ति माँ जगदंबा की पूजा और आराधना के इस पवित्र पर्व के अवसर पर गुजराती स्त्रियाँ माताजी का गरबा गाती हैं। सामान्य रूप से चौक या मैदान के बीच माताजी की मांडवी (बहुत सारे दिये रखने के लिए बनाई गई बड़ी दीवट जैसी रचना) होती है। उसके चारों तरफ वृत्ताकार में तालियों के ताल पर और ढोल के थाप पर गरबा गाया जाता है। सामान्य रूप से गरबा में गरबा गवानेवाला और गानेवाले ढोल की ताल पर गीत, स्वर और ताल लेकर एक ताली, दो ताली और तीन ताली तथा चुटकी बजाते हुए हाथ के हिलोर के साथ गरबा गाते हैं।

गुजरात में गरबा के उपरांत गाई जानेवाली गरबी का संबंध अधिकांशत: श्रीकृष्ण-भक्ति के साथ है। गुजरराती कवि दयाराम ने गोपीभाव से श्रीकृष्ण प्रेम की रंगभरी गरबियों की रचना की है। जो आज भी गुजराती स्त्रियों के कंठ से गूँजता रहता है।

रास

रास अर्थात् वृत्ताकार घूमते-घूमते नृत्य के साथ गाना। अपने यहाँ ऐसी कथा है कि भगवान श्रीकृष्ण ने भक्त

नरसिंह महेता को रासलीला बताई थी। गुजरात में अधिकतर नवरात्रि तथा जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में रास खेली जाती है। दाँडिया रास यह रास का एक प्रकार है, परंतु गागर या हाँडी लेकर रास की जाती है। वैष्णव संत्रदाय का प्रभाव बढ़ने पर रास अधिक लोकप्रिय बनी है। रास खेलने के लिए स्त्रियाँ कढ़ाईवाली चनिया-चोली और पुरुष मिरजई-धोती जैसे परंपरागत पोशाक पहनते हैं।

गुजरात के अन्य नृत्य

(1) गोफ गूँथन नृत्य : गुजरात का यह नृत्य ढोल वगैरह संगीत के ताल पर होता है। पहले मंडप, खंभे या वृक्ष के साथ डोरी बाँधी जाती है। फिर नीचे समूह में खड़े नाचनेवाले लोग उस डोरी के किनारे को पकड़कर (एक हाथ में किनारा और दूसरे हाथ में दाँडिया) बेल के आकार में एक अंदर और एक बाहर इस तरह गोल घूमते हुए गूँथने की क्रिया करते हैं और छोड़ते हैं।

(2) सीदियों का धमाल नृत्य : सीदी (हब्शी) लोग मूल अफ्रीका के निवासी हैं। जो गीर के मध्य वर्तमान समय में जांबुर में रहते हैं। मशीरा (नारियल के छिलके में कौडियाँ भरकर उसके ऊपर कपड़ा बाँधना) को तालबद्ध खड़खड़ाते हुए मोरपंख और छोटी-छोटी ढोल के साथ गाते हुए वृत्ताकार घूमकर किया जानेवाला यह नृत्य है। सीदी लोग आरोह-अवरोह के साथ हो-हो करते हुए यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में होनेवाली आवाज़ से पहाड़ों एवं जंगलों में प्रतिध्वनि उत्पन्न होने लगती है। पशु-पक्षियों की आवाज़ की नकल करते हुए समूह में नृत्य करते हैं।

(3) मेरायो नृत्य, पढार नृत्य तथा कोलियों और मेर का नृत्य : बनासकांठा के वाव क्षेत्र में सरखड़ जैसी ऊँची घास में से तोरण जैसे झुमके का मेरायो गूँथकर ढोल की आवाज़ के साथ तलवार के दावपेच जैसा नृत्य मेरायो नृत्य के नाम से जाना जाता है।

सुरेन्द्रनगर वगैरह क्षेत्र में पढार जाति के लोगों द्वारा होनेवाले पढार नृत्य में दांडिया या मंजीरा के साथ लय और ताल के साथ शरीर को जमीन के नजदीक लाकर बैठना होता है। यह नृत्य सागर की लहरों या उन लहरों पर हिलोर लेते जहाज जैसा दृश्य खड़ा करता है।

सौराष्ट्र के कोलियों के कोली नृत्य में वे सिर पर मदरासी (सिर पर बाँधा जाने वाला रंगीन कपड़ा) घुमावदार पगड़ी पहनते हैं। जिसके छोर पर छोटे-छोटे गोल दर्पण से भरे हरे पट्टे से बाँधते हैं। कमर में रंगीन कमरबंद पहनकर नृत्य करते हैं। इस तरह सौराष्ट्र के मेर तथा भरवाड (गड़रिया) जाति के नृत्य भी प्रसिद्ध हैं।

इस प्रकरण में हमने देखा कि पहले की गई चर्चा अनुसार भारत की संस्कृति सर्व व्यापक और सर्व समावेशी है। प्राचीन काल से लेकर सांप्रत समयतक विविध जातियों का आगमन और हुए परिवर्तन के अनुसार हस्तकला, गृह कारीगरी और चित्रकला तथा नृत्यकला सहित विविध ललित कलाएँ विकसित हुई हैं। जो भारत के वैविध्यपूर्ण विरासत का दर्शन कराती हैं और विश्व में भारत की अमिट छाप छोड़ती हैं।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखिए :

(1) प्राचीन भारतीय विरासत की मिट्टीकाम कला को समझाइए।

(2) 'चर्म-कार्य भारत की बड़ी पुरानी कारीगरी है' स्पष्ट कीजिए।

(3) संगीत रत्नाकर का परिचय दीजिए।

(4) 'कथकली' नृत्य के विषय में समझाइए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्देवार उत्तर लिखिए :

(1) भारत ने नृत्यकला के क्षेत्र में क्या प्रगति की है, समझाइए।

(2) गुजरात के गरबा और गरबी के विषय में लिखिए।

(3) भारत और गुजरात के हीरा-मोती काम एवं मीनाकारी काम के विषय में लिखिए।

(4) गुजरात के आदिवासी नृत्यों के विषय में जानकारी दीजिए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए :

(1) 'संगीत रत्नाकर' और 'संगीत पारिजात' ग्रंथों की रचना करनेवाले पंडितों के नाम बताइए।

(2) कताई कला में कौन-सी प्रक्रिया की जाती है ?

(3) लोथल के कारीगर धातु में से क्या-क्या बनाते थे?

(4) हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों पर कौन-कौन सी आकृति बनाते थे?

(5) भवाई के विषय में संक्षेप में लिखिए।

4. प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) निम्नलिखित में से कौन-सी रचना कालिदास की है?

(A) उरुभंग (B) कर्णभार (C) मेघदूतम् (D) दूतवाक्यम्

(2) वैजयंतीमाला और हेमामालिनी किस नृत्यशैली से जुड़ी हैं?

(A) मणिपुरी नृत्यशैली (B) कुचीपुडी नृत्यशैली (C) कथकली नृत्यशैली (D) भरतनाट्यम् नृत्यशैली

(3) भारत का कौन-सा वेद संगीतकला से संबंधित माना जाता है?

(A) ऋग्वेद (B) सामवेद (C) यजुर्वेद (D) अथर्ववेद

(4) भारत में संगीत क्षेत्र में 'तुती-ए-हिंद' के नाम से कौन प्रसिद्ध था ?

(A) तानसेन (B) तुलसीदास (C) कबीर (D) अमीर खुसरो

(5) 'चालो' नृत्य अर्थात् कौन - सा नृत्य ?

(A) आदिवासियों का नृत्य (B) गड़रियों का नृत्य

(C) कोलियों का नृत्य (D) पढारों का नृत्य

(6) धमाल नृत्य करनेवाले सीदी मूल कहाँ के निवासी हैं?

(A) राजस्थान (B) अंदमान (C) अफ्रीका (D) थाईलैंड

(7) विश्वयोग दिन किस तारीख को मनाया जाता है?

(A) 21 जून (B) 1 मई (C) 21 अप्रैल (D) 5 सितंबर

प्रवृत्ति

- विद्यार्थियों को अजंता-इलोरा के प्रवास पर ले जाइए।
- विद्यार्थियों को भारतीय नृत्यों के वीडियो बताइए।
- अपने गाँव या शहर में हस्त या ललित कलाकारों से संपर्क करके वर्गखंड में उनकी कृति या व्याख्यान का आयोजन कीजिए।
- अपने विस्तार के हस्तकला मेले की मुलाकात लेकर विविध स्वरूप के नमूनों का निरीक्षण करें।

•

3 भारत की सांस्कृतिक विरासत : शिल्प और स्थापत्य

भारत अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध है। शिल्प और स्थापत्य की विविधता ने भारत के इतिहास को नई पहचान दी है। भारत का प्राचीन सिंधुकालीन नगर आयोजन समकालीन विश्व के नगर आयोजन की अपेक्षा श्रेष्ठ था, बड़े गौरव के साथ उसका उल्लेख किया जा सकता है।

शिल्प

शिल्पी अपने कौशल और कारीगरी से छेनी-हथौड़ी द्वारा विविध प्रकार के मन के भावों को पत्थर, लकड़ी या धातु पर तराशकर जो रूप देता है, वही कला शिल्पकला कहलाती है।

स्थापत्य

स्थापत्य का सरल अर्थ निर्माणकार्य होता है। संस्कृत भाषा में स्थापत्य के लिए 'वास्तु' शब्द प्रयुक्त होता है, जो अत्यंत प्रचलित है। इस अर्थ में मकानों, नगरों, कुओं, किलों, मीनारों, मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों आदि के निर्माणकार्य को 'स्थापत्य' कहते हैं। स्थापत्यकला में 'स्थपति' का कौशल प्रयोजित होता है।

प्राचीन भारत का नगर-आयोजन

प्राचीन युग से भारत नगर-आयोजन में निपुण रहा है। पुरातात्त्विक उत्खनन से ऐसे कई नगर मिले हैं। इन महानगरों के मुख्य तीन विभाग हैं : (1) प्रशासनिक अधिकारी का किला (सिटडल) (2) अन्य अधिकारियों के निवासवाला ऊपरी नगर (3) सामान्य नगरजनों के आवासवाला निचला नगर।

3.1 मोंहे-जो-दड़ो की नगर रचना

- प्रशासनिक अधिकारियों का किला, जो ऊँचाई पर बनाया गया है।
- ऊपरी नगर भी रक्षणात्मक दीवारों से सुरक्षित है। यहाँ दो से पाँच कमरेवाले मकान मिले हैं।
- नीचले नगर के मकान मुख्यत: हाथ से निर्मित ईंटों से बनाए गए हैं।

सिंधु घाटी की संस्कृति की प्रजा ने स्थापत्य के क्षेत्र में उस समय की सभी संस्कृतियों की अपेक्षा सुंदर और व्यवस्थित ऐसे कई नगर विकसित किए थे। जिनमें से हडप्पा और मोंहे-जो-दडो नामक नगर महत्त्वपूर्ण थे।

(1) मोंहे-जो-दड़ो : ई.स. 1922 में सर जॉन मार्शल और कर्नल मेके के मार्गदर्शन में रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी नामक पुरातत्त्ववेत्ता ने सिंध (पाकिस्तान) के लारखाना जिला में मोहें-जो-दड़ो में खुदाई करवाई। उस खुदाई के दौरान विशाल ऐसे नगर सभ्यता के अवशेष मिले। मोहें-जो-दड़ो का अर्थ 'मुर्दों का टीला' होता है।

(i) नगर-रचना : मोंहे-जो-दड़ो नगर आयोजन की दृष्टि से श्रेष्ठ था। मकानों को बाढ़ और नमी से सुरक्षित रखने के लिए चबूतरे पर बनाए गए थे। श्रीमंतों के मकान दो मंजिले और पाँच या सात कमरेवाले थे। सामान्य वर्ग के लोगों के मकान एक मंजिल और दो या तीन कमरेवाले थे। समग्र नगर के चारों ओर दीवार की रचना की गई

थी। मकान के मुख्य द्वार राजमार्ग के बजाय गली में खुलते थे। यहाँ सभी मकान में कोठार (डेहरी), रसोईघर और स्नानघर के अवशेष मिले हैं। हवा और प्रकाश के लिए खिड़की-दरवाज़े की व्यवस्था थी।

(ii) रास्ते : इस नगर-रचना के विशिष्ट लक्षण यहाँ के रास्ते हैं। यहाँ अधिकांशत: 9.75 मीटर चौड़े रास्ते थे। छोटे-बड़े रास्ते एक-दूसरे से समकोण पर मिलते थे और एक साथ कई वाहन जा सकें इतने चौड़े रास्ते थे। रास्ते के किनारे रात्रिप्रकाश के लिए खंभे होने का भी अनुमान है। नगर के रास्ते सीधे और चौड़े थे, मार्ग के बीच कहीं भी मोड़ नहीं आता था। यह प्राचीन समय की विशिष्टता मानी जाती है। दो मुख्य राजमार्ग थे। एक मार्ग उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता था। दोनों मार्ग मध्य में समकोण बनाते थे।

(iii) गटर आयोजन : इस नगर-रचना की विशिष्टता गटर योजना है। ऐसी गटर योजना समकालीन सभ्यता में भूमध्य सागर के क्रीट द्वीप के अतिरिक्त कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। नगर में से गंदे पानी के निकास के लिए गटर बनाई गई थी। प्रत्येक मकान में एक सोख्ता कुआँ होता था। ऐसी सुव्यवस्थित गटर योजना से लगता है कि उस समय सुघराई (नगरपालिका) जैसी कोई कार्यक्षम व्यवस्था होगी। अत: हम कह सकते हैं कि स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के विषय में वे ऊँची सोच रखते होंगे।

(iv) सार्वजनिक स्नानागार : मोंहे-जो दड़ो से एक विशाल स्नानागार भी मिला है। स्नान कुंड में स्वच्छ पानी अंदर भरने के लिए और गंदा पानी बाहर निकालने के लिए व्यवस्था थी। गरम पानी की भी व्यवस्था रही होगी। वस्त्र बदलने के लिए कमरे भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि धार्मिक प्रसंगों पर यहाँ के लोग स्नानागार का उपयोग करते रहे होंगे।

(v) सार्वजनिक मकान : मोंहे-जो-दड़ो से सार्वजनिक उपयोगवाले दो मकान मिले हैं। ऐसा लगता है कि इनका उपयोग सभाकक्ष, मनोरंजनकक्ष, सभागार या राज्य के कोठार के रूप में होता होगा। यहाँ मकानों की एक पंक्ति भी मिली है, जो शायद सैनिकों की बैरक होगी।

(2) हड़प्पा : सर जॉन मार्शल और कर्नल मेके के नेतृत्त्व (ई.स. 1921) में दयाराम साहनी ने पंजाब में मोन्टेगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा के पास से भारतीय सभ्यता के अति प्राचीन अवशेषों की खोज की। हिमालय क्षेत्र में रोपर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगिरपुर, राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में धोलका तहसील में लोथल, कच्छ में देशलपुर-शिकारपुर, धोलावीरा और सौराष्ट्र में लिंबड़ी के पास रंगपुर, गोंडल के पास श्रीनाथगढ़ (रोज़डी), मोरबी के पास कुंतासी, सोमनाथ आदि स्थलों से सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

सप्तसिंधु नदियों का प्रदेश अपने देश की संस्कृति का प्रदेश है। इस प्रदेश में जो संस्कृति विकसित हुई थी उसे सिंधु घाटी की संस्कृति कहते हैं। इसी जगह से पाषाण और ताँबे के औजार, चीज-वस्तुएँ आदि मिली हैं, इसलिए उसे ताम्रपाषाण युग की संस्कृति भी कहते हैं। हडप्पीय समय के नगरों का आयोजन सुव्यवस्थित था। उन नगरों के बड़े-बड़े कोठार और किलेबंदी उल्लेखनीय है। वहाँ के लोग गहनों के शौकीन रहे होंगे, ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं।

(3) धोलावीरा : धोलावीरा भुज से लगभग 140 किमी दूर भचाऊ तहसील में है। बड़े रण के खदीर द्वीप के धोलावीरा गाँव से दो किमी दूर हड़प्पा का समकालीन विशाल व्यवस्थित प्राचीन नगर मिला है। गुजरात राज्य पुरातत्त्व विभाग ने भी इस टीले का सर्वेक्षण किया था। उसके पश्चात् आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संशोधन शुरू किया। ई. सन् 1990 में रवीन्द्रसिंह बिस्त के मार्गदर्शन में विशेष उत्खनन किया गया।

3.2 धोलावीरा

धोलावीरा के किले, महल तथा नगर की मुख्य दीवारों की जिस सफेद रंग से पुताई की गई थी, उसके अवशेष मिले हैं। नगर की किले बंदी की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। यह दीवार मोटी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। यहाँ पीने का पानी छनकर शुद्ध रूप में मिले,

ऐसी व्यवस्था की गई थी। जिस तरह की व्यवस्था आज आधुनिक युग में भी हम नहीं कर सके हैं। पानी के शुद्धीकरण की उनकी व्यवस्था अद्‌भुत है।

(4) लोथल : लोथल अहमदाबाद जिला के धोलका तहसील में है। लोथल धोलका तहसील में भोगावो और साबरमती नदियों के बीच के प्रदेश में स्थित है। खंभात की खाड़ी से 18 किमी दूर है। वहाँ से मानव बस्ती के तीन स्तर मिले हैं। नगर के पूर्वी किनारे निचले भाग में ज्वार के समय जहाज को लंगर डालने के लिए बड़ा बंदरगाह (डोकयार्ड) बनाया गया था। यह लोथल की विशिष्टता है। ये बंदरगाह, कोठार, दुकानें, आयात-निर्यात के प्रमाण आदि दर्शाते हैं कि लोथल उस समय भारत का समृद्ध बंदरगाह रहा होगा। यह बात गुजरात को गौरवान्वित करनेवाली है। लोथल गुजरात को ही नहीं, बल्कि भारत के इतिहास को भी गौरव प्रदान करता है।

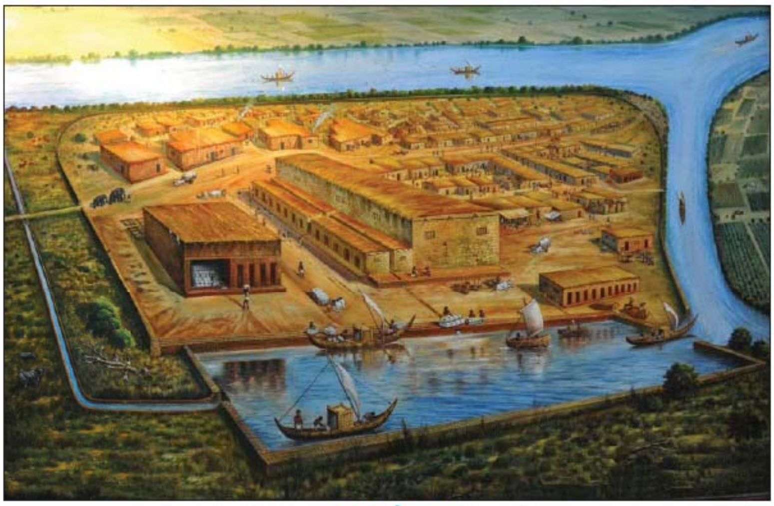

3.3 लोथल

मौर्यकालीन कला

स्तूप : भगवान बुद्ध के देहावशेषों को एक पात्र में रखकर उसके ऊपर अर्धगोलाकार टीले जैसी रचना की जाती है, उसे स्तूप कहते हैं।

अशोक के समय के पाँच स्तूप प्रसिद्ध हैं : (1) साँची का स्तूप (2) सारनाथ का स्तूप (3) बेरत का स्तूप (4) नंदनगढ़ का स्तूप और (5) गुजरात में देव की मोरी का स्तूप। इसके उपरांत चैत्य, विहार और मठ बनाए गए हैं। सम्राट अशोक का समय बौद्धधर्म की शान-शौकत और शिल्प स्थापत्य का युग था।

स्थापत्य के क्षेत्र में बौद्धधर्म ने गुफाविहारों, चैत्यों (उपासना गृह) और स्तूपों की भेट दी है।

साँची का स्तूप : मौर्य युग में निर्मित साँची का स्तूप मध्यप्रदेश में है। साँची का असली स्तूप ईंटों से बना था। वह वर्तमान स्तूप से आधे कद का था। यह बौद्ध स्तूप स्थापत्य कला का अमूल्य उदाहरण है।

3.4 साँची का स्तूप

स्तूप का ब्यौरा

हर्मिका

स्तूप के अंडाकार हिस्से के शीर्ष के चारों ओर लगी रेलिंग को हर्मिका कहते हैं। यह समग्र स्तूप को आवृत्त कर लेती है।

मेधि

स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को 'मेधि' कहते हैं। उसका उपयोग स्तूप की परिक्रमा करने के लिए किया जाता है।

प्रदक्षिणा पथ

मंदिर अथवा पूजास्थल के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को 'प्रदक्षिणा पथ' कहते हैं। हमेशा पवित्र स्थल दाहिनी ओर रहे इस तरह उस स्थल की प्रदक्षिणा की जाती है।

तोरण

तोरण अर्थात् दो स्तंभों के ऊपर सीधा पट या कमान के आकार में पत्थर आड़ा रखकर किया गया सुंदर स्थापत्य। तोरण के नीचे से हो करके श्रद्धालुओं का समुदाय प्रवेश करता है।

स्तंभलेख

सम्राट अशोक के स्तंभ लेख शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं। ये स्तंभलेख एक ही पत्थर को तराशकर बनाए जाते थे और फिर उन्हें घिस-घिसकर चमकीला बनाते थे। ऐसे स्तंभ अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, बिहार में लोरिया के पास नंदनगढ़, साँची, काशी, पटना और बुद्ध गया के बोधिवृक्ष के पास बनाए गए थे। ये स्तंभलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं।

सारनाथ का स्तंभ

सारनाथ का स्तंभ भारत की शिल्पकला का श्रेष्ठ नमूना है। इस स्तंभ के शिखर पर परस्पर जुड़े हुए खड़े चार सिंहों की आकृति है। सारनाथ भगवान बुद्ध का उपदेश-स्थल होने से सिंहों के नीचे चारों तरफ चार धर्मचक्र अंकित किए गए हैं। ये चक्र धर्म की विजय बताता है, इसीलिए इसे धर्मचक्र कहते हैं। इसके उपरांत हाथी, घोड़े और बैल की शिल्पाकृति है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज में इस चक्र को स्थान दिया गया है और चार सिंहों की आकृति को भारत के राष्ट्रचिह्न के रूप में स्वीकार किया गया है। दुनिया की सर्वोत्तम शिल्पकृतियों में से इसे एक उत्तम नमूना माना जाता है।

3.5 सारनाथ की सिंहाकृति

शिलालेख

सम्राट अशोक के शिलालेखों में धर्माज्ञावाले शिलालेख महत्त्वपूर्ण हैं। काष्ठशिल्प, पाषाणशिल्प आदि स्थापत्य कला के उत्तम नमूने की प्रतीति कराते हैं। लकड़ी और पत्थर की बाड़ बनाकर दरवाजे पर सुंदर तोरण तराशे गए हैं, जो धर्म के आचरण पर जोर देते हैं। ये शिलालेख पेशावर, देहरादून, थाणे, मुंबई, धौली और जौगड़ा (ओडिशा) और चेन्नई वगैरह स्थलों से मिले हैं। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत की तरफ जाते समय रास्ते (तलहटी) में इस प्रकार के शिलालेख हैं। इसके उपरांत गुजरात में पालिताणा, शेत्रुंजय पर्वत के जैन मंदिरों, अहमदाबाद के हठीसिंह के जैन देरासर (ई.स. 1847) में संपूर्ण जानकारी देनेवाले शिलालेख संस्कृत और गुजराती भाषा में तराशकर रखे गए हैं।

दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली

भारत की कृष्णा और गोदावरी नदियों के आसपास के क्षेत्र में सातवाहन वंश के राजाओं के समय दौरान अनेक बौद्ध स्तूप निर्मित किए गए थे। ये स्तूप अर्ध गोलाकार, अंडाकार तथा घंटाकार शिखरवाले थे। नागार्जुन कोंडा का स्तूप और अमरावती के स्तूप द्रविड़ शैली के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। चोल राजाओं ने द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला को उच्चस्तर तक पहुँचाया था।

गुप्तकालीन कला

गुप्तयुग में शिला, स्थापत्य, चित्र, नृत्य, संगीत आदि कलाओं का खूब विकास हुआ। जबलपुर (निनावा) का पार्वती मंदिर, भूमरा (नागोड़ा) का शिवमंदिर, एरण (मध्य प्रदेश) का नृसिंह मंदिर, जामनगर का गोपमंदिर, स्तूप, चैत्य, मठ, विहार, ध्वज, स्तंभ आदि गुप्तयुगीन कलाओं के नमूने हैं। इसके अलावा शिल्पकला में सारनाथ की बुद्ध प्रतिमाएँ, मथुरा की विष्णु प्रतिमा और महावीर स्वामी की प्रतिमा आदि गुप्तकालीन कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं, इसीलिए गुप्तयुग को कला का 'स्वर्णयुग' कहते हैं।

गुफा स्थापत्य (गुफाएँ)

भारतवर्ष में गुफा स्थापत्य मनुष्यकृत सौंदर्य धाम माने जाते हैं। औरंगाबाद में स्थित अजंता-इलोरा की गुफाएँ, मुंबई की एलीफेंटा की गुफाएँ, ओडिशा में भुवनेश्वर के पश्चिम उदयगिरि, खंडगिरि, नीलगिरि गुफाएँ, मध्यप्रदेश की बाघ की गुफाएँ गुप्तकालीन स्थापत्य के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। गुजरात में खंभालीड़ा (गोंडल), ढांक (राजकोट), जूनागढ़ की तीन गुफाओं का समूह, तलाजा, साणा आदि स्थलों पर गुफाएँ मिली हैं। अशोक के गुफालेख गया से 16 मील दूर बर्बर के पहाड़ की तीन गुफाओं की दीवारों को तराशकर लिखे गए हैं। जिसमें अशोक द्वारा आजीवन किए गए दानकार्यों का विवरण है। आसाम की दार्जिलिंग की गुफा, बिहार की सुदामा और सीता की गुफा आदि प्रसिद्ध गुफा स्थापत्य हैं।

अजंता, इलोरा और एलीफेंटा की प्रसिद्ध गुफाओं के विषय में प्रकरण-6 में विस्तृत जानकारी दी गई है।

गुजरात की गुफाएँ

(1) जूनागढ़ गुफा : जूनागढ़ में तीन गुफा समूह हैं :

(i) बावाप्यारा का गुफा समूह : यह गुफा बावाप्यारा मठ के निकट है। ये गुफाएँ तीन पंक्तियों में और परस्पर समकोण बनाती हुई फैली हैं। पहली पंक्ति में चार, दूसरी पंक्ति में सात और तीसरी पंक्ति में पाँच गुफाएँ मिलकर कुल 16 गुफाएँ हैं। ये ई. सन् के आरंभिक सदी दौरान नक्काशी करके बनाई गई होंगी।

(ii) उपरकोट की गुफाएँ : ये गुफाएँ दो मंजिल में हैं, नीचे ऊपर जाने के लिए जीनावाली सीढ़ी है। उपरकोट की गुफाएँ ई. सन् की दूसरी सदी के उत्तरार्ध से चौथी सदी के पूर्वार्ध दौरान बनी होंगी।

(iii) खापरा कोडिया की गुफाएँ, कुंड ऊपर की गुफाएँ : प्राप्त अवशेषों के आधार पर कह सकते हैं कि ये गुफाएँ कई मंजिलवाली रही होंगी। गुफाओं को बहुत नुकसान हुआ है। इसमें कुल 20 स्तंभ हैं। इस गुफा का निर्माणकाल ई. सन् की तीसरी सदी होने का अनुमान है।

(2) खंभालीड़ा गुफा : राजकोट से 70 किमी दूर गोंडल के निकट खंभालीडा से ये गुफाएँ (ई. सन् 1959 में) मिली हैं। उनमें तीन गुफाएँ उल्लेखनीय हैं। बीच की गुफा में स्तूपयुक्त चैत्यगृह, प्रवेशमार्ग के दोनों तरफ वृक्ष के सहारे खड़ी बोधिसत्त्व और कुछ उपासकों की बड़ी आकृतियाँ दूसरी-तीसरी सदी की हैं।

(3) तलाजा गुफा : शेत्रुंजी नदी के उद्गम के पास भावनगर जिले में तलाजा का पर्वत है। यह 'तालध्वज गिरि' तीर्थधाम के रूप में प्रसिद्ध है। पत्थरों को तराशकर 30 गुफाओं की रचना की गई है। इन गुफाओं की स्थापत्य कला

में विशाल दरवाजे हैं। 'एभलमंडप' (सभाकक्ष) और चैत्यगृह सुरक्षित एवं शिल्प स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृट हैं। बौद्ध धर्म के स्थापत्यों में ये गुफाएँ ई. सन् की तीसरी सदी की हैं।

(4) साणा गुफा : गीर सोमनाथ जिले के उना तहसील के वांकिया गाँव के निकट रूपेण नदी के किनारे साणा के पहाड़ों पर ये गुफाएँ स्थित हैं। साणा पहाड़ पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह 62 जितनी गुफाएँ फैली हुई हैं।

(5) ढांक गुफा : राजकोट जिले में उपलेटा तहसील के ढांक गाँव में ढंकगिरि आया हुआ है। ढांक की गुफाएँ चौथी सदी के पूर्वार्ध की मानी जाती हैं।

(6) झींझुरीझर : ढांक के पश्चिम लगभग सात किमी दूर सिदसर के पास की झींझुरीझर की घाटी में कुछ बौद्ध गुफाएँ हैं, जो ई. सन् की पहली और दूसरी सदी की मानी जाती हैं।

(7) कच्छ की खापरा कोडिया की गुफाएँ : कच्छ के लखपत तहसील में पुराने पाटगढ़ के पास के पहाड़ में ये गुफाएँ हैं। ये कुल दो गुफाएँ हैं। (ई. सन् 1967 में) इन गुफाओं की खोज के. का. शास्त्री ने की है।

(8) कडियापहाड़ गुफा : भरूच जिले के झघडिया तहसील में कडियापहाड़ की तीन गुफाएँ हैं। ये बौद्ध धर्म की प्राचीन स्थापत्य कला की उत्तम उदाहरण मानी जाती हैं। यहाँ गुफा स्थापत्य सर्वोत्तम है। एक पत्थर में से तराशकर बनाया गया 11 फूट ऊँचा एक सिंहस्तंभ है। स्तंभ के शीर्षभाग में दो शरीरवाली और एक मुखवाली सिंहाकृति है।

रथमंदिर

दक्षिण भारत में एक पत्थर में से या चट्टान में से नक्काशी करके निर्मित जगविख्यात रथमंदिर पल्लव युग की श्रेष्ठ पहचान है। कांची के कैलासनाथन और वैंकटपेरूमल का मंदिर कला स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके उपरांत महाबलिपुरम् का मंडप और महाबलिपुरम् के रथमंदिर विश्व विख्यात हैं। प्रत्येक रथमंदिर एक ही चट्टान काटकर बनाए गए हैं ! इन रथों का नाम पांड्वों के नाम पर से रखा गया है। सबसे बड़ा रथमंदिर धर्मराज का और छोटा रथमंदिर द्रोपदी का है।

3.6 रथमंदिर

मंदिर स्थापत्य

मंदिर स्थापत्य में ऊँची पीठिका (आसन) पर सीढ़ियोंवाले शिखर बद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं। कुछ सपाट मंदिर हैं। गर्भगृह के आसपास प्रदक्षिणा पथ रखा जाता था।

स्थापत्य कला के श्रेष्ठ मंदिरों में जबलपुर के भूमरा का शिवमंदिर, दक्षिण भारत के बीजापुर का लारखान का मंदिर, नालंदा (सुलतानगंज) की भगवान बुद्ध की ताम्रमूर्तियाँ तथा मथुरा के जैन मंदिर की प्रतिमा शिल्पकला क्षेत्र में अद्वितीय हैं। उसमें पल्लव राजाओं का बड़ा योगदान है। पल्लवों की राजधानी कांची में निर्मित मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध हैं।

चोलवंश की राजधानी तंजावुर थी। यहाँ बृहदेश्वर का मंदिर चोलवंश के राजराज प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर लगभग 200 फुट ऊँचा है। प्राचीन भारत का यह बेजोड़ मंदिर है।

'गोपुरम्' स्थापत्य

'गोपुरम्' अर्थात् मंदिर का प्रवेशद्वार। दक्षिण भारत के पांड्य शासकों ने मंदिर निर्माण को गति दी। उन्होंने मंदिर के बाहर खड़ी दीवार और ऊँचे सुंदर सुशोभित दरवाजों की रचना की। इन मंदिरों के दरवाजे 'गोपुरम्' कहे जाते हैं। मंदिरों के बदले 'गोपुरम्' की कलात्मक सुंदरता की महिमा बढ़ गई थी।

काँची और मदुराई के मंदिरों के 'गोपुरम्' दूर से देख करके आज भी कला रसिक मंत्रमुग्ध बन जाते हैं !

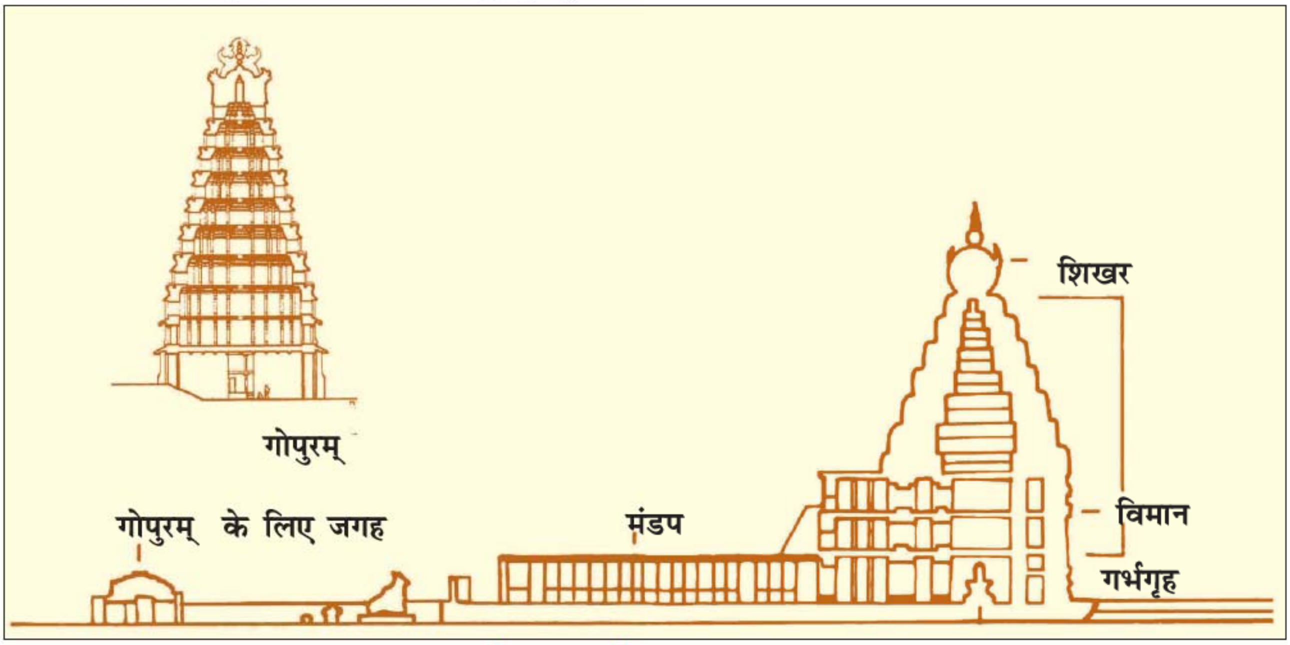

3.7 दक्षिण भारतीय मंदिर का रेखाचित्र

गोपुरम् स्थापत्य
मंदिर के रेखाचित्र की जानकारी

गर्भगृह

गर्भगृह मुख्य रूप से एक छोटा और अंधकार युक्त कमरा होता है, जिसमें मंदिर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। सामान्यत: चार कोनोंवाला यह भाग अधिकांशत: आयताकार होता है। गुजरात में उसे 'गभारा' कहते हैं।

गोपुरम्

'गोपुरम्' दक्षिण भारत में मंदिरों का प्रवेशद्वार है। गोपुरम् स्थापत्य ऊपर से अर्धगोलाकार होता है। गोपुरम् को मजबूत बनाने के लिए उसके नीचे की दो मंजिल को उर्ध्वाकार बनाया जाता है।

मंडप

यह स्थापत्य स्तंभों के ऊपर निर्मित बड़ा हॉल अथवा मंदिर के मुख्यद्वार के सामने बनाया गया एक विशाल क्षेत्र है।

शिखर

गर्भगृह के सबसे ऊँचाईवाले बाह्य भाग के ऊपर नुकीली बनाई गई आकृति को शिखर करते हैं। इन शिखरों को पीतल या सोने से मढ़ा जाता है।

विमान

विमान मंदिर का ही एक भाग है, जो वर्गाकार या ढालू आकार में बनाया जाता है। जो कई मंजिलवाला पिरामिड जैसा होता है। जिसका ऊपरी भाग शिखर की तरफ़ जाता है।

ओडिशा में कोणार्क का सूर्यमंदिर है, यह मंदिर रथमंदिर का एक स्वरूप है।

तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर में तेरह मंजिल का 'गोपुरम्' है। इस समय की धातु और पत्थर की मूर्तियों की एक खास विशिष्टता है। नटराज की कांस्यप्रतिमा तत्कालीन मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण है। चोलमंदिर कला स्थापत्य के क्षेत्र में विशेष प्रतिभा और भव्यतावाले हैं।

3.8 कोणार्क का सूर्यमंदिर

मदुराई में भारत का भव्य मीनाक्षी मंदिर है। वह बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। मंदिर के मुख्य चार 'गोपुरम्' हैं। स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्टतावाला वह श्रेष्ठ मंदिर है। खजुराहो मध्ययुग में बुंदेलखंड के चंदेल राजपूतों की राजधानी थी। चंदेल राजाओं ने खजुराहों के सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था। शिखरबद्ध तथा भव्यातिभव्य इन मंदिरों की शैली दूसरे मंदिरों से एकदम भिन्न थी।

जैन मंदिर (देरासर)

भारत के विविध स्थलों पर जैनमंदिर हैं। राजगृह में वैभार, विपुलाचल, रत्नगिरि, उदरगिरि और श्रमणगिरि नाम के पाँच जैन मंदिर हैं। समेत शिखरजी (बिहार) सिद्धक्षेत्र जैन तीर्थधाम आया हुआ है, उसे मधुवन कहते हैं। यहाँ आदिनाथ भगवान और अन्य 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ अभिनंदननाथजी और पार्श्वनाथजी के मंदिर हैं। यहाँ भगवान महावीर आए थे और कई मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया था। गुजरात में जैन देरासर पालीताना में और पंचासरा मंदिर शंखेश्वर में हैं। राजस्थान में माउंट आबू में देलवाड़ा और राणकपुर में जैन देरासरों का निर्माणकार्य, नक्काशीकाम, कलाकारीगरी और शिल्पकला आदि की दृष्टि से सर्वोत्तम और अद्‌भुत है। विशेष करके आबू के देलवाड़ा मंदिर जिसे गुजरात के मंत्री विमल शाह ने 'विमलवसहि' और दूसरे मंत्री वस्तुपाल ने 'लुवणवसहि' नाम से बनवाया था। वह अपनी बेजोड़ कारीगरी और संगमरमर में बारीक, मनोहर शिल्पकला के लिए मात्र भारत में ही नहीं, बल्कि विश्वभर में प्रसिद्ध है। ये देवालय जैनधर्म द्वारा भारतीय संस्कृति को दी गई बेजोड़ और स्मरणीय भेट है। जैन मंदिर शिल्प और स्थापत्य कला के लिए जगविख्यात हैं।

3.9 पालीताना

मोढेरा का सूर्यमंदिर : गुजरात के मोढेरा (महेसाणा) में स्थित सूर्यमंदिर (ई.स. 1026में) सोलंकी युग के राजा भीमदेव प्रथम के शासन काल में बना था। मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित प्रवेशद्वार इस तरह बनाया गया है कि सूर्य की प्रथम किरण मंदिर के एकदम अंदर गर्भगृह में सूर्य प्रतिमा के मुकुट के मध्य में लगी मणि पर पड़ते ही समग्र मंदिर प्रकाश से जगमगा उठे और समग्र वातावरण में दिव्यता की अनुभूति होने लगे। आज भी मंदिर में अंकित सूर्य की 12 विविध प्रकार की मूर्तियों को देखा जा सकता है। इस मंदिर का नक्काशी काम ईरानी शैली में हुआ है। मंदिर के बाहर जलकुंड के चारों तरफ छोटे-छोटे कुल 108 जितने मंदिर हैं। वहाँ उषा और संध्याकाल के समय प्रदीप्त दीपमालाओं के कारण एक नयनरम्य दृश्य उपस्थित होता है।

मध्यकालीन स्थापत्य

(1) मध्ययुग : मस्जिदों, मीनारों, शाही महलों, पुलों, तालाबों, सराय (धर्मशाला) के स्थापत्य देखने को मिलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 'कुतुबमीनार' और 'कुव्वत-उल-इस्लाम' नामक मस्जिद बनवाई। उसके द्वारा बनवाई

गई दूसरी मस्जिद 'ढाई दिन का झोंपड़ा' अजमेर में है।

(2) बंगाल : बंगाल में पंडुआ नामक स्थल पर अदीना मस्जिद, जलालुद्दीन मुहम्मद शाह का मकबरा और तांतीपाडा की मस्जिद का निर्माण हुआ। बंगाल ने स्थापत्य क्षेत्र में अपनी विशिष्ट शैली को विकसित किया था।

(3) जौनपुर : जौनपुर के तुर्की सुलतानों ने अटाला मस्जिद बनवाई थी। उसके गुंबद के आसपास कलात्मक जाली है। उसकी दीवारों और छत पर कमल सहित विविध भारतीय आकृतियों का निर्माण किया गया है।

(4) मालवा : सुलतानों द्वारा सुरक्षित मांडू की इमारतों की विशिष्ट शैली है। वहाँ कई मकबरों के निर्माण हुए हैं। इन इमारतों में प्रभावशाली गुंबद और झरोखे नक्काशीदार हैं। होशंगशाह का संपूर्ण मकबरा संगमरमर से सुशोभित भारतीय शैली में निर्मित है।

(5) अन्य प्रांत : कश्मीर (कंगूर-बुर्ज) बहमनी सुलतानों ने बीडर गुलबर्गा की कई इमारत और महमूद गावां का मदरसा, बीजापुर का गोल गुंबद तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्यकला में हम्पी का विट्ठलस्वामी और हजाराराम मंदिर, गोपुरम् तथा कलात्मक नक्काशीकला युक्त स्तंभ प्रसिद्ध हैं।

गुजरात की स्थापत्यकला

गुजरात के शिल्प, स्थापत्यकला में विविध धर्म के मंदिर, मस्जिद, बौद्ध धर्म के विहार, मठ, स्तूप, चैत्य, गुफा मंदिर और जैन धर्म के देरासर हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के समाज उपयोगी निर्माण कार्य जैसे कि राजमहल, किले, छत्र, दरवाजे, कीर्तितोरण, धर्मशालाएँ, उपाश्रय, विश्रामगृह, चबूतरा, झरोखे, गुंबद, तोरण, कुएँ, बावड़ी, सरोवर, तालाब, पशु-पक्षियों की हूबहू आकृतियाँ सर्वांग सुंदर और अति भव्य मानी जाती हैं।

3.10 वडनगर का कीर्तितोरण

3.11 सोमनाथ का मंदिर

(1) मंदिर : गुजरात में धार्मिकक्षेत्र में विविध धर्म के मंदिरों की रचना हुई है। जैसे कि भद्रकाली मंदिर, गीता मंदिर, वेद मंदिर, जगन्नाथ मंदिर (जमालपुर, अहमदाबाद), रणछोड़रायजी मंदिर (डाकोर), सूर्य मंदिर (मोढेरा), हाटकेश्वर महादेव (वडनगर), अंबाजी मंदिर, शामलाजी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जगत मंदिर (द्वारका), बुहचराजी मंदिर, महाकाली मंदिर (पावागढ़), स्वामीनारायण मंदिर, ब्रह्माजी मंदिर (खेडब्रह्मा), खोडियार माताजी मंदिर (भावनगर), आशापुरा माता का मढ (कच्छ) आदि मंदिरों का समावेश होता है।

(2) मस्जिद : अहमदाबाद में तीन दरवाजा के पास जामा मस्जिद है। इस मस्जिद को सुल्तान अहमदशाह प्रथम

ने बनवाया था। (ई. सन् 1424में) इसमें 260 स्तंभों पर 15 गुंबदों की रचना की गई है। बारीक नक्काशीवाली सीदी सैयद की जाली, मस्जिद, सरखेज का रोजा, झूलता मीनार (अहमदाबाद), रानी सिप्री की मस्जिद जो 'मस्जिदे नगीना' के नाम से पहचानी जाती है। इसके उपरांत जामी मस्जिद (चांपानेर) और गुजरात के बड़े शहरों में मस्जिदें हैं।

(3) जैन देरासर (जैन मंदिर) : हठीसिंह का जैन देरासर, कुंभारियाजी, शंखेश्वर, सिद्धगिरि, शेत्रुंजयगिरि, पालीताणा आदि शिल्प स्थापत्य और नक्काशी की दृष्टि से प्रशंसनीय हैं।

(4) गुजरात की बावड़ी : अडालज की बावड़ी, दादा हरि की बावड़ी (हाइहरी की बावड़ी अहमदाबाद), राण की बावड़ी (पाटण), डभोई की बावड़ी (डभोई) आदि सुंदर बावड़ियाँ हैं।

इसके उपरांत स्थापत्यकला में भद्र का किला, नगीनावाड़ी, कांकरिया तालाब (अहमदाबाद), रुद्र महालय (सिद्धपुर), सहस्रलिंग तालाब (पाटण), शामलशा की चौरी, तानारीरी समाधि, कीर्तितोरण (वडनगर), मुनसर तालाब (विरमगाम), मलाव तालाब (धोलका) आदि स्थापत्य कला के उत्तम उदाहरण हैं। जो गुजरात की गरिमा में बृद्धि करते हैं। आज गुजरात विश्व के मानचित्र में शिल्प-स्थापत्य कला कारीगरी और नक्काशी के क्षेत्र में तेजस्वी नक्षत्र की तरह प्रकाशित हो उठा है।

3.12 अडालज की बावड़ी

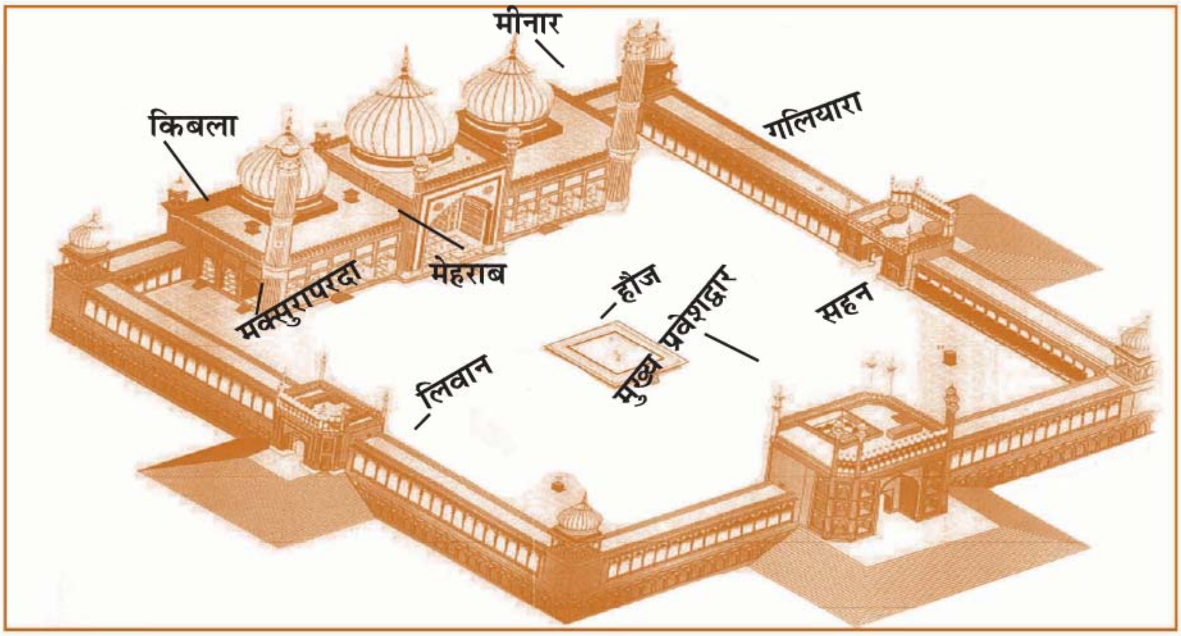

3.13 मस्जिद स्थापत्य का रेखाचित्र

मस्जिद के रेखाचित्र का ब्यौरा

गलियारा

मस्जिद में आने-जाने का रास्ता।

किबला

मस्जिद या नमाज हॉल की दीवार जो सदैव मक्का के काबा की दिशा में ही बनाया जाता है।

लिवान

मस्जिद के स्तंभयुक्त कमरे को 'लिवान' कहते हैं।

मक्सुरा

मस्जिद के किबले (दीवार) के अंतिम हिस्से को 'मक्सुरा' कहते हैं। रेलिंग द्वारा इस भाग को अलग रखा जाता है।

मेहराब

किबला (दीवार) में बने भाग को 'मेहराब' कहते हैं। अधिकांशतः एक सामान्य मनुष्य जितनी उसकी ऊँचाई होती है। यह मक्का की ओर की सही दिशा बताता है। (भारत के संदर्भ में मेहराब पश्चिम दिशा में होता है।)

सहन

मस्जिद का प्रांगण जिसमें इस्लाम धर्म के अनुयायी नमाज के लिए एकत्र होते हैं।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखिए :

(1) प्राचीन भारत का नगर आयोजन समझाइए।

(2) मोंहे-जो-दड़ो की नगर रचना में रास्तों और गटर योजना संबंधी जानकारी दीजिए।

(3) गुजरात की गुफाओं के विषय में लिखिए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्देवार उत्तर लिखिए :

(1) धोलावीरा के विषय में लिखिए।

(2) लोथल भारत का महत्त्वपूर्ण बंदरगाह था, समझाइए।

(3) स्तंभलेखों के ऊपर की कला के विषय में जानकारी दीजिए।

(4) मोढेरा का सूर्यमंदिर पर टिप्पणी लिखिए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए :

(1) शिल्प अर्थात् क्या?

(2) स्थापत्य अर्थात् क्या?

(3) मोंहे-जो-दड़ो का अर्थ समझाकर, वहाँ के रास्तों के विषय में लिखिए।

(4) स्तूप के विषय में लिखिए।

4. प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए :

(1) संस्कृत भाषा में स्थापत्य के लिए दूसरा कौन-सा शब्द-प्रयोग होता है?

(A) वास्तु (B) नक्काशी (C) मंदिर (D) खंडहर

(2) लोथल में जहाज को लंगर डालने के लिए क्या बनाया गया था?

(A) किला (B) खंभा (C) बंदरगाह (D) जाली

(3) स्तंभलेख किस लिपि में तराशे हुए हैं?

(A) हिन्दी (B) ब्राह्मी (C) उर्दू (D) उडिया

(4) गुजरात के .... में सूर्यमंदिर है।

(A) मोढेरा (B) वडनगर (C) खेरालु (D) विजापुर

(5) अहमदाबाद में तीन दरवाजा के पास कौन-सी मस्जिद है?

(A) जामा मस्जिद (B) जुम्मा मस्जिद (C) सिप्री की मस्जिद (D) मस्जिद-ए-नगीना

प्रवृत्ति

- भारत में स्थित ऐतिहासिक स्थलों की सूची तैयार कीजिए।
- भारत के स्थापत्य के ऐतिहासिक चित्र एकत्रित करके एलबम तैयार कीजिए।
- लोथल, धोलावीरा तथा मोढेरा के सूर्यमंदिर की मुलाकात लीजिए।
- अपने विस्तार में आए हुए ऐतिहासिक स्थलों की मुलाकात लेकर अपने वर्गखंड में चर्चा कीजिए।

•

4 भारत की साहित्यिक विरासत

मानव ने अपने विचारों, भावों, संवेदनाओं और ऊर्मियों आदि को अन्य लोगों या प्राणियों तक पहुँचाने के लिए कई हावभाव, संकेतों या चित्रों का सहारा लिया और कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न की, जिनमें से बोली या लिपि का जन्म हुआ। इस लिपि ने भाषा के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। कालांतर में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग हुआ। इस भाषा के सर्जनात्मक उपयोग से साहित्य का सर्जन होने लगा।

प्राचीन काल से भारतीय साहित्य उसकी विविधता और विशिष्टता के लिए प्रख्यात है। भारतीय विद्वानों ने प्राचीन साहित्य को दो भागों में बाँटा है : (1) वैदिक साहित्य और (2) प्रशिष्ट साहित्य। इनके उपरांत कई लोकबोलियों (लोकभाषाओं) में रचित साहित्य भी प्रचलित था।

भाषा और साहित्य

भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि सदियों से विविध भाषाओं का उद्‌भव हुआ है। इन भाषाओं ने एक-दूसरे पर अपना प्रभाव डाला, जिससे भाषाओं के समृद्ध साहित्य में परिवर्तन आया। परिणामत: नई-नई भाषाओं और उनके साहित्य का सर्जन हुआ। जिसका उत्तम उदाहरण संस्कृत भाषा है। वर्तमान समय में संस्कृत भाषा का उपयोग कम है। लेकिन धार्मिक कार्यों और पूजा विधियों में संस्कृत भाषा का उपयोग होता है।

सामान्य रूप से मनुष्य को अभिव्यक्ति करने और अन्य की अभिंव्यक्ति को समझने का उत्तम अवसर भाषा ही देती है। भारत की प्राचीन लिपि हड़प्पा काल की है, जिसे आजतक समझा नहीं जा सका है। इसके कारण उन लोगों की भाषा की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है।

महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरण शास्त्री थे। ई. सन् पूर्व चौथी सदी में उन्होंने 'अष्टाध्यायी' ग्रंथ की रचना की थी। संस्कृत भाषा को 'आर्य भाषा' या 'ऋषियों की भाषा' या 'विद्वनों की भाषा' कहते हैं। आज के समय में भी विश्वस्तर पर सर्वस्वीकृत भाषा (विशेषत : कंप्यूटर के क्षेत्र में) बनी है।

संस्कृत भाषा मुख्यत: धर्म, तत्त्वज्ञान, ज्ञान और विज्ञान की भाषा थी।

प्राचीन भारतीय साहित्य

वेद – 'वेद' का अर्थ 'ज्ञान' होता है। वेद चार हैं :

(1) ऋग्वेद (2) सामवेद (3) यजुर्वेद (4) अथर्ववेद

भारतीय साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ 'ऋग्वेद' है, जिसमें कुल 1028 ऋचाओं का संग्रह है। ऋग्वेद 10 भाग में विभाजित अद्‌भुत ग्रंथ है। इन ऋचाओं में से अधिकांश देवों से संबंधित स्तुतियाँ हैं। ये स्तुतियाँ यज्ञ के अवसरों पर की जाती थीं। उनमें से उषा को संबोधित करनेवाली स्तुतियाँ अत्यंत मोहक हैं। यह ग्रंथ सप्तसिंधु प्रदेश में निवास करनेवाले आर्यों की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थियों का वर्णन करता है।

ऋग्वेद के बाद दूसरे तीन वेदों की रचना की गई, जिसमें सामवेद की रचना ऋग्वेद की ऋचाओं का मान करने के लिए किया गया है। ये श्लोक राग और लय के साथ गाए जाते हैं, अत: उसे 'संगीत की गंगोत्री' कहते हैं।

यजुर्वेद यज्ञ का वेद कहलाता है। यह वेद गद्य एवं पद्य स्वरूप में निर्मित है। उसमें यज्ञ के समय बोले जानेवाले मंत्रों, क्रियाओं और विधियों का वर्णन किया गया है।

अर्थववेद में अनेक प्रकार के कर्मकांडों और संस्कारों का वर्णन किया गया है।

उपनिषद् साहित्य में ब्रह्मांड का आरंभ, जीवन, मृत्यु, भौतिक और आध्यात्मिक जगत, ज्ञान, प्रकृति और दूसरे अनेक दर्शनिक प्रश्नों का विवेचन किया गया है। बृहदारण्य और छांदोग्य प्रारंभिक उपनिषद् हैं। उपनिषद् संवाद के स्वरूप में हैं। मुक्तिका उपनिषद् में उनकी संख्या 108 दर्शाई गई है।

ब्राह्मण ग्रंथ

वेद मंत्रों का अर्थ समझने के लिए उन पर पद स्वरूप में रचित टीकाओं का ब्राह्मणग्रंथों में समावेश होता है। इनमें अलग-अलग यज्ञों और उनसे संबंधित विधियों के लिए मार्गदर्शन दिया गया है।

आरण्यक : आर्य अपने जीवन का अंतिम समय अरण्य में व्यतीत करते थे। वन अथवा अरण्य में आश्रम बनाकर चिंतन करके साहित्य रचना करते थे। तत्त्वज्ञान से भरपूर इसी साहित्य को 'आरण्यक' कहते हैं।

आरण्यक : इस साहित्य में कर्मकांडों के उपरांत ज्योतिष, व्याकरण और खगोलशास्त्र का समावेश होता है।

भारत के दो मुख्य महाकाव्य 'रामायण' और 'महाभारत' हैं। ये प्राचीन ग्रंथ हैं। इन महाकाव्यों का वर्तमान स्वरूप तो ई. सन् की दूसरी सदी में प्राप्त हुआ। रामायण में अयोध्या के राजा रामचंद्र की कथा है। यह महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा बहुत छोटा है। उसमें अनेक रोचक घटनाओं तथा साहसों का वर्णन किया गया है। महाभारत में लगभग एक लाख श्लोक हैं। वह विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है ! पांडवों एवं कौरवों के बीच हुआ युद्ध उसका मुख्य विषय है। उसके बाद भी उसमें अनेक छोटी-बड़ी कहानियों को भी जोड़ दिया गया है। महाभारत के **'श्रीमद् भागवद्-गीता'** में गहन दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। उसमें मोक्ष प्राप्ति के तीन मार्ग ज्ञान, कर्म और भक्ति का विवेचन किया गया है।

रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों ने सदियों तक करोड़ों लोगों के विचारों और साहित्य सर्जन पर गहन प्रभाव डाला है। भारत में संस्कार सिंचन का प्रेरक कार्य किया है।

इस युग में संस्कृत भाषा में अत्यधिक साहित्य लिखा गया। जिसमें धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की रचनाओं का समावेश होता है। पुराणों ने आरंभिक वैदिक धर्म को समझाने में मुख्य भूमिका निभाई। इस समय दौरान अनेक शास्त्र और स्मृति ग्रंथ भी लिखे गए। ये शास्त्र विज्ञान और तत्त्वज्ञान के ग्रंथ हैं। उदाहरण स्वरूप, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासनिक विज्ञान की रचना है। विविध स्तर के गणित और अन्य विज्ञान संबंधित शास्त्र ग्रंथ भी लिखे गए। स्मृति ग्रंथों में धर्म द्वारा अनुमोदित कर्तव्य, रिवाज और नियम दिए गए हैं।

प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पालि भाषा में लिखा गया। यह साहित्य तीन भागों में विभाजित है, उसे त्रिपिटक कहा जाता है। जिसमें सुत्त (सूत्र) पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक का समावेश होता है। माना जाता है कि इनके अतिरिक्त भी बौद्ध साहित्य में अन्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं। गुप्तयुग संस्कृत के काव्य और नाटक के विकास का स्वर्णयुग कहलाता है। इस समय के महान लेखकों में कालिदास, भवभूति, भारवि, भर्तृहरि, बाणभट्ट, माघ इत्यादि का समावेश होता है। ये सभी संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हैं, जिसमें कालिदास तो विश्व प्रसिद्ध कवि हैं। अपनी उत्तम काव्यकला और उत्कृष्ट नाट्य शैली के लिए वे पहचाने जाते हैं। 'कुमारसंभव', 'रघुवंश', 'मेघदूत', 'ऋतुसंहार', 'अभिज्ञान शाकुंतल' आदि कालिदास के ग्रंथ हैं। बाणभट्ट लिखित 'हर्षचरित' सम्राट हर्षवर्धन का जीवनचरित्र है। बाण ने कादंबरी की भी रचना की है। इस समय के अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में भवभूति का 'उत्तररामचरित', भारवि का 'किरातार्जुनियम्', विशाखदत्त का 'मुद्राराक्षस', शूद्रक का 'मृच्छकटिकम्' और दंडी का 'दशकुमारचरित' का समावेश होता है। इन ग्रंथों का मुख्य विषय राजनैतिक घटनाएँ, प्रणय प्रसंग, रूपक, हास्यप्रसंग और तत्त्वज्ञान हैं।

पुरानी गुजराती भाषा में पद्य साहित्य लिखा जाता था। कालांतर में गुजराती भाषा के परिमार्जन के बाद अनेक कृतियाँ लिखी गईं। जिसमें नरसिंह मेहता, मीरांबाई, दयाराम, अखा, प्रेमानंद, प्रीतम जैसे साहित्यकारों ने पदों, गीतों, गरबी, छप्पा, आख्यान काव्य आदि की रचना करके गुजराती साहित्य की विरासत को समृद्ध बनाया। इनके पश्चात् नर्मद, नवलराम, महिपतराम रूपराम नीलकंठ, गोवर्धनराम त्रिपाठी, किशोरलाल मशरूवाला, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी जैसे साहित्यकारों ने गुजराती साहित्य को खूब समृद्ध बनाया था।

तमिल, तेलुगु, कन्नड और मलयालम नामक चारों द्रविड़ भाषाओं के साहित्य का इसी समय में विकास हुआ। जिनमें सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। उसका साहित्य ई. सन् के प्रारंभ जितना पुराना है। भारत की प्रचलित परंपरा के अनुसार तीन संगमों का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक संतों और कवियों ने अपनी रचनाएँ तैयार की। संगम साहित्य के अनेक विषय हैं। जैसे; राजनीति, युद्ध, प्रेमप्रसंग वगैरह। इस साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ 'एतुथोकई' (आठ काव्यों का संकलन), 'तोलकाप्पियम्' (व्याकरण ग्रंथ) और 'पथ्थुपातु' (दस गीत) हैं। इनमें से एक कवि निरुवल्लुवर ने प्रसिद्ध ग्रंथ 'कुरल' की रचना की। इस काव्यग्रंथ में जीवन के अनेक पहलुओं का विवेचन किया गया है। 'शीलप्पतिकारकम्' और 'मणिमेखलाई' प्रारंभिक तमिल साहित्य के विख्यात ग्रंथ हैं।

मध्यकालीन साहित्य

उत्तर भारत में मध्ययुग की शुरुआत में संस्कृत साहित्य की भाषा बनी रही। इस युग में कश्मीर में दो महान ग्रंथ लिखे गए, जिनमें पहला सोमदेव का 'कथासरितसागर' और दूसरा कल्हण का 'राजतरंगिणी'। इसमें 'राजतरंगिणी' कश्मीर के इतिहास को आलेखित करनेवाला अत्यंत महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। सही अर्थ में वह भारत का सर्वप्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस समय की दूसरी महत्त्वपूर्ण रचना जयदेव का 'गीत गोविंद' है, जिसकी गणना संस्कृत के सुंदरतम काव्यग्रंथों में होती है। इस समय अपभ्रंश हुई भाषा में से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास शुरू हुआ। कवि चंदबरदाई रचित 'पृथ्वीराज रासो' हिन्दी साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की रचना से हिन्दी साहित्य जगत में वीरगाथा युग का प्रारंभ हुआ। इस समय दक्षिण भारत में संस्कृत साहित्य की अधिक अनुपात में रचना हुई, जिसमें शंकराचार्य का 'भाष्य' मुख्य है। इस समय में द्रविड़ कुल की भाषाओं का विशेष विकास हुआ। कुछ समय तक कन्नड साहित्य पर जैन धर्म का प्रभाव होने से कवि पंपा ने 'आदिपुराण' की रचना की। सोलहवें तीर्थंकर के जीवनचरित्र का चित्रण 'शांतिपुराण' में कवि पोन्ना ने किया। इसके अलावा रत्ना ने 'अजीतनाथ पुराण' नामक कृति की रचना की। इस युग के कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना को प्रारंभिक कन्नड साहित्य की त्रिपुटी कहा जाता है। कवि कम्बल ने तमिल भाषा में 'रामायणम्' की रचना की। इसके उपरांत तमिल भाषा में अन्य प्रसिद्ध साहित्य भी लिखे गए हैं।

भारतीय भाषाओं का विकास और साहित्यिक कृतियों की रचना दिल्ली सल्तनत काल में तीव्र गति से हुई। हिन्दी भाषा के दो स्वरूप ब्रज और खड़ी बोली का भी साहित्यिक रचनाओं में विनियोग होने लगा। इन दोनों भाषाओं में अनेक भक्तिगीत लिखे गए। हिन्दी और गुजराती भाषा से मिलती-जुलती राजस्थानी भाषा में वीरगाथाएँ लिखी गईं। आल्हा, ऊदल और बिसलदेव रासो – इस समय की प्रसिद्ध वीरगाथाएँ हैं। इनके अलावा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी साहित्य रचना का आरंभ हुआ। मुल्ला दाउद का ग्रंथ 'चंदायन' अवधी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। जबकि प्राचीन ग्रंथों के भाष्य अभी भी संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे।

फारसी दिल्ली के सुल्तानों की राजभाषा थी। उनके साहित्य के प्रभाव से अनेक शब्दों का समावेश भारतीय भाषाओं में हुआ। इस युग में कई इतिहासकार हुए। जियाउद्दीन बरनी ने 'तीरीख-ए-फिरोजशाही' की रचना की, जिसमें खिल्जी और तुबलक वंश के राज्य का विस्तृत वर्णन किया गया है। उन्होंने राजनैतिक सिद्धांतों पर 'फतवा-ए-जहाँदारी' नामक ग्रंथ भी लिखा। अमीर खुसरो इस समय के सबसे महान साहित्यकार माने जाते हैं। वे एक कवि, इतिहासकार, रहस्यवादी संत और संगीतकार थे। सुप्रसिद्ध हजरत निजामुद्दीन औलिया उनके गुरु थे। उनकी महत्त्वपूर्ण रचनाओं में आसिका, नूर, सिपिहर और किरातुल-सदायन का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की भी रचना की। उन्हें अपने आप पर भारतीय होने का गर्व था, इसीलिए वे भारत को पृथ्वी पर का स्वर्ग मानते हैं। उन्होंने अपनी

पुस्तकों में भारत का वातावरण, उसकी सुंदरता, इमारतों और ज्ञान-विज्ञान की खूब प्रशंसा की है। वे दृढ़ रूप से मानते थे कि हिन्दू धर्म का सारतत्त्व कई तरह इस्लाम के साथ मिलता-जुलता है। वे दिल्ली के निकट क्षेत्र में बोली जानेवाली भाषा को 'हिंदवी' कहते थे और उसे अपनी मातृभाषा मानते थे। इस भाषा में उन्होंने कई कविताएँ लिखी हैं। उन्होंने हिन्दी और फारसी को मिलाकर द्विभाषी चौपाई और दोहे भी लिखे हैं। उनके द्वारा शुरू की गई यह स्वस्थ परम्परा उनके बाद भी सदियों तक चलती रही।

प्रादेशिक भाषाओं और उनके साहित्य को प्रादेशिक शासकों ने प्रोत्साहन दिया। भक्तिमार्ग के संतों ने लोगों की भाषा में उपदेश दिया। जिनमें कबीर जैसे कई संतों का समावेश होता है। उस समय भोजपुरी और अवधी हिन्दी भाषा की मुख्य बोलियाँ थीं। कबीर की रचनाएँ मुख्य रूप से सधुक्कड़ी लोकबोली में हैं। उनके दोहे लोक साहित्य के अंग बने हैं। मलिक मुहम्मद जायसी ने अवधी में 'पद्मावत' नामक महाकाव्य लिखा। इसके अलावा तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा। इस युग में अवधी भाषा के दूसरे कवि भी हुए हैं।

इस युग में हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में साहित्य सर्जन हुआ। बंगाल के सुल्तानों के आश्रय में रहकर कृतिवास ने बंगाली भाषा में 'रामायण' और प्रसिद्ध कवि चंडीदास ने सैकड़ों गीतों की रचना की। बंगाल में संत चैतन्य से भक्तिगीत लिखने की परम्परा शुरू हुई। नरसिंह मेहता ने गुजराती में और नामदेव तथा एकनाथ ने मराठी में भक्तिगीतों की रचना की। जैनुलअबिदिन के आश्रय में कश्मीर में 'महाभारत' और 'राजतरंगिणी' जैसे अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ।

विजयनगर के सम्राट के शासनकाल में संस्कृत का विकास होता रहा। फिर भी यह युग तेलुगु साहित्य के विकास का महत्त्वपूर्ण काल है। विजयनगर का महान सम्राट कृष्णदेवराय तेलुगु और संस्कृत के लेखक थे। उन्होंने 'आमुक्तमाल्यदा' ग्रंथ की रचना की।

मुगल शासन दौरान वास्तुकला और अन्य कलाओं के साथ साहित्य का भी विकास हुआ। प्रथम मुगल बाबर तुर्की भाषा में 'तुजुके बाबरी' नाम से आत्मकथा लिखी, जिसका फारसी में 'बाबरनामा' नाम से अनुवाद हुआ। हुमायूँ की बहन गुलबदन बेगम ने 'हुमायूँनामा' लिखा। जहाँगीर ने 'तुजुके जहाँगीरी' नामक अपनी आत्मकथा लिखी। औरंगजेब भी सिद्धहस्त लेखक था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर भी एक उर्दू कवि था।

तुलसीदास और सूरदास इस युग में हिन्दी भाषा के महान साहित्यकार थे। कवि केशवदास ने प्रेम और विरह के विषय पर साहित्य लिखा। रहीम के दोहे देश की कई भाषा में आज भी प्रसिद्ध हैं।

इस समय फारसी भाषा में भी अनेक उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी गईं। अबुल फजल ने 'आइ-ने-अकबरी' और 'अकबरनामा' लिखा। 'आइ-ने-अकबरी' में भारतीय रीतिरिवाजों, शिष्टाचारों, धर्मदर्शन,आर्थिक स्थिति और जीवन के लगभग सभी पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। एक ऐतिहासिक रचना के रूप में यह ग्रंथ बड़ा ही मूल्यवान है। अबुल फजल का भाई फैजी फारसी भाषा का एक महान कवि था। उसने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। अकबर ने तो 'महाभारत', 'रामायण', 'अथर्ववेद', 'भगवद्गीता' और 'पंचतंत्र' जैसे ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। अकबर के समय में इतिहास के कई ग्रंथ लिखे गए।

मध्य युग की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना उर्दू भाषा का जन्म है। यह नई भाषा साहित्य की दृष्टि से सबसे समृद्ध ऐसी अन्य आधुनिक भाषाओं की पंक्ति में आ गई। इस भाषा में वली, मीरदर्द, मीरतकी मीर, नजीर अकबराबादी, असदुल्लाखान, गालिब जैसे महान कवि हुए।

अठारहवीं सदी में उर्दू गद्य का भी विकास हुआ। संस्कृत के अधिकांश ऐतिहासिक ग्रंथों का उर्दू में अनुनाद होने लगा। तदुपरांत उर्दू में अनेक मौलिक गद्यग्रंथ भी लिखे गए, जिसमें मुहम्मद हुसैन आजाद का 'दरबारे अकबरी' महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है।

भारत के प्राचीन विद्यापीठ

(1) नालंदा : बिहार के पटना जिला के बडगाँव नामक गाँव के पास प्राचीन नालंदा विद्यापीठ स्थित है। भारतीय संस्कृति में बौद्ध और जैन परंपरा में नालंदा का बहुत अधिक महत्त्व है। इस प्राचीन विद्यापीठ में महावीर स्वामी ने चौदह चतुर्मास किया था, इसीलिए यह स्थल जैन तीर्थ बना। पाँचवीं सदी में कुमार गुप्त ने यहाँ एक बिहार बनवाया था। उसके बाद नालंदा की प्रसिद्धि में वृद्धि हुई थी। वहाँ हजारों हस्तलिखित ग्रंथों के अमूल्य भंडार थे। नालंदा विश्वविद्यालय था। भारतीय संस्कृति का यह एक तीर्थधाम था। देश-विदेश से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। महान यात्री ह्यु-एन-सांग भी यहाँ आया था। आज तो इस महान विश्व विद्यालय के मात्र खंडहर ही देखने को मिलते हैं। फिर भी उन खंडहरों में घूमते-घूमते भी देश की भव्य संस्कृति की एक झाँकी देखी जा सकती है।

4.1 नालंदा विद्यापीठ

नालंदा से पढ़कर बाहर निकलनेवाला विद्यार्थी भारत का आदर्श विद्यार्थी माना जाता था। ईसा की पाँचवीं से ग्यारहवीं सदी दौरान नालंदा शिक्षा का सर्वोत्तम केन्द्र था। इस समय भारत में विश्व के श्रेष्ठ ग्रंथालय थे। तक्षशिला तथा नालंदा विद्यापीठ के ग्रंथालयों में अध्ययन और संशोधन करने के लिए देश-विदेश से अनेक विद्यार्थी आते थे। इनमें से मात्र ह्यु-अेन-सांग ही 657 हस्तलिखित ग्रंथ अपने साथ चीन ले गया था।

7वीं सदी में ह्यु-एन-सांग ने मुलाकात की थी। महाविद्यालय में सात बड़े भवन थे। व्याख्यान के लिए तीन सौ व्याख्यान-कक्ष थे। विद्यार्थियों के रहने के लिए खास मठ बनाए गए थे। विद्यापीठ के निर्वाह के लिए कई गाँव दान में मिले थे। गाँवों से प्राप्त आय से विद्यार्थियों को नि:शुल्क भोजन और वस्त्र दिया जाता था। यहाँ के ग्रंथालयवाला क्षेत्र 'धर्मगंज' कहलाता था। ई. सन् की पाँचवी से ग्यारहवीं सदी तक नालंदा की प्रसिद्धि विद्याकेन्द्र के रूप में थी।

(2) तक्षशिला : वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित रावलपिंडी से पश्चिम प्राचीन तक्षशिला विद्यापीठ थी। वह प्राचीन गांधार प्रदेश की राजधानी का शहर था। इस विद्यापीठ में 64 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ अधिकतर विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। भगवान बुद्ध के शिष्य जीवक ने यहाँ आयुर्वेद का पाठ सीखा था। दंतकथानुसार रघुकुल में जन्म लेनेवाले राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर से इस स्थल का नाम रखा गया है। 7वीं सदी में यह महत्त्वपूर्ण विद्याकेन्द्र के रूप

प्रसिद्ध था। विद्यर्थियों को जिस विषय में रुचि हो उसी की शिक्षा दी जाती थी। अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा सकता था। फिर भी सामान्यत: एक शिक्षक के पास लगभग 20 विद्यार्थी पढ़ते थे। वाराणसी, राजगृह, मिथिला और उज्जैन जैसे दूर के नगरों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आते थे। वाराणसी के राजकुमार यहीं शिक्षा प्राप्त करते थे। कौशल के राजा प्रसेनजित, व्याकरण शास्त्री पाणिनि और राजनीतिज्ञ कौटिल्य ने भी यहीं शिक्षा प्राप्त की थी, ऐसा माना जाता है !

तक्षशिला उच्च शिक्षा का केन्द्र था। सामान्य स्थिति के विद्यार्थी गुरु के घर रह करके पढ़ते थे। यहाँ वेद, शास्त्रक्रिया, गजविद्या, धनुर्विद्या, व्याकरण, तत्त्वज्ञान, युद्धविद्या, खगोल, ज्योतिष वगैरह की शिक्षा दी जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य और स्वयं चन्द्रगुप्त मौर्य ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी।

पाँचवीं सदी के आरंभ में चीन के फाहियान ने इस स्थल की मुलाकात की थी।

(3) वाराणसी (काशी) : वाराणसी यात्राधाम के रूप में प्रसिद्ध है। ई. सन् पूर्व 7वीं सदी में यह भारत का प्रसिद्ध विद्याकेन्द्र था। उपनिषद काल में यह आर्य संस्कृति और धर्म के केन्द्र के रूप में विकसित हुआ। इसके राजा अजातशत्रु उपनिषद् कला में एक तत्त्वज्ञानी और विद्या के पोषक थे। व्यास संहिता में महर्षि वेदव्यास का आश्रम यहीं होने का उल्लेख है।

भगवान बुद्ध ने अपने मत के प्रचार और प्रसार के लिए वाराणसी को पसंद किया था। आदि शंकराचार्य जैसे समर्थ तत्त्वज्ञ को अपने वेदांत के नूतन सिद्धांत की स्वीकृति के लिए काशी जाना पड़ा था। चैतन्य महाप्रभु और पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्यजी ने भी अपने वैष्णव संप्रदाय की प्रतिष्ठा यहीं प्राप्त की थी। पंजाब के विद्वान परिवारों को जब स्थानांतर करना पड़ा तब वे मुख्य रूप से काशी और कुछ संख्या में कश्मीर जाकर बसे। अन्य राजाओं के राजकुमार भी यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आते थे। सम्राट अशोक के आश्रय से वाराणसी का सारनाथमठ प्रसिद्ध विद्याधाम बना।

(4) वल्लभी : ई.सन् की सातवीं शताब्दी में गुजरात का यह विद्याधाम एक प्रसिद्ध शिक्षाकेन्द्र था। वल्लभी को विशाल और अत्यंत प्रसिद्ध विद्याधाम बनाने में मैत्रकवंश के तत्कालीन शासकों और नागरिकों का विशेष योगदान था। 7वीं सदी में भिक्षुक विद्यार्थी रहते थे। तब वल्लभी बौद्ध मत के हीनयान पंथ का केन्द्र था। सातवीं सदी के मध्य में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान स्थिरमति और गुणमति वल्लभी के अग्रगण्य आचार्य थे। सुदूर गंगा-यमुना के मैदानी क्षेत्र से विद्यार्थी यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आते थे। चीनी यात्री इत्सिंग ने लिखा है कि वल्लभी पूर्वी भारत के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान नालंदा से स्पर्धा करती थी।

वल्लभी एक राजधानी और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। (ई. सन् 480 से ई. सन् 775 तक) वल्लभी के शासक मैत्रक राजा भी विद्या और विद्यापीठ के महान आश्रयदाता थे। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि मैत्रक वंश के राजा बौद्ध नहीं थे, सनातनी थे। फिर भी इस संस्था की सहायता करते थे।

ई. सन् 775 में अरबों ने आक्रमण किया और मैत्रक पराजित हुए तथा विद्यापीठ बंद हो गया। यहाँ प्रसिद्ध विद्वानों के नाम दरवाजों पर लिखे जाते थे। विद्वान राजसभा में अपना पांडित्य दिखाकर राजतंत्र में ऊँचे अधिकार प्राप्त करते थे।

यह प्रसिद्ध विद्यापीठ थी। ज्ञान की आराधना तथा विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्रणाली के कारण भारत में ही नहीं, बल्कि तत्कालीन विश्व में यह प्रसिद्ध थी। इस विद्यापीठ में देश-विदेश से अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते थे। सही अर्थ में यह अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ थी। इसमें लगभग प्रत्येक विद्याशाखाओं से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। इन सभी विद्यापीठों का निर्वाह राजाओं और श्रेष्ठियों द्वारा मिले दान से होता था। यह वास्तविकता तत्कालीन समाज की विद्या के प्रति प्रेम और निष्ठा दर्शाता है।

भारतीय विद्या, कला और ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा देनेवाली ये विश्वविख्यात युनिवर्सिटियाँ थीं।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखिए :

(1) भारत में वेद कितने और कौन-कौन से हैं, उन्हें समझाइए।

(2) तक्षशिला विद्यापीठ के विषय में टिप्पणी लिखिए।

(3) मध्यकालीन साहित्य की चर्चा कीजिए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्देवार लिखिए :

(1) वल्लभी विद्यापीठ की जानकारी दीजिए।

(2) नालंदा विद्यापीठ के विषय में लिखिए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए :

(1) यजुर्वेद के विषय में लिखिए।

(2) अथर्ववेद में क्या जानकारी दी गई है?

(3) श्रीमद् भगवद्गीता में किन दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन है?

4. प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) भारतीय साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ...... है।

(A) ऋग्वेद (B) यजुर्वेद (C) सामवेद (D) अथर्ववेद

(2) बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है?

(A) पाली (B) हिन्दी (C) ब्राह्मी (D) गुजराती

(3) द्रविड़ कुल की सबसे प्राचीन भाषा कौन-सी है?

(A) तमिल (B) तेलुगु (C) कन्नड (D) मलयालम्

(4) कवि चंद बरदाई का कौन-सा ग्रंथ हिन्दी साहित्य का प्रारम्भिक ग्रंथ है?

(A) पृथ्वीराज रासो (B) विक्रमाकदेव चरित (C) कविराजमार्ग (D) चंदायन

(5) महर्षि पाणिनि का महान ग्रंथ कौन-सा है?

(A) अष्टाध्यायी (B) पृथ्वीराज रासो (C) विक्रमाकदेवेचरित (D) चंदायन

प्रवृत्ति

- भारत के आधुनिक साहित्य के ग्रंथों पर टिप्पणी तैयार कीजिए।
- गुजरात की मुख्य युनिवर्सिटियों की सूची तैयार कीजिए।
- नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी और विक्रमशिला प्राचीन विद्यापीठों के बारे में माहिती एकत्र करें।
- अपने ग्रंथालय में से अपने नारीरत्नों की किताब लेकर अपाला, लोपामुद्रा एवं गार्गी विषयक अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए।

•

5 भारत : विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत

विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए संशोधनों ने विश्व के देशों को एक-दूसरे के नजदीक ला दिया है। देश-विदेश के बीच के आंतरिक संबंधों को सरल बनाया है। विश्व के तमाम देशों के बीच सहयोग बढ़ा है, नए अभिगम पैदा हुए हैं। सभी राष्ट्र विश्वशांति और सहअस्तित्व की तरफ अभिमुख हुए हैं।

विज्ञान अर्थात् व्यवस्थित ज्ञान और टेक्नोलॉजी अर्थात् विज्ञान की व्यावहारिक उपयोगिता। विज्ञान और टेक्नोलॉजी दोनों शब्द भिन्न होने पर भी साथ में जुड़ गए हैं।

प्राचीन भारत के विज्ञान क्षेत्र की विरासत

हमारे प्राचीन भारत के महान ऋषियों ने विज्ञान के क्षेत्र में अनमोल विरासत विश्व को दी है। धातुविद्या, रसायन विद्या, वैदिक विद्या, शल्यचिकित्सा, गणितशास्त्र, खगोलशास्त्र, वास्तुशास्त्र, भौतिकशास्त्र जैसे विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में अपने ऋषियों ने महत्तम योगदान दिया है, जो अपने लिए गौरव की बात है। भारत ने मात्र साहित्य, कला, धर्म, शिक्षा और तत्त्वचिंतन जैसे क्षेत्रों में ही योगदान नहीं दिया, बल्कि विविध विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना श्रेष्ठ योगदान दिया है। अर्वाचीन युग के संशोधनों द्वारा पता चला है कि भारत आध्यात्मिक विचार धारा के साथ-साथ वैज्ञानिक दृष्टिबिंदु भी रखता है। अधिकांश वैज्ञानिक और टेक्निकल खोजों में किसी न किसी रूप में प्राचीन भारत के विज्ञान का तत्त्व शामिल है।

धातुविद्या

प्राचीनकाल से ही भारत के लोग धातुविद्या का अपने व्यावहारिक जीवन में उपयोग करते हैं। प्राचीन भारत ने धातुविद्या में अद्वितीय सिद्धियाँ प्राप्त की थीं। उसके उदाहरण स्वरूप सिंधुकालीन संस्कृति में से मिली धातु की नर्तकी की प्रतिमा, तक्षशिला में से प्राप्त कुषाण राजाओं के समय की भगवान बुद्ध की प्रतिमाएँ, चोल राजाओं के समय में तैयार धातु शिल्प, चेन्नई के संग्रहालय में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यकला के उत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप महादेव नटराज का शिल्प तथा धनुर्धारी राम का शिल्प, कलात्मक देवी-देवता, पशु-पक्षी तथा सुपारी काटने का सरौता आदि को गिनाया जा सकता है। ये सभी महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये धातुशिल्प बनाने की परंपरा दसवीं और ग्यारहवीं सदी से शुरू हुई थी।

रसायन विद्या

रसायनशास्त्र एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। यह विद्या विविध खनिजों, पौधों, कृषि के लिए बीज, विविध धातु के निर्माण या उसमें परिवर्तन तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूरी औषधियों के निर्माण में उपयोगी है। रसायन शास्त्रियों में नालंदा विद्यापीठ के बौद्ध आचार्य नागार्जुन को भारतीय रसायनशास्त्र का आचार्य माना जाता है। उन्होंने 'रसरत्नाकर' और 'आरोग्यमंजरी' जैसे ग्रंथ लिखे हैं।

5.1 आचार्य नागार्जुन

आचार्य नागार्जुन ने वनस्पति औषधियों के साथ-साथ रसायन औषधि के उपयोग की सलाह दी थी। पारे की भस्म करके औषधि के रूप में उपयोग करने के प्रयोग की शुरुआत उन्हीं से मानी जाती है। नालंदा विद्यापीठ में रसायनविद्या के अध्ययन और संशोधन के लिए अलग रसायनशाला और भट्ठियाँ थीं। रसायनशास्त्र के ग्रंथों में मुख्यरस, उपरस, दस प्रकार के विष तथा विविध प्रकार के क्षारों और धातुओं की भस्म का वर्णन मिलता है।

रसायन विद्या की उत्कृष्टता तो धातु में से बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं में दिखाई देती है। बिहार के सुल्तानगंज में से मिली हुई बुद्ध की ताम्रमूर्ति $7\frac{1}{2}$ फुट ऊँची है। उसका

वजन एक टन है। जबकि नालंदा से मिली हुई बुद्ध की मूर्ति तो 18 फुट ऊँची है। और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक उदाहरण तो सात टन वजन वाला और 24 फुट ऊँचा विजयस्तंभ है जिसका निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने (विक्रमादित्य) दिल्ली में करवाया था। आज तक बरसात, धूप या छाँव में रहने के पश्चात् भी इस लौहस्तंभ पर जंग नहीं लगी है। यह भारत की रसायनविद्या का उत्तम उदाहरण है।

5.2 लौहस्तंभ, दिल्ली

वैदिक विद्या - शल्य चिकित्सा

प्राचीनकाल से भारत ने वैदिकविद्या और शल्यचिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त की है। भारतीय वैदिकशास्त्र के महान प्रणेता महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत तथा वाग्भट्ट ने अपने संशोधनों से वैदिकशास्त्र में उच्चतम शिखर प्राप्त किए।

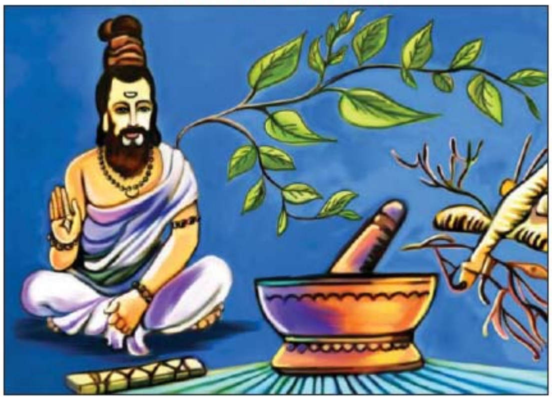

5.3 महर्षि चरक

महर्षि चरक ने 'चरकसंहिता' नामक ग्रंथ में 2000 से भी अधिक वनस्पतियों-औषधियों का वर्णन किया है। महर्षि सुश्रुत ने 'सुश्रुतसंहिता' में शल्यचिकित्सा के ऐसे धारदार साधनों का उल्लेख किया है कि जिनसे सिर के बालों को खड़ा चीर कर दो भागों में कर सकते थे। वाग्भट्ट का 'वाग्भट्टसंहिता' भी महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। चरक-संहिता, सुश्रुतसंहिता और वाग्भट्टसंहिता - ये तीनों ग्रंथ प्रत्येक वैद्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।

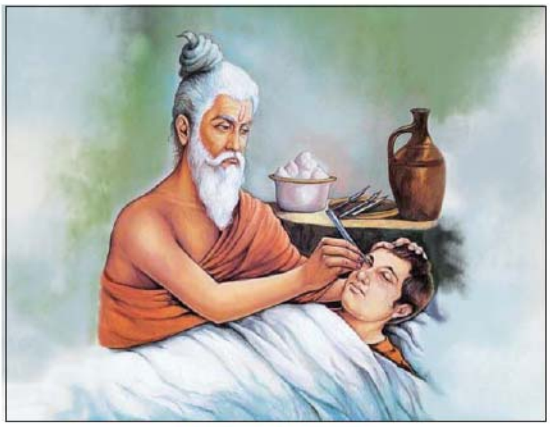

5.4 महर्षि सुश्रुत

प्राचीन भारत के हिन्दुओं के औषधिशास्त्र में खनिज, वनस्पति और प्राणी औषधियों का विशाल संग्रह शामिल है। दवा बनाने की बारीक विधियों के साथ दवाओं का वर्गीकरण तथा दवा के उपयोग हेतु सूचनाएँ दी गई हैं। वे प्याले के आकार का पट्टा बाँधकर खून का परिभ्रमण रोककर शल्य चिकित्सा कर सकते थे। पेढु, मूत्राशय, हार्निया, मोतिया, पथरी, भगंदर आदि की शल्यचिकित्सा कर सकते थे, टूटी हड्डियों को व्यवस्थित कर सकते थे और शरीर में प्रविष्ट बाहरी पदार्थों को कुशलतापूर्वक बाहर निकाल सकते थे। टूटे हुए कान या नाक की चिकित्सा और 'प्लास्टिक सर्जरी' भी जानते थे। मोम के पुतने या मृत शरीर की शल्यचिकित्सा द्वारा विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान भी देते थे। प्रसूति के समय के कठिन ऑपरेशन से भी वे हिचकिचाते नहीं थे। इसी तरह वे स्त्री और बाल रोगों के विशेषज्ञ थे। वे रोगों के कारणों और चिह्नों का वर्गीकरण करके उसका निदान करते थे और रोग मिटाने के बाद परहेज रखवाते थे।

प्राचीन भारत में प्राणी रोगों का शास्त्र भी विकसित हुआ था। अश्व (घोड़ा) तथा हस्ति (हाथी) के रोगों पर ग्रंथ लिखे गए थे। जिनमें 'हस्ति आयुर्वेद' तथा शालिहोत्र का 'अश्वशास्त्र' बहुत ही प्रख्यात है। वैदिकशास्त्र के विद्वान वाग्भट्ट ने निदानक्षेत्र में 'अष्टांगहृदय' जैसे ग्रंथ रचकर महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था।

गणितशास्त्र

गणित से संपूर्ण दुनिया का व्यवहार चलता है। ऐसा माना जाता है कि गणितशास्त्र के क्षेत्र में भारत ने महत्त्वपूर्ण खोजें की हैं। भारत ने शून्य (0), दशांश पद्धति, बीजगणित, बोधायन का प्रमेय, रेखागणित और वैदिक-गणित जैसी खोज करके दुनिया को दी।

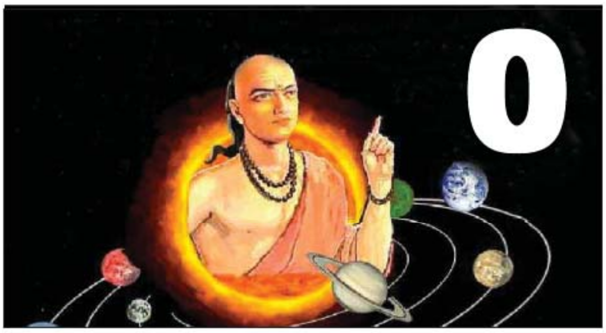

5.6 आर्यभट्ट

शून्य (0) की खोज आर्यभट्ट ने की। 'अंक के पीछे शून्य लगा करके लिखने की प्रक्रिया के शोधकर्ता 'गृत्समद' नामक ऋषि थे। प्राचीन भारत के गणितज्ञों ने 1 (एक) के बाद 53 (तिरपन) शून्य लगाने से बननेवाली संख्याओं के नाम निर्धारित किए हैं। 'मोंहे-जो-दड़ो' और 'हडप्पा' के अवशेषों में तौल-माप के और साधनों में 'दशांश पद्धति' देखने को मिली है।

भास्कराचार्य ने ई. सन् 1150 में 'लीलावती गणित' और 'बीजगणित' नामक ग्रंथ लिखे। उन्होंने + (जोड़) और – (घटाव) का भी संशोधन किया था। ब्रह्मगुप्त ने समीकरण के प्रकार बताए थे। बोधायन प्रमेय (त्रिकोणमिति) आपस्तंभ ने शुल्वसूत्रों में (ई. सन् 800 पूर्व) विविध वैदिक यज्ञों के लिए आवश्यक विविध वेदियों के अनुपात निश्चित किए हैं। इसमें भी इस सिद्धांत का विश्लेषण है।

आर्यभट्ट के 'आर्यभट्टीयम्' ग्रंथ में π (पाई) की कीमत $\frac{22}{7}$ (3.14) जितनी होती है, उसका उल्लेख है। उन्होंने प्रतिपादित किया है कि गोले की परिधि और व्यास के अनुपात को दर्शानेवाला अचलांक π (पाई) है। भाग की आधुनिक पद्धति, गुणा, जोड़, घटाव, वर्गमूल, घनमूल आदि अष्टांग पद्धति की जानकारी आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में दी है। इसीलिए आर्यभट्ट को 'गणित शास्त्र का पिता' कहा जाता है। इसके उपरांत उन्होंने 'दशगीतिका', 'आर्यभट्टीयम्' जैसे ग्रंथ लिखे थे। 'आर्य सिद्धांत' में ज्योतिषशास्त्र के मूल सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। गणित, अंकगणित और रेखागणित के मूलभूत प्रश्नों का समाधान खोजा है।

इसके उपरांत गणितशास्त्र के भिन्न-भिन्न पहलुओं की चर्चा अनेक विद्वानों ने अपने ग्रंथों में की है। उनमें बोधायन, आपस्तंभ और कात्यायन, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त आदि का समावेश किया जा सकता है।

अन्य विज्ञान

प्राचीन भारत में भिन्न-भिन्न विज्ञान विषयक ग्रंथों का निर्माण हुआ है।

अन्य विज्ञान

क्रम	विज्ञान आधारित शास्त्रों के नाम	रचनाकार
1	प्रजननशास्त्र	ब्राभ्रव्य पांचाल
2	चिकित्सासंग्रह	चक्रपाणिदत्त
3	कामसूत्र	वात्स्यायन
4	वृक्ष आयुर्वेद	महर्षि पाराशर
5	योगशास्त्र	महामुनि पतंजलि
6	यंत्र सर्वस्व	महर्षि भारद्वाज
7	कालगणना	शकमुनि

खगोलशास्त्र और ज्योतिषशास्त्र

शास्त्रों में खगोलशास्त्र सबसे प्राचीन है। खगोलशास्त्र से संबंधित कई ग्रंथ भारत में लिखे गए हैं। इन सभी ग्रंथों का प्राचीन विद्यापीठों में व्यवस्थित और गहन अध्ययन किया जाता था। ग्रहों और उनकी गति, नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पदार्थों इत्यादि के द्वारा गणना करके खगोल और ज्योतिषशास्त्र का बहुत विकास हुआ था। विशेष करके ग्रहों के आधार पर फल अनुसार ज्योतिष फलित किया जाता था।

जिसके नाम पर से भारत के प्रथम उपग्रह का नाम 'आर्यभट्ट' रखा गया, उस आर्यभट्ट ने खगोलविज्ञान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने यह सिद्ध किया था 'पृथ्वी अपनी धुरी पर भ्रमण करती है तथा चन्द्रग्रहण का वास्तविक कारण पृथ्वी की परछाई है।' जिसे विद्वान 'अजरभर' कहकर संबोधित करते थे। इसी तरह ब्रह्मगुप्त ने 'ब्रह्मसिद्धांत' ग्रंथ में गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी उल्लेख किया है।

ज्योतिषशास्त्र को 'तंत्र', 'होरा' और 'संहिता' तीन भागों में बाँटनेवाले वराहमिहिर महान खगोलवेत्ता तथा ज्योतिषशास्त्री थे। उन्होंने 'बृहद्संहिता' नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें आकाशीय ग्रहों की मानव के भविष्य पर होनेवाले प्रभाव, मनुष्य के लक्षण, प्राणियों के अलग-अलग वर्गों, विवाह समय तथा कुआँ, तालाब, बगीचा, खेत की बुआई वग़ैरह प्रसंगों के शुभ मुहूर्त की जानकारी दी है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज विविध विद्या में किस तरह की निपुणता रखते थे।

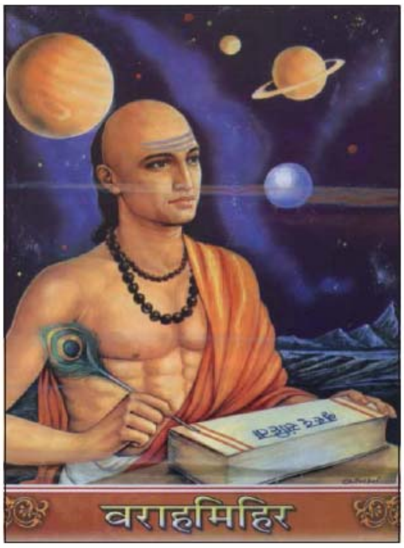

5.7 ज्योतिषशास्त्री वराहमिहिर

वास्तुशास्त्र

प्राचीन भारत की वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण देन है। वास्तुशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र का अविभाज्य अंग है, जिसकी गणना, महत्ता और प्रशंसा विश्व के अनेक देशों में भी स्वीकृत रही है। प्राचीन भारत में ब्रह्मा, नारद, वृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा जैसे विद्वानों का वास्तुशास्त्र में विशेष योगदान है।

वास्तुशास्त्र में रहने की जगह, मंदिर, महल, अश्वशाला, किला, शस्त्रागार, नगर वग़ैरह की रचना किस तरह करना, किस दिशा में करना आदि सिद्धांतों की जानकारी दी गई है। बृहद्संहिता में वास्तुशास्त्र का उल्लेख है। पंद्रहवीं सदी में मेवाड़ के राजा कुंभा ने वास्तुशास्त्र का पुनरुद्धार किया था।

वास्तुशास्त्र को आठ भागों में बाँटनेवाले देवों का प्रथम स्थपति विश्वकर्मा को वास्त्रुशास्त्र में जगह की पसंदगी, विविध आकार, रचना, कद, वस्तुओं की व्यवस्था, देवमंदिर, ब्रह्मस्थान, भोजनकक्ष, शयनकक्ष आदि विविध स्थानों की

5.8 देवों के प्रथम स्थपति विश्वकर्मा

जानकारी दी गई होती है। अब, वास्तुशास्त्र के दृष्टिबिंदु में परिवर्तन आया है। उसे विदेश में भी स्वीकृति मिल रही है।

प्राचीन भारत के विज्ञान का ज्ञान विश्व में स्वीकार्य किया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति विशाल और वैविध्यपूर्ण है। उसमें धर्म और विज्ञान, परम्परागत आदर्शों, व्यावहारिक ज्ञान और समझ का सुंदर समन्वय हुआ है, जो विश्व के बहुत कम देशों में है। अपनी संस्कृति में सहिष्णुता और समानता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का धर्म, जीवन पद्धति तथा मूल्यों में वैविध्य होने पर भी अपने देश में एकता का दर्शन होता है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति का मूलभूत लक्षण है, इसे भूलना नहीं चाहिए।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखिए :

(1) धातुविद्या में प्राचीन भारत की क्या देन है?

(2) प्राचीन भारत द्वारा रसायनविद्या के क्षेत्र में की गई प्रगति का वर्णन कीजिए।

(3) वैदकविद्या और शल्यचिकित्सा में प्राचीन भारत का महत्त्व बताइए।

(4) प्राचीन भारत से विज्ञान के क्षेत्र में क्या विरासत मिली है?

2. 'निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्देवार लिखिए :

(1) प्राचीन भारत ने गणितशास्त्र में क्या प्रगति की है?

(2) संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : प्राचीन भारत का खगोलशास्त्र।

(3) ज्योतिषशास्त्र में भारत का योगदान बताइए।

(4) वास्तुशास्त्र में किन-किन बातों का समावेश होता है।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए :

(1) विज्ञान और टेक्नोलॉजी अर्थात् क्या?

(2) रसायनविद्या के क्षेत्र में नागार्जुन की क्या देन है?

(3) गणितशास्त्र में आर्यभट्ट द्वारा की गई खोज के विषय में लिखिए।

(4) ज्योतिषशास्त्र कितने विभागों में बँटा है?

(5) वास्तुशास्त्र के प्रणेता का नाम लिखिए।

4. प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों मे' से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) कला की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिल्प कौन-सा है?

(A) बुद्ध का (B) नटराज का (C) बोधिगया का (D) धनुर्धारी राम का

(2) निम्नलिखित में से कौन-सा विधान सत्य नहीं है?

(A) नागार्जुन को भारतीय रसायनशास्त्र का आचार्य माना जाता है?

(B) पारे की भस्म बनाकर औषधि के रूप में प्रयोग करने की प्रथा नागार्जुन ने शुरू की।

(C) रसायनशास्त्र प्रयोगात्मक विज्ञान नहीं है।

(D) धातुओं की भस्म का वर्णन रसायनशास्त्र के ग्रंथों में मिलता है।

(3) महर्षि चरक : चरक संहिता, महर्षि सुश्रुत : ....

(A) सुश्रुतसंहिता (B) चरकशास्त्र (C) वाग्भट्टसंहिता (D) सुश्रुतशास्त्र

(4) किसी पाठशाला में एक वर्ग के कुछ विद्यार्थी गणितशास्त्र के विषय में चर्चा करते हैं। उनमें से कौन सत्य बोलता है ?

श्रेया : भास्कराचार्य ने 'लीलावती गणित' और 'बीजगणित' नामक ग्रंथ लिखे।

यश : दशांश पद्धति के शोधक बोधायन थे।

मानसी : आर्य भट्ट को 'गणितशास्त्र का पिता' माना जाता है।

हार्द : शून्य (0)की खोज भारत ने की थी।

(A) यश (B) हार्द (C) श्रेया (D) श्रेया, मानसी, हार्द

(5) ब्राभ्रव्य पांचाल रचित ग्रंथ ...... है।

(A) चिकित्सा संग्रह (B) प्रजननशास्त्र (C) कामसूत्र (D) यंत्र सर्वस्व

(6) प्राचीन भारत में गुरुत्त्वाकर्षण के नियम को प्रचलित करनेवाली प्रणाली ब्रह्मसिद्धांत की रचना किसने की थी ?

(A) ब्रह्मगुप्त (B) वात्स्यायन (C) गृत्समद (D) महामुनि पतंजलि

(7) मंदिर, महल, अश्वशाला, किला इत्यादि की रचना किस तरह करना, किस दिशा में करना आदि का सिद्धांत दर्शानेवाला शास्त्र कौन-सा है ?

(A) गणितशास्त्र (B) रसायनशास्त्र (C) वैदकशास्त्र (D) वास्तुशास्त्र

प्रवृत्ति

- 'प्राचीन भारत का विज्ञान' विषय पर सेमिनार का आयोजन कीजिए।
- नागार्जुन, चरक, सुश्रुत, आर्य भट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, विश्वकर्मा वगैरह के फोटोग्राफ्स के साथ प्रदर्शन तैयार कीजिए।
- 'विज्ञानमय भारत' विषय पर हस्तलिखित अंक तैयार कीजिए।
- भारत के वैज्ञानिकों की जानकारी एकत्रित करके प्रोजेक्ट बनाइए।
- इंटरनेट का उपयोग करके 'प्राचीन विज्ञान की खोजों' के विषय में जानकारी प्राप्त करके नोटिस बोर्ड पर उसका निदर्शन कीजिए।
- 'प्राचीन भारत का विज्ञान' विषय पर पुस्तकालय का उपयोग करके चार्ट बनाइए।
- 'विज्ञानक्षेत्र : महिलाओं का प्रदान' विषय पर वक्तव्य का आयोजन करें।

इतना जानिए

श्रीनिवास रामानुजन की याद में 22 दिसम्बर को 'राष्ट्रीय गणित दिवस' एवं 2012 के वर्ष को 'राष्ट्रीय गणित वर्ष' जाहिर किया है।

•

6 भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल

भारत समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासतवाला देश है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को देखने के लिए देश-विदेश के अनेक यात्री भारत आते हैं। प्रस्तुत पाठ में भारत के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों का हम परिचय प्राप्त करेंगे।

अजंता की गुफाएँ

अजंता की गुफाएँ महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अजंता गाँव के पास आई हुई हैं। सह्याद्रि पर्वत शृंखला के पास घोड़े की नाल के आकार की यहाँ कुल 29 गुफाएँ हैं। वास्तुकला की दृष्टि से अजंता की गुफाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। यहाँ की गुफाओं को दो भागों में बाँटा जा सकता है : (1) चित्रकला आधारित गुफाएँ (2) शिल्पकला आधारित गुफाएँ। भित्तिचित्रों पर आधारित गुफाओं में से 1, 2, 10, 16 और 17 नंबर की गुफाओं के भित्तिचित्र बेजोड़ और उच्चस्तर के हैं। इन चित्रों का मुख्य विषय बौद्ध धर्म है। अजंता की गुफाएँ दो प्रकार की हैं – चैत्य और विहार। 9, 10, 19, 26 और 29 नंबर की गुफाएँ चैत्य हैं, जबकि शेष गुफाएँ विहार हैं। अजंता की गुफाएँ एक समय भुला दी गई थीं। उन्हें ई. सन् 1819 में एक अंग्रेज कैप्टन जॉन स्मिथ ने पुनः संशोधित किया। प्रारंभिक वास्तुकला, गुफा चित्रों और शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में अजंता की गुफाओं का एक खास स्थान है। मानवीय हस्तक्षेप और समय के प्रभाव से क्षीण होते कई चित्रों को नुकसान हुआ है। अजंता की गुफाएँ अपनी अनोखी कला समृद्धि के कारण मात्र भारत में ही नहीं, बल्कि विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्यकला का यहाँ अपूर्व मेल है। इन गुफाओं के कलात्मक सर्जन ने भारतीय कला को विश्व में गौरव दिलाया है।

इतना जानिए

चैत्य अर्थात् बौद्ध साधुओं का प्रार्थना और उपासना स्थल। चैत्य गुफाओं में एकदम अंदर स्तूप बना होता है। विहार अर्थात् बौद्ध मठ, जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास और अध्ययन करते हैं।

इलोरा की गुफाएँ

महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद के पास इलोरा की गुफाएँ आई हुई हैं। यहाँ कुल 34 गुफाएँ हैं। यहाँ एक-दूसरे से अलग ऐसे गुफा मंदिरों के तीन समूह हैं :

(1) बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएँ 1 से 12 नंबर की हैं।

(2) हिन्दू धर्म से संबंधित गुफाएँ 13 से 29 नंबर की हैं।

(3) जैन धर्म से संबंधित गुफाएँ 30 से 34 नंबर की हैं।

राष्ट्रकूट राजाओं के समय में हिन्दू धर्म की गुफाओं का निर्माण हुआ। इनमें 16 नंबर की गुफा में कैलाशमंदिर आया हुआ है। जो 50 मी. लम्बे 33 मी. चौड़े और 30 मी. ऊँचे एक ही पत्थर में से तराशकर बनाया गया है। दरवाज़ा, झरोखा और स्तंभों की शृंखलाओं से सुशोभित इस मंदिर की शोभा अवर्णनीय है। दुर्गम पहाड़वाले क्षेत्र में स्थित इलोरा की गुफाएँ ई. सन् 600 से ई. सन् 1000के दौरान की हैं। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवंत प्रदर्शन करती हैं। बौद्ध, हिन्दू और जैन धर्म को समर्पित इलोरा परिचय एक पवित्र स्थान है। यहाँ का अद्वितीय कलात्मक सर्जन और तक्नीकी उत्कृष्टता प्रशंसनीय है। यह प्राचीन स्थापत्य भारत के धैर्यवान चरित्रों का परिचय भी देता है।

एलिफेंटा की गुफाएँ

महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से 12 किमी दूर अरब सागर में एलिफेंटा की गुफाएँ आई हुई हैं। एलिफेंटा की गुफाओं की कुल संख्या 7 है।

इस जगह को एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया था। उन्होंने यहाँ पत्थर में से तराशकर बनाए गए हाथी को देखकर यह नाम रखा था। यहाँ की गुफाओं में कई सुंदर शिल्पकृतियाँ तराशकर बनाई गई हैं, जिनमें त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु और महेश) की गणना विश्व की सर्वोत्तम मूर्तियों में होती है। यह गुफा नंबर 1 में स्थित है। ई. सन् 1987 में युनेस्को द्वारा वैश्विक विरासत के स्थलों में एलिफेंटा को स्थान दिया गया है। एलिफेंटा के स्थानीय मछुआरे इस स्थान को 'धारापुरी' कहते हैं।

6.1 त्रिमूर्ति

महाबलीपुरम्

तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से 60 किमी दूर महाबलीपुरम् है। तमिलनाडु का यह शहर अपने भव्य मंदिर स्थापत्य और सागर तट के लिए विख्यात है। दक्षिण भारत के पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के उपनाम महामल्ल पर से इस नगर का नाम महाबलीपुरम् रखा गया है। पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में यहाँ कुल सात रथ मंदिरों का निर्माण किया गया। जब कि वर्तमान में पाँच रथमंदिर ही मौजूद हैं। दो रथमंदिर समुद्र में विलीन हो गए हैं। इसके उपरांत यहाँ हास्यमुद्रा में विष्णु की मूर्ति तथा महिषासुर का वध करती दुर्गा देवी का शिल्प देखने लायक है। विश्वभर में चट्टान-शिल्प का सर्वोत्तम स्थापत्यवाला महाबलीपुरम् प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था।

पट्टदकल

कर्नाटक राज्य में बदामी से 16 किमी दूर पट्टदकल नामक नगर है। पट्टदकल चालुक्यवंश की राजधानी थी। सातवीं-आठवीं सदी में निर्मित यहाँ के मंदिरों में नागर और द्रविड़ शैली का उपयोग हुआ है। पट्टदकल का सबसे बड़ा मंदिर विरुपाक्ष (शिव) का मंदिर है।

खजुराहों के मंदिर

मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो गाँव के समीप खजुराहो के मंदिर स्थित हैं। बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं की राजधानी खजुराहो थी। इन राजाओं के समय (ई. सन् 950 से 1050 तक) में यहाँ लगभग 80 मंदिरों का निर्माण हुआ था, जबकि आज 25 ही मंदिर मौजूद हैं। इन मंदिरों में अधिकांशतः शैव मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों की रचना शैली और उनका शिल्प विधान लगभग एक समान है। इनमें चौंसठ योगिनी का मंदिर मुख्य है। यह मंदिर अपने तोरण की आलंकारिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। प्रारंभिक समय के ये सभी मंदिर ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाए गए हैं। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। देश-विदेश के हजारों प्रवासी खजुराहों के मंदिरों की शिल्पकला, मूर्तिकला और वास्तुकला देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।

कोणार्क का सूर्यमंदिर

ओडिशा राज्य के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी के समीप कोणार्क का सूर्यमंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंगवंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में हुआ था। यह रथमंदिर सात अश्वोंवाले सूर्य के रथ के स्वरूप में है, जिसमें 12 बड़े पहिए हैं। ये पहिए मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते हैं और वर्ष के बारह महीनों को प्रतिबिंबित करते हैं। पहिए के प्रत्येक चक्र में आठ मोटी तीलियों हैं, जो दिन के आठ प्रहर दर्शाती हैं। चित्रांकन और विषय वैविध्य की दृष्टि से यह मंदिर अद्वितीय है। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से हुआ है इसीलिए इसे 'काला पेगोडा' के नाम से भी जानते हैं। दिव्य, सांसारिक और सजावटी तीनों प्रकार के शिल्पों में 13वीं सदी की ओडिशा की संस्कृति और सभ्यता प्रतिबिंबित होती है।

6.2 कोणार्क के सूर्यमंदिर का रथ

बृहदेश्वर मंदिर

तमिलनाडु राज्य के तंजावुर (तंजौर) में बृहदेश्वर मंदिर आया हुआ है। इस मंदिर का निर्माण ई. सन् 1003 से ई. सन् 1010 तक के समय-दौरान हुआ था। यह मंदिर महादेव शिव का है इसीलिए इसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं।

6.3 बृहदेश्वर मंदिर

चोलवंश के राजा राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसीलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर 500 फुट लंबे और 250 फुट चौड़े चहारदीवारीवाले मैदान में बनाया गया है। इस मंदिर का शिखर जमीन से लगभग 200 फुट ऊँचा है और उस समय बृहदेश्वर मंदिर की गणना ऊँचे शिखरवाले मंदिरों में होती थी। भव्य शिखर, विशाल आकार के बीच की संवादितता और

कलात्मक सुशोभन के कारण यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का सर्वोत्तम विरासतवाला है। इसी तरह द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों में स्थान रखता है।

कुतुब मीनार

कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित सल्तनतकालीन स्थापत्य का उत्तम उदाहरण है। 12वीं सदी में इसका निर्माण गुलाम वंश के स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके दामाद इल्तुत्मिश ने पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊँची है। उसके भूतल का घेरा 13.75 मीटर है, जो ऊँचाई पर जाने पर 2.75 मीटर हो जाता है। कुतुब मीनार को लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। उस पर कुरान की आयतें तराशी गई हैं। कुतुब मीनार, भारत में पत्थरों से बनी सबसे ऊँची स्तंभ मीनार है।

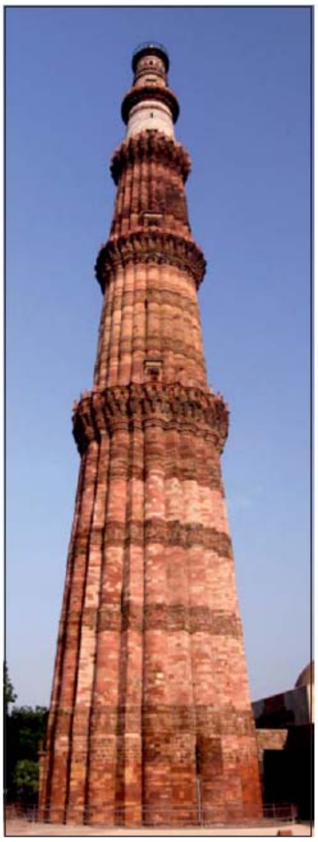
6.4 कुतुब मीनार

हम्पी

हम्पी कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिला के होसपेट तहसील में स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर के शासक कलाप्रेमी थे। उनके शासनकाल में विजयनगर राज्य में स्थापत्य की विशिष्ट शैली का विकास हुआ। कृष्णदेवराय प्रथम के समय में यह स्थापत्य शैली सर्वोच्च शिखर पर पहुँची। विजयनगर स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता विशाल पत्थरों को तराशकर बनाया गया भव्य, ऊँचा और कलात्मक स्तंभ है। स्तंभ और स्तंभावलियों पर देवों, मनुष्य, पशु, योद्धा, नर्तकी वग़ैरह के अत्यंत सुंदर और कलात्मक शिल्प तराशे गए हैं। विजयनगर साम्राज्य में हम्पीनगर में कृष्णदेवराय के समय में विट्ठल मंदिर और हजारा राममंदिर का निर्माण हुआ। इसके उपरांत यहाँ विरुपाक्ष मंदिर, श्रीकृष्ण और अच्युतराय के मंदिर भी आए हुए हैं।

हुमायूँ का मकबरा

हुमायूँ का मकबरा दिल्ली में स्थित है। यह मुगलकालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। हुमायूँ की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी हमीदा बेगम ने इस मकबरा का निर्माण करवाया। मकबरे का निर्माण ईरानी शैली में हुआ है, जिसमें लाल पत्थर के साथ सफेद पत्थर का उपयोग भी कुशलता पूर्वक किया गया है।

आगरा का किला

उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित यह किला लाल पत्थरों से बना है इसीलिए, उसे लाल किला कहते हैं। इस किले का निर्माण अकबर ने ई. सन् 1565 में करवाया था। आगरा के किले पर हिन्दू और ईरानी शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इस किले की दीवारें 70 फुट ऊँची हैं और किले का घेरा डेढ़ मील है। उसके निर्माण में लाल पत्थर इस तरह कुशलतापूर्वक जोड़े गए हैं कि दीवार में कहीं भी दरार नहीं दिखाई देती है। अकबर ने किले के अंदर जहाँगीर महल बनवाया है। जहाँगीर महल में गुजराती और बंगाली शैली के स्थापत्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शाहजहाँ ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहीं बिताए थे।

6.5 ताजमहल

ताजमहल

भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। यह विश्व के सात आश्चर्यों में से एक है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। ई. सन् 1630 में मुमताज महल की मृत्यु के

पश्चात् ई. सन् 1631 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 22 वर्ष के बाद ई. सन् 1653 में ताजमहल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। शाहजहाँ ने ताजमहल के निर्माण कार्य में भारत के कुशल शिल्पकारों के उपरांत ईरानी, अरबी, तुर्की और यूरोपीय शिल्पकारों को भी लगाए थे। शाहजहाँ की इच्छा थी कि संसार के अद्वितीय मकबरों में ताजमहल की गणना हो और उसके द्वारा मुमताज महल का नाम जगत भर में अमर हो जाय। यह संपूर्ण इमारत उत्तर से दक्षिण की ओर आयताकार में फैली है। ताजमहल के मध्य में मुमताज की कब्र है और उसके चारों ओर खूब ही सुंदर अष्टकोणीय जाली है। उसकी मेहराब पर एक उक्ति लिखी है, 'स्वर्ग में पवित्र दिलों का स्वागत है।' ताजमहल भारतीय स्थापत्य कला की विरासत को गौरवान्वित करता है और देश-विदेश के प्रवासियों के लिए अद्‌भुत आकर्षण का केन्द्र बना रहा है।

लाल किला

6.6 लाल किला

दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण शाहजहाँ ने ई. सन् 1638 में करवाया था। लाल पत्थरों से तैयार इस किले में शाहजहाँ ने अपने नाम से शाहजहाँनाबाद को बसाया था। इस किले के अंदर दीवाने-खास, दीवाने-आम, रंगमहल जैसी खूबसूरत इमारतें बनवाई थी। दीवाने-खास अन्य इमारतों की तुलना में अधिक अलंकृत है। उसकी सजावट में सोना, चाँदी, कीमती पत्थरों का अद्‌भुत समन्वय है। लाल किला की अन्य इमारतों में रंगमहल, मुमताज का शीशमहल, लाहोरी दरवाजा, मीना बाजार और मुगल गार्डन जैसे आकर्षणों का समावेश होता है। इसी किले में शाहजहाँ ने कलात्मक मयूरासन बनवाया था, जिसे नादिरशाह अपने साथ ईरान ले गया था। लाल किला मुगल स्थापत्यकला की उत्कृष्ट इमारतों में से एक है। हर वर्ष राष्ट्रीय त्योहारों के प्रसंग पर इस किले पर से ध्वजवंदन किया जाता है।

फतेहपुर सीकरी

6.7 बुलंद दरवाज़ा

उत्तर प्रदेश के आगरा से 26 मील दूर फतेहपुर सीकरी है। अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती की याद में यह शहर बसाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। सीकरी में इमारतों का निर्माण कार्य ई. सन् 1569 में शुरू हुआ और ई. सन् 1572 तक में यहाँ कई इमारतें बन गईं। इन इमारतों में बीरबल का महल, बीबी मरियम का सुनहरा महल, तुर्की सुल्तान का महल, जामा मस्जिद और उसका बुलंद दरवाजा श्रेष्ठ है।

बुलंद दरवाजा 41 मीटर चौड़ा और 50 मीटर ऊँचा है। फतेहपुर सीकरी की दूसरी प्रसिद्ध इमारतों में जोधाबाई का महल, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, दीवाने-आम, दीवाने-खास और ज्योतिष महल उल्लेखनीय हैं।

गोवा के देवल

पुर्तगालियों के साथ ईसाई धर्म के धर्मगुरु भी भारत आए थे। गोवा पुर्तगालियों की राजधानी थी। यहाँ बेसालिका ऑफ बोम जीसस या बेसालिका ऑफ गुड जीसस देवल (चर्च) पुराने गोवा में आए हुए हैं। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर सुरक्षित ढंग से रखा गया है। कई वर्षों बाद भी उनका पार्थिव शरीर विकृत नहीं हुआ है। इसके उपरांत गोवा में अनेक देवल (चर्च) हैं। गोवा अपने रमणीय समुद्रीतट के लिए भी प्रसिद्ध है।

6.8 बेसीलिका ऑफ बोम जीसस देवल : गोवा

चांपानेर

6.9 जामी मस्जिद, चांपानेर

गुजरात के पंचमहाल जिला में हालोल तहसील में पावागढ़ की तलहटी में चांपानेर गाँव बसा है। महमूद बेगड़ा ने चांपानेर पर विजय प्राप्त करने के बाद कुछ समय के लिए चांपानेर को अपनी राजधानी बनाई थी और उसे मुहम्मदाबाद नाम दिया था। चांपानेर में मोती मस्जिद, जामी मस्जिद और ऐतिहासिक किला है। चांपानेर की स्थापत्यकला और ऐतिहासिक महत्त्व को ध्यान में रखकर युनेस्को ने उसे ई. सन् 2004 में वैश्विक विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया है।

गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के स्थल

गुजरात शिल्प-स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ गुफा स्थापत्य, मंदिर, मस्जिद, किले, बावली, तोरण वगैरह कई स्थापत्य क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अब, गुजरात के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों का परिचय प्राप्त करेंगे :

धोलावीरा और लोथल

धोलावीरा और लोथल दोनों सिंधु सभ्यता के नगर थे। धोलावीरा कच्छ के भचाऊ तहसील के खदीर द्वीप में आया हुआ है। धोलावीरा अपने आदर्शनगर रचना और हड़प्पीय संस्कृति के व्यापार-वाणिज्य के केन्द्र के लिए प्रसिद्ध है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस नगर में गहना बनाने तथा मनका बनाने के केन्द्र देखने को मिलते हैं।

लोथल अहमदाबाद-भावनगर हाइवे के समीप स्थित एक पुरातत्त्वीय स्थल है, जो प्राचीन समय में व्यापार-वाणिज्य से फलता-फूलता और सुविधाओं से युक्त हड़प्पीय संस्कृति का बंदरगाह था।

6.10 बहाउद्दीन वज़ीर का मकबरा

जूनागढ़

जूनागढ़ में अशोक का शिलालेख, खापरा कोडिया की बौद्ध गुफाएँ, उपरकोट, जैन मंदिर, दामोदर कुंड, अड़ीकड़ी की बावली, पुराना राजमहल, नवघण कुआँ, महोबतखान का मकबरा, बहाउद्दीन वज़ीर का मकबरा आदि दर्शनीय स्थल हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर गिरनार की तलहटी में भवनाथ का विशाल मेला लगता है।

6.11 सीदी सैयद की जाली

अहमदाबाद

अहमदाबाद की पहचान ऐतिहासिक नगर के रूप में है। अहमदाबाद में भद्र का किला, जामा मस्जिद, रानी सिप्री की मस्जिद, सरखेज का रोज़ा, कांकरिया तालाब, झूलते मीनार, सीदी सैयद की जाली, हठीसिंह का देरा (मंदिर), रानी रूपमती की मस्जिद आदि दर्शनीय स्थापत्य हैं। सारंगपुर दरवाजा के बाहर राजपुर–गोमतीपुर में स्थित झूलते मीनार अपने रहस्यमय कंपन के लिए प्रसिद्ध हैं। अतिशय बारीक और सुंदर वानस्पतिक और भौमितिक रचना के कारण सीदी सैयद की जाली प्रख्यात है।

पाटण (उत्तर गुजरात)

पाटण में सहस्त्रलिंग तालाब, रानीसती की वाव और सिद्धपुर में स्थित रुद्रमहालय देखने लायक स्थापत्य हैं। पाटण से 26 किमी दूर आए हुए सिद्धपुर में रुद्रमहल के भग्न अवशेष महल की भव्यता का परिचय देते हैं। भीमदेव प्रथम

6.12 रानी की वाव

की रानी उदयमती ने प्रजा के लिए पानी की व्यवस्था हेतु वाव (बावली) का निर्माण करवाया था, जिसे आज रानी की वाव कहते हैं। ई.सन् 1140 में सिद्धराज जयसिंह ने सहस्त्रलिंग तालाब का निर्माण करवाया था।

इसके उपरांत वडनगर में किला, शर्मिष्ठा तालाब और कीर्तितोरण दर्शनीय स्थल हैं। पत्थर के दो स्तंभों पर कमान जैसी रचना करके यह तोरण बनाया गया है। मेश्वो नदी के किनारे स्थित शामलाजी मंदिर प्राचीन यात्रा स्थल है। उसकी स्थापत्य कला अजोड़ है।

6.13 राष्ट्रीय विरासत के स्थल

क्षत्रपकाल दौरान गुजरात में कई स्तूप और विहारों का निर्माण हुआ था। इसमें जूनागढ़ जिला का बोरदेवी तथा शामलाजी के समीप देव की मोरी, जूनागढ़ गिरनार में हटवा बौद्ध स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उपरांत बावाप्यारा, उपरकोट, खापरा कोडिया, खंभालिडा, तलाजा, साणा, ढांक, झींझुरीझर, कडिया डुंगर (पहाड़) वगैरह स्थलों पर गुफा स्थापत्य हैं।

इतना जानिए

वाव यह सीढ़ियोंवाला कुआँ है। सीढ़ियों के एक, दो, तीन या चार मुख और तीन, छः, नौ या बारह कुट (मंजिल) होते हैं। वाव के मुख्य प्रकार नंदा, भद्रा, जया और विजया हैं।

गांधीनगर के पास अडालज की वाव, पाटण की रानी की वाव, जूनागढ़ की अड़ीकड़ी की वाव, उपरांत नडियाद, महेमदाबाद, उमरेठ, कपडवंज, वढवाण कलेश्वरी (महीसागर जिला) वगैरह स्थलों पर भी वाव हैं।

भावनगर जिला के पालीताना के शेत्रुंजय पर्वत पर अनेक जैन देरासर (मंदिर) आए हुए हैं। इनमें से कुछ मंदिरों का निर्माण 21वीं सदी में हुआ है। महेसाणा जिले के खेरालु तहसील के टींबा गाँव के निकट पहाड़ियों पर तारंगा तीर्थ आया हुआ है। यहाँ तारामाता का मंदिर भी है। गीर सोमनाथ जिला में स्थित सोमनाथ मंदिर और देवभूमि द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर भव्य ऐतिहासिक विरासतवाला है। गुजरात की सांस्कृतिक विरासत की यह सूची अभी पूर्ण नहीं है। इनके अतिरिक्त अन्य स्थल भी हैं, जो गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाते हैं।

दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों के स्थल : दक्षिण भारत के मंदिर अपनी अलग शैली के लिए खास विख्यात थे। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली के थे। इन मंदिरों का भवन पिरामिड के जैसा होता है, जो कई मंजिलें होते हैं। उनके ऊपर एक आकर्षक पत्थर रखा जाता है। इन मंदिरों का चौगान विशाल होते थे। प्राचीन समय में दक्षिण भारत में निर्मित कुछ मंदिर नीचे दिए अनुसार हैं :

मंदिर का नाम	स्थल
महाबलीपुरम्	महाबलीपुरम्-तमिलनाडु
कैलाश मंदिर	कांचीपुरम्-तमिलनाडु
बृहदेश्वर मंदिर	तंजावुर-तमिलनाडु
विरुपाक्ष मंदिर	पट्टदकल-कर्नाटक
परशुरामेश्वरम् मंदिर	भुवनेश्वर-ओडिशा
वैकुंठ पेरुमाल मंदिर	कांचीपुरम्-तमिलनाडु

भारत में तीर्थस्थल

प्राचीन समय से भारत तीर्थभूमि रहा है। भारत के लोग विविध स्थलों की यात्रा पर जाते हैं। भारत में चार धाम यात्रा और बारह ज्योतिर्लिंग की यात्रा प्रचलित है। चारधाम में बद्रीनाथ (उत्तराखंड), रामेश्वरम् (तमिलनाडु), द्वारका (गुजरात) और जगन्नाथपुरी (ओडिशा) का समावेश होता है। इसके उपरांत 51 शक्तिपीठों और अमरनाथ की यात्रा भी महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। गिरनार (लीली परिक्रमा), शेत्रुंजय और नर्मदा की परिक्रमा का भी विशेष महत्त्व है। भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भंडार है। इस तरह, भारत के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों ने विश्व में भारत को एक अलग पहचान दी है। देश-विदेश के पर्यटक भारत के स्थापत्यकला की मुलाकात के लिए नियमित आते रहते हैं और उससे देश के पर्यटन उद्योग को आर्थिक लाभ मिलता है। यूनेस्को ने वैश्विक विरासत के स्थलों में भारत के 32 प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को शामिल किए हैं।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखिए :

(1) ताजमहल स्थापत्यकला का परिचय दीजिए।

(2) गुजरात के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों पर टिप्पणी लिखिए।

(3) दिल्ली के लाल किला पर टिप्पणी लिखिए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्देवार उत्तर लिखिए :

(1) हम्पीनगर के स्थापत्यकला का परिचय दीजिए।

(2) खजुराहो के मंजिरों का परिचय दीजिए।

(3) कोणार्क के सूर्यमंदिर के विषय में टिप्पणी लिखिए।

(4) बृहदेश्वर मंदिर का परिचय दीजिए।

(5) फतेहपुर सीकरी के विषय में टिप्पणी लिखिए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए :

(1) इलोरा के कैलाशमंदिर का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

(2) एलिफेंटा की गुफाओं के विषय में संक्षेप में लिखिए।

(3) कुतुब मीनार पर टिप्पणी लिखिए।

(4) गोवा के देवल पर टिप्पणी लिखिए।

(5) अहमदाबाद में स्थित सांस्कृतिक विरासत के स्थलों की सूची बनाइए।

(6) प्राचीन समय से भारत तीर्थभूमि रहा है, समझाइए।

4. प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) अजंता की गुफाएँ किस राज्य में हैं ?

(A) मध्य प्रदेश (B) महाराष्ट्र (C) ओडिशा (D) गुजरात

(2) निम्नलिखित में से कौन-सा विधान सत्य नहीं है ?

(A) इलोरा की गुफाओं में कैलाशमंदिर है।

(B) इलोरा में कुल 34 गुफाएँ हैं।

(C) राष्ट्रकूट राजाओं के समय में हिन्दू धर्म की गुफाओं का निर्माण हुआ था।

(D) इलोरा की गुफाओं को चार भाग में बाँटा गया है।

(3) जोड़े का सही क्रम चुनिए :

मंदिर	राज्य
(1) कोणार्क का सूर्य मंदिर-	(A) मध्यप्रदेश
(2) विरुपाक्ष का मंदिर पट्टदकल-	(B) तमिलनाडु
(3) बृहदेश्वर मंदिर-	(C) कर्णाटक
(4) खजुराहो के मंदिर	(D) ओडिशा

(A) 1-D 2-C 3-B 4-A (B) 1-C 2-D 3-A 4-B

(C) 1-C 2-D 3-B 4-A (D) 1-C 2-B 3-D 4-A

(4) ताजमहल : शाहजहाँ; हुमायूँ का मकबरा ......

(A) जहाँगीर (B) हुमायूँ (C) हमीदा बेगम (D) शाहजहाँ

(5) फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किसने की थी?

(A) हुमायूँ (B) शाहजहाँ (C) बाबर (D) अकबर

(6) भारत के इन ऐतिहासिक स्थलों को उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा के क्रम में रखने पर कौन-सा क्रम सही होगा?

(A) ताजमहल, खजुराहो के मंदिर, बृहेश्वर मंदिर, इलोरा की गुफाएँ

(B) इलोरा की गुफाएँ, ताजमहल, खजुराहो के मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर

(C) ताजमहल, बृहदेश्वर मंदिर, खजुराहो के मंदिर, इलोरा की गुफाएँ

(D) ताजमहल, खजुराहो के मंदिर, इलोरा की गुफाएँ, बृहदेश्वर मंदिर

(7) नीचे सही जोड़े बनाकर सही क्रम चुनिए :

मंदिर	स्थल
(1) उपरकोट	(A) अहमदाबाद
(2) सीदी सैयद की जाली	(B) पाटण
(3) रानी की वाव	(C) खदीर बंदरगाह
(4) धोलावीरा	(D) जूनागढ़

(A) 1-D 2-C 3-B 4-A (B) 1-D 2-A 3-B 4-C

(C) 1-C 2-D 3-B 4-A (D) 1-C 2-B 3-D 4-A

(8) निम्नलिखित में से कौन वाव (बावली) का प्रकार नहीं है?

(A) नंदा (B) भद्रा (C) तदा (D) विजया

प्रवृत्ति

- भारत के रेखांकित मानचित्र में भारत के सांस्कृतिक विरासत के स्थल दर्शाइए।
- गुजरात में सांस्कृतिक विरासत के स्थलों की मुलाकात का आयोजन कीजिए।
- भारत के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों से संबंधित सचित्र हस्तलिखित संस्करण तैयार कीजिए।
- रानी उदयमती के विषय में अधिक जानकारी एकत्र कीजिए।

•

7 अपनी विरासत का संरक्षण

विश्व में भारत का एक विशेष स्थान है। ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति और कला के विविध क्षेत्रों में भारत की महत्त्वपूर्ण देन रही है। भारत समृद्ध और सर्वोत्तम विरासतवाला देश है। अपनी विरासत भारतवर्ष की प्राचीन गरिमा को व्यक्त करता है। अतः अपनी भव्य विरासत के संरक्षण और देखभाल के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, यही समय की माँग है।

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की आवश्यकता

भारत की विरासत वैविध्यपूर्ण है। सांस्कृतिक विरासत में साहित्य, शिल्प-स्थापत्य, विविध कलाओं और प्राकृतिक विरासत का समावेश होता है। प्राकृतिक या मानवसर्जित परिबलों द्वारा उसे प्रतिकूल असर हो रहा है, उसका संरक्षण अति आवश्यक है। विरासत देश के लोगों को गौरव प्रदान करता है, इसीलिए देश की प्रजा अपनी पहचान विरासत के साथ जोड़कर, उसे आदर देता है। अतः उसके व्यवस्थापन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। लुप्त हो रही कलाओं, स्थापत्यों वगैरह का संरक्षण करना चाहिए। जिससे भविष्य की पीढ़ी अपने पूर्वजों के गौरवपूर्ण कार्यों से प्रेरणा ले सके। हम अपनी विरासत के संरक्षण के प्रति जाग्रत नहीं हैं। अपनी लापरवाही के कारण विरासत को नुकसान पहुँच रहा है, इसलिए आज विरासत का संरक्षण आवश्यक हो गया है।

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की अनिवार्यता

विरासत देश की पहचान है। उसकी अवगणना करनेवाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता है, कारण कि विरासत हमारे लिए मार्गदर्शक है। भूतकाल में हमने जो भूलें की हैं, उन्हें वर्तमान में समझकर भविष्य के लिए योजना और विकास की दिशा निश्चित करने में विरासत हमारे लिए मार्गदर्शक बनती है। देश में नई चेतना का संचार करने में विरासत खूब उपयोगी है।

देश के सास्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के स्थलों को होनेवाले नुकसान या विनाश के प्रति देश के लोगों में जागृति आए, यह अनिवार्य है। विरासत के संरक्षण के लिए मात्र सरकार ही नहीं, सामान्य प्रजा को भी अपनी भूमिका निभाना चाहिए। देश की प्रजा के लिए विरासत आदर्श होती है, इसलिए उसे नष्ट होने से रोकना चाहिए। विदेशी प्रजा के आक्रमण और हमारी जागरूकता के अभाव के कारण विरासत को भयंकर नुकसान पहुँचा है। उसका संरक्षण करना सरकार और समस्त प्रजा का नैतिक कर्तव्य है।

पर्यटन उद्योग और अपनी विरासत

यूनेस्को ने भारत के कई प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को वैश्विक विरासत की सूची में शामिल किया है। देश-विदेश के पर्यटक अपने सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को देखने, समझने और संशोधन करने आते हैं, जिससे देश के पर्यटन उद्योग का विकास होता है तथा परिवहन उद्योग को लाभ पहुँचता है। पर्यटन उद्योग राज्य का आर्थिक लाभ करवाता है तथा लोगों की सांस्कृतिक कलाओं, परंपराओं को विश्व समक्ष प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। इसके उपरांत स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और लुप्त हो रही कलाओं को नवजीवन मिलता है।

शैक्षणिक क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र के अभ्यासक्रम का विकास होने से पर्यटन मार्गदर्शक (टुरिज़म गाइड) का स्वतंत्र व्यवसाय विकसित हुआ है। विदेशी पर्यटकों के आने से भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है और रंगबिरंगी, मिली-जुली संस्कृति की पहचान विश्वफलक पर अंकित होती है और देश की विशिष्ट प्रतिभा उजागर होती है। सांस्कृतिक विरासत के स्थलों के आसपास पक्के रास्ते, रेलवे, पानी, संचार माध्यम आदि सुविधाएँ विकसित होती हैं। पर्यटन उद्योग के कारण फोटोग्राफी, घुड़सवारी, नौकाविहार जैसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन और फेरीवालों को रोजगार मिलता है। मिली-जुली संस्कृति, स्थानीय कलाकारीगरी तथा उसकी विशेषता को एक मंच मिल जाता है।

विरासत की देखभाल और संरक्षण हेतु हुए प्रयास

प्राकृतिक विरासत की देखभाल और संरक्षण हेतु हुए प्रमाण निम्नलिखित हैं :

- ई. सन् 1952 में भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीवों के लिए बोर्ड की संरचना की। जो वन्यजीवों के संरक्षण के लिए साधन उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और पक्षीघरों के निर्माण हेतु मार्गदर्शन देना तथा वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति जागृति फैलाने का कार्य करता है।

- ई. सन् 1972 में वन्यजीवों से संबंधित कानून लागू हुआ, जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और आरक्षित क्षेत्रों का समावेश किया गया है।
- देश में नए उद्यानों और अभ्यारण्यों की स्थापना की गई।
- विरासत की देखभाल और सुरक्षा के लिए देश के कानून को विशाल परिप्रेक्ष्य में रखा गया है।
- लुप्त हो रहे विशिष्ट पौधों और पशुओं को बचाने के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं।

सरकार उपरांत विविध संस्थाएँ और समितियाँ भी पर्यावरण एवं वन्यजीवों के संरक्षण का अत्यंत उपयोगी कार्य करती हैं। जिनमें ई. सन् 1883 में स्थापित ''मुंबई प्राकृतिक इतिहास समिति'' सबसे प्राचीन संस्था है। वर्तमान समय में गीर फाउंडेशन, नेचरकल्ब वगैरह संस्थाएँ पर्यावरण संरक्षण का उपयोगी कार्य कर रही हैं।

7.1 वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण

अपने अनमोल विरासत को बनाए रखने के लिए सरकार ने संविधान में व्यवस्था की है। संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों में विरासत के संरक्षण की बात का समावेश किया गया है।

प्राचीन स्मारकों, पुरातत्त्वीय स्थलों और अवशेष-स्थलों की देखभाल तथा देखभाल संबंधी कानून

- भारतीय विरासत जैसे-जैसे खतरे में पड़ने लगी वैसे-वैसे उसकी सुरक्षा के प्रयत्न भी तेज हुए। इसके संरक्षण में विविधता देखने को मिलती है।
- पुरातत्त्वीय विरासत को सुरक्षित रखने के लिए संसद ने 1958 में 'प्राचीन स्मारकों', पुरातत्त्वीय स्थलों और अवशेषों' से संबंधित कानून बनाया, जिसके अनुसार प्राचीन कलाकृतियों, धार्मिक स्मारकों, ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्त्व के स्थलों और अवशेषों आदि की सुरक्षा का सुझाव दिया गया है।
- पुरातत्त्व विभाग के नियमानुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था या एजन्सी भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्थल पर उत्खनन नहीं कर सकती है। अत: चोरी-छुपे किया जानेवाला उत्खनन रुका है और विरासत के स्थल आज तक सुरक्षित हैं।
- केन्द्र सरकार ने महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को 'राष्ट्रीय स्मारक' के रूप में घोषित किया है। उनके रखरखाव की जिम्मेदारी पुरातत्त्व विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी) को सौंपा गया है।
- मात्र सरकार द्वारा कानून बनाने से नहीं, बल्कि लोगों को नैतिक जिम्मेदारी से अपने विरासत का संरक्षण करना चाहिए।
- पुरातत्त्व विभाग नष्ट हो गए या नष्ट होने के कगार पर पहुँचे स्मारकों, स्थलों का निश्चित पद्धति से मरम्मत करवाता है।
- इमारतों का मरम्मत करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उसका मूल स्वरूप, आकार, कद वगैरह बना रहे।
- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) नामक सरकारी विभाग अपनी देखरेख में लगभग 5000 से अधिक स्मारकों और स्थलों के रखरखाव के लिए कार्य करता है।
- आंध्रप्रदेश में कृष्णानदी पर नागार्जुन सागर बहुहेतुक योजना के कारण संगमेश्वर मंदिर, पापनाशम् मंदिर के समुद्र में डूब जाने की स्थिति थी। परन्तु पुरातत्त्व विभाग ने इन मंदिरों को आंध्रप्रदेश के महबूबनगर जिले के आलमपुर में बड़ी सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया है।
- विश्व के सात आश्चर्यों में आगरा के ताज़महल की गणना की जाती है। मथुरा की रिफाइनरी तथा उद्योगों

के धुएँ (वायु प्रदूषण) के कारण ताजमहल का श्वेत संगमरमर धुँधला और पीला पड़ रहा था। जिसके कारण पुरातत्त्व विभाग ने प्रदूषण फैलानेवाले उद्योगों को बंद करवा दिया तथा ताजमहल की नियमित साफ-सफाई के लिए उचित व्यवस्था की। आज ताज़महल की चमक बनी हुई है।

संग्रहालयों की देखभाल के लिए हमारी भूमिका

भारतीय निधि व्यापार कानून (1876) के अनुसार अपना घर, खेत, कुआँ, तालाब आदि बनाते या खनन करते समय अचानक कोई पौराणिक या प्राचीन कलात्मक चीजवस्तु मिल जाए तो पुरातत्त्व विभाग को उसकी सूचना देनी होती है, जिससे उसका संरक्षण उसी स्थान या संग्रहालय में हो सके। अति मूल्यवान कलाकृतियों संबंधी कानून 1972 में सरकार ने लागू करके व्यक्तिगत अथवा निजी संग्रहालयों की जानकारी भी प्राप्त की है। यहीं संस्कृत, अर्धमागधी, प्राकृत, पाली आदि हस्तप्रतियों का रखरखाव तथा उसका संग्रह होता है। प्रत्येक राज्य के लेखागार (आर्काइव्ज़) में दस्तावेजों को वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित रखने से इतिहासकारों और संशोधकों को उचित मार्गदर्शन मिलता है। प्राचीन कलाकृतियों तथा अतिमूल्यावान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए संग्रहालयों का कार्य महत्त्वपूर्ण है। देश के महत्त्वपूर्ण संग्रहालय निम्नानुसार हैं :

देश के संग्रहालय (म्यूज़ियम)

क्रम	नाम	शहर	राज्य
1	राष्ट्रीय संग्रहालय	नई दिल्ली	दिल्ली
2	भारतीय संग्रहालय	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
3	छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय (प्रिंन्स ऑफ वेल्स म्यूज़ियम)	मुंबई	महाराष्ट्र
4	सालारगंज संग्रहालय	हैदराबाद	आंध्रप्रदेश
5	राष्ट्रीय मानव संग्रहालय	भोपाल	मध्यप्रदेश
6	लालभाई दलपतभाई संग्रहालय (एल. डी. इंस्टिट्यूट ऑफ इंडोलॉजी)	अहमदाबाद	गुजरात
7	श्री महावीर जैन आराधना केन्द्र, कोबा	गांधीनगर	गुजरात
8	श्री हेमचंद्राचार्य ग्रंथालय	पाटण	गुजरात
9	वडोदरा म्यूज़ियम और पिक्चर गैलरी	वडोदरा	गुजरात

सभी संग्रहालयों के रखरखाव और संरक्षण की जिम्मेदारी देश की सरकार के साथ-साथ हम सबकी भी है, बल्कि यह हमारा पवित्र कर्तव्य है।

विरासत के संरक्षण के लिए हमारी भूमिका

भारत के भव्य भूतकालीन विरासत के संरक्षण के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें, यूनेस्को और गैरसरकारी संस्थाएँ अपना कर्तव्य योग्य ढंग से निभा रही हैं, परंतु सबसे महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी हम सबकी है। विद्यालय-कॉलेज में शिक्षक कक्षा में भारत के भव्य विरासत का परिचय दें। विद्यार्थी भी अपरिचित स्मारकों, स्थलों, पुरावशेषों को पहचानकर उसके रखरखाव और संरक्षण में सहायक बनें। विरासत की सूची तैयार करके सावधानी रखें, स्मारक नष्ट न हों, वे क्षत-विक्षत न किए जाँय, उनकी चोरी न हो आदि बातों का ध्यान रखते हुए विद्यार्थी सतत अध्ययनशील रहें, यह जरूरी है। स्थानीय स्तर पर शाला-कॉलेजों और गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन, वक्तव्य, प्रदर्शन,

चर्चासभाओं का आयोजन करके लोकजागृति पैदा करना जरूरी है। ऐतिहासिक स्मारक, शिल्प-स्थापत्य, कलाकारीगरी के नमूने एक बार नष्ट होने के बाद पुनः अपनी मूल स्थिति में नहीं आ सकते हैं। अतः उन्हें नुकसान न पहुँचे, वे मूल स्थान से अन्य जगह न ले जाएँ, इसका ध्यान रखना सबका पवित्र कर्तव्य है। अपना देश विशाल और वैविध्यपूर्ण विरासतवाला है। जिसमें प्राचीन समय के झरने, बावड़ी, तालाब, झील आदि हैं। वर्षाऋतु में इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे कि धोलका का मलाव तालाब, पाटण की रानी की वाव, चांपानेर का कुआँ, महेमदाबाद का भमरिया कुआँ, जूनागढ़ का नवधण कुआँ वगैरह का प्राचीन स्मारकों की तरह रखरखाव हो, इसका सभी को ध्यान रखना पड़ेगा।

पर्यटन स्थलों की स्वच्छता और देखभाल

अपने देश के पर्यटन स्थलों की स्वच्छता और देखभाल के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारें महत्त्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। उसके परिणाम स्वरूप पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता और चौकसी से देखभाल के लिए विशेष आयोजन किया गया है। देश-विदेश के पर्यटकों को ऐतिहासिक और धार्मिक महत्त्ववाले पर्यटन स्थलों में विशेष रुचि होती है। अतः हमारी सरकार ऐसे स्थलों के संरक्षण के लिए चिंतित है।

- प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- पर्यटन स्थलों या सार्वजनिक स्थलों पर कचरा कहीं भी फेंकने के बजाय कचरापेटी में डालना चाहिए।
- गंदगी का योग्य निकाल करना चाहिए।
- पान या गुटखा खाकर जहाँ-तहाँ नहीं थूँकना चाहिए।
- प्राचीन स्थलों के आसपास प्रदूषण नहीं करना चाहिए।
- ऐतिहासिक स्थापत्यवाली बावली, जलाशय, तालाब, झरना आदि का वर्षा दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए।
- पुरातत्त्वीय रासायनिक क्रियाओं द्वारा स्मारकों की साफ-सफाई करते समय अत्यंत सावधानीपूर्वक रखवाली करना चाहिए।
- देश-विदेश के पर्यटकों द्वारा अपने ऐतिहासिक विरासत को हानि न पहुँचे, इसके लिए उन्हें जाग्रत करना चाहिए।
- प्राकृतिक आपदा से पर्यटन स्थलों को नुकसान हो, तो उन्हें पुनः मूल स्वरूप में लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

हमें समझना होगा कि पर्यटन स्थलों का सौन्दर्य, स्वच्छता और देखभाल अपने देश को विश्व में प्रसिद्धि दिलाता है तथा देश को समृद्धि प्राप्त होती है। भूतकाल की विरासत के मूल स्वरूप को आँच न आए, उस तरह आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सहायता से उसका देखभाल करना चाहिए।

भारत : विविधता में एकता

विश्व की अति प्राचीन संस्कृतियों में से एक भारतीय संस्कृति समृद्ध और वैविध्यपूर्ण विरासतवाली है। भारत की विविधता ही विश्व में उसकी विशिष्ट पहचान है। विविध जातियों, धर्मों, रीति-रिवाजों, संस्कृतियों, भाषाओं आदि का समन्वय भारत में हुआ है। भारत वैविध्यपूर्ण होने पर भी वह रंगबिरंगी संस्कृति का सर्जन कर सका है। भारत 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना को विश्व में साकार कर सका है। सम्पूर्ण विश्व एक विशाल परिवार है। ऐसी भावना भारत में वेदकाल से ही प्रचलित है। 'हमें चारों दिशाओं में से अच्छे और शुभ विचार प्राप्त हों' ऋग्वेद का संदेश भारतीय संस्कृति की विशालता और व्यापकता का दर्शन कराता है।

7.2 विविधता में एकता

भारत ने धार्मिक सहिष्णुता का प्रसार विश्व में किया है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो (अमेरिका) में आयोजित 'विश्वधर्म परिषद' में कहा था कि, ''मुझे कहते गर्व हो रहा है कि जिस धर्म का मैं प्रतिनिधि हूँ उस धर्म ने जगत को सहिष्णुता और विश्वबंधुत्व का पाठ सिखाया है।''

भारत एक असाम्प्रदायिक देश है। धर्म की दृष्टि से भारत संसार के प्रमुख धर्मों के संमिश्रण की भूमि रहा है। हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, इस्लाम, ईसाई धर्म का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव देखने को मिलता है।

प्राचीन भारतीय ज्योतिर्धरों ने भी भारत की एकता पर बल देकर समग्र देश को 'भारतवर्ष' ऐसा विशाल नाम दिया था। पवित्र मानी जानेवाली सात नदियों का समावेश भारत में रचित प्रार्थनाओं में भी हुआ है। ऋषि-मुनियों, सूफी संतों, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और महात्मा गाँधी जैसे युग पुरुषों ने हमेशा शांति, समन्वय और विश्वबंधुत्व की बातों पर ज़ोर दिया है।

विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की सर्वोत्तम विशिष्टता है। जिस तरह महासागरों में नदियों का संगम होता है उसी तरह अपने देश में विविध धर्मों-संप्रदायों, जातियों, भाषाओं, रीति-रिवाजों, परंपराओं और उत्सवों का संमिश्रण देखने को मिलता है। भारत में विविध लोग सह-अस्तित्व की भावना से अपना जीवन जीते हैं। भारतीय प्रजा ने अपनी इस विशेषता का संवर्धन और हिफ़ाजत की है, जो अद्वितीय है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखिए :

(1) हमें अपनी विरासत की देखभाल और संरक्षण किसलिए करना चाहिए?

(2) प्राकृतिक विरासत की देखभाल के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

(3) विरासत संरक्षण के लिए हमारी क्या भूमिका है?

(4) प्राचीन स्मारकों, पुरातत्त्वीय स्थलों और अवशेष स्थलों के संरक्षण से संबंधित कानून बताइए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्देवार उत्तर लिखिए :

(1) अपनी विरासत की देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता बताइए।

(2) संग्रहालयों की सुरक्षा के विषय में जानकारी दीजिए।

(3) ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत करते समय ध्यान देने योग्य बातें बताइए।

(4) पर्यटन स्थलों की स्वच्छता और देखभाल के विषय में अपने विचार लिखिए।

(5) 'भारत की विविधता में एकता' विषय पर टिप्पणी लिखिए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए :

(1) पर्यटन उद्योग से होनेवाले लाभ बताइए।

(2) हमारी विरासत को लोग किस तरह नुकसान पहुँचाते हैं?

(3) मुंबई प्राकृतिक इतिहास समिति की रचना कब हुई थी? वह क्या कार्य करती है?

(4) भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण क्या कार्य करता है?

(5) स्वामी विवेकानंद ने 'विश्वधर्म परिषद' में क्या कहा था?

4. प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) सही क्रम चुनकर जोड़े बनाइए :

(1) श्री हेमचंद्राचार्य ग्रंथालय	(A) मुंबई
(2) भारतीय संग्रहालय	(B) भोपाल
(3) छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय	(C) पाटण
(4) राष्ट्रीय मानव संग्रहालय	(D) कोलकाता

(A) (1 - C), (2 - D), (3 - A), (4 - B) (B) (1 - A), (2 - B), (3 - D), (4 - C)

(C) (2 - A), (4 - C), (1 - B), (3 - D) (D) (4 - B), (1 - D), (3 - C), (2 - A)

(2) निम्नलिखित में से कौन-सा विधान सही नहीं है?

(A) भारत ने विश्व में 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना साकार की है।

(B) 'मुझे कहते गर्व हो रहा है कि जिस धर्म का मै प्रतिनिधि हूँ, उस धर्म ने जगत को सहिष्णुता और विश्वबंधुत्व का पाठ सिखाया है !' - स्वामी विवेकानंद

(C) सहिष्णुता और विश्वबंधुत्व में माननेवाली भारतीय प्रजा ने डच और अंग्रेजों का भी सत्कार किया।

(D) प्राचीन भारत के ज्योतिर्धरों ने भारत की 'आर्थिक एकता पर बल दिया था।'

(3) ताज़महल के श्वेत संगमरमर धुँधले और पीले पड़ रहे थे, उसका क्या कारण था?

(A) भूमिप्रदूषण (B) जलप्रदूषण (C) वायुप्रदूषण (D) ध्वनिप्रदूषण

प्रवृत्ति

- सांस्कृतिक विरासत से संबंधित किसी भी एक ऐतिहासिक स्थल का प्रोजेक्ट बनाकर विद्यालय की लाइब्रेरी में रखिए।
- ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों और राष्ट्रीय उद्यानों के पर्यटन का आयोजन करके उसका फोटोग्राफ्स के साथ हस्तलिखित संस्करण तैयार कीजिए।
- इंटरनेट की सहायता से विश्व के ऐतिहासिक विरासत के स्थलों के चित्र एकत्रित करके अल्बम तैयार कीजिए। श्रेष्ठ चित्रों की स्पर्धा करके विजेता को प्रमाणपत्र/इनाम दीजिए।
- विद्यालय के पुस्तकालय में से विश्व विरासत के स्थलों की जानकारी एकत्रित करके, कक्षा में चर्चा सभा का आयोजन कीजिए।
- विद्यालय के शैक्षणिक प्रवास दरमियान संग्रहालय की मुलाकात का आयोजन कीजिए।

●

8 प्राकृतिक संसाधन

संसाधन द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं को कुछ हद तक या पूर्ण रूप से सन्तुष्ट किया जा सकता है। प्रकृति में हजारों तत्त्व रहे हुए हैं पर उन्हें हम संसाधन नहीं कह सकते हैं। ये तत्त्व तभी संसाधन कहे जाएंगे जब मनुष्य अपने विशिष्ट ज्ञान-कौशल द्वारा उपयोग में लें। दूसरी तरफ से कहें तो जिन वस्तुओं पर मनुष्य आश्रित या निर्भर हो, जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएँ पूरी हों एवं मनुष्य के पास उसका उपभोग करने की शारीरिक या बौद्धिक क्षमता हो। इस अनुसार कोई भी वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए काम में ली जाए तो वह संसाधन बन जाती है। प्राचीनकाल में भूमि में दबे हुए खनिजों की जानकारी मनुष्यों को नहीं थी तब वे संसाधन नहीं थे परंतु आज उनकी उपयोगिता और खनन प्रविधियों के विकास से मनुष्य जीवन के लिए वे अत्यंत आवश्यक बने हैं। प्राकृतिक संसाधन में उपयोगिता एवं कार्य करने की योग्यता-दोनों गुणधर्म होने आवश्यक हैं। प्रकृति, मनुष्य एवं संस्कृति तीनों की परस्पर प्रक्रिया द्वारा ही संसाधन बनते हैं।

संसाधनों के उपयोग

संसाधन हमें अनेक तरह से उपयोगी हैं। मनुष्य जीवन के हर चरण पर उसकी कोई न कोई भूमिका हमारे ध्यान में आती है। कृषि प्रवृत्ति से उद्योग प्रवृत्ति तक सभी प्रवृत्तियां अन्त में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर अवलंबित हैं। इस संदर्भ में अधिक तथ्य जानें :

संसाधन - भोजन के रूप में

मनुष्य की भोजन की आवश्यकता विविध संसाधनों में से ही पूरी होती है। प्राकृतिक रूप में होनेवाले फल कृषि द्वारा मिलती विविध खाद्य-फसलें, पालतू प्राणियों द्वारा प्राप्त होनेवाला दूध और उसकी बनावटे तथा मांस, जलाशयों से मिलती मछलियाँ और अन्य जलचर, मधुमक्खी द्वारा बनाया गया मधु आदि चीजें खाद्य-सामग्री के रूप में उपयोग में ली जाती हैं।

संसाधन - कच्चे माल के स्रोत

जंगलों से प्राप्त होनेवाली विविध चीजों, कृषि द्वारा उपलब्ध सामग्री, पालतू पशुओं से प्राप्त ऊन, चमड़ा और मांस, खनिज, अयस्क आदि चीजें अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल बनाती हैं।

संसाधन - शक्ति संसाधन के रूप में

हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का ऊर्जा के रूप में उद्योगों एवं घरों में उपयोग ईंधन की तरह करते हैं। सूर्य प्रकाश, पवन, समुद्री लहरें, ज्वार-भाटा और जलप्रपात द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है।

संसाधन के प्रकार

संसाधनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं :

(1) मालिकाना आधार पर (2) पुनः प्राप्यता के आधार पर (3) वितरण क्षेत्र के आधार पर

परंतु मालिकाना दृष्टि से संसाधन के प्रकार इस प्रकार होते हैं। यह जानकारी तालिका की मदद से समझें :

क्रम	मालिकाना दृष्टि से	विवरण	उदाहरण
1.	व्यक्तिगत संसाधन	किसी व्यक्ति या कौटुम्बिक मालिकाना	भूमि, आवास आदि।
2.	राष्ट्रीय संसाधन	किसी देश या प्रदेश की सार्वजनिक संपत्ति	सेना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार
3.	वैश्विक संसाधन	सम्पूर्ण विश्व की ऐसी तमाम भौतिक एवं अभौतिक संपत्ति जिसका उपयोग मानव कल्याण में होता है।	विश्व के सभी राष्ट्रों के संयुक्त मालिकाना संसाधन।

संसाधनों के वितरण के आधार पर इसके प्रकार इस प्रकार होते हैं :

क्रम	वितरण क्षेत्र के अनुसार	तथ्य	उदाहरण
1.	सर्व सुलभ संसाधन	वातावरण में रही उपयोगी वायु	ऑक्सीजन, नाइट्रोजन
2.	सामान्य सुलभ संसाधन	सामान्यतया मिलें ऐसे	भूमि, जमीन, जल, गौचर
3.	विरल संसाधन	जिसके प्राप्तिस्थान मर्यादित हैं ऐसे खनिज	कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, सोना युरेनियम आदि
4.	एकल संसाधन	विश्व में भाग्यवश एक या दो स्थानों पर मिलनेवाले खनिज	क्रायोलाइट खनिज, जो सिर्फ ग्रीनलैन्ड से ही प्राप्त होती है।

तालिका में देखकर हम दो प्रकार के वर्गीकरण समझे हैं। संसाधनों के विभाग अन्य रूपों में भी किए जा सकते हैं, जिसमें नवीनीकरणीय संसाधन – ये दो भाग लिए जा सकते हैं। कुछ संसाधन स्वयमेव निश्चित समय में उपयोग हुए हिस्से की पूर्ति करते हैं अथवा वे न खत्म हों ऐसे (अखूट) होते हैं। जंगल, सूर्यप्रकाश, पशु-पक्षी आदि इस वर्ग में आते हैं। इसे नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। जबकि अनवीनीकरणीय संसाधन वे हैं जो संसाधन एक बार उपयोग के बाद पुन: उपयोग में नहीं लिए जा सकते अथवा उन्हें पुन: बनाया नहीं जा सकता या नजदीक के भविष्य में उनका पुन: निर्माण असंभव है। खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का समावेश इस वर्ग में होता है।

संसाधनों का आयोजन एवं संरक्षण

मनुष्य की आवश्यकताएँ अमर्यादित हैं जबकि प्राकृतिक संसाधन मर्यादित हैं। विगत सौ वर्षों में मनुष्य द्वारा विज्ञान और तक्नीक के क्षेत्र में हुए असाधारण विकास और भयंकर जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों का उपयोग अत्यंत अधिक बढ़ गया है। इस परिस्थिति के बारे में यदि गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो भविष्य में इसके खराब परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसी कारण भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। संसाधनों का संरक्षण करना अर्थात् संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना।

संरक्षण शब्द का सीधा संबंध संसाधनों की कमी से जुड़ा है। वर्तमान समय में जिस तरह दोहन हो रहा है, उसी तरह संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन और उपयोग होता रहा है तो विकास और वर्तमान जीवनस्तर बनाए रखना लगभग स्वप्नवत् हो जाएगा। उसके लिए विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और पुन: उपयोग जैसी बातें उसमें समाविष्ट हैं। जब किसी वृक्ष या जीव के अस्तित्त्व पर संकट हो तब उसके लिए आयोजित व्यवस्थापन को उसका संरक्षण कहते हैं।

संसाधन के आयोजन और संरक्षण के लिए आवश्यक तथ्यों को विस्तारपूर्वक समझें

- सबसे पहले किसी एक प्रदेश या देश को एक इकाई मान कर उसके द्वारा उपयोग में लिए गए, अब तक बिन-उपयोगी और संभावित संसाधनों की उपलब्धि एवं विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- जिन संसाधनों का प्रमाण मर्यादित या अनवीनीकरणीय है, उनका वैज्ञानिक रूप से दोहन करना चाहिए एवं उसका उपयोग अनिवार्य हो तभी करना।
- जिन संसाधनों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। उनके विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए।
- जो संसाधन वर्तमान में सरलता या सहजता से उपलब्ध हों उसे बिगाड़ने के बदले भावी आवश्यकता के लिए मितव्ययीतापूर्वक बचाना चाहिए।

- मर्यादित मात्रा में उपलब्ध संसाधन बनाए रखना तथा तक्नीकी विकास द्वारा उसके वैकल्पिक स्रोतों की खोज, लम्बे समय अंतराल पर फायदेमंद है।
- संसाधनों के संरक्षण के लिए शासन द्वारा आवश्यक कानून एवं नियम बनाकर उनका अमल करना चाहिए।
- नागरिकों को संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग से जुड़ी सभी बातों से अवगत होकर, जनजागृति लानी चाहिए।

ज़मीन निर्माण

जमीन पृथ्वी की पपड़ी पर के अनेक कणों से बनी एक पतली पर्त होती है। जिसमें खनिज, नमी, ह्युमस (सेंद्रिय तत्त्व) तथा हवा वगैरह मिले होते हैं। मिट्टी के नीचे उसमें मूल चट्टान स्तर होते है। जमीन का निर्माण मूल चट्टानों के घिसाव और कटाव से मिलनेवाले पदार्थों से होता है, जिसमें जैविक अवशेष, नमी और हवा मिलती है। अन्य रूप से कहें तो जमीन खनिज और जैविक तत्त्वों का प्राकृतिक मिश्रण है। उसमें वनस्पति के वृद्धि और विकास करने की क्षमता है।

जमीन

पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी सतह या स्तर जिसे हम जमीन कहते हैं, जिसमें वनस्पति की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक खनिज द्रव्य और जैविक द्रव्य होते हैं। जबकि उसका अनुपात सभी जमीन में एक समान नहीं होता है। इस तरह जमीन अर्थात् सेन्द्रीय पदार्थयुक्त मूल चट्टान और वनस्पति द्रव्यों के मिश्रण से बने असंगठित पदार्थों की पपड़ी या स्तर। मूल चट्टनों को घिसाव या निक्षेपण के परिबल तोड़ करके उसके बारीक कण बनाते हैं और इस चूर्ण में वनस्पति तथा जीव-जंतुओं के विघटन या सड़ने से बने सेन्द्रीय तत्त्व उसमें मिलते हैं। ये सेन्द्रीय तत्त्व वनस्पति के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जमीन की उत्पत्ति के समय अन्तराल के सन्दर्भ में उस समय की जलवायु का प्रभाव इतना महत्त्वपूर्ण एवं व्यापक है कि उस जलवायुनीय प्रदेश में विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बननेवाली जमीन लम्बे समय अन्तराल में भी एक ही प्रकार की होती है। अर्थात् एक ही प्रकार की मूल चट्टानों से अलग-अलग जलवायवीय समयान्तराल में बननेवाली जमीन अलग-अलग प्रकार की होती हैं। जमीन का प्रकार उसके रंग, जलवायु, मातृ चट्टान, कणरचना एवं उपजाऊपन जैसे तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

ज़मीन के प्रकार

वर्तमान समय में भारतीय कृषि संशोधन परिषद् (ICAR) द्वारा भारत की जमीनों को 8 प्रकार में बांटा गया है, जिनमें से पर्वतीय जमीन और जंगल प्रकार की जमीन पर्वतीय क्षेत्रों में अलग-अलग ऊंचाई पर दिखाई देती है :

(1) कांप की जमीन (Alluvial Soil)
(2) लाल जमीन (Red Soil)
(3) काली जमीन (Black Soil)
(4) लेटेराइट जमीन (Laterite Soil)
(5) रेगीस्तानी प्रकार की जमीन (Desert Soil)
(6) पर्वतीय जमीन (Mountain Soil)
(7) जंगल प्रकार की जमीन (Forest Soil)
(8) दलदलीय या पीट प्रकार की जमीन (Marshy or Peaty Soil)

(1) कांप की जमीन (Alluvial Soil) : इस प्रकार की जमीन भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43 % क्षेत्रफल में फैली हुई है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से प्रारंभ कर पश्चिम में सतलज नदी तक उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण भारत में नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में और इनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में और इनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के मुखत्रिकोण प्रदेश में इस प्रकार की जमीन आयी हुई हैं। कांप की जमीन का निर्माण नदियों के द्वारा निक्षेपित कांप की आभारी हैं। इस जमीन

में पोटाश, फोस्फरिक एसिड एवं चूने का प्रमाण अधिक दिखाई देता है। जबकि नाइट्रोजन और नमी की मात्रा कम प्रमाण में दिखती है। यदि इस जमीन में दलहन वर्ग की फसलें ली जाएँ तो इसमें नाइट्रोजन की स्थिरता का प्रमाण बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की जमीन में गेहूँ, धान, गन्ना, पटसन, कपास, मकई और तिलहन आदि फसलें ली जाती हैं।

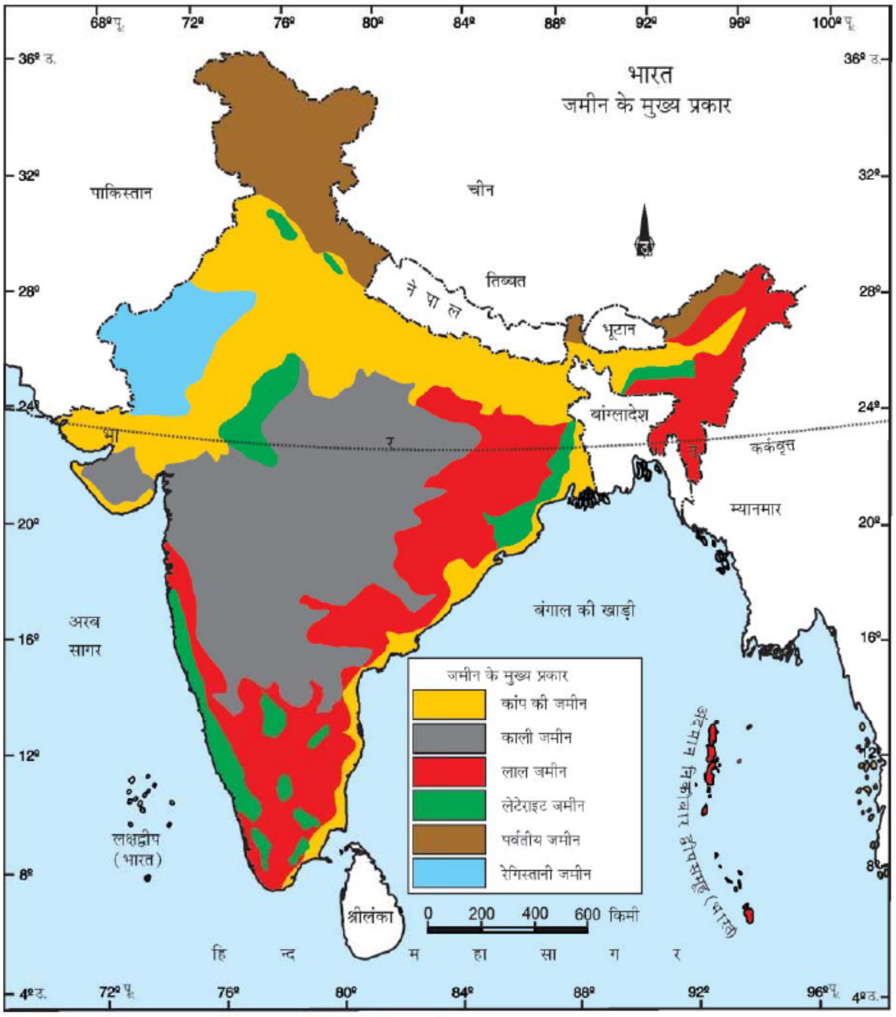

8.1 भारत की जमीनों के मुख्य प्रकार

(2) लाल जमीन (Red Soil) : लाल जमीन भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 19 % क्षेत्रफल में फैली हुई है। दक्षिण के द्वीपकल्प में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में बुंदेलखंड तक एवं पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों के पश्चिम में कच्छ तक वह फैली है। राजस्थान में इस प्रकार की जमीन दिखाई देती है। इस जमीन में फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है तथा वह नीचे जाने पर पीले रंग में बदलता है। इन जमीनों में चूना, कंकड़ और कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं। इस जमीन में अधिकांशतः मैग्नेशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटाश की कमी दिखाई देती है। इस प्रकार की जमीन में बाजरी, कपास, गेहूँ, ज्वार, अलसी, मूँगफली, आलू इत्यादि फसलें ली जाती हैं।

8.2 लाल जमीन

(3) काली जमीन (Black Soil) : काली अथवा रेगुर जमीन भारत के क्षेत्रफल के लगभग 15 % क्षेत्रफल में फैली है। इस जमीन का उद्‌भव दक्खन के लावा के बिछने से हुआ है। समग्र महाराष्ट्र, पश्चिम-मध्य प्रदेश, आंध्रप्रदेश एवं कर्णाटक का कुछ भाग आदि जगहों पर इस प्रकार की जमीन देखने को मिलती है। गुजरात में सूरत, भरूच, डांग, तापी एवं वडोदरा जिले की जमीन इस प्रकार की है। इस जमीन के निर्माण में लावायिक चट्टानों और जलवायु की भूमिका मुख्य है। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम और मेग्नेशियम कार्बोनेट का प्रमाण अधिक दिखता है। इसका उपजाऊपन अच्छा माना जाता है। इस जमीन की नमी संग्रह शक्ति काफ़ी अधिक है। जब नमी सूख जाती है तब इसमें दरार या भंग बन जाती है। इस प्रकार की जमीन में कपास, अलसी, सरसों, मूँगफली, तम्बाकू एवं उड़द जैसे दलहन वर्ग की फसलें ली जाती हैं। कपास की फसल के लिए विशेष रूप से अनुकूल होने से इस जमीन को कपास की जमीन के रूप में पहचाना जाता है।

8.3 काली जमीन

(4) लेटेराइट या पड़खाऊ जमीन (Laterite Soil) : इस जमीन का नाम लेटीन भाषा के शब्द 'Later' अर्थात् ईंट पर से पड़ा है। इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। यह जमीन भीगने पर मक्खन की तरह मुलायम और सूखे तब कड़ी बन जाती है। सूखी एवं नमीयुक्त जलवायु के परिवर्तन से और सिलिकामय पदार्थों के निवारण से इसका निर्माण हुआ है। यह भारतीय द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के ऊँचाईवाले भागों में विकसित हुई दिखती है। इस प्रकार की जमीन में मुख्यतया लौहतत्त्व, पोटाश और एल्युमिनियम का प्रमाण अधिक होता है। यह जमीन कम उपजाऊ होती है। परन्तु इसमें खाद डालकर कपास, धान, रागी, गन्ना, चाय, कॉफी, काजू आदि की फसल ली जाती है। इस जमीन को पड़खाऊ जमीन के रूप में भी पहचाना जाता है।

(5) रेगीस्तानी प्रकार की जमीन (Desert Soil) : यह जमीन शुष्क एवं अर्धशुष्कवाली परिस्थिति में होती है। यह जमीन रेतीली एवं कम उपजाऊ होती है। इसमें घुलनशील क्षारों का प्रमाण अधिक होता है। इस प्रकार की जमीन राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण पंजाब के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। गुजरात में इस प्रकार की जमीन कच्छ एवं सौराष्ट्र के कुछ भागों में आई हुई है। सिंचाई की सुविधाओं से इसमें बाजरी, ज्वार की फसल ली जाती है।

(6) पर्वतीय जमीन (Mountain Soil) : यह जमीन हिमालय की घाटियों एवं ढलानों के क्षेत्रों में 2700 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊँचाई पर पाई जाती है। इसके स्तर पतले एवं अपरिपक्व होते हैं। यह असम, दार्जीलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर में आयी हुई है। हिमालय की सामान्य ऊँचाई के भागों में देवदार, चीड़ एवं पाइन के वृक्षोंवाले क्षेत्रों में इस प्रकार की जमीन पाई जाती है।

(7) जंगल प्रकार की जमीन (Forest Soil) : इस प्रकार की जमीन हिमालय के शंकुद्रुम वनों में 3000 मीटर से 3100 मीटर की ऊँचाई के बीच तथा सह्याद्री, पूर्वघाट एवं मध्य हिमालय के तराईवाले क्षेत्रों में है। वृक्षों के गिरे हुए पत्तों से भूसतह ढंकी रहती है। ये पत्ते सड़ने से सेन्द्रीय पदार्थों का प्रमाण बढ़ने से जमीन का ऊपरी स्तर काला बना हुआ होता है, जो जमीन के निचले स्तर की ओर जाने पर नीले या लाल रंग में बदलता है। इस जमीन में चाय, कॉफी, गरम मसालों के उपरान्त गेहूं, मक्का, जौ, धान इत्यादि फसलें ली जाती हैं। यह जमीन अत्यधिक मर्यादित क्षेत्रों में है।

(8) दलदलीय या पीट प्रकार की जमीन (Marshy or Peaty Soil) : इस प्रकार की जमीन नमीवाले क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के संचय से विकसित होती है। वर्षाऋतु में यह जमीन पानी में डूबी रहती है, और पानी उतरने पर इसमें धान की कृषि की जाती है। इस जमीन में जैविक पदार्थों एवं क्षारों की बहुलता तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की कमी होती है। ऐसी जमीन उडीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के किनारे वाले भागों, उत्तर बिहार का मध्यभाग एवं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पाई जाती है। इस जमीन का क्षेत्र मर्यादित है।

ज़मीन का कटाव

जमीन का कटाव अर्थात् जमीन के कणों का गतिशील हवा या पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना। अन्य रूप में कहें तो ऊपरी जमीन के कणों का तेजी से प्राकृतिक कारकों द्वारा अन्यत्र स्थानांतरित हो जाना। यह ऊपरी स्तर बनने में वर्षों लगे हैं, इसके कण भारी वर्षा या तूफानी पवन से कुछ दिन में धुल जाएं तो कृषि उत्पादन घटता है। इस स्तर की सुरक्षा कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे जमीन का कटाव रोकना चाहिए।

8.4 ज़मीन का कटाव

जमीन का कटाव रोकने के उपाय

- जमीन पर चराई की प्रवृतियों को नियंत्रण में लेना।
- ढलानवाली जमीनों में समोच्चरेखीय सीढ़ीनुमा प्रतिरूप में बुआई करना।
- ऊसर जमीन में वृक्ष लगाना।
- पानी के बहाव के चिह्न हों, वहां मेड़बंदी करना।
- पानी का वेग कम करने के लिए ढलानवाले खेतों में गहरी जुताई करनी।

8.5 मेड़बंदी (आडबंध)

भूमि संरक्षण

भूमि संरक्षण अर्थात् जमीन का कटाव रोक कर जमीन की गुणवत्ता बनाए रखना। जमीन संरक्षण का सीधा संबंध मिट्टी के कणों को अपने मूल स्थान पर बनाए रखने से है। विश्व में विविध स्थानों पर उस स्थान एवं समस्या के अनुरूप उपाय किए जाते हैं। यदि भूमि का संरक्षण न हो तो उससे बाढ़ की संभावना बढ़ने से जान-माल की सुरक्षा के सामने खतरा उत्पन्न होता है। इस तरह भूमि संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

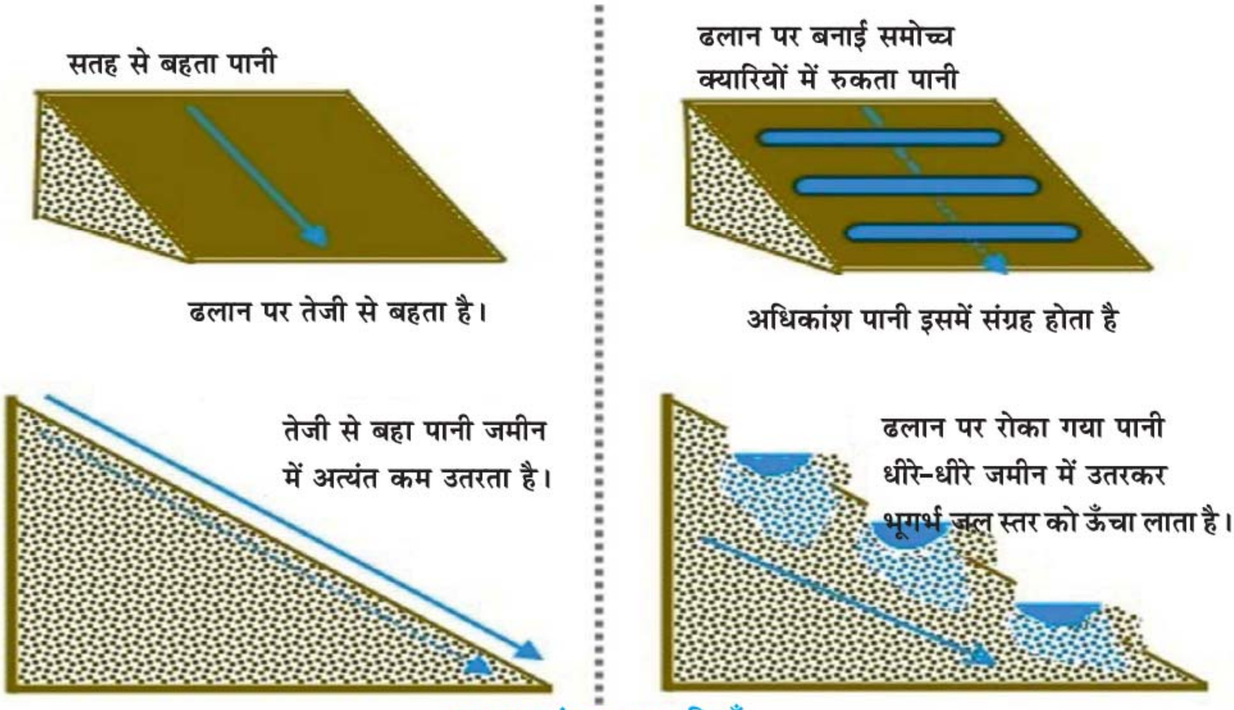

8.6 भू-संरक्षण पद्धतियाँ

भूमि संरक्षण के उपाय

- वनों के आच्छादन के कारण उसकी जड़ें जमीन के कणों को जकड़े रहती है।
- नदियों की नालिकाओं (कोतर) एवं पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करना।
- रेगिस्तान के आस-पास के क्षेत्रों में बहनेवाले पवन को रोकने के लिए वृक्षों की पंक्तियाँ लगानी चाहिए। वह रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकेगा।
- नदियों की बाढ़ को अन्य नदियों में मोड़ कर या सूखी नदियों को भरकर अंकुश में लेना चाहिए।
- अनियंत्रित चराई से पहाड़ों की जमीन का स्तर ढीला बनता है, उसे रोकना चाहिए।

8.7 सीढ़ीनुमा खेत

8.8 क्षितिज समांतर जुताई

- क्षितिज समांतर जुताई, सीढ़ीनुमा खेत जैसी पद्धतियों को अपनाना चाहिए।
- बिन-उपजाऊ हुई जमीन में पुनः सेन्द्रीय पदार्थों को मिलाना चाहिए।

उपर्युक्त उपाय करने से जमीन का संरक्षण किया जा सकता है। जमीन का संरक्षण आज की नितांत आवश्यकता है। इसके संरक्षण के लिए सरकार, समाज और लोगों को संयुक्त प्रयास करने पड़ेंगे।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए :

(1) संसाधन अर्थात् क्या? उसके उपयोगों का वर्णन कीजिए।

(2) भूमि संरक्षण अर्थात् क्या? भूमि संरक्षण के उपाय बताइए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के सूचना अनुसार उत्तर लिखिए :

(1) जमीन निर्माण की प्रक्रिया बताकर उसके प्रकार किस आधार पर किए जाते हैं, बताइए।

(2) कांप की जमीन पर टिप्पणी लिखिए।

(3) काली जमीन पर टिप्पणी लिखिए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए :

(1) जमीन का कटाव रोकने के उपाय बताइए।

(2) पर्वतीय जमीन किसे कहते हैं?

(3) रेगिस्तान प्रकार की जमीन के बारे में संक्षेप में बताइए।

4. योग्य विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) विश्व में एक या दो स्थान पर ही मिलनेवाला संसाधन ......

(A) सर्व सुलभ संसाधन (B) सामान्य सुलभ संसाधन

(C) विरल संसाधन (D) एकल संसाधन

(2) जमीन का निर्माण मूल चट्टानों के ...... मिलनेवाले पदार्थों से होता है।

(A) कटाव और घिसाव से (B) स्थनांतर एवं स्थगिततावाले

(C) अनुक्रम और विक्रम से (D) ऊर्ध्व और शीर्ष से

(3) पडखाऊ जमीन अन्य किस नाम से जानी जाती है ?

(A) कांप की जमीन (B) लेटेराइट जमीन (C) काली जमीन (D) लाल जमीन

(4) वर्तमान समय में भारतीय कृषि संशोधन परिषद द्वारा भारत की जमीनों को मुख्य ...... प्रकारों में बाँटा गया है।

(A) सात (B) सोलह (C) पांच (D) आठ

प्रवृत्ति

- अपने गांव या नगर के आस-पास आई हुई जमीनों के कटाव की समस्यावाले क्षेत्रों की मुलाकात (field trip) शिक्षक के मार्गदर्शन में आयोजित कीजिए।
- विद्यार्थी मित्रो, प्रवास के दरम्यान अलग-अलग क्षेत्रों की जमीन का निरीक्षण कीजिए।
- अपने गांव या नगर के आसपास की जमीन का प्रकार बड़े-बुजूर्गों से जानिए।
- शिक्षक या बड़े-बुजुर्गों के मार्गदर्शन में निम्नलिखित वेबसाइटों पर से नए तथ्य जानकर विद्यालय की प्रार्थनासभा या वर्ग में वह प्रस्तुत कीजिए।

(i) www.omaf.gov.on.ca (ii) wwwf.panda.org

•

9 वन एवं वन्यजीव संसाधन

मनुष्य का अस्तित्व, प्रगति एवं विकास संसाधनों को आभारी हैं। आदिकाल से प्रकृति से विभिन्न चीजें प्राप्त कर हम, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते आए हैं। इनमें जंगल अत्यंत महत्त्वपूर्ण संसाधन माने जाते हैं। जंगलों का सामान्य अर्थ वृक्ष, झाड़ियाँ या घास का समुच्चय। प्राकृतिक वनस्पतियों में उन्हीं वनस्पतियों का समावेश हो सकता है जिसका विकास मनुष्य की सहायता बिना प्राकृतिक स्वरूप में हो इसे अक्षत (Virgin) वनस्पति कहते हैं। भारत में इस प्रकार की वनस्पति अब सिर्फ हिमालय, सुन्दरवन एवं भारत के रेगीस्तान के दुर्गम क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं।

जंगलों का वर्गीकरण

यह वर्गीकरण भिन्न-भिन्न दृष्टि से किया जाता है। जलवायु के आधार पर जंगलों के प्रकार हम कक्षा-9 में सीख गए हैं। यहाँ हम, प्रशासन एवं मालिकाना तथा व्यवस्थापन की दृष्टि से होनेवाले जंगलों के तीन प्रकार जानेंगे :

प्रशासन के आधार पर जंगलों के प्रकार

(1) आरक्षित जंगल (Reserved Forest) : इस प्रकार के जंगल सीधे प्रशाशन के नियंत्रण में होते हैं। इस में लकड़ियाँ काटने या चुनने तथा पशुओं की चराई करने के लिए प्रवेश करने पर प्रतिबंध होता है।

(2) संरक्षित जंगल (Proteced Forest) : इस प्रकार के जंगलों की देखभाल शासन तंत्र द्वारा किया जाता है। यहाँ वृक्षों को हानि पहुँचाए बिना लकड़ियाँ चुनने एवं पशुओं को चराने के लिए स्थानीय लोगों को छूट होती है।

(3) अवर्गीकृत जंगल (Unclassified Forest) : इस प्रकार के जंगलों का वर्गीकरण अब तक नहीं किया गया है। यहाँ वृक्षों को काटने तथा पशुओं को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है।

मालिकाना, प्रशासन तथा व्यवस्थापन की दृष्टि से जंगलों के प्रकार :

भारत के जंगलों को मालिकाना, प्रशासन एवं व्यवस्थापन की दृष्टि से निम्नलिखित तीन भागों में बाँटा जाता है :

(1) राज्य के मालिकाना जंगल (State Forest) : इस प्रकार के जंगलों पर राज्य या केन्द्र सरकार का नियंत्रण होता है। देश में अधिकांशतः जंगलक्षेत्र इस प्रकार में रखे गए हैं।

(2) सामुदायिक वन (Communal Forest) : इस प्रकार के जंगलों पर स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका या जिला पंचायत) का नियंत्रण होता है।

(3) निजी जंगल (Private Forest) : इस प्रकार का जंगल व्यक्तिगत मालिकाना वाला होता है। ओडिशा, मेघालय, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में ये विशेषतः पाए जाते हैं। इस प्रकार के जंगल अधिकांशतः क्षत-विक्षत अवस्था में, तो कुछ जंगल उज्जड़ अवस्था में आ गए हैं।

निर्वनीकरण (जंगल विनाश)

निर्वनीकरण अर्थात् जंगलों का नष्ट होना, अत्यंत निम्न दर से होनेवाला निर्वनीकरण। हमारे देश के साथ संपूर्ण विश्व की मुख्य समस्याओं में से एक है। मनुष्य की विकास यात्रा का यह परिणाम गिना जा सकता है। प्राकृतिक रूप में भी वृक्ष नष्ट होते हैं, परन्तु वे मनुष्य की दखलंदाजी से होनेवाले विनाश की तुलना में नगण्य हैं।

निर्वनीकरण के प्रभाव

निर्वनीकरण के प्रभाव व्यापक स्तर पर अनुभव किए जाते हैं। वातावरण में कार्बन डायऑक्साइड की यात्रा बढ़ती है। हरित गृह प्रभाव (Green house effect) के प्रभाव और जटिल बनते हैं। वृक्षों का आच्छादन दूर होने से मिट्टी का कटाव होने से कृषि उत्पादन की समस्या बढ़ती है। द्वीपकल्पीय भारत के जंगलों में बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण के कारण जंगल क्षेत्र घटा है। इसके साथ अनेकों सजीवों ने अपना प्राकृतिक निवासस्थान खो दिया है, इसके परिणाम

स्वरूप वन्यजीव भोजन एवं पानी की खोज़ में मानव बस्तियों की तरफ आ जाते हैं। मांसाहारी वन्यजीवों द्वारा जंगल के नजदीकी क्षेत्रों में बसनेवाले पशुपालकों के पशुओं का शिकार करने की घटनाएँ बढ़ रही हैं।

वन संरक्षण के उपाय

- लकड़ी के स्थान पर उपयोग में ली जा सके ऐसी सामग्री के लिए संशोधन करना। उससे लकड़ी का उपयोग घटने से जंगल बचेंगे। कहीं आवश्यकता अनुसार विकास के लिए निर्माणकार्य करने पर जो वृक्ष काटने पडें, उनके स्थान पर उसी प्रजाति के नये वृक्ष लगाना। अपरिपक्व वृक्षों के काटने पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाना।
- जो उद्योग जंगलों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, उनसे भविष्य की आवश्यकता के संदर्भ में वनीकरण करवाना।
- इको-टुरिजम के विकास के नाम पर जंगलों की स्थिति भयावह न बने, इसके लिए चुस्त नियमन करना।
- स्थानीय लोगों में इससे संबंधी व्यापक जनजागृति कार्यक्रम आयोजित करना।
- स्कूल-कॉलेज स्तर पर सिखाए जानेवाले पाठ्यक्रमों में इस बाबत जानकारी शामिल करना एवं वन संरक्षण की आवश्यकता समझाना।
- घासचारा एवं ईंधन की आवश्यकता के लिए सामाजिक वनीकरण (Social Forestry) एवं कृषि वनीकरण (Agro Forestry) को योजनापूर्वक प्रोत्साहक कदम उठाकर सघन रूप से बढ़ाना।
- ईंधन की आवश्यकता में लकड़ी के उपयोग के स्थान पर सौर उर्जा, प्राकृतिक गैस आदि विकल्पों को अपनाना चाहिए।
- नवसंसाधनों का मितव्ययी उपयोग करना। कीटकों से क्षतिग्रस्त वृक्षों को दूर करने से अन्य स्वस्थ वृक्षों के विकास की प्रक्रिया तीव्र बनती है। दावाग्नि से जंगलों को भारी नुकसान होता है। इसके शमन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग व्यवस्था तंत्र या दल तैयार करना।
- जंगल क्षेत्रों में आए हुए धार्मिक आस्था केन्द्रों पर लगनेवाले मेले-भडांरे या परिक्रमा के समय परिवहन की सुविधा बढ़ने एवं प्रवास सुगम होने से हजारों यात्री पहुँचते हैं। उस समय होनेवाले कचरे का योग्य निकाल न होने से जंगल दूषित होता है।
- पशुओं को चराने के लिए अलग विस्तार रखने चाहिए।

वैविध्यपूर्ण वन्यजीव

भारत में जलवायु एवं भूपृष्ठ के सन्दर्भ में काफी विविधता पाई जाती है। इस भौगोलिक वैविध्य के कारण जीवजन्तु, पशु-पक्षी एवं वनस्पतियों में विविधता पाई जाती है। विश्व में पशु-पक्षियों की लगभग 15 लाख प्रजातियां हैं। इनमें से 81251 जितनी प्रजातियाँ भारत में देखी जा सकती हैं। जैव-वैविध्य की दृष्टि से भारत का विश्व में बारहवाँ स्थान है। भारत में एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका के तीनों प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। अफ्रीका के झरख चिंकारा, यूरोपियन लकड़बग्घा, जंगली बकरियाँ एवं कश्मीरी मृग, दक्षिणपूर्व एशिया के हाथी, गीबन (बन्दर की एक प्रजाति) आदि मिलते हैं। भारतीय जैव-वैविध्य में काले भालू, एक सिंगी भारतीय गैंडा, हिरन, विविध प्रकार के साँप, मुख्य पक्षियों में मोर, घोराड, बाज, कलकलिया, सुरखाब और सारस पाए जाते हैं। हिमालय की ऊँचाइयों पर पाया जाता हिम तेंदुआ, वहीं ठंडे वनों में मिलते लालपांडा (भालू) विशिष्ट प्राणी हैं। वर्तमान समय में भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ बाघ एवं सिंह अपने प्राकृतिक निवास में विचरण करते हैं। ठंडी की ऋतु में राजस्थान में केवलादेव के राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर एवं गुजरात के नलसरोवर जैसे जलप्लावित क्षेत्रों में असंख्य यायावर पक्षी दूर-दूर से ठंडी बिताने आते हैं।

ओडिशा के समुद्री किनारे रेततट पर समुद्री कछुए अंडे देने आते हैं। भारतीय अजगर और विविध प्रकार के साँप तथा दक्षिण के घने वर्षा वनों में राजनाग पाए जाते हैं।

लुप्त होते वन्यजीव

आज विश्व के असंख्य वन्यजीव विनाश की सीमा पर खड़े हैं। विगत सदी के प्रारंभ में बाघ सम्पूर्ण भारत में पाए जाते थे। उस समय गुजरात में इडर, अम्बाजी, पंचमहाल और डांग के जंगलों में बाघ मिलते थे। आज गुजरात के जंगलों में बाघ संपूर्ण नष्ट हो गए हैं। भारतीय जंगलों से चीता नष्ट हो गया है। पहले भारतीय जंगलों में सहज

रूप से मिलते अनेकों पक्षियों की जातियाँ सौभाग्यवश ही दिखती हैं। इनमें गीध, गुलाबी गरदनवाली बतक, सारस, उल्लू आदि भविष्य में लुप्त होने की तैयारी में हैं। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में एक समय व्यापक प्रमाण में दिखनेवाले बड़े चिलोत्रा, आज सरलता से नहीं मिलते है। नदियों के मीठे पानी में पाए जानेवाले घड़ियाल (मगर की प्रजाति) और गांगेय डॉल्फिन के अस्तित्व पर आज बड़ा संकट है। ओडिशा, गुजरात आदि राज्यों के समुद्र किनारे अंडा देने आते समुद्री कछुओं की संख्या में लगातार कमी आयी है। एक समय गुजरात की नर्मदा, तापी, मही एवं साबरमती सहित नदियों में मिलनेवाली जल बिल्ली, इस क्षेत्र में लुप्त होने की कगार पर है, इस स्थिति के बारे में गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है।

वन्यजीवों के विनाश के कारण

- जंगलों के क्षेत्रों में घासभूमि एवं जलप्लावित क्षेत्रों में होनेवाली मनुष्य की दखलंदाजी से वन्यजीवों की प्राकृतिक विरासत को जोखिम खड़ा होता है।

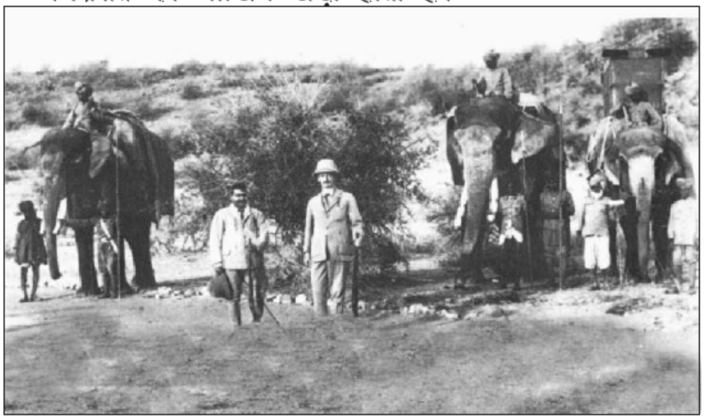

9.1 शौक के लिए होनेवाले शिकार

- जंगलों का विनाश प्राकृतिक असंतुलन के लिए सबसे बड़ा कारण है। इसका अंतिम प्रभाव वन्यजीवों की संख्या घटाता है।
- बाल, खालें, हड्डियाँ, सींग या नाखून प्राप्त करने के लिए होनेवाला शिकार कारणभूत है।
- मनुष्य के लोभ-लालच से होनेवाला जंगलों का अति दोहन, सड़कों, बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण, खनिज खनन, नई बस्तियों या शहरों का विस्तरण वन्यजीवों को निर्वासित करता है।
- घासचारा, ईंधन या पशु चराई के लिए जंगलों पर दबाव बढ़ रहा है। जंगलों की आग अनेक प्रजातियों को खा जाती है। यह आग यदि बच्चों के पालन या अंडों को सेने के समय लगे तो वन्यप्राणियों की संख्या पर बड़े पैमाने पर नकारात्मक प्रभाव होते हैं।
- स्वयं के प्राकृतिक निवास नष्ट होने से, बेघर बने वन्यक्षेत्र से बाहर आनेवाले प्राणी मनुष्यों के साथ की लड़ाई में कई बार जीवन खो देते हैं।
- प्राणीज औषधियों या सुगन्धित द्रव्यों की प्राप्ति के लिए किए जानेवाले शिकार ने उन प्रजातियों को विलुप्ति के किनारे पर ला दिया है।

जानने योग्य

लाल पांडा : भारत में पूर्व हिमालय के ठंडे वनों में मिलता है। इसका भोजन बांस की कोपलें, अंडे, छोटे पक्षी, जंतु इत्यादि हैं। यह दिन में कम सक्रिय रहता है। भारत के अलावा चीन, नेपाल, भूटान, म्यानमार में इसकी संख्या है।

वन्यजीव संरक्षण के उपाय

- जंगलों के बारे में हमें अपनी मानसिकता एवं दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। हम इसे आय का न मिटनेवाला स्रोत मानें, यह मूर्खता है। इनका संरक्षण होना चाहिए तभी वन्यजीवों के प्राकृतिक आश्रयस्थान बचेंगे।
- जंगलों में तृणाहारी एवं मांसाहारी प्राणियों की संख्या का सन्तुलन बनाए रखना चाहिए, इसके लिए जंगलों में जलस्रोतों की देखभाल एवं पालतू पशुओं की चराई पर प्रतिबंध जैसे कदम उठने चाहिए।

- शिकार रोकने के कड़े कानून एवं उनका सख्ती से अमलीकरण कराना चाहिए। जंगलों में होनेवाले ग़ैरकानूनी खननकार्य प्रतिबंध तोड़ने पर कड़ी सजा एवं दंड की व्यवस्था करनी चाहिए।
- वन्यजीवों के प्रजननकाल में उन्हें विक्षेप न हो, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए।
- जंगल क्षेत्रों में होनेवाली मत्स्य प्रवृत्ति, वनील पैदाइश एकत्रीकरण या पर्यटन से वन्यजीवों पर पड़नेवाले प्रभावों का अध्ययन कर इसके अनुसार कदम उठाने चाहिए।
- समाज में बड़े पैमाने पर जनजागृति के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।
- जवाबदार नागरिक समूहों को वन्यजीव संरक्षण कार्य के लिए, यदि तंत्र शिथिल हो तो उस पर दबाव बनाकर इस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए।

जानने योग्य

जलचर गांगेय डॉल्फिन (नदियों के डॉल्फिन)

Ganges River Dolphin (Platanista Gangetica) : भारत की गंगा, ब्रह्मपुत्र नदीयों में पाई जानेवाली गांगेय डॉल्फिन मीठे पानी की प्रजाति है। यह सामान्यतया गहरे एवं शांत बहाववाले नदी प्रवाह के क्षेत्रों में निवास करती है। विश्व में अत्यंत जनसंख्यावाले प्रदेशों में से बहनेवाली गंगा नदी में पाई जाती है। नदी में छोड़ा गया गंदा पानी, निर्वनीकरण से होनेवाले कांप के कारण मत्स्यउद्योग, नदी नौकायन, औद्योगिक कचरा आदि के कारण इसके अस्तित्व के सामने खतरा उत्पन्न हुआ है। भारत में गंगा-ब्रह्मपुत्र के अलावा चंबल नदी में इसकी अल्प संख्या बची है। यह बारबार जलसतह पर आकर श्वास लेने के लिए सू-सू आवाज़ करती है। इस कारण स्थानीय लोग इसे सोंस, सूसू या सूइस के नाम से पहचानते हैं। हमारे पडोसी देश बांग्लादेश एवं नेपाल की नदियों में भी यह निवास करती है। वर्तमान में गंगा में डॉल्फिन के अस्तित्व के सामने खतरा उत्पन्न हुआ है।

वन्यजीव संरक्षण योजना

भारत में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कुछ विशिष्ट योजनाओं का अमलीकरण किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत संकटापन्न प्रजातियों एवं निकट के भविष्य में लुप्त होने की कगार पर हों, ऐसी प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशिष्ट योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाओं का संक्षिप्त में परिचय प्राप्त करें :

1. बाघ परियोजना : एक अंदाज के अनुसार 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय जंगलों में लगभग 40 हजार से ज्यादा बाघ पाए जाने का उल्लेख है। अनियंत्रित ग़ैरकानूनी रूप से होनेवाले शिकार एवं निर्वनीकरण के परिणाम स्वरूप बाघ के अस्तित्व के सामने बड़ा संकट उत्पन्न हुआ था। ऐसी स्थिति में 1971 में बाघ को बचाने के उद्देश्य के साथ यह परियोजना शुरू की गई। इसके अनुसार बाघ के प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने एवं उसके पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शृंखलाबद्ध कदम उठाए गए। अभी देश में कुल 44 क्षेत्र इस योजना में कार्यरत हैं।

जानने योग्य

तेंदुआ :

- तेंदुआ यह बिल्ली कुल का है, सिंह और बाघ की तुलना में कद छोटा होता है।
- इसकी बस्ती सम्पूर्ण भारत में पाई जाती है। ये सम्पूर्ण काले रंग के भी पाए जाते हैं।
- गुजरात के जंगलों में इनकी बड़ी तादाद हैं।
- यह अक्सर मानवबस्तियों में आ जाते हैं। लोग जानकारी के अभाव में अधिकांशतः इसे चीता के नाम से पहचानते हैं।

2. हाथी परियोजना : 1992 में इस प्रोजेक्ट का आरंभ किया गया। इसका मुख्य हेतु हाथियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण देने का तथा अनेक प्राकृतिक निवासस्थान उनके स्थानांतर के मार्ग (Corridor) का रक्षण करने का है। वर्तमान समय में देश में 26 जितने हाथियों के लिए संरक्षित विस्तार हैं। इस योजना के अमलीकरण के बाद जंगलों में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके उपरान्त यह योजना पालतू हाथियों के पालन-पोषण के लिए भी कार्य करती है।

जानने योग्य

चीता :

- भारत के जंगलों में सम्पूर्ण नामशेष हुए हैं।
- वर्तमान समय में ये प्राकृतिक निवास में सिर्फ अफ्रीकाखंड में ही दिखाई देते हैं।
- भारत में ये बंधनावस्था (प्राणी संग्रहालय) में दिखते हैं।

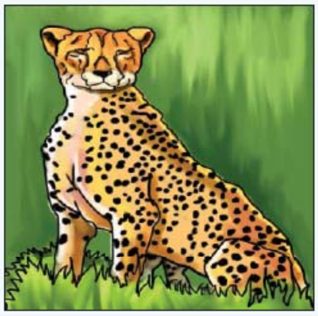

3. गेंडा परियोजना : यह परियोजना एक सिंगी भारतीय गेंडे के संरक्षण के लिए बनाई गई है। भारत में अधिकांश गेंडे असम राज्य में पाए जाते हैं। तदुपरान्त पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन में भी इनकी मर्यादित संख्या मिली है। भारत 'राइनो विजन' ('Rhino Vision) 2020 की व्यूह रचना के अनुसार भारत में गेंडों की संख्या 3000 तक पहुँचाने का लक्ष्यांक रखा गया है।

जानने योग्य

एकसिंगी भारतीय गेंडा

- असम में ब्रह्मपुत्र के दलदलीय क्षेत्रों, बंगाल में सुन्दरवन के क्षेत्रों में यह पाया जाता है। इसके सिंगों में से दवा बनाने के लिए इसका शिकार होता है। यह तृणाहारी जीव है। संरक्षण के प्रयासों से इसकी संख्या बढ़ी है।

4. घड़ियाल परियोजना

9.2 घड़ियाल-मगर की प्रजाति

मीठे पानी में पाई जाती मगरों की यह प्रजाति 1970 के दशक में लुप्त होने की कगार पर थी, तब भारत सरकार द्वारा समय रहते उठाए गए कदम स्वरूप यह परियोजना चालू की।

5. गीध परियोजना : गीध प्रकृति का सफाई कर्मचारी है, यह मृत पशुओं का मांस खाता है। भारत में गीध की कुल 9 प्रजातियाँ दिखाई देती हैं। गीधों की संख्या में हुए असाधारण कमी के कारण 2004 में यह योजना शुरू की गई।

6. हिम तेंदुआ परियोजना : हिमालय में लगभग 3000 मीटर की ऊँचाई पर दिखनेवाली यह प्रजाति बर्फ़ में रहती है। स्थानीय लोगों में हिम तेंदुए के बारे में जानकारी बढ़े और इसके संरक्षण के लिए लोग जागृत हों इस उद्देश्य से 2000 में यह परियोजना प्रारंभ की गई। इसके उपरांत कश्मीरी हंगुल परियोजना, लाल पांडा परियोजना, मणिपुर में पाई जानेवाली एक विशिष्ट हिरण प्रजाति के लिए मणिपुर थामिल परियोजना, गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन परियोजना भी कार्यरत है।

अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव-आरक्षित क्षेत्र

वन्यजीवों के संरक्षण के उद्देश्य से अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्याय समान लगते हैं, पर इनमें अन्तर है। हम उनका परिचय प्राप्त करें।

1. अभयारण्य

- निश्चित मात्रा में मानव-प्रवृत्तियों को अनुमति दी जाती है।
- सत्ताधिकारी से अनुमति प्राप्त कर पालतू पशुओं को चराने की छूट प्राप्त की जा सकती है।
- वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किसी एक विशेष प्रजाति के लिए की जाती है। अभयारण्य की स्थापना राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है।
- पेरियार, चन्द्रप्रभा, एतुरनागरम् अभयारण्य प्रख्यात हैं।

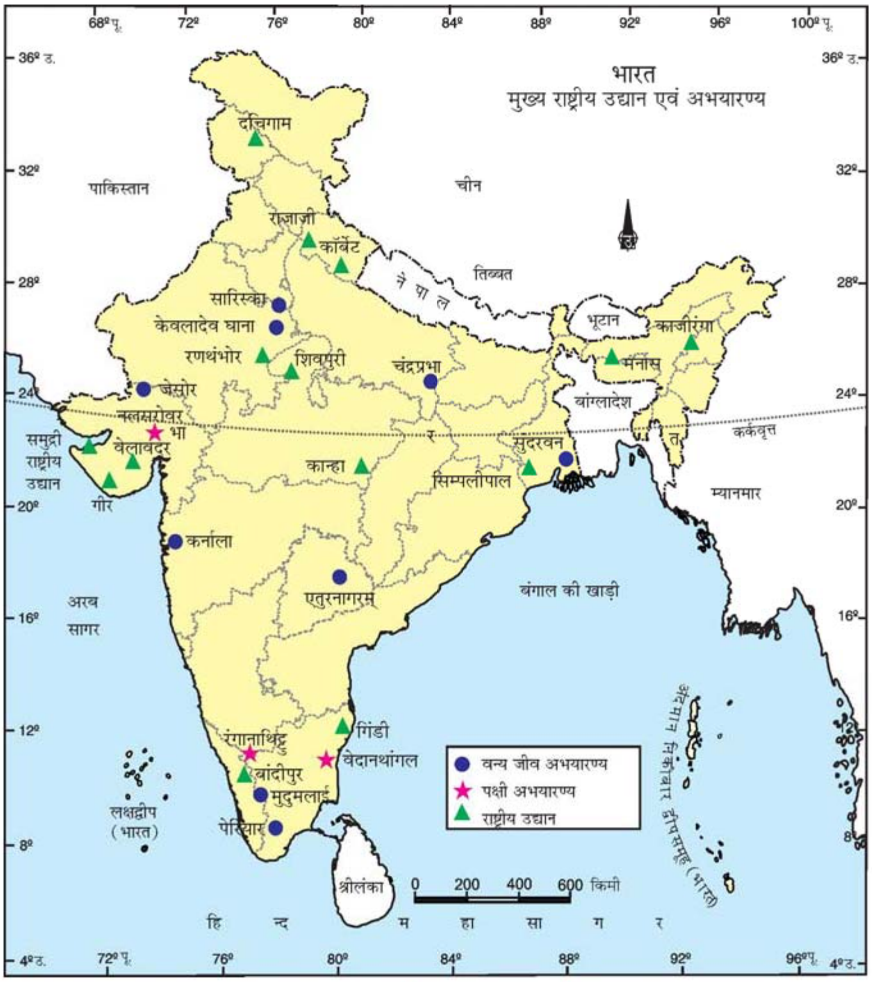

9.3 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य

2. राष्ट्रीय उद्यान :

- अभयारण्य की तुलना में अधिक संरक्षित क्षेत्र है।
- इसमें एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का समावेश होता है।
- पालतू पशुओं को चराने पर सम्पूर्ण प्रतिबंध होता है।
- अभयारण्य की तरह किसी एक विशेष प्रजाति पर केन्द्रित नहीं होता है।
- इसकी स्थापना राज्य एवं केन्द्र सरकार के संकलन से की जाती है।
- काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावदर, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गीर, दचिगाम आदि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं।

3. जैव आरक्षित क्षेत्र

- इसकी रचना अंतरराष्ट्रीय मापदण्डों के अनुसार की जाती है।
- उस क्षेत्र की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना उद्देश्य होता है।
- उस क्षेत्र की सभी वनस्पति, जीवजन्तु एवं जमीन के उपरांत वहाँ रहेनेवाले मानव समुदाय की जीवनशैली का भी संरक्षण किया जाता है।
- वहाँ जैव-वैविध्य के संदर्भ में संशोधन-प्रशिक्षण केन्द्रों की विशिष्ट सुविधा खड़ी की जाती है।
- इस तरह घोषित क्षेत्रों में तमाम प्रकार की बाहरी मानवीय गतिविधियों पर सम्पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है।
- इस क्षेत्र का औसत क्षेत्रफल 5000 वर्ग किमी से अधिक बड़ा होता है।
- नीलगीरी, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सुन्दरवन, पचमढ़ी आदि देश के महत्त्वपूर्ण जैव-आरक्षित क्षेत्र माने जाते हैं।
- गुजरात में कच्छ के रेगीस्तान की विशिष्ट पारिस्थितिकी के संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 2008 में इसे जैव-आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है।

जानने योग्य

	जैव आरक्षित क्षेत्र	राष्ट्रीय उद्यान	अभयारण्य
भारत	18	103	531
गुजरात में	1	04	23

विकास की प्रक्रिया अनिवार्य है। परन्तु साथ-साथ हम समग्र जीवसृष्टि पर होनेवाले दुष्प्रभावों के प्रभाव का भी आयोजन के दरमियान ख्याल रखें यह जरूरी है। कोई एक प्रजाति जब सम्पूर्ण नष्ट हो जाती है या संकटग्रस्त होती है तब भोजन शृंखला में होनेवाली रुकावट के परिणाम अधिकांशत: दूरवर्ती होते हैं। समग्र भोजन शृंखला में प्रत्येक जीव-जन्तुओं की एक निश्चित भूमिका है यदि कोई जीव नष्ट हो तो समग्र ढांचे पर भारी विक्षेप पड़ता है। भोजन शृंखला में से एक भी सजीव दूर होने पर लम्बे समय में इसके परिणाम स्वरूप समग्र नैसर्गिक तंत्र टूट जाता है।

मनुष्य तक ये प्रभाव देर से पहुँचते हैं, इससे आज हम अधिक सजग नहीं है। जिन पर्यावरणीय संकटों का हम सामना कर रहे हैं। वे दशकों पूर्व दिखाए गए लापरवाही का परिणाम हैं। आनेवाले कल को अधिक उज्जवल बनाने के लिए आयोजनपूर्वक विकास करें तो कोई समस्या नहीं आएगी। पर्यावरण के साथ का मैत्रीपूर्ण व्यवहार आज की नितान्त आवश्यकता है।

जानने योग्य

हेणोतरा : यह प्राणी शुष्क तथा अर्धशुष्क विस्तारों में आए हुए लवण (खाराश) युक्त जंगलों तथा घासभूमि, रेगिस्तान या अर्ध रेगिस्तानी प्रदेश में रहता है। गुजरात के कच्छ जिले के छोटे एवं बड़े रेगिस्तान में, बन्नी तथा नारायण सरोवर अभयारण्य में इसकी बस्ती है। सियार से थोड़ा ऊँचा, भरावदार गोल मुँह, ऊँचे कान से यह पहचाना जा सकता है। छोटे कद के पक्षियों एवं प्राणियों का यह शिकार करता है। इसके पदचिह्नों पर से इसकी उपस्थिति जानी जा सकती है।

जानने योग्य

डुंगांग : यह एक विशिष्ट जलचर है जो भारत के पश्चिमी समुद्र किनारे पर वर्तमान में कम संख्या में देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों के सिवाय इसकी बस्ती अफ्रीका के पूर्व किनारे, दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्र किनारे और आस्ट्रेलिया के उत्तर किनारे पाई जाती है। इसके मुख्य भोजन समुद्री घास एवं वनस्पति है। परन्तु कभी-कभी यह जलचरों का भोजन करता है। इसके मांस एवं चर्बी से तेल प्राप्त करने के लिए इसका शिकार किया जाता है। एक समय डुंगांग गुजरात के खास कर सौराष्ट्र किनारे मिलते थे। आज गुजरात के किनारे ये कदाचित् ही दिखते हैं।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए :

(1) जंगल के विनाश के कारणों के बारे में सविस्तर टिप्पणी लिखिए।

(2) वन संरक्षण के उपाय बताइए।

(3) वन्यजीवों के संरक्षण की विविध योजना का वर्णन करो।

2. निम्नखिखित प्रश्नों के मुद्दासर उत्तर लिखिए :

(1) जैव आरक्षित क्षेत्र अर्थात् क्या ?

(2) गुजरात में पहले किस स्थान पर बाघ देखने को मिलते थे ?

(3) निर्वनीकरण के असर बताइए।

(4) लुप्त हो रहे वन्यजीवों पर टिप्पणी लिखिए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए :

(1) अभयारण्य अर्थात् क्या ?

(2) राष्ट्रीय उद्यान अर्थात् क्या ?

(3) नल सरोवर कौन-से राज्य में आया है ?

4. नीचे दिए विकल्पों में से योग्य विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) गुजरात के जंगलों में से लुप्त हुआ वन्यजीव कौन-सा है ?

(A) घुड़खर (B) भालू (C) बाघ (D) तेदुँआ

(2) स्थानीय स्वराज की संस्थाएँ (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिलापंचायत) के नियंत्रण में हो वह जंगल...

(A) ग्राम्य वन (B) अभयारण्य जंगल (C) सामुदायिक जंगल (D) झूम जंगल

(3) विश्व में पशु-पक्षियों की लगभग कुल कितनी प्रजातियाँ हैं ?

(A) बारह लाख (B) इक्कीस लाख (C) सात लाख (D) पन्द्रह लाख

प्रवृत्ति

- विद्यालय में पर्यावरण दिन का उत्सव मनाइए।
- वन्यजीवों का विषय केन्द्र में रखकर प्रश्नमंच की स्पर्धा का आयोजन कीजिए।
- विद्यालय के बुलेटिन बोर्ड पर समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में से वन्यजीवों से संलग्न जानकारी के कटिंग लाकर लगाइए।
- विद्यालय में किसी पर्यावरण-शास्त्री को बुलाकर 'वन्यजीव वैविध्य' विषय पर वक्तव्य का आयोजन कीजिए।
- विद्यालय के पर्यटन के दौरान अनुकूलता हो तो प्राणी-संग्रहालय की मुलाकात का आयोजन कीजिए।
- शिक्षक या बड़े-बुजुर्गों के मार्गदर्शन में निम्नलिखित वेबसाइट पर से तथ्यों को जानकर विद्यालय की प्रार्थनासभा या वर्ग में उसे प्रस्तुत कीजिए।

www.gujaratforest.org

www.geerfoundation.gujarat.gov.in

www.kidsrgreen.org

www.eoearth.org

http://www.wwfindia.org

•

10 भारत : कृषि

प्राचीन काल से कृषि भारत के अधिकतर लोगों की आर्थिक प्रवृत्ति रही है। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि रहा है। खेती भारत का एक महत्त्व का संसाधन है। श्रमशक्ति के लगभग 60% लोग कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं। भारत के लोगों को मात्र भोजन की आपूर्ति करने के उपरांत उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार का कच्चामाल भी खेती से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का लगभग 22% जितना भाग है। निर्यात में भी कृषि फसलों एवं कृषि उत्पादनों का लगभग 18% हिस्सा है, जिससे देश को प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। इस तरह भारत एक कृषिप्रधान देश है।

उपजाऊ मैदान, बारहों महीने फसल ली जा सके ऐसी अनुकूल जलवायु, सिंचाई, कुशल एवं मेहनती किसान आदि के कारण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में दो या उससे अधिक फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। इसके बावजूद भारत में कृषि के क्षेत्रों का पूरा विकास नहीं किया जा सका है। भारतीय किसान अधिकांशतः गरीब एवं निरक्षर हैं। सिंचाई की कम सुविधा, अनियमित एवं अनिश्चित वर्षा, अधिक जनसंख्या, बड़े परिवार, छोटे आकार के खेत, प्रयोगशीलता के प्रति उदासीन रुख, रासायनिक खादों, उन्नत बीज, आधुनिक यंत्र एवं वैज्ञानिक कृषि प्रकृति का कम उपयोग, शिक्षित वर्ग का कृषि में न जुड़ना तथा समाज में कृषि का नीचा माना जानेवाला स्थान आदि के कारण वैश्विक उत्पादन के समक्ष भारत में उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम है। हकीकत में कृषि एक महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है।

कृषि के प्रकार

भारत के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत का समग्र अर्थतंत्र कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। सिंचाई पद्धति, कृषि उत्पादन, आर्थिक प्रतिफल जैसी बातों के आधार पर कृषि के प्रकार किए जाते हैं।

(1) जीवन निर्वाह कृषि : स्वतंत्रता के पश्चात् योजना आयोग की अनेकों कृषि विकास योजनाओं के अमल के बावजूद भारत में किसानों की आर्थिक स्थिति आज भी अत्यंत दयनीय है। छोटे आकार के खेतों में महंगे बीज, खाद एवं जन्तुनाशकों का उपयोग करना महंगा होता है। खेतों में होनेवाला अनाज उत्पादन मात्र पारिवारिक उपयोग जितना ही होता है, जो परिवार के भरणपोषण में ही उपयोग हो जाता है। इसे जीवननिर्वाह की कृषि या आत्मनिर्वाह कृषि कहते हैं। इससे, भारतीय कृषि आज भी अधिकांश क्षेत्रों में जीवननिर्वाह की प्रवृत्ति ही मानी जाती है।

(2) सुखी कृषि : वर्षा कम हो तो सिंचाई की अपूर्ण सुविधा एवं मात्र वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में मात्र जमीन में संग्रहित नमी के आधार पर एक ही फसल ली जाती है, इसे सूखी कृषि कहते है। यहाँ ज्वार, बाजरी एवं दलहन जैसे पानी की कमी से होनेवाली फसलों की कृषि होती है। गुजरात के भाल प्रदेश में वर्षा पूरी होने के बाद नमीयुक्त जमीन में इस प्रकार से गेहूँ एवं चने की फसल ली जाती है।

(3) आर्द्र कृषि : जहाँ वर्षा का प्रमाण अधिक होता है एवं सिंचाई की सुविधा भी अधिक होती है, ऐसे क्षेत्रों में आर्द्र (नमीवाली) कृषि की जाती है। वर्षा न हो अथवा कम हो तब सिंचाई द्वारा वर्ष में एक से अधिक फसल ली जा सकती हैं। इसमें धान, गन्ना, कपास, गेहूँ एवं साग-सब्जी की कृषि की जाती है।

(4) स्थलांतरित (झूम) कृषि : इस प्रकार की कृषि में वृक्षों को काट कर उन्हें जलाकर जमीन साफ कर वहाँ कृषि की जाती है। यहाँ दो से तीन वर्ष कृषि की जाती है। जमीन का उपजाऊपन घटने पर यह क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह इसी प्रकार कृषि शुरू की जाती है, इसे झूम कृषि कहते हैं। इस कृषि में धान्य फसलें या साग सब्जी उत्पन्न की जाती है। इस कृषि में उत्पादन अत्यंत कम होता है।

(5) बागायती कृषि : बागायती (बगीचा) कृषि एक विशिष्ट प्रकार से होनेवाली कृषि है। इसमें रबर, चाय, काफी, कोको, नारियल के उपरांत सेब, आम, संतरे, अंगूर, आंवला, नींबू, खजूर आदि फलों की अत्यंत अधिक रखरखाव के साथ कृषि होती है। इस प्रकार की कृषि में अधिक पूंजी निवेश, कुशलता, तकनीकी ज्ञान, यंत्र, खाद, सिंचाई, परिरक्षण, संग्रहण एवं परिवहन की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए।

(6) सघन कृषि : जहाँ सिंचाई की सुविधा बढ़ी है वहाँ रासायनिक खाद, जन्तुनाशक एवं विविध प्रक्रिया में यंत्रों के व्यापक उपयोग से कृषि में यांत्रीकरण आ गया है। इस प्रकार होनेवाली कृषि को सघन कृषि कहते हैं। इस कृषि में नकदी फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। यहाँ प्रति हेक्टर उत्पादन में खूब वृद्धि हुई है एवं इस प्रकार की कृषि के अन्तर्गत उत्पादन विस्तार लगातार बढ़ रहा है। इस कृषि में आर्थिक प्रतिफल को महत्त्व दिया जाता है, इसलिए इसे व्यापारी कृषि भी कहते हैं।

कृषि पद्धतियाँ

भारत में सजीव कृषि, टिकाऊ (पोषणक्षम) कृषि, मिश्र कृषि आदि कृषि पद्धतियाँ प्रचलित हैं।

सजीव कृषि : जिस तरह से जन्तुनाशकों एवं रासायनिक खादों का उपयोय हो रहा है इससे रसायनों के हानिकारक प्रभाव भी धीरे-धीरे दिखने लगे हैं। अनाज, साग-सब्जी तथा फलों में रसायनों एवं जन्तुनाशकों की उपस्थिति के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव हुआ है। पर्यावरण पर भी अधिक नुकसान हुआ है। जमीन की उत्पादकता एवं उत्पादन घटने लगे हैं। जिसके कारण लम्बे समय के बाद इस जमीन में से फसल का उत्पादन एवं गुणवत्ता घट गई है। सजीव कृषि अर्थात् ऐसी कृषि पद्धति जिसमें युरीया या अन्य प्रकार के रासायनिक खादों एवं जन्तुनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। फसल के पोषण के लिए गोबर की खाद, जैव खाद, कम्पोस्ट खाद आदि तथा फसल संरक्षण के लिए गौमूत्र, नीम का घोल, छाछ आदि उपयोग किया जाता है। सजीव (जैविक) कृषि का उत्पादन पोषणयुक्त होता है। इसमें प्राकृतिक खाद, मिठास एवं खुश्बू होती है। इसमें अधिक खनिज, विटामिन एवं जीवन शक्ति देनेवाले तत्त्व होते हैं। जैविक कृषि उत्पादनों की वर्तमान में बड़ी माग है। अर्थात् किसानों को प्रतिफल भी अच्छा मिलता है।

टिकाऊ कृषि : इस कृषि में जमीन का उपजाऊपन लम्बे समय तक बना रहता है। इसके लिए फसल फेरबदल, पोषण के लिए रासायनिक खाद की आवश्यकता जितना ही उपयोग, कीटक एवं खर-पतवार नियंत्रण के लिए जन्तुनाशकों के बदले जैविक नियंत्रण, जल संरक्षण आदि बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है।

मिश्र कृषि : इस कृषि में कृषि के साथ पशुपालन, मुर्गा-बतक पालन, मधुमक्खी एवं मत्स्य पालन जैसी प्रवृतियाँ भी की जाती हैं।

भारत के कृषि उत्पादन क्षेत्र

भारत में ऋतुओं के संदर्भ में कृषि फसलों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है : 1. खरीफ फसल 2. रबी फसल, 3. जायद फसल

खरीफ (वर्षा) फसल	रबी (ठंडी) फसल	जायद (गर्मी) फसल
• वर्षाऋतु में ली जानेवाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। • फसल का समय जून-जुलाई से अक्टूबर-नवम्बर तक होता है। • धान, मक्का, ज्वार, बाजरी, कपास तिल, मूँगफली, मूँग-मसूर आदि खरीफ फसल हैं।	• ठंडी की ऋतु में ली जानेवाली फसल को रबी की फसल कहते हैं। • फसल का समय अक्टूबर नवम्बर से मार्च-अप्रैल तक होता है। • गेहूँ, चना, जौ, सरसों एरंडी, अलसी आदि रबी फसल हैं।	• गर्मी में ली जानेवाली फसल को जायद फसल कहते हैं। • फसल का समय मार्च से जून तक होता है। • धान, मक्का, मूँगफली, तिल बाजरी तथा तरबूज, ककड़ी, खरबूजा आदि जायद फसल हैं।

मुख्य कृषि फसलें : भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु, जमीन वैविध्य एवं वर्षा के प्रमाण में रही भिन्नता के कारण भारत के अलग-अलग भागों में फसलों की बुआई विविध प्रकार से की जाती है।

भारत के मुख्य कृषि उत्पादन							
धान्य फसलें	दलहन	तिलहन	पेय	नकदी फसल	औषधीय मसाला फसल	फल	साग-सब्जी
धान	अरहर	मूँगफली	चाय	कपास	जीरा	आम	आलू
गेहूँ	मूँग	तिल	कॉफी	गन्ना	सौंफ	केला	बैंगन
ज्वार	चना	सोयाबीन	कोको	पटसन	इसबगुल	चीकू	प्याज
बाजरी	मटर	एरंडी		तम्बाकू	धनिया	पपीता	टमाटर
मक्का	वाल	सरसों		रबर	मेथी	अंगूर	लौकी-तुरिया
जौ	मोठ	सूरजमुखी			अजवाइन	बेर	भिंडी
	उड़द	नारियल			काली मिर्च	सेब	पत्तागोभी-फूलगोबी
	मसूर	अलसी			लहसुन	अमरूद	विभिन्न हरी सब्जी

धान्य फसल : भारत में कुल बुआई क्षेत्र के लगभग 75% क्षेत्र में धान्य फसल की कृषि होती है और कुल उत्पादन का लगभग 50% धान्य फसल से प्राप्त होता है। मुख्य धान्य फसल निम्न प्रकार है :

धान (Rice) : धान हमारी सबसे महत्त्वपूर्ण धान्य फसल है विश्व की अधिकांश जनसंख्या एवं भारत की लगभग आधी जनसंख्या भोजन में चावल का उपयोग करती है। धान उष्ण कटिबंधीय फसल है। अधिक उत्पादन के लिए गरम एवं नमीयुक्त जलवायु, न्यूनतम 20° से तापमान, नदियों के कांप की उपजाऊ जमीन एवं 100 सेमी या उससे अधिक वर्षा आवश्यक है। कम वर्षावाले क्षेत्र पंजाब, हरियाणा एवं उत्तरप्रदेश में सिंचाई से यह फसल ली जाती है। धान की कृषि में मानवश्रम की अधिक आवश्यकता रहती है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आंध्रप्रदेश, बिहार, ओडिशा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, बिहार, ओडिशा तथा तमिलनाडु आदि राज्यों में वर्ष में दो या तीन बार यह फसल ली जाती है। गुजरात में सूरत, तापी, पंचमहाल, अमदाबाद, खेडा, आणंद, वलसाड आदि जिलों में धान की बुआई होती है। धान यह पानी की अधिक आवश्यकतावाली फसल होने के बावजूद खेत में लगातार पानी भर कर रखने के बदले फुआरा पद्धति से सिंचाई करके कम पानी से भी यह फसल ली जाती है।

10.1 धान की खेती

गेहूँ (Wheat) : धान के बाद गेहूँ यह हमारे देश की दूसरी महत्त्वपूर्ण फसल है। भारत की एक तृतीयांश कृषि भूमि पर गेहूँ की कृषि की जाती है। इस देश में उत्तर-पश्चिम भारत में रहनेवाले लोगों का यह मुख्य भोजन है।

गेहूँ यह समशीतोष्ण कटिबंध की रबी फसल है। गेहूँ की फसल के लिए काली या उपजाऊ दोमट मिट्टीवाली जमीन एवं 75 सेमी तक वार्षिक वर्षा आवश्यक है। सिंचाई की सहायता से कम वर्षावाले भागों में भी गेहूँ उत्पन्न किया जाता है। 100 सेमी या उससे अधिक वर्षावाले क्षेत्रों में गेहूँ की बुआई नहीं होती। गेहूँ की कृषि में यांत्रीकरण होने से श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है। हरित क्रांति के बाद गेहूँ का उत्पादन लगभग दुगुना हुआ है। गेहूँ की कृषि मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। देश में कुल गेहूँ उत्पादन का दो तृतीयांश भाग इन राज्यों का है। इन राज्यों में सिंचाई की सुविधा होने से यहाँ प्रति हेक्टर उत्पादन अधिक होता है। पंजाब में नहरों के पानी के कारण गेहूँ का विपुल उत्पादन होता है, इसी कारण पंजाब को 'गेहूँ का भंडार' कहा जाता है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी गेहूँ का उत्पादन होता है। गुजरात में भाल क्षेत्र में 'भालिया गेहूँ' होता है। इसके उपरांत महेसाणा, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा में होता है। रोज-ब-रोज के भोजन में उपयोग में लिए जानेवाले सभी प्रकार के अनाजों में गेहूँ सर्वश्रेष्ठ है। गेहूँ के आटे से रोटी, भाखरी, सेवइयाँ, हलुवा, लापसी, लड्डू, सुखडी, पांउ, पूड़ी, केक, बिस्कुट आदि अनेक खाने की वस्तुएँ बनती हैं। सभी प्रकार के अनाजों में गेहूँ में पौष्टिक तत्त्व अधिक होते हैं। इसलिए इसे 'अनाजों का राजा' कहते हैं।

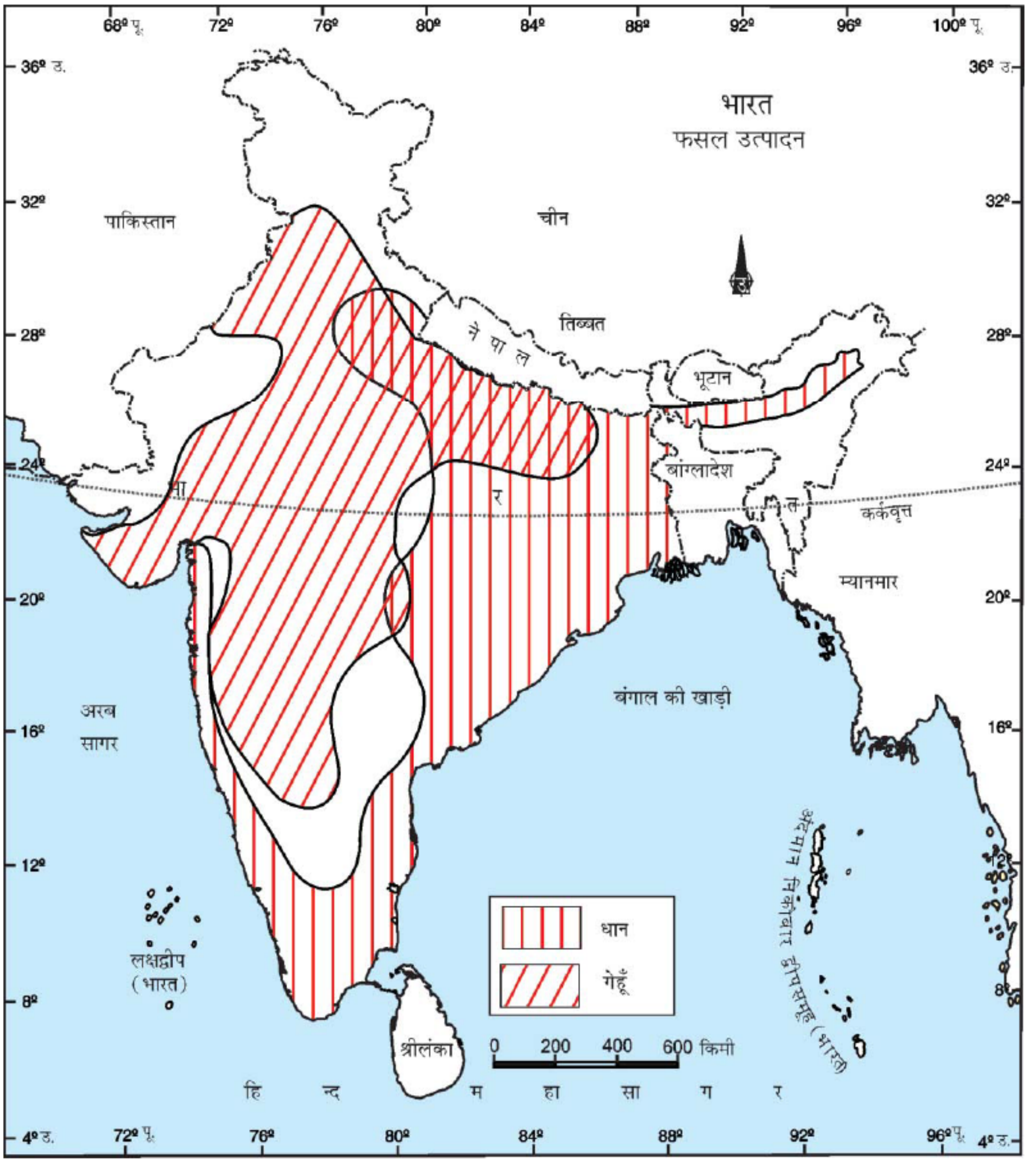

10.2 भारत : फसल उत्पादन

ज्वार, बाजरी, मक्का एवं जौ भी भारत में उत्पादित किए जानेवाले मुख्य मोटे अनाज (धान्य) हैं।

ज्वार (Jowar) : गेहूँ एवं धान के बाद ज्वार भारत में सबसे अधिक उत्पादन होनेवाला धान्य है। दक्षिण के

पठारी प्रदेश में शुष्क एवं कम वर्षा वाले विस्तारों में इस फसल की बड़े पैमाने पर बुवाई होती है। ज्वार खरीफ एवं रबी फसल है। इसे 25° से 30° तापमान, 50 सेमी वर्षा, काली एवं दोमट मिट्टी की जमीन अनुकूल मानी जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यों में इसका अधिक उत्पादन होता है। गुजरात में सबसे अधिक बुवाई सूरत एवं तापी जिले में होती है। ज्वार हरे पशु चारे के रूप में विशेष उपयोगी है।

बाजरी (Millet) : बाजरी श्रमिकों का अनाज माना जाता है। 25°-30° तापमान, 40-50 सेमी वर्षा, हल्की-रेतीली जमीन में यह योग्य रूप से उत्पादित होती है। राजस्थान, गुजरात, उत्तरप्रदेश एवं महाराष्ट्र आदि इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात में बाजरी की बुवाई में बनासकांठा जिला अग्रसर है।

मक्का (Maize) : मक्का धान्य खरीफ फसल है। धान एवं गेहूँ के बाद विश्व में मक्का की सबसे अधिक बुवाई होती है। मक्के की फसल पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होती है। वहाँ यह लोगों का मुख्य भोजन है। मक्के में मुख्य रूप से स्टार्च, तेल, प्रोटीन, बायोफ्यूल जैसे घटक होने से इसका औद्योगिक उत्पादन में उपयोग होता है। मक्के की फसल को ढलानवाली, काली, कड़ी, पथरीली, पानी के नितारवाली जमीन माफिक आती है। 50 से 100 सेमी वर्षा, 21°-27° से. तापमान इसे अनुकूल आता है। पशुआहार, लावा (धाणी) एवं मक्के के तेल में इसका उपयोग बढ़ रहा है। राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्णाटक एवं आन्ध्रप्रदेश इसके मुख्य राज्य हैं। गुजरात में पंचमहाल, दाहोद, साबरकांठा एवं अरवल्ली में मक्का की बुवाई अधिक होती है।

दलहन (Pulses) : शाकाहारी लोगों के लिए दलहन प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अरहर, मूँग, चना, मटर, उड़द, वाल, एवं मोंठ, दलहन माने जाते हैं। अरहर, उड़द, मूँग, मोंठ खरीफ फसल हैं। चना, मटर एवं मसूर रबी फसल हैं। अधिक वर्षावाले क्षेत्रों के अलावा लगभग सभी राज्यों में दलहन की बुवाई होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, आंध्रप्रदेश आदि इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात में अरहर वडोदरा जिले, मूँग-मोंठ कच्छ, एवं उड़द की पाटण जिले में सर्वाधिक बुवाई की जाती है। दलहन की फसलों द्वारा नाइट्रोजन का जमीन में पुनःस्थापन होता है। इससे, धान्य फसलों के साथ या उनके बाद जमीन का उपजाऊपन बनाए रखने के लिए फसल अन्तरण (inter crop) के रूप में बुवाई की जाती है।

जानने योग्य

गुजरात में बोई जानेवाली तृण धान्य फसलों में रागी मुख्य स्थान रखती है। रागी पर्वतीय प्रदेशों में रहनेवाले आदिवीसयों का मुख्य भोजन है। गुजरात एवं समग्र देश में बोई जानेवाली विविध तृण धान्य फसलों में रागी का प्रति हेक्टर उत्पादन-क्षमता सबसे अधिक है। रागी को अंग्रेजी में फिंगर मिलेट या आफ्रीकन मिलेट एवं गुजरात में बावटा के नाम से पहचानी जाती है। रागी पोषक तत्त्वों से भरपूर तृणधान्य है। इसके दानों में प्रोटीन, खनिज तत्त्व एवं विटामिन का विशेष प्रमाण पाया जाता है। रागी में बसा की मात्रा अधिक होने से मधुमेह एवं हृदयरोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। रागी में कैल्शियम एवं आयर्न का प्रमाण अन्य फसलों से विशेष होने से इसका उपयोग कुपोषण दूर करने एवं बेबीफूड बनाने में होता है। रागी उत्पन्न करते आदिवासी किसान आटे में से रोटी बनाकर खाते हैं। इसके सिवाय इसमें से बिस्कुट, चॉकलेट, टोस, नानखटाई, वेफर एवं पापड़ी सदृश खाद्य जैसी अलग-अलग चीजें बनाई जाती हैं।

तिलहन (Oilseed) : मूँगफली, तिल, सोयाबीन, एरंडी, सरसों, सूरजमूखी, अलसी आदि तिलहन माने जाते हैं। भारतीय भोजन में तेल महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। तिलहन में से खाद्यतेल के उपरांत दानों में से तेल निकाल लेने के बाद बचनेवाली खली पशुओं के भोज्य आहार एवं सेन्द्रीय खाद के रूप में उपयोग में ली जाती है।

मुंगफली (Groundnut) : मूँगफली, तिलहन फसलों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। मूँगफली की फसल को काली कसदार, दोमट मिट्टी की एवं लावा की रेती मिश्रित, पानी भरी न रहे ऐसी जमीन, 20°-25° से तापमान, 50-70 सेमी वर्षा अनुकूल होती है। मूँगफली खरीफ एवं सिंचाई की सुविधावाले क्षेत्रों में गरमी की फसल के रूप में बोई जाती है। गुजरात आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मूँगफली के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। देश में मूँगफली उत्पादन में गुजरात राज्य प्रथम क्रम पर है। जूनागढ़, गीर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर आदि जिलों में मूँगफली की बुवाई की जाती है। गुजरात में खाद्यतेल के रूप में सींगतेल विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता है।

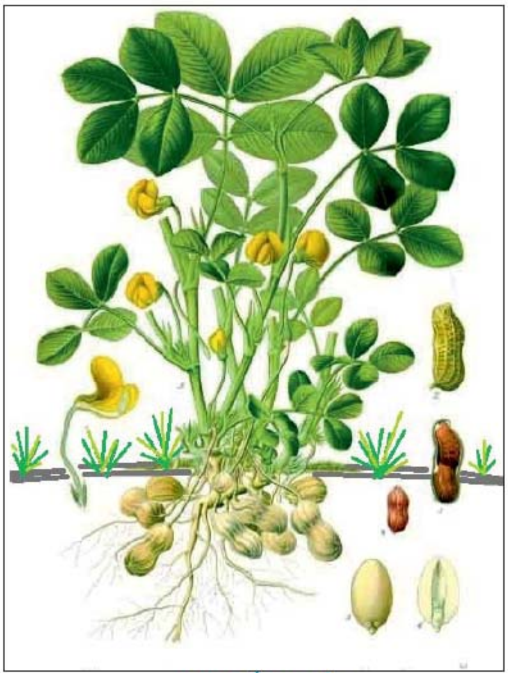

10.3 मूँगफली

तिल (Sesamum/Til) : सदियों से भारत में तिल के तेल का उपयोग हो रहा है। उत्तर भारत में यह वर्षा पर आधारित खरीफ फसल है। दक्षिण भारत में रबी फसल तो कभी-कभी जायद फसल के रूप में बोई जाती है। लगभग सभी राज्यों में इसका उत्पादन होता है। सभी तिलहनों में तिल सबसे अधिक तेलवाला होता है। दुनिया के लगभग सभी भागों में खाद्यतेल के रूप में यह उपयोग होता है। गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एवं मध्यप्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात समग्र देश में तिल के उत्पादन एवं बुवाई में प्रथम स्थान पर है। गुजरात में सर्वाधिक बुवाई बनासकांठा जिला में होती है। भारत विश्व में तिल का सबसे अधिक निर्यात करनेवाला देश है।

सरसों (Mustard) : सरसों रबी फसल है। यह उत्तर भारत की महत्त्वपूर्ण तिलहन फसल है। सरसों के दानों तथा तेल को उसके औषधीय गुण के कारण खाद्यतेल के रूप में उपयोग किया जाता है। राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल एवं मध्यप्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं।

नारियल (Coconut) : नारियल समुद्री किंनारे की गरम एवं नमीयुक्त जलवायु तथा क्षारवाली जमीन में होने वाली बागानी फसल है। भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु अंदमान-निकोबार में नारियल के बागान आए हुए हैं। गुजरात में समुद्री किनारे के क्षेत्रों में भी नारियल की बुवाई की जाती है। कम ऊँचाई एवं अधिक उत्पादन देनेवाली नारियल की जातियों का विकास किया गया है। दक्षिण भारत में नारियल के गरी के तेल (कोपरेल) का खाद्यतेल के रूप में उपयोग होता है। नारियल का पानी स्वास्थ्यवर्धक पेय के रूप में उपयोगी है।

10.4 एरंडी

एरंडी (Castor Oil) **:** एरंडी या रेंडी खरीफ एवं रबी फसल है। एरंडी के वैश्विक उत्पादन में भारत 64% हिस्से के साथ बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद क्रमशः चीन एवं ब्राजील का क्रम आता है। भारत के कुल उत्पादन

का लगभग 80% उत्पादन गुजरात में होता है। तदुपरांत आंध्रप्रदेश एवं राजस्थान आदि इसके उत्पादक राज्य हैं। गुजरात में बनासकांठा, पाटण, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ, अमरेली आदि जिलों में वह फसल कम-ज्यादा प्रमाण में ली जाती है। इसके उपरांत वर्तमान समय में कपासिया, सूरजमुखी, धान एवं मक्के के तेल का खाद्यतेल के रूप में उपयोग बढ़ रहा है।

पेय

चाय (Tea) : चाय उष्ण एवं समशितोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके पौधे के पत्तों एवं कोमल कोपलों की प्रक्रिया कर उससे चाय की पत्ती या भूकी का पेय के रूप में उपयोग होता है। चीन के बाद भारत चाय का सबसे

10.5 चाय की कृषि

अधिक उत्पादन करता है। श्रीलंका, चीन एवं भारत चाय का निर्यात करनेवाले मुख्य देश हैं। चाय की फसल के लिए पानी सरलता से बह जाए ऐसी ढलानवाली तथा लौहतत्त्ववाली जमीन, 20°-30° से तापमान एवं 200 सेमी तक वर्षा को वर्षपर्यंत पड़नेवाली फुआरों की आवश्यकता होती है। भारत में चाय असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में अधिक होती है। असम एवं पश्चिम बंगाल, देश की 75% चाय का उत्पादन करते हैं। चाय के पौधों से पत्तियों को कुशलतापूर्वक चुना जाता है।

कॉफी (Coffee) : कॉफी की फसल को पहाड़ी ढालों पर सूर्य की सीधी धूप न पड़े इस तरह से बड़े वृक्षों की छाया में उगाया जाता है। कॉफी की फसल को। 150-200 सेमी वर्षा एवं 15°-28° से. तापमान एवं पर्वतीय

10.6 कॉफी की कृषि

ढलानवाली जमीन अनुकूल आती है। भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है। कर्नाटक का कुर्ग प्रदेश कॉफी के अधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है। कॉफी के फल को एकत्रकर उसके बीज को निकाल कर उसे प्रक्रिया कर पीस कर उसका पेय के रूप में उपयोग होता है।

कोको (Coco) : कोको वृक्ष के फल के बीज से कोको तैयार किया जाता है। कोको पेय पदार्थ है। इसमें से चाकलेट भी बनाई जाती है। इसे गरम, नमीयुक्त जलवायु और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अफ्रीकी देश इसके मुख्य उत्पादक देश हैं। भारत के केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश एवं तमिलनाडु कोको की में उत्पादन एवं बुवाई बढ़ रही है।

नकदी फसलें

कपास (Cotton) : कपास खरीफ फसल है। भारत एवं गुजरात में नकदी फसल के रूप में कपास का मुख्य स्थान है। विश्व स्तर पर भारत कपास के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात में दूसरे स्थान पर है। कपास के पौधे में से रूई का उत्पादन प्राप्त किया जाता है। यह रूई भारत में सफेद सोने के रूप में पहचानी जाती है। तदुपरांत कपास का तेल खाद्यतेल के रूप में एवं कपास की खली दुधारु पशुओं के भोजन-आहार के रूप में उपयोगी है। कपास को लम्बे समय तक नमी का संग्रह कर सके ऐसी लावा की काली और खनिज द्रव्योंवाली जमीन, गरम एवं नमीयुक्त जलवायु, 20°-35° से. तापमान एवं 30-70 सेमी वर्षा अनुकूल आती है। कपास के फसल का समय अन्तराल 6-8 महीने का होता है। हिम से कपास की फसल को नुकसान होता है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु एवं ओडिशा आदि मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात के किसानों ने वी.टी. कपास के बीजों को अपना लिया है। इससे बुवाई क्षेत्र, कुल उत्पादन तथा गुणवत्ता में गुजरात राज्य समग्र देश में प्रथम स्थान पर है। गुजरात में सुरेन्द्रनगर, राजकोट, वडोदरा, अमदाबाद, साबरकांठा, महेसाणा, बोटाद, भरुच, खेडा, सूरत, पंचमहाल, अमरेली, भावनगर, पाटण, जूनागढ़, जामनगर आदि जिलों में कपास का उत्पादन अधिक होता है।

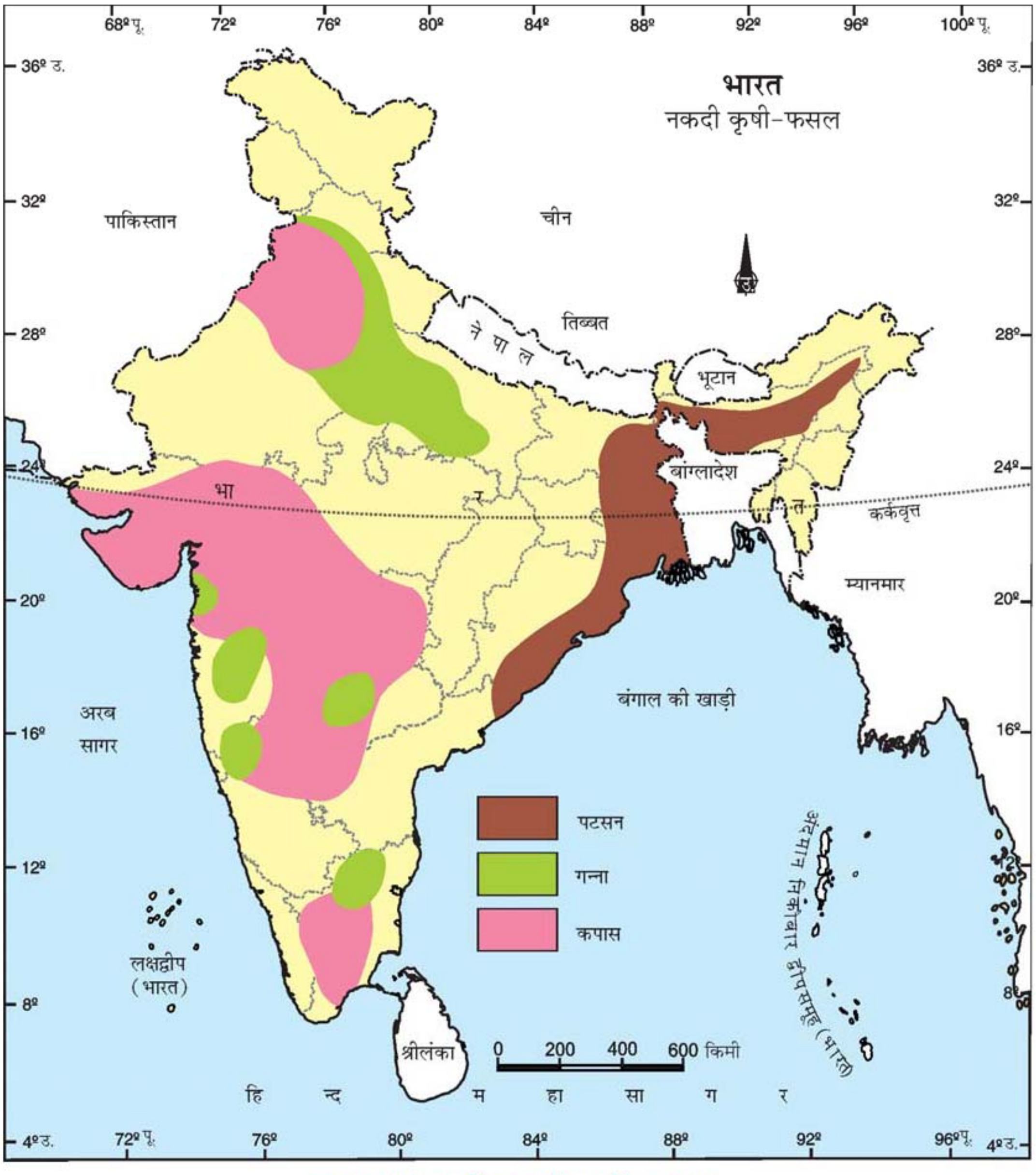

10.7 भारत में नकदी कृषि-फसल

गन्ना (Sugarcane) : गन्ना भारत की मुख्य फसल है। बुवाई की दृष्टि से विश्व में गन्ने की सबसे अधिक बुवाई भारत में होती है। उत्पादन में ब्राजील के बाद भारत का क्रम है। गन्ने में से चीनी, गुड़, खांडसरी तथा इथेनॉल बनता है। गन्ने की फसल के लिए लावा की, नदियों के कांपवाली उपजाऊ जमीन, गरम एवं नमीयुक्त जलवायु, 21°-27° से. तापमान, 75-100 सेमी वर्षा आवश्यक है। कम वर्षावाले विस्तारों में सिंचाई से यह फसल ली जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात आदि गन्ना उगानेवाले मुख्य राज्य हैं। गन्ने की बुवाई में उत्तर प्रदेश अग्रसर है, परन्तु चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम क्रम पर है। गुजरात में दक्षिण गुजरात एवं सौराष्ट्र में गन्ना अधिक होता है।

पटसन (Jute) : पटसन के उत्पादन में भारत वर्तमान में प्रथम क्रम पर है। पटसन के रेसों को 'गोल्डन फाइबर' कहते हैं। पटसन से टाट, बोरा, कालीन, रस्सी, थैलियां, चम्पलें, हस्तकला कारीगरी के नमूने आदि बनते हैं। पटसन उद्योग में भारत की बांग्लादेश के सस्ते श्रम से स्पर्धा है। पटसन की फसल को नदियों के मुखत्रिकोण प्रदेश की,

10.8 पटसन की कृषि एवं वस्तुएँ

जहाँ हर वर्ष नया कांप बिछता है ऐसी उपजाऊ जमीन, गरम-नमीयुक्त जलवायु, 30°-40° से. तापमान एवं 100 सेमी से अधिक वर्षा आवश्यक है। भारत में पश्चिम बंगाल में गंगा के मुखत्रिकोण का प्रदेश, असम, बिहार, ओडिशा एवं उत्तर प्रदेश में पटसन का उत्पादन अधिक होता है।

तम्बाकू (Tobacco) : तम्बाकू खरीफ फसल है। तम्बाकू की फसल के लिए रेतीली दोमट मिट्टी की जमीन, 20° से. तक तापमान एवं 100 सेमी तक वर्षा अधिक अनुकूल आती है। तम्बाकू की फसल के लिए जलवायु की अपेक्षा जमीन अधिक निर्णायक परिबल है। चीन, ब्राजील, भारत एवं अमरीका विश्व के तम्बाकू उत्पादन एवं निर्यात करनेवाले मुख्य चार देश हैं। भारत में गुजरात, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश एवं कर्नाटक तम्बाकू उत्पादित करते मुख्य राज्य हैं। गुजरात में खेडा-आणंद जिले में चरोतर के प्रदेश के अलावा आणंद, महेसाणा, वडोदरा, पंचमहाल में अधिक बुवाई होती है। भारत में कुल बीड़ी-तम्बाकू उत्पादन का 80% गुजरात में होता है। तम्बाकू का उपयोग गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, सुंघनी आदि बनाने में होता है। तम्बाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तम्बाकू-गुटखा पर प्रतिबंध रखनेवाला सिक्किम प्रथम राज्य है।

रबर (Rubber) : लेटेक्ष कुल के रबर के वृक्ष में से झरनेवाले दूध (क्षीर) में से रबर तैयार होता है। रबर के बागानों में से एकत्र किए गए दूध में एसिटिक एसिड मिलाकर धीमी आँच पर गरम कर रबर बनाया जाता है। जिसका उपयोग टायर-ट्यूब जैसे अनेक औद्योगिक उत्पादनों में होता है। गरम एवं नमीयुक्त जलवायु, अधिक वर्षावाले

क्षेत्रों में रबर की बागानी कृषि की जाती है। विश्व में रबर उत्पादन में मलेशिया प्रथम स्थान पर है। भारत का मुख्य उत्पादक देशों में समावेश होता है। भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम एवं त्रिपुरा रबर का उत्पादन करनेवाले मुख्य राज्य हैं।

औषधीय एवं मसाला फसलें : जीरा, सौफ, इसबगुल के उत्पादन में गुजरात विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसके उपरांत धनिया, मेथी, राई, सुवा, अजवाइन के उत्पादन एवं निर्यात में भारत आगे है। विश्व के कुल मसाला उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग 35% जितना है। भारत की काली मिर्च, तेजपत्ता, लौंग आदि की देश-विदेश में खूब मांग रहती है। गुजरात में अश्वगंधा, तुलसी, करियाता, मींढीआवल, सफेद मुसली, मधुनाशिनी, अशोक गरमर, लींडीपीपर, गिलोय, कुंवारपाठा आदि औषधीय फसलें एवं सुगंधित फसलों में पुदीना, मेंथॉल, पामरोजा, लेमनग्रास का समावेश किया जा सकता है।

फल, साग-सब्जी एवं फूलों की खेती : विश्व में, भारत फलों के उत्पादन में चीन के बाद द्वितीय क्रम पर है। भारत में केला, आम, सेब, अंगूर, नासपती, नारंगी आदि की खेती होती है। केला तमिलनाडु, गुजरात एवं महाराष्ट्र, तो सेब जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में तथा अंगूर उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु एवं आन्ध्रप्रदेश में होता है। भारत में अंगूर का उत्पादन मांग की अपेक्षा कम होने से इसका अफघानिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से आयात करते हैं। फूलों में गुलाब, जूही, मोंगरा गेंदा आदि की खेती होती है। इसके उपरांत विविध साग-सब्जी की खेती भी होती है। इस तरह, भारत में विविध प्रकार की फसलें होती हैं।

जानने योग्य

गुजरात में नकदी फसलों की कृषि बढ़ने से घासचारे की कमी रहती है। घासचारा की विविध फसलें (fooder crop) जैसे की धरफ (गुजरात धरफ - 1),अंजन (पुसा यलो अंजन), मारवेल (गुजरात मारवेल घास-1), शणियार (गुजरात शणियार-1) तथा जींजवा, धामण, हेमेटा एवं कलाटोरिया जैसे घासचारे की फसलें बोई जा सकती हैं। सामान्य रूप से सभी घासचारा फसलों की कटाई अक्टूबर महीने में अर्थात् बुवाई के चार महीने बाद करनी चाहिए।

कृषि में तक्नीकी एवं संस्थागत सुधार

पहले के समय में हंसिये, कुदाल, फावड़े, हल, बोला (बुवाई यंत्र) एवं बैलगाड़ियों जैसे कम एवं सादे साधनों द्वारा कृषि कार्य किया जाता था। अब इसमें आधुनिक उपकरणों ने प्रवेश किया है। जिनमें ट्रेक्टर्स, ट्रेलर्स, रोटावेटर सबसे सामान्य हैं। तद्उपरांत गेहूँ की कटाई के लिए पहले थ्रेसर्स एवं उसके बाद हार्वेस्टर जैसे आधुनिक उपकरण उपयोग में आने लगे। इसके सिवाय रासायनिक खादें, उन्नत बीज, बी.टी.बीज (बायोटेक्नोलॉजी बीज), जन्तुनाशक दवाएं तथा टपक (बूंद) सिंचाई, ग्रीन हाउस आदि का उपयोग बढ़ा है।

तक्नीकी सुधार : भारत में कृषि क्षेत्र में बीज, खाद एवं कृषिसाधनों में आए परिवर्तनों को तक्नीकी सुधार कहते हैं।

- सिंचाई के लिए पहले कोस, रहट का उपयोग होता था, अब सबमर्सिबल अथवा मोनो ब्लोक पंप, सोलर पंप, टपक सिंचाई एवं कुआरा पद्धति का उपयोग होता है।
- D.A.P. (डाय अमोनिया फॉस्फेट), N. P. K. (नाइट्रोजन फोस्फॉरस पोटाश, युरिया-रासायनिक खाद, जैविक खाद (Bio-control), प्रवाही जैविक खाद, बायोटेक बीज़ आदि का उपयोग होता है।
- किसान फसल की सुरक्षा के लिए जन्तुनाशक दवाओं तथा जैविक नियंत्रण (Bio-control) का उपयोग करने लगा है।
- सरकार द्वारा किसानों को रेडियो, टी.वी., समाचारपत्र, DD किसान चेनल, मोबाइल पर किसान SMS, टोल फ्री नम्बर 1800 180 1551 (किसान कॉल सेन्टर), सरकारी किसान वेबपोर्टल, i-किसान तथा agri market जैसे मोबाइल रूप द्वारा लगातार जानकारी, नयी तक्नीक एवं मार्गदर्शन दिया जाता है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संशोधनों एवं नई तक्नीक का प्रचार-प्रसार ग्राम-सेवकों द्वारा किसानों तक पहुँचाया जाता है।
- सरकार ने प्रत्येक जिले में केन्द्र पर किसान प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है। जहाँ किसान प्रशिक्षित किए जाते हैं।
- गुजरात में कृषि मेले द्वारा किसानों को अद्यतन जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया जाता है।
- प्रत्येक राज्य में कृषि युनिवर्सिटी एवं कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। गुजरात में दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आणंद एवं नवसारी में कृषि युनिवर्सिटियों की स्थापना की गई है। वे कृषि के क्षेत्रों में नवीन संशोधन करती हैं एवं कृषि विशेषज्ञ तैयार करती हैं।
- इसके उपरांत कृषिक्षेत्र में संशोधन करनेवाली संस्था ICAR (Indian Council for Agriculture Research) एवं DARE – (Department of Agriculture Research and Education) आदि संस्थाएँ राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हैं।

संस्थागत सुधार : भारत में जमीन का मालिकाना, कृषि ऋण एवं कृषि उत्पादनों की बिक्री में हुए सुधारों को संस्थागत सुधार कहा जाता है।

- सरकार ने जमीनदारी प्रथा खत्म कर किसानों का शोषण रोका है। 'जोते उसकी जमीन' कानून द्वारा कृषक को जमीन का सही मालिकाना हक दिया है।
- भू-जोतों की मर्यादा कानून द्वारा एवं राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों द्वारा आर्थिक मदद के लिए कृषिऋण दिया जाता है।
- किसान क्रेडिटकार्ड द्वारा एवं राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों द्वारा आर्थिक मदद के लिए कृषिऋण दिया जाता है।
- सरकार बीज, खाद तथा जन्तुनाशकों को खरीदने के लिए सबसीडी एवं आर्थिक मदद करती है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा किसानों को कृषिफसलों का बीमाकवच दिया जाता है।
- अकाल या अतिवृष्टि के समय फसल बर्बाद होने पर सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है।
- मार्केट यार्डों में कृषि उत्पादनों की बिक्री में कानूनन व्यवस्थाएँ करके खुली नीलामी की प्रक्रिया को व्यापक बनाया गया है।
- किसानों को कृषिउत्पादन पोषणक्षम कीमत मिलती रहे इसलिए सहकारी मंडलियाँ, खरीद-विक्रय संघ, सहकारी स्तर पर गोदाम, शीतगृह, परिवहन एवं दूरसंचार की सुविधाएँ दी गई हैं।
- किसानों से कृषि उत्पादन सरकार द्वारा निश्चित पोषणक्षम सहायक भावों पर खरीदी करने के लिए निम्नलिखित संस्थाएँ कार्यरत हैं।

1. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी लिपणन संघ – National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India (NAFED)
2. गुजरात तिलहन उत्पादक संघ – Gujarat Co-operative Oilseeds Growers' Federation (GROFED).
3. राष्ट्रीय डेरी विकास निगम – National Dairy Development Board (NDDB)

हरित क्रांति

हमारे देश में 1960 के दशक में कृषिक्षेत्र में हरित क्रांति हुई उसके पहले ऐसा समय था कि जब भारत में अनाज की तीव्र कमी थी। एक मुख्य कृषिप्रधान देश को अनाज की आयात करनी पड़ती थी। ऐसी परावलंबी परिस्थिति के सामने देश लड़ रहा था।

- बीजों की उन्नत किस्में, रासायनिक खाद का बढ़ा उपयोग, देश के किसानों का प्रचंड पुरुषार्थ, बिजली की व्यापक व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा में हुए सुधार आदि परिबलों से कृषिक्षेत्र में उत्पादन में हुए असाधारण बढ़त को हरितक्रांति (Green Revolution) के रूप में पहचाना जाता है
- हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादकों में वृद्धि हो। किसानों को अधिक प्रमाण में रासायनिक खाद एवं जन्तुनाशकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया एवं कृषि-उपज में वृद्धि करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता भी मिली।
- हरित क्रांति से गेहूँ एवं धान की फसल के उत्पादन में विक्रमजनक उत्पादन हुआ है।
- देश में पहले जहाँ खाद्य अन्न की कमी थी, वहाँ आज अनाज के पर्याप्त भंडार हैं।
- एक समय था जब अकाल भारत में कुछ समय के बाद आपदा में बदल गया था। हरित क्रांति के बाद उसके प्रभाव नहीं दिखे हैं। अनाज के सुरक्षित भंडार (Stock) के कारण अकाल या पानी की कमी की परिस्थिति का सरलता से सामना किया जा सका है।
- अन्न के क्षेत्र में देश का स्वावलंबन हरित क्रांति का सीमाचिह्न रूप ऐतिहासिक सिद्धि है।

आज नकदी फसलों की बुवाई बढ़ने से दलहन एवं धान्य फसलों का बुवाई क्षेत्र एवं उत्पादन घटा है। एक ही फसल का पुनरावर्तन होने से जमीन का उपजाऊपन भी घटा है। विश्व के देशों ने कृषि के क्षेत्र में उन्नत तक्नीक का उपयोग कर जो प्रगति की है, वहाँ तक पहुँचने में हमें दूसरी हरित क्रांति के लिए तैयार होना होगा।

भारतीय अर्थतंत्र में कृषि का योगदान

कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है। स्वतंत्रता के समय कृषिक्षेत्र पर जो भार था, वह अब कम हुआ है। इसके बावजूद अर्थतंत्र में इसका योगदान महत्त्वपूर्ण है :

- यह देश के लगभग आधे लोगों को रोजगार देती है।
- कृषिक्षेत्र देश के कुल सकल घरेलू उत्पादन (GDP) का लगभग 17 % हिस्सा रखता है।
- भारत के महत्त्वपूर्ण कृषि उत्पादन चावल, गेहूं, तिलहन, कपास, पटसन, चाय, कॉफी, गन्ना, तम्बाकू, आलू आदि हैं एवं इसके निर्यात से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।
- कृषिउपज के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है।
- सूती कपड़ा, चीनी, कागज, तेल इत्यादि उद्योग तथा खाद्य सामग्री प्रशंसकरण उद्योग के लिए कच्चामाल भी कृषि से ही उपलब्ध बनता है।
- कृषि से भारत के लोगों को भोजन प्राप्त होता है।

परन्तु, अनियमित एवं अनिश्चित वर्षा एवं सिंचाई के क्षेत्र में अल्प सुविधा के कारण कृषि के क्षेत्र में विश्व बाज़ार में भारत का प्रदर्शन सातत्यपूर्ण नहीं रहा है।

अनाज संरक्षण : आज किसी भी देश के लिए अन्न सुरक्षा आवश्यक है। यदि अनाज की मांग बढ़ती हो एवं अन्न बड़े पैमाने पर आयात करनी पड़ती हो तो उस देश की राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। हरित क्रांति के कारण हम अनाज उत्पादन में स्वावलंबी बने हैं। अनाज उत्पादन में वृद्धि के साथ देश की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। 1951 में देश की जनसंख्या 36 करोड 10 लाख थी, परन्तु आज 125 करोड़ से अधिक है। इससे अनाज की मांग बढ़ी है।

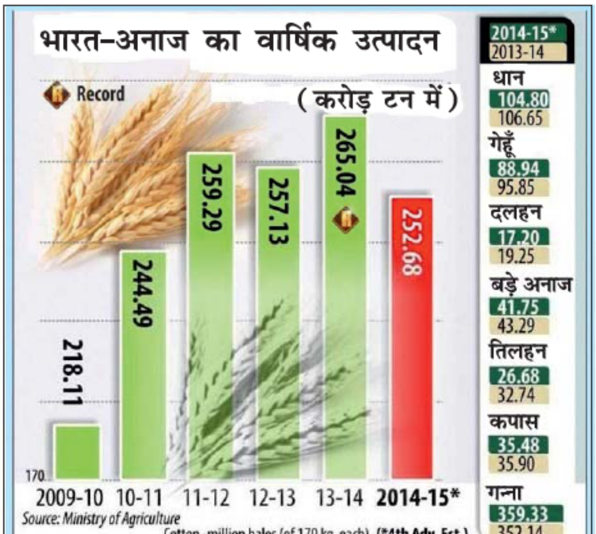

10.9 भारत : अनाज़ उत्पादन

इसके बावजूद हमारे देश में पिछले पांच वर्षों में अनाज का उत्पादन बढ़ा है। 1950-51 में भारत में 51 करोड़ टन अनाज उत्पादन हुआ था, जो बढ़कर 2013-14 में विक्रमस्तर पर 265.04 करोड़ टन हुआ है। आज हमारे पास इतना अनाज है कि देश की न्यूनतम आवश्यकता पूरी की जा सकती है। इस भंडार को बनाए रखना एवं इसमें वृद्धि करना आवश्यक है। अनाज का सुरक्षित भंडार खड़ाकर अकाल या अनाज के कम उत्पादन के समय अनाज की तंगी को रोका जा सकता है। अनाज के गोदामों में रहे अनाज को सुरक्षित रखने की वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाकर अनाज का बिगाड़ होने से बचाया जा सकता है। यह अनाज हजारों गरीब परिवारों को मुफ्त दे करके भूख मिटायी जा सकती है। अनाज का बिगाड़ रोकना समय की आवश्यक मांग है। अनाज के संग्रहण एवं प्रबंधन की व्यवस्था सुदृढ़ करनी अत्यंत आवश्यक है। सरकार खाद्य सुरक्षा कानून (Food Security Act) द्वारा गरीबों तक अनाज पहुंचाने की व्यवस्था कर एक अच्छी शुरुआत की है।

भारत की कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव

भारत का किसान अपनी कृषि उपज को वैश्विक बाजार में बेच कर फायदा प्राप्त कर सके इस उद्देश्य से कृषि के क्षेत्र में वैश्वीकरण नीति अमल में लाई गई है। वैश्वीकरण के कारण कृषि के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आए हैं। कृषि फसलों के आयात-निर्यात की प्रक्रिया सरल बनाई गई है। गुजरात में से कपास, मिर्च, तिल चीन के बाजारों में एवं विश्व के विविध फल भारतीय बाजारों में मिल रहे हैं। वैश्वीकरण से भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विक्रय किए जाते ऊंची कीमत के ''जिनेटिकली मोडीफाइड'' बी.टी. बीज आए हैं। इससे कृषि में खर्च बढ़ा है। परन्तु कपास एवं मक्के के उत्पादन में इससे वृद्धि हुई है। आयात सरल होने से हमारे घरेलू कृषि उत्पादनों को यहाँ स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। कुछ उत्पादनों को वैश्विक बाजार मिलने से उनके पेटन्ट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। विश्व बाज़ार में हमारी गुणवत्तायुक्त कृषि उपजों का पेटन्ट देश के नाम कराना आवश्यक है।

भारत को कृषि के क्षेत्र में होनेवाली स्पर्धा का सामना करने के लिए नवीन तक्नीक अपनाकर गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। कृषिक्षेत्र से जुड़े लोगों की आर्थिक उन्नति एवं सद्धरता बढ़ाने के लिए योजनापूर्ण कदम उठाने होंगे। बढ़ती जनसंख्या एवं भविष्य में बढ़नेवाली कृषिउपजों की मांग के साथ, आर्थिक प्रगति की विकासयात्रा को बनाए रखने के लिए द्वितीय हरित क्रांति के लिए ठोस व्यूहरचना बनानी आवश्यक है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए :

(1) कृषि के प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए।

(2) भारत में कृषिक्षेत्र में हुए संस्थागत सुधार बताइए।

(3) 'विश्व बाजार एवं भारतीय कृषि' पर टिप्पणी लिखिए।

(4) 'भारत की गेहूँ की फसल' का सविस्तर वर्णन कीजिए।

(5) 'भारत की तिलहन फसल' के बारे में सविस्तर बताइए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दासर उत्तर लिखिए :

(1) जैविक कृषि की तरफ अभिगम क्यों बढ़ रहा है ?

(2) अन्तर बताइए : खरीफ फसल – रबी फसल.

(3) भारतीय अर्थतंत्र में कृषि के योगदान का वर्णन कीजिए।

(4) धान : भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण फसल – समझाइए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए :

(1) मक्के का उपयोग बताइए।

(2) कॉफी की फसल के लिए अनुकूलताएँ बताइए।

(3) 'भाल प्रदेश' में किस प्रकार की कृषि होती है ? कौन-सी फसल ली जाती है ?

(4) हरित क्रांति अर्थात् क्या ?

(5) कृषि संशोधन क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के नाम लिखिए।

4. नीचे दिए गए विकल्पों में से योग्य विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) निम्नलिखित में से किस कृषि में प्रति हेक्टर उत्पादन कम होता है ?

(A) बागायती कृषि (B) झूम कृषि (C) सघन कृषि (D) आर्द्र कृषि

(2) निम्नलिखित में से किस कृषि में रासायनिक खादों एवं जन्तुनाशकों का उपयोग नहीं होता है ?

(A) सजीव कृषि (B) मिश्र कृषि (C) बागायती कृषि (D) टिकाऊ कृषि

(3) मूँगफली का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है ?

(A) केरल (B) तमिलनाडु (C) मध्यप्रदेश (D) गुजरात

(4) चॉकलेट किसमें से बनती है ?

(A) तिल (B) कोको (C) रबर (D) चाय

(5) निम्नलिखित में से किस मसाला फसल में गुजरात प्रथम उत्पादक राज्य है ?

(A) इसबगुल (B) मेथी (C) सरसों (D) धनिया

(6) निम्न में से कौन-सा दलहन रबी फसल है।

(A) उड़द (B) मूँग (C) चना (D) मोंठ

प्रवृत्ति

- अपने क्षेत्र में बुवाई की गई फसलों का वर्गीकरण नीचे की तालिका में कीजिए :

धान्य फसल	दलहन	तिलहन	पेय	नकदी फसल	औषधीय मसाला फसल	फल	साग-सब्जी

- विविध कृषि फसलों के बीज एकत्र कर जमीन में बुवाई कीजिए, उगने के बाद उसके पौधों में होनेवाले परिवर्तन देखिए।
- गुजरात सरकार की https:/ / ikhedut.gujarat.gov.in/ पर से कृषि विषयक जानकारी प्राप्त कीजिए।
- समाचार पत्रों में आनेवाले कृषि-उपजों के भाव जानिए।
- अपने दैनिक जीवन में भोजन में कौन-कौन-से क्षेत्र की कृषि फसलों का उपयोग करते हैं ? उनकी सूची बनाइए।
- गुजरात की कृषि युनिवर्सिटियों की वेबसाइट पर से गुजरात की कृषिफसलों की जानकारी प्राप्त कीजिए।

•

11 भारत : जल संसाधन

'जल है तो जीवन है।' जल बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की नहीं जा सकती है। जल संसाधन का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसके उपयोग की सूची लम्बी है। समग्र सजीव सृष्टि भी जीवन टिकाए रखने के लिए जल का ही उपयोग करती है। किसी भी देश की समृद्धि का आधार उसकी कृषि एवं उसमें उपयोग किए जानेवाले जल पर है। जल की विशेष आवश्यकता पीने में, घरेलू कार्यों में एवं उद्योगों में रहती है। बढ़ती जनसंख्या एवं विकास कार्यों में जिस तेजी से जलराशि का उपयोग हो रहा है, उसी तरह जल की तंगी खड़ी होती जा रही है। इस बात का ध्यान रखकर जल का विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक है। जल मर्यादित संसाधन है। इसके स्थान पर अन्य कोई संसाधन उपयोग में लिया नहीं जा सकता है। जल संसाधन के कारण ही पर्यावरण जीवंत है। इससे जल जीवन का अभिन्न अंग है।

जलस्रोत

जलस्रोत के मुख्य तीन प्रकार हैं : (1) वृष्टि जल (2) भूपृष्ठीय जल (3) भूमिगत जल

(1) वृष्टि जल : पृथ्वी पर जल संसाधन का मूलस्रोत 'वृष्टि' है। नदी, सरोवर, झरने और कुएं ये गौण स्रोत हैं। ये सभी स्रोत वृष्टि के आभारी हैं।

(2) भूपृष्ठीय जल : पृथ्वी की सतह का जल नदी, सरोवर, तालाब, समुद्र, झरनों वगैरह के रूप में दिखाई देता है, यह भूपृष्ठीय जल है । भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत नदियाँ हैं।

(3) भूमिगत जल : मुख्य जलस्रोतों में भूमिगत जल का स्थान महत्त्वपूर्ण है। भूपृष्ठीय जल के अवशोषण से भूमिगत जल प्राप्त होता है। भूमिगत जल राशि अमर्यादित है। भारत में उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में 42% भूमिगत जल पाया जाता है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश एवं पर्वतीय क्षेत्रों के कारण भूमिगत जल का प्रमाण कम मिलता है। भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए होता है।

जलसंसाधन एवं उपयोग

सिंचाई : भारत में लगभग 84 % जल सिंचाई के लिए उपयोगी है। उदाहरण स्वरूप, एक कि.ग्रा. गेहूँ उत्पन्न करने के लिए लगभग 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। धान, पटसन एवं गन्ना की फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। प्राचीन समय से ही पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होता रहा है। कावेरी नदी में से 'ग्रान्ड एनीकट' नाम से प्रसिद्ध नहर का निर्माण दूसरी सदी में हुआ था। 1882 में उत्तरप्रदेश की पूर्वीय यमुना नहर का निर्माण किया गया था।

भारत में सिंचाई के मुख्य तीन माध्यम हैं : (1) कुआँ एवं ट्यूबवेल (2) नहर (3) तालाब। इनमें से कुआँ एवं ट्यूबवेल सिंचाई के मुख्य माध्यम हैं। नहर एवं तालाब क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर आते हैं। नहरों द्वारा सतलज, यमुना एवं गंगा के विशाल मैदानों तथा पूर्व के तटीय मैदानों में स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के मुखत्रिकोण प्रदेशों में होती है। कुआँ एवं ट्यूबवेल कांप के मैदानों में सामान्य है। तालाबों द्वारा होनेवाली सिंचाई पूर्व एवं दक्षिण के राज्यों में अधिक है।

बहुउद्देशीय योजनाएँ : भारत में अनेक छोटी-बड़ी नदियाँ बहती हैं। भारत का जल परिवाह समृद्ध है। इसका कारण भारत का भूपृष्ठ ऐसा है कि अनेक नदियां दूसरी नदियों से मिलकर उसका पानी समुद्र में ले जाती हैं। इस जल का उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए हो, इसलिए कई नदियों पर बहुउद्देशीय योजनाएँ बनाई गई हैं। बहुउद्देशीय अर्थात् नदी-घाटियों के साथ जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना। इसमें बाढ-नियंत्रण, जमीन कटाव को रोकना, सिंचाई एवं पेयजल, उद्योग, बस्तियों को दिया जानेवाला पानी, बिजली उत्पादन, आंतरिक जल परिवहन, मनोरंजन, वन्यजीव संरक्षण एवं मत्स्यपालन का समावेश होता है।

भारत की मुख्य बहुउद्देशीय योजनाएँ

बहुउद्देशीय योजनाएँ	नदी	लाभान्वित राज्य
भाखड़ा-नांगल	सतलज	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
कोसी	कोसी	बिहार
दामोदर घाटी	दामोदर	झारखंड, पश्चिम बंगाल
हीराकुंड	महानदी	ओडिशा
चंबल घाटी	चंबल	मध्यप्रदेश, राजस्थान
नागार्जुन सागर	कृष्णा	आंध्रप्रदेश, तेलंगाना
कृष्णराज सागर	कावेरी	कर्नाटक, आंध्रप्रदेश
तुंगभद्रा	तुंगभद्रा	कर्नाटक, आंध्रप्रदेश
नर्मदा घाटी (सरदार-सरोवर)	नर्मदा	मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र
कडाणा, वणाकबोरी	महीसागर	गुजरात
उकाई, काकरापार	तापी	गुजरात
धरोई	साबरमती	गुजरात

सिंचाई क्षेत्र का वितरण

भारत के प्रत्येक राज्य के संदर्भ में सिंचाईक्षेत्रों में बड़ा अंतर है। आंध्रप्रदेश के तटीय जिले तथा गोदावरी, कृष्णा नदी के मुखत्रिकोण प्रदेश, ओडिशा की महानदी का मुखत्रिकोण प्रदेश, तमिलनाडु में कावेरी का मुखत्रिकोण प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि देश के सघन सिंचाईक्षेत्र हैं।

स्वतंत्रता पश्चात् भारत का कुल सिंचाई क्षेत्र लगभग चार गुना बढ़ा है। स्पष्ट बुवाई क्षेत्र के लगभग 38 % भाग में सिंचाई होती है।

भारत के राज्यों में सिंचाई क्षेत्र के वितरण में बड़ी असमानता है। मिजोरम में स्पष्ट बुवाई क्षेत्र में केवल 7.3 % क्षेत्र में सिंचाई होती है। जबकि पंजाब में सिंचाई क्षेत्र का प्रमाण 90.8 % है। कुल सिंचाई क्षेत्र का प्रमाण स्पष्ट बुवाई क्षेत्र के सन्दर्भ में बहुत असमान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, तमिलनाडु एवं मणिपुर में कुल बुवाई के विस्तार का 40 % से अधिक भाग सिंचाई के अंतर्गत है।

जल संकट

जल प्रकृति से मिली अनमोल भेंट है। बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज की बढ़ती मांग, नकदी फसलों का उत्पादन, बढ़ते शहरीकरण एवं लोगों के बदलते जीवनस्तर के परिणाम स्वरूप पानी की तंगी निरंतर बढ़ रही है। इसके बावजूद पानी आपूर्ति की परिस्थिति एवं स्थानीय वितरण की असमानता अधिकांशत: मनुष्य के हितों, आजीविका तथा आर्थिक विकास के लिए समस्यारूप है।

वर्तमान समय में भी पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों तथा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के आंतरिक भागों में जलसंकट की गंभीर समस्या है। सैंकड़ों गांव तथा कुछ नगरों में भी पानी की गुणवत्ता घट रही है। इससे अनेक जलजन्य बीमारियां फैलती हैं।

पेयजल की प्राप्यता तथा शुद्धता जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। पीने के पानी की सुविधा बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्नों के बावजूद भी पानी की मांग एवं उसकी आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर है। आज भी भारत में 8% शहरों में पेयजल की तीव्र कमी है। देश के लगभग 50% गाँवों को आज भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बाकी है।

भारत में सिंचाई सुविधा में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद दो-तिहाई कृषिक्षेत्र अभी भी वर्षा पर आधार रखते हैं। वर्तमान समय में कुएँ एवं ट्यूबवेल द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में पानी बाहर निकालने से भूमिगत जल का स्तर नीचा गया है। परिणाम स्वरूप जल संसाधन घटा है। कुछ राज्यों में भूमिगत जल को अधिक मात्रा में निकालने से देश में गंभीर प्रश्न खड़ें हुए हैं। पानी की घटती गुणवत्ता और बढ़ती तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृषि उपरांत उद्योगों में पानी का अनियंत्रित उपयोग होता है। घरेलू तथा इकाइयों के दूषित जल, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है।

जलसंसाधनों की सुरक्षा एवं व्यवस्थापन

हम सब जानते हैं कि उपलब्ध जल मर्यादित है। इसका वितरण भी असमान है। साथ में प्रदूषित जल की समस्या है। इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग तथा पर्याप्त जल की प्राप्यता के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। 'जल' ऐसा संसाधन है कि उसका सीधा संबंध समग्र जीवसृष्टि के साथ जुड़ा है। जल संसाधन को सुरक्षा के उपाय अलग-अलग स्तर पर करने की आवश्यकता है। जल संसाधन की सुरक्षा 'जल संरक्षण' के रूप में जानी जाती है। जल संरक्षण के कुछ सामान्य उपाय निम्नलिखित अनुसार हैं। जल संचय के लिए अधिक से अधिक जलाशयों का निर्माण एक नदी बेसिन के साथ दूसरी नदी बेसिन को जोड़ना एवं भूमिगत जलस्तर (सतह) को ऊपर लाना आदि का समावेश हो सकता है। जल एक राष्ट्रीय संपदा है।

जलप्लावित क्षेत्र विकास

जलप्लावित क्षेत्र एक प्राकृतिक इकाई है। इसका उपयोग अनुकूलता अनुसार छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों में समन्वित विकास करने के लिए किया जाता है। नदी बेसिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसका पानी नदी एवं उसकी शाखाओं द्वारा बहकर एक स्त्रावक्षेत्र बनाता है। मूल रूप से शाखा नदी का बेसिन विस्तार ही है। ऋतु के अनुसार होनेवाली वर्षा के कारण इस नदी का पानी बहकर आगे जाता है। और अंत में किसी न किसी नदी से मिल जाता है। जलप्लावित क्षेत्र विकास एक समग्रतया विकास का अभिगम है। इसमें जमीन एवं नमी संरक्षण, जलसंचयन, वृक्षारोपण, वनीकरण, बागायत, गौचरविकास एवं सामुदायिक भूमि संसाधन के उत्थान संबंधी कार्यक्रमों का समावेश होता है। इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से भूमिक्षमता तथा लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है। इसमें स्थानीय राज्य सरकारों ने कई योजनाएँ शुरू की हैं।

वृष्टि-जल संचयन

वृष्टि-जल को रोककर एकत्र करने की विशेष पद्धतियाँ जैसे कुएँ, छोटे बाँध, खेत-तलैया आदि का निर्माण करने का समावेश किया जाता है। इन माध्यमों के द्वारा जल संचयन होता है। यहाँ भूमिगत जलस्तर भी ऊँचा आता है। ऐसा करने से घरेलू एवं कृषि आवश्यकता पूरी हो सकती है।

वृष्टिजल संचय के मुख्य उद्देश्य

- भूमिगत जल को एकत्र करने की क्षमता बढ़ाना तथा उनके जल-स्तर को बढ़ाना।
- जल प्रदूषण घटाना।
- भूमि जल की गुणवत्ता सुधारना।
- स्थल मार्गों को जल-भराव से बचाना।
- सतह से बह जानेवाले पानी की जलराशि घटाना।
- गरमी एवं लम्बे शुष्क समय में पानी से घरेलू आवश्यकता पूर्ण करना।
- पानी की बढ़ती माँग को पूर्ण करना।
- बड़े शहरों में बहुमंजिले आवासों के बीच वर्षा के पानी का संग्रह हो इसलिए भूमिगत टांकियाँ अथवा वर्षा जल जमीन में उतरे ऐसी व्यवस्था करना।

जानने योग्य

"गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में"

"वर्षाजल का संग्रह करके बेडज गाँव ने पानी की समस्या हल की है। "

पानी की कीमत समझ कर उसका जतन करने की समझ अरवल्ली जिले के पिछड़े गांव बेडज के ग्रामजनों ने बनायी है। लगभग 2.25 करोड़ लीटर (2 लाख घनमीटर) वर्षाजल रोककर, संग्रह कर, क्षेत्र को हरित बना दिया गया। गाँव के लोगों का ही एक संगठन बनाकर गाँव एवं उस क्षेत्र की प्राथमिक समस्या 'पानी की समस्या' का निराकरण करने का लक्ष्य बनाया एवं उन्हें साथ मिला सामाजिक संस्था का। उस संस्था के सहयोग से बेडज के ग्रामजनों को जाग्रत किया गया एवं गाँव का पानी गाँव में एवं खेत का पानी खेत में से बाहर न जाने देने के लिए सब संकल्पबद्ध हुए। लगभग 7 बीघा क्षेत्र में फैले तालाब को सिर्फ तीन महीने में 20 से 22 फुट गहरा किया गया एवं सामाजिक संस्था द्वारा मिले आर्थिक सहयोग से सिर्फ बेडज क्षेत्र में 10 चेकडेम, 11 खेत तलैया, 25 हेक्टर में ड्रीप, 10 हेक्टर में पाइपलाइन, गहरी जुताई, मेड़ बनाकर लगभग दो लाख घनमीटर वर्षाजल को रोक कर, संग्रह कर पथरीली एवं सूखी जमीन को हरित बनाकर, दूसरों को राह बताई है। इससे बेडज में 154 बीघा जमीन को सिंचाई की नयी सुविधा मिली है। मात्र एक वर्ष में 12.5 % दूध बढ़ा है। कुओं में 20 प्रतिशत पानी बढ़ा है। जिससे कृषि उपज का उत्पादन बढ़ा है। आज मेघरज में पानी की तंगी में भी बेडज की 136 बीघा जमीन में जायद फसल लहरा रही है।

जल व्यवस्था के लिए निम्नलिखित मुद्दे ध्यान में रखने चाहिए :

- बाग-बगीचे, वाहन, शौचालय तथा वाश-बेसिन में उपयोग लिए जानेवाले पानी का मितव्ययिता पूर्ण उपयोग करना चाहिए।
- लोकजागृति उत्पन्न कर तथा जल संरक्षण एवं उसके कुशल व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रवृतियों में लोक सहयोग बढ़ाना।
- उपयोग में लिए गए पानी को जितना संभव हो उतना पुनः उपयोग हो ऐसे प्रयत्न करना।
- जलाशयों को प्रदूषण से बचाना।
- जलस्त्राव की सभी इकाइयों में कुएँ, ट्युबवेल, खेत-तलैया आदि का उपयोग बढ़ाना।
- भूमिगत जल का उपयोग करनेवाली इकाइयों पर ध्यान रखना।
- जल संचय स्थानों की दुर्दशा तथा जलप्रदूषण को रोकने के लिए पानी की पाइपों का तुरंत रिपेरिंग काम करना

प्रत्येक्ष क्षेत्र के लिए एक समान उपाय नहीं किए जा सकते हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र के जल संसाधनों का विकास एवं व्यवस्थापन के लिए संबंधित स्थानीय लोगों का सहकार लेकर उन्हें जोड़ना चाहिए।

इस तरह जल का मितव्ययिता पूर्ण उपयोग करना चाहिए। जलसंचय के लिए नवीन पद्धतियाँ उपयोग में आ रही हैं। वर्षा हो या न हो, जल संकट हम पर फैला है। खेत हो या पनिहारी, हमें पानी की बूँद-बूँद बचाने की आवश्यकता है। जल ही जीवन है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए :

(1) जल संसाधन की सुरक्षा के उपाय बताइए।

(2) भारत में जल संकट उत्पन्न होने के संयोग बताइए।

(3) वृष्टि जल संचय के बारे में जानकारी दीजिए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्देवार उत्तर लिखिए :

(1) बहुउद्देशीय योजना का महत्त्व बताइए।

(2) सिंचाईक्षेत्र के वितरण के बारे में लिखिए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए :

(1) भूमिगत जल के उपयोग लिखिए।

(2) जल व्यवस्थापन में कौन से मुद्दों को ध्यान रखना चाहिए ?

4. नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए।

(1) भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत कौन-सा है ?

(A) वृष्टि (B) तालाब (C) नदियाँ (D) सरोवर

(2) निम्नलिखित बहुउद्देशीय योजनाओं को अनेक लाभान्वित राज्यों के साथ जोड़कर योग्य क्रम चुनिए :

(1) भाखड़ा-नांगल	(a) बिहार
(2) कोसी	(b) पंजाब
(3) नागार्जुन सागर	(c) गुजरात
(4) नर्मदा	(d) आंध्रप्रदेश

(A) (1 - b), (2 - a), (3 - c), (4 - d) (B) (1 - b), (2 - a), (3 - d), (4 - c)

(C) (1 - d), (2 - c), (3 - b), (4 - a) (D) (1 - c), (2 - d), (3 - a), (4 - b)

(3) निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य सही नहीं है ?

(A) भारत में नहरों की अपेक्षा कुएँ एवं ट्यूबवेल द्वारा होनेवाली सिंचाई का प्रमाण अधिक है।

(B) हिमालय से निकलनेवाली नदियाँ कहाँ जाती हैं ?

(C) जमीन की सतह से शोषित होकर नीचे जमा होनेवाले जल को भूमिगत कहते हैं।

(D) पंजाब एवं हरियाणा सिंचाई के क्षेत्र में अग्रसर राज्य हैं।

(4) वर्गखंड में खेत-तलैया के बारे में विद्यार्थियों की चर्चा के दौरान प्रस्तुत कौन-सा वाक्य योग्य है ?

(A) जय : उद्योग के लिए पानी प्राप्ति का महत्त्वपूर्ण संसाधन है।

(B) यश : अधिक वृक्ष लगाने के आंदोलन का महत्त्वपूर्ण अंग है।

(C) युग : जमीन का कटाव बढ़ाने की आधुनिक पद्धति है।

(D) दक्ष : वृष्टि जलसंचय की एक पद्धति है।

(5) निम्नलिखित बहुउद्देशीय योजनाओं को उनके स्थान के आधार पर उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ रखने पर कौन-सा विकल्प सही होगा?

(A) चंबल घाटी, भाखड़ा-नांगल, नर्मदा घाटी, नागार्जुन सागर

(B) भाखड़ा-नांगल, नागार्जुन सागर, नर्मदा घाटी, चंबल घाटी

(C) नागार्जुन सागर, नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, भाखड़ा-नांगल,

(D) भाखड़ा-नांगल, चंबल घाटी, नर्मदा घाटी, नागार्जुन सागर,

प्रवृति

- अपने आस-पास स्थित बहुउद्देशीय योजना की मुलाकात लीजिए।
- अपने शिक्षक से देश में अलग-अलग क्षेत्रों में उपयोग में लिए जानेवाले जलस्रोतों के बारे में विस्तार से जानिए।
- अपने गाँव या शहर में दी जानेवाली जल-आपूर्ति की जानकारी बड़े-बुजुर्गों से प्राप्त कीजिए।
- पानी के महत्त्व से सम्बन्धित गीत एवं सूत्रों के चार्ट बनाइए।
- समाचारपत्रों में जल संचय से सम्बन्धित जानकारी प्राप्तकर फोटोग्राफ्स, सूत्र, लेख एवं सरकारी विज्ञापन आदि का आल्बम बनाइए।

•

12 भारत : खनिज एवं शक्ति के संसाधन

आदिमानव की आवश्यकताएँ मर्यादित थीं। उस समय वह मात्र जीवन टिकाए रखने के लिए कार्य करता था। मनुष्य ने विकास के शिखर जीते हैं। मनुष्य की विकासगाथा में खनिज संसाधनों का बड़ा योगदान है। खनिज प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्य की विकासयात्रा को कई चरणों में बांटा गया है। जैसे कि पाषाणयुग, ताम्रयुग, कांस्ययुग, लौहयुग एवं आधुनिक समय अर्थात् अणुयुग। पाषाण युग में मनुष्य शिकार के लिए पत्थरों का उपयोग करता था जो आज अवकाशी उड्यन करने लगा है। मनुष्य का खनिजों के साथ प्रगाढ़ एवं पुराना संबंध है। वर्तमान समय में खनिज राष्ट्र के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। यू.एस. एवं रूस खनिज के योग्य उपयोग के कारण विश्व की महासत्ताएँ बनी हैं। दोनों राष्ट्र खनिजों के वैविध्य एवं समृद्धि से संपन्न हैं। हमारे देश में भी खनिजों के विपुल भंडार होने पर भी लम्बे समय से गुलामी एवं तक्नीकी ज्ञान के अभाव में आर्थिक विकास कम हुआ है।

खनिज

प्राकृतिक अकार्बनिक क्रियाओं से तैयार निश्चित रासायनिक संरचनावाले पदार्थों को खनिज कहते हैं।

खनिज पृथ्वी के गर्भ में अनंत काल से चली आ रही अजैविक प्रक्रियायों का परिणाम है। पृथ्वी की चट्टानों में अजैविक प्रक्रियाओं के कारण बने निश्चित रासायनिक, समानगुणी संरचना तथा विशिष्ट अणुरचनावाले ठोस प्रवाही या वायु स्वरूप के पदार्थों को खनिज कहते हैं। इसके ठोस स्वरूप में लोहा, मैगनीज, सोना एवं चाँदी इत्यादि खनिज एवं प्रवाही स्वरूप में पारा, पेट्रोलियम तथा वायु स्वरूप में प्राकृतिक गैस का समावेश होता है। पृथ्वी के गर्भ में से किस प्रकार के खनिज मिलेंगे इसका आधार पृथ्वी की पपड़ी (सतह) की रचना किस प्रकार हुई है, उस पर है। जैसे कि आरनेम चट्टानों से लोहा, तांबा, जस्ता, सोना एवं चांदी जैसी खनिजें मिलती हैं। प्रस्तर चट्टानों में से ऊर्जा के खनिज कोयला, खनिजतेल एवं प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है। जबकि स्लेट, संगमरमर एवं हीरा रूपान्तरित चट्टानों से मिलता है।

खनिजों का वर्गीकरण

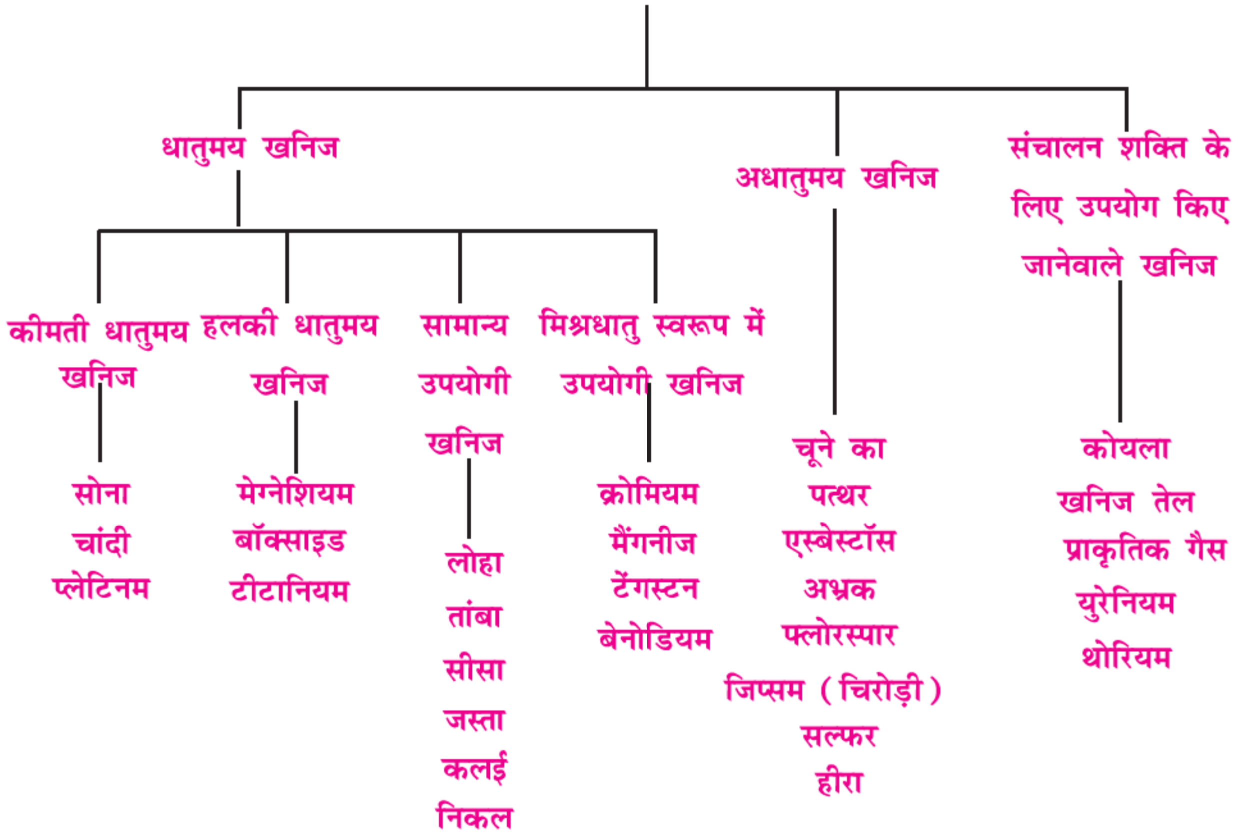

चार्ट - 1

लोहा (लौह अयस्क, Iron Ore) : लोहा आधुनिक विश्व के औद्योगिक विकास का आधाररूप खनिज माना जाता है। आल्पिन से लेकर बड़े यंत्र, मोटरगाडियाँ, जहाज, रेलवे, पुल, मकान एवं शस्त्र बनाने के लिए इसका व्यापक उपयोग होता है। यह सस्ता, मजबूत, टिकाऊ भी है। अधिकतर राष्ट्रों में सरलता से मिलता है। इसका अन्य धातुओं में मिल जाने का गुणधर्म होने के कारण यह महत्त्वपूर्ण खनिज माना जाता है।

लोहा अशुद्ध स्वरूप में मिलता है इससे कच्ची धातु को शुद्ध करने के लिए कोक एवं चूने के साथ विशाल भट्ठी में तपाकर गलाया जाता है। इसे ढलुवा लोहा कहते हैं एवं इसमें से कार्बन तत्त्व दूर करने पर लोहा मिलता है, जिसे ढलाई का लोहा कहते हैं।

भारत में मिलनेवाले लोहे को कच्ची धातु के चार प्रकार हैं : (1) हेमेटाइट (2) मेग्नेटाइट (3) लिमोनाइट (4) सिडेराइट

भारत में सर्वाधिक लोहा कर्नाटक राज्य में से मिलता है। इसके बाद क्रमशः ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ एवं आंध्रप्रदेश में से प्राप्त होता है। इसके उपरान्त गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तरप्रदेश एवं असम आदि राज्यों में से लोहा मिलता है।

मैगनीज (Manganese) : मैंगनीज यह लोहा-फौलाद उद्योग के लिए महत्त्वपूर्ण धातु माना जाता है। इसका मुख्य उपयोग लोहे में से फौलाद बनाने में होता है। इसके अन्य उपयोग में रासायनिक उद्योग-ब्लीचिंग पाउडर, जन्तु-कीटनाशक, शुष्क बैटरी एवं टाइल्स बनाने में होता है। इसके उपरांत चमड़ा उद्योग, कांच उद्योग, दियासिलाई उद्योग, फोटोग्राफी, चिनाई मिट्टी के बर्तन बनाने एवं रंगीन ईंट बनाने में इसका उपयोग होता है। मैंगनीज के मिश्रण में फौलाद की पाटे एवं सरिया में स्थितिस्थापकता (flexibility) एवं मजबूती आती है। तोड़ने या पीसने के यंत्रों को बनाने में फौलाद का उपयोग किया जाता है।

ओडिशा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं गोवा इसके मुख्य उत्पादक राज्य माने जा सकते हैं। तदुपरांत आंध्रप्रदेश, झारखंड, राजस्थान एवं गुजरात में से भी मैंगनीज प्राप्त होता है।

तांबा (Copper) : तांबे का उपयोग आदिकाल से किया जा रहा है। मनुष्य को सर्व प्रथम उपयोग में आई हुई यह धातु थी। इसके मिश्रण होने के गुण के कारण इसका महत्त्व अधिक है। इसमें कलई मिलाकर कांसा बनता है एवं जस्ता मिलाने से पीतल बनती है। इसका अधिकांशतः बिजली के साधनों में, टेलीफोन, रेडियो, टेलूविजन, रेफ्रिजरेटर एवं एयरकंडीशनर आदि साधनों को बनाने में उपयोग होता है। यह विद्युत की सुवाहक धातु है। इसके उपरांत जंतुनाशक दवाओं, स्फोटक पदार्थ, रंगीन कांच, सिक्के एवं छपाईकाम में भी यह उपयोग में होता है।

भारत में तांबे का उत्पादन करनेवाले मुख्य राज्य झारखंड, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान हैं। इसके उपरांत सिक्किम एवं आंध्रप्रदेश में से भी प्राप्त होता है। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में भी तांबा प्राप्त होता है।

बॉक्साइट (Bauxite) : यह धातु एल्युमिनियम की कच्ची धातु है। यह सर्व प्रथम 1821 में फ्रांन्स के ले-बाक्स के पास से मिली थी। बॉक्साइट में से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसके विशिष्ट गुण के कारण इसके विविध उपयोग हैं। यह वजन में हलकी, मजबूत, टिकाऊ, विधुत का सुवाहक, जंग-प्रतिरोधक, एवं सरलता से पीटा जा सकता है। इसका उपयोग गृह उपयोग के बर्तन, बिजली के साधन रंग एवं हवाई जहाज को बनाने के उद्योग में अधिक प्रमाण में होता है।

भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात से बॉक्साइट मिलता है। यह खनिज डेक्कनट्रेप की भूस्तरीय रचनावाले प्रदेश में से मिलती है। उत्तराखंड में रांची, गुजरात में जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत एवं साबरकांठा जिले में से बॉक्साइट प्राप्त होते हैं।

अभ्रक (Mica) : विश्व में भारत अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अभ्रक अग्निरोधक, विद्युत का अवाहक, होने से इसका उपयोग बिजली के साधन बनाने में होता है। जैसे की बिजली की मोटर, डायनेमो, रेडियो, टेलीफोन, मोटरगाड़ी, हवाईजहाज इत्यादि की बनावट में यह उपयोगी है।

भारत में बिहार, झारखंड, आंध्रप्रदेश एवं राजस्थान अभ्रक के उत्पादन के मुख्य राज्य हैं। इसके उपरांत कर्नाटक, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु में से भी अभ्रक प्राप्त होता है। भारत में मस्कोवाइट नामक अभ्रक का विशाल भंडार मिला है।

सीसा (Lead) : सीसे की धातु को गेलेना कहते हैं। यह मुलायम एवं वजन में भारी होता है। इसका उपयोग मिश्र धातु बनाने, बिजली के तार, रंग, शस्त्र, कांच, रबर तथा स्टोरेज बैटरी की बनावट में होता है।

भारत में सीसा अधिकतर राजस्थान, आंध्रप्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य में से मिलता है। पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मेघालय एवं सिक्किम जैसे राज्यों में से सीसा मिलता है।

सीसे का उत्पादन खूब अधिक प्रमाण में होने के बावजूद यह हमारी आवश्यकताएँ पूरी नहीं करता है। इसे विदेश में से आयात करना पड़ता है।

चूने का पत्थर (Lime Stone) : चूने का उपयोग सीमेन्ट बनाने में बड़े पैमाने पर होता है। तदुपरांत यह लोहा गलाने एवं रासायनिक उद्योग, सोडाएश, साबुन, रंग-रसायन, भवन-निर्माण, कागज एवं चीनी शुद्धीकरण में उपयोग होता है।

देश में 70 % चूने का उत्पादन करनेवाले राज्य आंध्रप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात एवं तमिलनाडु हैं। इसके उपरांत छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश चूने का पत्थर उत्पन्न करनेवाले अन्य राज्य हैं।

गुजरात के मुख्य उत्पादक जिले जूनागढ़, जामनगर, कच्छ, अमरेली एवं खेड़ा माने जाते हैं। बनासकांठा, महेसाणा, साबरकांठा, वडोदरा, पंचमहाल, भरुच, नर्मदा, सूरत, भावनगर एवं राजकोट आदि जिलों में भी चूने की चट्टान पाई जाती है। जामनगर जिले से प्राप्त होनेवाले चूने के पत्थरों में 97 % चूने का तत्त्व मिलता है।

संचालन शक्ति के खनिज

किसी भी देश के आर्थिक विकास की नींव में संचालन शक्ति के खनिज महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे राष्ट्र के उद्योग एवं अर्थतंत्र को चलायमान रखते हैं। इनमें कोयला, खनिजतेल, प्राकृतिक गैस एवं अणु खनिजों का समावेश होता है।

संचालन शक्ति के संसाधनों का वर्गीकरण

शक्ति के संसाधनों का अलग-अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे कि परंपरागत एवं बिनपरंपरागत शक्ति के संसाधन एवं व्यापारिक एवं बिनव्यापारिक शक्ति संसाधन।

कोयला, खनिजतेल, प्राकृतिक वायु एवं अणु खनिजे परंपरागत या व्यापारिक संसाधन माने जाते हैं। ये पुनः अप्राप्य शक्ति संसाधन भी हैं। इन खनिजों का उपयोग कर विद्युत प्राप्त की जाती है। जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भू-तापीय ऊर्जा, एवं ज्वारीय ऊर्जा बिनपरंपरागत शक्ति संसाधन हैं। पुनः अप्राप्य संसाधन भी माना जा सकता है। लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकडियाँ, गोबर के कंडे जैसे बिनव्यापारिक शक्ति संसाधन हैं।

कोयला (Coal) : प्राचीन काल से मनुष्य कोयले का उपयोग शक्ति संसाधन के रूप में करता आया है। हमें यह प्रश्न होगा की कोयला पृथ्वी के भूगर्भ में किस प्रकार बना होगा? प्राचीन समय में पृथ्वी पर जंगलों का साम्राज्य

था। पृथ्वी के गर्भ में होनेवाली आंतरिक संचलन क्रियाओं के कारण ये वनस्पतियाँ पृथ्वी के गर्भ में दब गईं। इसके परिणाम स्वरूप आंतरिक गरमी (उष्मा) एवं दबाव के कारण कार्बन तत्त्ववाले वृक्षों एवं प्राणियों का मंद दहन होता गया। इससे वनस्पतियों में से रूपान्तरित होकर कोयला बना, लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले का समय कार्बोनिफेरस समय अन्तराल के रूप में पहचाना गया। इस दौरान वृक्षों का धीरे-धीरे मंद दहन होने से इसका कार्बन तत्त्ववाले कोयले में रूपांतरण होता गया।

भापतंत्र की खोज से कोयले का उपयोग बढ़ता गया। इससे रेल एवं पानी के जहाज जैसे परिवहन के साधनों का उपयोग सरल बनता गया। फिर विद्युत की खोज से तापविद्युत के उत्पादन में कोयला महत्त्वपूर्ण खनिज बनता गया।

कोयले में से कुछ उप-उत्पादन भी मिलते हैं। जैसे कि डामर, अमोनिया गैस, अमोनियम सल्फेट, बेन्जोल तथा क्रूडओइल।

यह प्रस्तर चट्टानों में से प्राप्त होता है। इसके कार्बन तत्त्व के आधार पर चार प्रकार होते हैं : (1) एन्थ्रेसाइट कोयला (2) विट्युमिनस कोयला (3) लिग्नाइट कोयला एवं (4) पीट कोयला।

भारत में कोयले के भंडार : भारत में कोयला उत्पादन करनेवाले मुख्य राज्यों में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं जम्मू कश्मीर है। तदुपरांत राजस्थान, तमिलनाडु, असम एवं गुजरात में भी कोयले का उत्पादन होता है।

गुजरात में खनिज कोयले के क्षेत्र कच्छ, भरुच, महेसाणा, भावनगर एवं सूरत हैं। यहाँ से लिग्नाइट कोयला मिलता है।

खनिजतेल (Petroleum) : यह रेती पत्थर, चूना पत्थर, शेल आदि प्रस्तर चट्टानों से मिलता है। प्राचीन समय में कोयले की रचना की तरह ही पृथ्वी पर के प्राणी भूगर्भ में दबे एवं उनका हाइड्रोकार्बन्स में रूपान्तरण हुआ। यह स्वरूप लगभग प्रवाही स्वरूप में था। आंतरिक संचालनों के परिणाम स्वरूप इस स्वरूप के स्तर धीरे-धीरे भूस्तर की ओर उठते गए। कुछ समुद्र के तल में आए तो कुछ भूगर्भ से ऊपर आते गए।

भारत में 1866 में असम में तेल के कुएँ खोदे गए। 1867 में माकुम (असम) से खनिजतेल प्राप्त हुआ, उसके बाद भारत में अन्य स्थलों से खनिजतेल के भंडार मिले हैं।

भारत के खनिजतेल के भंडारों को 5 विभागों में बाँटा गया है : (1) उत्तरपूर्व के तेल क्षेत्र (2) गुजरात के तेल क्षेत्र (3) बॉम्बे हाई के तेल क्षेत्र (4) पूर्व किनारे के तेल क्षेत्र (5) राजस्थान के तेल क्षेत्र।

गुजरात के तेल क्षेत्र : स्वतंत्रता के बाद 1958 में गुजरात के खेड़ा जिले के लुणेज से सर्वप्रथम खनिजतेल प्राप्त हुआ। इसके बाद अंकलेश्वर, महेसाणा, कलोल, नवागाम, कोसंबा, साणंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, भरुच एवं भावनगर में से खनिजतेल मिला है।

खनिजतेल का शुद्धीकरण

भारत की रिफाइनरियाँ गुवाहाटी, बरौनी, कोयली, कोचीन, चेन्नई, मथुरा, कोलकाता एवं हल्दिया का समावेश होता है। विश्व का सबसे बड़ा खनिजतेल शुद्धीकरण संकुल गुजरात के जामनगर में आया हुआ है।

प्राकृतिक गैस (Natural Gas) : प्राकृतिक गैस खनिजतेल के साथ संलग्न होती है। इसमें से अलग होकर वह बाहर निकलती है। यह सस्ता एवं प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस के भंडार एवं खंभात बेसिन, कावेरी बेसिन तथा जैसलमेर (राजस्थान) में से प्राप्त हुए हैं। गुजरात का अंकलेश्वर खनिजतेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडारवाला क्षेत्र माना जाता है।

ऊर्जा के बिनपरंपरागत साधन

कोयला या खनिजतेल के जैसे शक्ति के संसाधन मर्यादित भंडार में उपलब्ध हैं। इसे लंबे समय तक बचाकर रखने के लिए इसका विकल्प खोजने के प्रयत्न आरंभ हुए हैं। इसके विकल्प स्वरूप पवनऊर्जा, सौरऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा एवं भू-तापीय ऊर्जा का समावेश होता है। ये सभी ऊर्जा स्रोत पुनः ऊर्जा के संसाधन हैं। कुछ लोग इसे अखूट शक्ति संसाधन के रूप में बताते हैं।

विश्व के देशों ने इन क्षेत्रों में कदम उठाए हैं। यू.एस, रूस, फ्रान्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड एवं जापान आदि देश इस दिशा में असरकारक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। 1981 में ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत आयोग Commission for Additional Sources of Energy (CASE) की रचना की गई। गुजरात में Gujarat Energy Development Agency (GEDA) गुजरात ऊर्जा विकास संस्था इस दिशा में कार्यरत है।

सौर ऊर्जा (Solar Energy) : सूर्य पृथ्वी सतह पर ऊर्जा का मूल स्रोत माना जाता है। वह वर्ष दरमियान अधिकतर दिन प्रकाशित रहता है। सौरऊर्जा के कारण समग्र पृथ्वी का जीवावरण जीवंत रहता है। सौरऊर्जा की तक्नीकि द्वारा भारत में काफी प्रगति हुई है। सोलर कूकर का उपयोग कर रसोई बनाना, सोलर हीटर का उपयोग कर पानी गरम करना, सोलर पेनल द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है।

गुजरात देश का सर्वाधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करनेवाला राज्य है। गुजरात ऊर्जा विकास एजन्सी (GEDA) ने छाणी (वडोदरा) के पास 10 टन की क्षमतावाला सौर शीतागार स्थापित किया है। वर्तमान समय में बिजली बिना के गांवों में रोडलाइट, खेतों में सिंचाई एवं टीवी के लिए सौर पेनल्स लगाई गयी है। गुजरात में भुज के पास माधापर में समुद्र के खारे पानी का डिसोलिनेशन (मीठा पानी बनाने की क्रिया) करने के लिए सौरऊर्जा प्लान्ट लगाया गया है। आज देश में सौर ऊर्जा से चलनेवाले उपकरणों का प्रचलन बढ़ा है।

पवन ऊर्जा (Wind Energy) : पृथ्वी की सतह पर सूर्य ऊर्जा बरसाता है। वातावरण में उत्पन्न होनेवाले भारी एवं कम दबाव के कारण पवन (हवाएं) उत्पन्न होते हैं। हमारे देश में समुद्रकिनारे एवं खुले प्रदेशों में पवनचक्कियों द्वारा पवन ऊर्जा प्राप्त की जाती है। विश्व में भारत पवन ऊर्जा प्राप्त करने वाला पाँचवाँ देश बना है।

भारत में पवन ऊर्जा प्राप्त करनेवाले राज्यों में से गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश एवं केरल का समावेश होता है।

गुजरात में जामनगर के लांबा गांव में एवं कच्छ में मांडवी के किनारे विन्डफार्म कार्यरत हैं। देवभूमि द्वारका, जामनगर, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर आदि जिलों में ऊँचाई पर पवनचक्कियां लगाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है।

बायोगैस (Bio-Gas) : बायोगैस के उत्पादन में काम बिना के कृषिपदार्थ, गन्ने का खोई, अन्य वनस्पति, गोबर एवं मनुष्य मलमूत्र का समावेश होता है। इन पदार्थों के सड़ने से मिथेन वायु मुक्त होती है। यह दहनशील वायु है। इसके उपयोग के बाद विषाणु बिना की कीमती खाद प्राप्त होती है। इस तरह ऊर्जा और खाद दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। यह ऊर्जा प्राप्ति का बिनपरंपरागत शक्तिसंसाधन है। सौर ऊर्जा एवं बायोगैस दोनों शक्तिसंसाधन भारतीय गाँवों की परंपरागत जीवन शैली को बदल सके, ऐसे हैं। ग्राम्यक्षेत्रों की स्वच्छता में वृद्धि होती है तथा इससे घरेलू ऊर्जा की कमी दूर होती है।

उत्तरप्रदेश एवं गुजरात बायोगैस के उत्पादन में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर है। गुजरात में सिद्धपुर के मेथाण में सबसे बड़ा आदर्श बायोगैस प्लान्ट बनाया गया है। यह सामुदायिक रूप से चलाया जाता है। अहमदाबाद में दसक्रोई तहसील के सदातल एवं बनासकांठा के दांतीवाडा में बायोगैस कार्यरत है। तदुपरांत व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वरूप में बायोगेस प्लान्ट की स्थापना कर उपयोग बढ़ाया जा रहा है।

भू-तापीय ऊर्जा (Geothermal Energy) : पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की भू-गर्भीय ऊर्जा, गरम फुहारें या गरम पानी के झरनों के स्वरूप में बाहर आती है। गरमी के कारण वह भाप में बदलती है। भाप पर दबाव के कारण मेग्मा के संपर्क में आने से भूमिगत जल में से ऊर्जा प्राप्त होता है। जिसका उपयोग कर भू-तापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है।

गुजरात में लसुन्द्रा, उनाई, टूवा एवं तुलसीश्याम में गरम पानी के झरने आए हुए हैं। इसमें से भू-तापीय उष्मा ऊर्जा मिलने की संभावना है।

ज्वारीय शक्ति (Tidal Energy) : सूर्य एवं चन्द्र के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पर आए हुए अधिकांश समुद्रों में ज्वार-भाटे की सतत प्रक्रिया चलती रहती है। पानी की इस शक्ति का उपयोग कर मनुष्य ने बिजली प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। ज्वार के पानी में शक्ति अधिक होती है। इसके साथ टर्बाइन लगाकर विद्युतशक्ति प्राप्त की जाती है। 1910 में फ्रान्स ने ज्वार-भाटा की सहायता से बिजली प्राप्त करने की योजना शुरू की। भारत में विशाल समुद्रीकिनारे होने से ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना बढ़ी है।

गुजरात के कच्छ एवं खंभात की खाड़ी में इस योजना का प्रारंभ किया गया है।

खनिज संरक्षण

मनुष्य जाति के अस्तित्व एवं विकास के लिए खनिज आवश्यक हैं। मनुष्य को खनिजसंरक्षण के सन्दर्भ में कुछ तथ्यों पर विचार करना जरूरी है। संरक्षण किसे कहते है? खनिजों का मितव्ययितापूर्ण एवं सुयोजित उपयोग अर्थात् खनिज संरक्षण। आज प्रत्येक राष्ट्र अपने विकास के लिए निर्यात बढ़ाने में प्रयत्नरत है। निर्यात बढ़ाकर विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए खनिजों का अनियंत्रित उपयोग हो रहा है। इससे खनिज संरक्षण जरूरी बना है।

खनिज संरक्षण के उपाय

(1) योग्य तक्नीकि का उपयोग : खनिजें प्राप्त करने के लिए योग्य तक्नीकि का उपयोग किया जाए तो खनिजों का दुर्व्यय रुकेगा

(2) पुन:चक्र : लोहा, तांबा, एल्युमिनियम एवं कलई के अनुपयोगी भंगार को पुनः उपयोग में लेना चाहिए।

(3) खनिजों का वैकल्पिक उपयोग : अल्प प्रमाण में प्राप्त होनेवाले खनिजों का विकल्प खोजना चाहिए। बिजली के स्थान पर सौर ऊर्जा, तांबे के स्थान पर एल्युमिनियम का एवं पेट्रोल के बदले सी. एन. जी का उपयोग करना।

(4) बिनपरंपरागत साधनों का उपयोग : जल, सौर पवन, बायोगैस जैसे बिनपरंपरागत साधनों का उपयोग बढ़ाना चाहिए।

(5) टिकाऊ (पोषणक्षम) विकास : पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखकर भविष्य की पीढ़ियों को शुद्ध पर्यावरण की भेंट देना। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के प्रयत्न करना।

(6) खनिजों के अनुमानित भंडार निश्चित हों, उसके बाद उसका आयोजनपूर्ण उपयोग हो तो अधिक लम्बे समय तक उसका उपयोग हो सकता है।

खनिज संसाधनों की सुरक्षा एवं संवर्धन आवश्यक है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए :

(1) खनिज तेल के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दीजिए।

(2) खनिज संरक्षण के उपाय लिखिए।

(3) विद्युत शक्ति पर टिप्पणी लिखिए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्देवार उत्तर लिखिए।

(1) चूने के उपयोग बताइए।

(2) अभ्रक के बारे में बताइए।

(3) तांबा की उपयोगिता बताइए।

(4) खनिजों के वर्गीकरण के बारे में लिखिए।

3. **निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए :**

(1) 'आधुनिक युग को खनिज युग कहते हैं।' क्यों ?

(2) वर्तमान में बिनपरंपरागत ऊर्जा शक्ति का उपयोग क्यों बढ़ा है ?

(3) लोहे के मुख्य प्राप्ति स्थान बताइए।

(4) भारत में मैंगनीज किन-किन राज्यों में मिलती है ?

4. **निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए विकल्प में से योग्य विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :**

(1) पालनपुर की एक स्कूल, कक्षा के विधार्थियों को बायोगैस प्लान्ट का निदर्शन करवाना चाहती है। तो उसके सबसे नजदीक का स्थान चुनिए।

(A) धुवारण (B) दांतीवाडा (C) मेथाण (D) उन्द्रेल

(2) भविष्य में भू-तापीय ऊर्जा शक्ति का उपयोग किया जा सके इसलिए भारत सरकार के कुछ अधिकारी गुजरात की मुलाकात लेना चाहते हैं।

- निम्नलिखित चार स्थानों में से तीन पर ही जाने जितना समय उनके पास है। तो किस स्थान की मुलाकात वह रद्द कर सकता है ?

(A) तुलसीश्याम (B) उनाई

(C) सापुतारा (D) लसुन्द्रा

(3) निम्नलिखित जोड़े सही बनाकर उत्तर खोजिए :

(a) चांदी, प्लेटिनम	(1) सामान्य उपयोग में ली जानेवाले खनिज
(b) मेग्नेशियम, टिटानियम	(2) मिश्रधातु के स्वरूप में उपयोग में ली जानेवाली खनिज
(c) सीसा, निकल	(3) कीमती धातुमय खनिज
(d) टंगस्टन, वेनेडियम	(4) हल्की धातुमय खनिज

(A) (a - 1), (b - 3), (c - 2), (d - 4) (B) (a - 3), (b - 4), (c - 1), (d - 2)

(C) (a - 2), (b - 2), (c - 4), (d - 3) (D) (a - 4), (b - 1), (c - 3), (d - 2)

(4) अभ्रक का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं है-यह खोजिए।

(A) रेडियो एवं टेलीफोन में उपयोग होता है।

(B) हिमालय में से निकलनेवाली नदियाँ मौसमी नदी कही जाती हैं।

(C) चमक देने के लिए कांच के पूरक पदार्थ के रूप में उपयोग होता है।

(D) हवाईजहाजों के ईंधन में उपयोग होता है।

प्रवृत्ति

- स्कूल के वार्षिक पर्यटन के समय किसी खनिज उत्खनन की जानकारी प्राप्त करने के लिए खान की मुलाकात लीजिए।
- खनिज उत्खनन की प्रवृति के चित्र एकत्र कर आल्बम बनाए।
- स्कूल या घर में उपयोग की जानेवाली धातुओं से बनी चीजवस्तुओं की सूची बनाइए।

•

13 उत्पादन उद्योग

मनुष्य के द्वारा अपनी बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षमता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप को बदलकर उपयोग में लिया जा सके, ऐसी प्रक्रिया को उद्योग कहा जाता है। भारत में सिंधुघाटी की सभ्यता से ही उद्योगों की परंपरा चली आई है। उस समय में भारत में सूती कपड़ा, मिट्टी के बर्तन एवं कांसे की वस्तु तथा मनके बनाए जाते थे। अठारहवीं सदी तक भारत जहाज बनाने के उद्योग, हस्तकला एवं गृहउद्योग में आगे था। भारत के सूती कपड़े, मलमल के कपड़े, धातु के बर्तन तथा आभूषणों की विदेशों में खूब माँग रहती थी।

यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ अंग्रेज भारत में से कच्चा माल, खास कर कपास ले जाते थे। वहाँ के कारखानें में से तैयार माल भारत में ऊँची कीमत बेचा जाए एवं भारत का हस्तउद्योग टूट जाए ऐसी नीति अपनाते थे। इससे भारत के वस्त्र उद्योग को भारी नुकसान हुआ तथा भारत के कलाकार एवं कारीगर बेकार बने।

उद्योगों का महत्त्व

आज के युग में राष्ट्रों का अस्तित्व उद्योगों के विकास पर ही आधारित है। आर्थिक विकास औद्योगिक विकास के बिना असंभव है। जो देश औद्योगिक दृष्टि से जितने अधिक विकसित हुए उनकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत बनी है। यु.एस.ए., रूस, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश औद्योगिक विकास के आधार पर ही समृद्ध एवं विकसित राष्ट्र बने हैं। जिन देशों में उद्योगों का विकास नहीं हुआ है अथवा कम हुआ है। वे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उद्योगों के कच्चे माल से बनी वस्तुएँ ऊँची कीमत चुकाकर विदेशों से खरीदते हैं। भारत में समग्र राष्ट्रीय उत्पादन में उत्पादन उद्योग का 29% योगदान है।

ब्रिटिश शासन काल की नीति ने भारत के औद्योगिक ढांचे की कमर तोड़ दी। पराधीनता के दरमियान भारत में आधुनिक पद्धति से उद्योगों की खास स्थापना न हो सकी। 1853 में चारकोल आधारित प्रथम लोहा गलाने की औद्योगिक इकाई स्थापित की गई, परन्तु वह निष्फल रही। सर्वप्रथम सफल प्रयत्न 1854 में सूती कपड़ा उद्योग का है। इसके बाद 1855 में कोलकाता के नजदीक रिशरा में पटसन का कारखाना लगाया गया। इसके पश्चात् 1874 में कुल्टी में कच्चा लोहा (लौह अयस्क) बनाने का कारखाना स्थापित किया गया, जो एक वर्ष पश्चात् बंद करना पड़ा। जो इसके बाद 1881 में पुनः शुरू हुआ। 1907 में जमशेदपुर में टाटा लोहा-फौलाद कम्पनी की स्थापना होने से औद्योगिक विकास को नई दिशा प्राप्त हुई।

उद्योगों का वर्गीकरण

उद्योगों को मानवश्रम, मालिकाना आधार तथा कच्चे माल के स्रोत के आधार पर इन्हें लघु उद्योग एवं भारी उद्योग इस तरह से बांटा गया। जिस उद्योग में अधिक रोजगारी मिले, उसे भारी (बड़े) उद्योग कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सूती कपड़ा उद्योग। जो उद्योग किसी विशेष व्यक्ति के मालिकाना में संचालित हो एवं ऐसे उद्योगों में श्रमिकों की संख्या कम हो तो उसे लघु (छोटे) स्तर के उद्योग कहते हैं। उदाहरण स्वरूप खांडसरी उद्योग। इसके उपरांत उद्योगों को निजी, सार्वजनिक, संयुक्त तथा सहकारी वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है तथा कच्चेमाल के स्रोत के आधार पर इसे कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग के वर्गों में बांटा जाता है।

कृषि आधारित उद्योग

सूती कपड़ा, पटसन, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, चीनी, कागज आदि कृषि आधारित प्रवृत्तियों से प्राप्त होनेवाले कच्चेमाल पर आधारित उद्योग हैं।

सूती कपड़ा उद्योग

भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का प्रमुख स्थान है। यह उद्योग लगभग 3.5 करोड़ लोगों को

रोजगार देता है। देश में सबसे अधिक रोजगार का सर्जन कपड़ा उद्योग ही करता है। चीन के पश्चात् सूती कपड़े के निर्यात में भारत स्थान रखता है। उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से यह उद्योग देश का मुख्य उद्योग है।

मुंबई में सर्वप्रथम कपड़ा मिल की शुरुआत हुई। इसके बाद अहमदाबाद में शाहपुर मिल तथा केलिको मिल की स्थापना हुई। सूती कपड़े की मिलें प्रारंभ के वर्षों में मुंबई एवं अहमदाबाद में स्थापित हुई। सस्ता कपास, श्रमिकों की उपलब्धि, परिवहन सुविधा, निर्यात के लिए बन्दरगाह तथा बाजार क्षेत्र की अनुकूलता के कारण यहां सूती कपड़े के मिलों की स्थापना हुई। आज सूती कपड़े की मिलें देश के लगभग 100 नगरों में आई हुई हैं। वर्तमान समय में मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर एवं उज्जैन सूती कपड़े के उद्योग के मुख्य एवं परंपरागत उद्योग हैं।

महाराष्ट्र के मुंबई में सूती कपड़े की अधिक मिलें हैं। जिससे उसे सूती कपड़े का विश्वमहानगर (Cottonopolis of India) कहते हैं । तदुपरांत पूना, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव जैसे शहरों में भी यह उद्योग स्थापित हुआ है। गुजरात में अहमदाबाद को 'पूर्व का मांचेस्टर' तथा 'डेनिम सिटी ऑफ इन्डिया' भी कहा जाता है। इसके उपरांत वडोदरा, कलोल, भरुच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट आदि शहरों का भी समावेश होता है। तमिलनाडु में कोयम्बत्तूर मुख्य केन्द्र हैं। चेन्नई एवं मदुराई आदि केन्द्रों का भी समावेश होता है। उत्तरप्रदेश में कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ आदि मुख्य केन्द्र है। मध्यपदेश में इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन एवं देवास मुख्य केन्द्र हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद प्रमुख केन्द्र हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भी सूती कपड़ा उद्योग का विकास हुआ है। इस उद्योग के विकेन्द्रीकरण करनेवाले तत्त्वों में व्यापक बाजार क्षेत्र, परिवहन बैंक तथा बिजली की सुविधा है।

आज यह कपड़ा उद्योग उत्तम प्रकार की कपास की कमी पुराने यंत्रों का उपयोग, अनियमित बिजली आपूर्ति, कृत्रिम रेशेवाले कपड़ों से स्पर्धी तथा वैश्विक बाजार में तीव्र स्पर्धा की समस्याओं का सामना कर रहा है।

भारत, रूस, युनाइटेड किंग्डम संयुक्त राज्य अमेरिका, सुडान, नेपाल, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में सूती कपड़े का निर्यात करता है।

पटसन कपड़े का उद्योग

पटसन यह दूसरे क्रम पर आनेवाला भारत का मुख्य उद्योग है। पटसन एवं पटसन से बनी चीजवस्तुओं के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। पटसन के निर्यात में भारत का क्रम बांग्लादेश के पश्चात् दूसरा है। देश में पटसन के कुल उत्पादन में बंगाल लगभग 80%, आंध्रप्रदेश 10% एवं बाकी का उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा, असम, त्रिपुरा में पटसन का उत्पादन होता है।

पटसन को संशोधित करने के लिए भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता है। इसकी अधिकांश मिलें हुगली नदी के किनारे आई हुई हैं। सस्ता मानवश्रम, बैंक एवं बीमा सुविधा, निर्यात के लिए बंदरगाह की सुविधा के कारण पश्चिम बंगाल में यह उद्योग केन्द्रित हुआ है।

आज विभिन्न वस्तुओं के पैकिंग में अन्य विकल्पों के कारण पटसन की मांग में कमी आई है। अधिक उत्पादन खर्च तथा बाजार में पटसन की घटती मांग जैसी समस्याओं का सामना पटसन उद्योग कर रहा है।

रेशमी कपड़े

भारत में रेशमी कपड़े के उत्पादन की सुदीर्घ परंपरा रही है। चीन के बाद भारत रेशम उत्पादन करनेवाला द्वितीय क्रमवाला देश है। भारत में चार प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है : शहतूती, इरी, टसर तथा मूंगा।

वर्तमान समय में भारत में 300 जितनी रेशमी कपड़ा बुनाई की मिलें हैं। कर्नाटक, मध्यप्रदेश, पश्चिमबंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मु-कश्मीर कच्चा रेशम तैयार करनेवाले मुख्य राज्य हैं। रेशमी वस्तुओं की निर्यात यूरोप, अफ्रीका, मध्यपूर्व के देशों में बड़े पैमाने पर की जाती है। तदुपरांत जर्मनी, सिंगापुर, यु.एस.ए, कुवैत, मलेशिया एवं रूस आदि देशों में भी निर्यात होता है। आंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रेशम को चीन की रेशम की तीव्र स्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

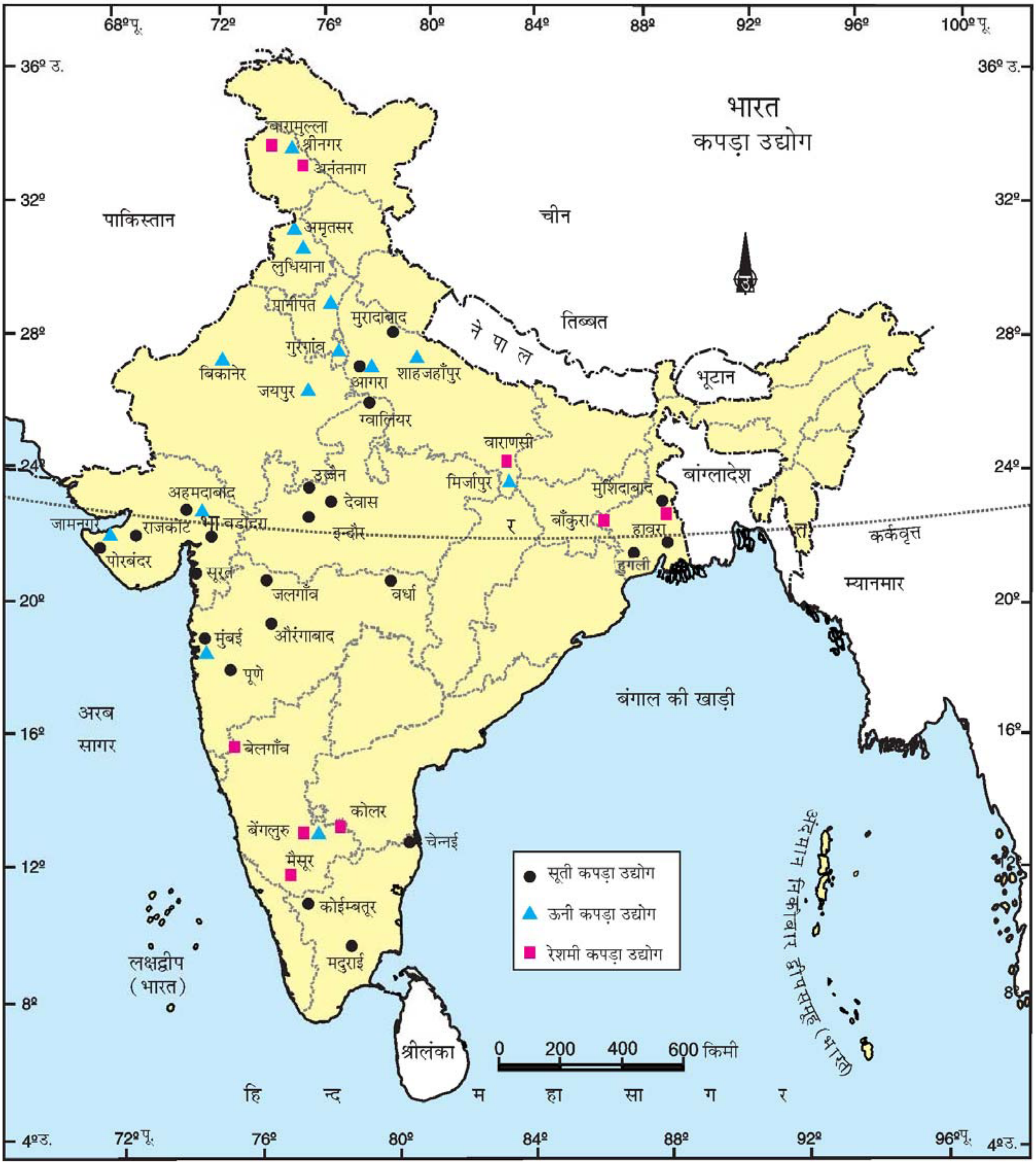

13.1 सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, रेशमी कपड़ा केन्द्र

ऊनी कपड़ा

भारत में कुटीर उद्योग के स्वरूप में ऊनी कपड़े का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे अधिक ऊनी कपड़े की मिलें पंजाब में आई हुई हैं। इसके बाद का क्रम महाराष्ट्र का आता है। उत्तरप्रदेश में भी ऊनी कपड़े की मिलें हैं। गुजरात में अहमदाबाद एवं जामनगर में ऊनी वस्त्रों के केन्द्र हैं। राजस्थान में बिकानेर, जयपुर तथा जम्मूकश्मीर में श्रीनगर, कर्नाटक में बेंग्लुरु मुख्य केन्द्र हैं। ऊन में से बने कालीन का निर्माण भी भारत में होता है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रान्स, रूस आदि देशों में ऊनी कपड़े का निर्यात होता है।

कृत्रिम कपड़ा

मानव निर्मित रेसे में से बने कपड़े मजबूत, टिकाऊ तथा सिलवट न पड़ने के कारण इस उद्योग का भी अच्छा विकास हुआ है। कपास के रेसे के साथ कृत्रिम रेसा मिलाकर मिश्रकपड़ा बनाया जाता है। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि इस उद्योग के मुख्य राज्य हैं। सूरत, वडोदरा, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मोदीनगर आदि शहर भी उल्लेखनीय केन्द्र हैं।

चीनी उद्योग

गन्ने के रस में से गुड़ बनाने का उद्योग अत्यंत प्राचीन है। कृषि पर आधारित उद्योग में कपड़े के बाद भारत में चीनी उद्योग का आता है। गन्ने में रही पानी की मात्रा कम न हो जाए, इसलिए गन्ना काटने के बाद चौबीस घंटे में उसकी पेराई करनी आवश्यक है। अन्यथा उसमें से चीनी की उत्पादकता घट जाती है। इससे चीनी तथा खांडसरी के कारखाने उसके उत्पादक क्षेत्रों के पास के स्थानों पर ही स्थापित किए जाते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में चीनी के कारखाने हैं। गुजरात में बारडोली, गणदेवी, सूरत, नवसारी, सायण, व्यारा, भरूच, कोडीनार तथा तलाला-गीर आदि स्थानों पर यह उद्योग स्थापित हुआ है।

कागज़ उद्योग

मुलायम लकड़ी, बांस, घास, गन्ने की खोह्या आदि में से कागज बनाया जाता है। आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश में यह उद्योग विकसित हुआ है।

खनिज पर आधारित उद्योग

बिन उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग होता है। उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। लोहा एवं फौलाद उद्योग, एल्युमिनियम, तांबा, रसायन उद्योग, खाद उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, परिवहन के साधन तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योग का समावेश होता है।

लोहा-फौलाद उद्योग

लोहा एवं फौलाद उद्योग आधुनिक औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की धुरी समान है। इसके उत्पादनों से ही उद्योगों के यंत्र एवं अन्य ढांचों का निर्माण होता है। इस उद्योग को चाभीरूप उद्योग माना जाता है।

भारत में लोहा बनाने की प्रक्रिया अत्यंत प्राचीन है। दमास्कस में तलवार बनाने के लिए लोहे की आयात भारत में से की जाती है। भारत में आधुनिक रूप से लोहा बनाने का प्रथम कारखाना तमिलनाडु के पोर्टोनोवा में स्थापित किया गया, परंतु कुछ कारणों से वह बंद हो गया। पश्चिम बंगाल में कुल्टी में कच्चे लोहे का सफल उत्पादन हुआ। 1907 में झारखंड राज्य के जमशेदपुर में कारखाने की स्थापना से लोहा-फौलाद का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। पश्चिम बंगाल में आए हुए बर्नपुर तथा कर्नाटक में भद्रावती में कारखाना स्थापित किया गया। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में लोहा-फौलाद के कारखाने स्थापित किए गए। बोकारो, विशाखापटनम एवं सेलम में भी आधुनिक एवं बड़े कारखाने

स्थापित किए गए। लोहा-फौलाद बनाने के लिए लौह अयस्क, कोयला, चूने का पत्थर, मैंगनीज का कच्चेमाल के रूप में उपयोग होता है। गुजरात में हजीरा के पास मिनी स्टील प्लान्ट स्थापित किया गया है। टाटा सिवाय के लोहा-फौलाद के कारखानों का प्रबंधन स्टील ऑथोरिटी ऑफ इन्डिया-[SAIL] को सौंपा गया है। लोहा-फौलाद के उत्पादन में भारत का विश्व में पाँचवाँ स्थान है।

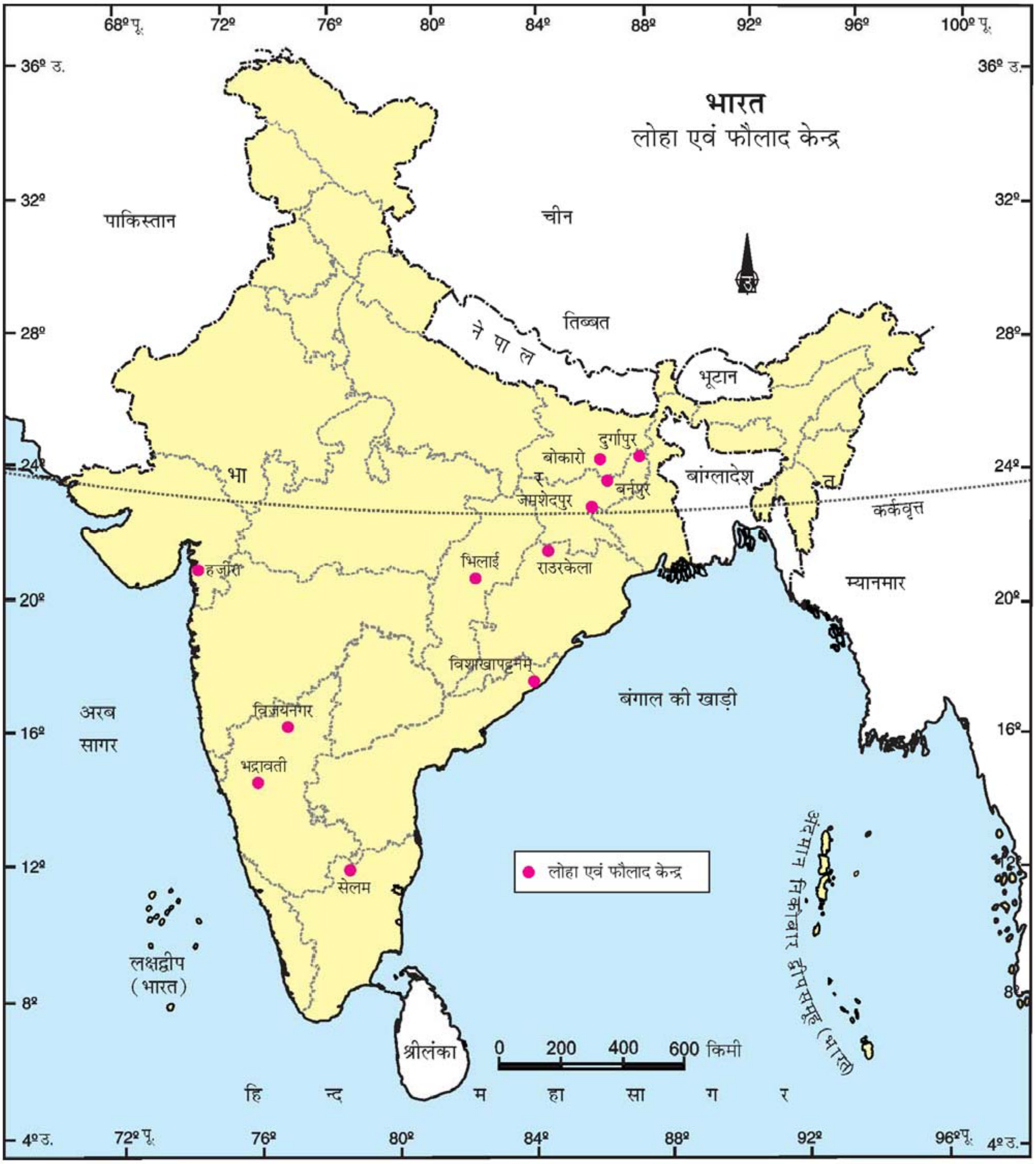

13.2 भारत में लोहा-फौलाद उद्योग के केन्द्र

एल्यूमिनियम गलाना

लोहा-फौलाद के बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण उद्योग एल्यूमिनियम गलाने का है। यह धातु वजन में हल्की, मजबूत, टिकाऊ, बिजली की सुवाहक एवं जंग न लगे ऐसी विशिष्टता रखती है। बॉक्साइट यह एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। इसमें अन्य मिश्र धातुएं मिलाकर मोटर, रेल, हवाईजहाज एवं यांत्रिक साधन बनाने में उपयोगी हैं। एल्यूमिनियम के उत्पादन में 40-50 प्रतिशत खर्च बिजली में होता है। इससे जहाँ बॉक्साइट, जलविद्युत सरलता से प्राप्त हो वहाँ यह उद्योग स्थापित होता है।

ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में एल्यूमिनियम का उत्पादन करनेवाले कारखाने स्थापित किए गए हैं।

तांबा गलाना

विद्युत सुवाहकता तथा अन्य धातुओं के साथ सरलता से मिल जाने के गुणधर्म के कारण तांबे का उपयोग बढ़ा है। बिजली उद्योग, रेफ्रीजरेटर, एयरकंडीशनर, ऑटोमोबाइल, रेडियेटर, गृह उपयोग के बर्तन आदि साधनों में तांबा उपयोगी है। भारत में सर्वप्रथम तांबा गलाने की औद्योगिक इकाई भारतीय तांबा निगम [ICC] द्वारा झारखंड के घाटशिला में स्थापित किया गया था। 1972 में भारतीय तांबा निगम को हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड [HCL] के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया। आज हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड के उपरांत निजी क्षेत्र में भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। इसके बावजूद भारत में अपनी आवश्यकतानुसार उत्पादन न होने से विदेशों से आयात करना पड़ता है।

रसायन उद्योग

रसायन उद्योग के उत्पादनों में भारत का स्थान महत्त्वपूर्ण है। रसायन के दो प्रकार हैं : कार्बनिक रसायन एवं अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन उद्योगों के संदर्भ में पेट्रोरसायन (पेट्रोकेमिकल्स) मुख्य हैं। इसका उपयोग कृत्रिम रेसा, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक की चीजों, रंग, रसायन तथा दवाओं में होता है। कार्बनिक रसायन उद्योग खनिजतेल रिफाइनरियों तथा पेट्रोकेमिकल्स के नजदीक होते हैं। इस कार्बनिक रसायन उद्योगों के संदर्भ में गंधक का तेजाब, नाइट्रीक एसिड, क्षारीय सामग्री, सोडाएश, कॉस्टीक सोडा, क्लोरीन आदि में उपयोग होता है। जन्तुनाशक दवाओं के उत्पादन में विकासशील देशों में भारत का स्थान महत्त्वपूर्ण है। रसायन उद्योगों में गुजरात का स्थान देश में सर्वोपरि है। अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर, भरूच आदि रसायन उद्योग के मुख्य केन्द्र हैं।

रासायनिक खाद उद्योग

देश का पहला रासायनिक खाद का कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था। इस उद्योग का विकास फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इन्डिया द्वारा प्रस्थापित बिहार के सिंदरी नामक कारखाने में हुआ। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, पंजाब एवं केरल में खाद उद्योग केन्द्रित हुआ हैं। गुजरात में कलोल, कंडला, भरुच, वडोदरा आदि स्थानों पर रासायनिक खाद के कारखाने हैं।

प्लास्टिक उद्योग

प्लास्टिक उद्योग को Sunrise Industry भी कहते हैं। देश में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर प्लास्टिक के कच्चे माल की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। वाटर प्रूफिंग तथा सांचे में ढाले जा सकनेवाले गुणधर्म के कारण पैकिंग, रसायनों के संचयन, टेक्सटाइल, भवननिर्माण, वाहननिर्माण, इलेक्ट्रोनिक्स आदि में इसका उपयोग होता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, वडोदरा, वापी, कानपुर, कोयम्बतूर एवं चेन्नई प्लास्टिक उत्पादन के महत्त्वपूर्ण केन्द्र हैं।

सीमेन्ट उद्योग

भवन-निर्माण, सड़कें, बांध इत्यादि के निर्माण के लिए सीमेन्ट अनिवार्य है। भारत का स्थान सीमेन्ट उत्पादन में चीन के बाद दूसरा है। विश्व का लगभग 6% उत्पादन करनेवाला देश है। चूना पत्थर, कोयला, चिरोड़ी, बॉक्साइट

चिनाई मिट्टी आदि सीमेन्ट बनाने के कच्चे माल हैं। कच्चे माल एवं उत्पादन वजन में भारी होने से सीमेन्ट के कारखाने जहां कच्चा माल अधिक प्रमाण में उपलब्ध हो वही स्थापित हुए हैं। गुजरात में इस उद्योग का अच्छा विकास हुआ है।

परिवहन के साधनों का उद्योग

यात्रा के लिए अनेक वाहन आपने देखे होंगे। पहले पशुओं से खींचे जानेवाले वाहन थे जिनकी गति धीमी थी आज आधुनिक युग में मार्ग विकास के साथ तीव्र गतिवाले वाहनों का उपयोग क्रमशः बढ़ा है। इन वाहनों का निर्माण करनेवाले उद्योग परिवहन उद्योग कहलाते हैं।

रेलवे

भारत में यात्रा के लिए रेलसेवा का कार्य प्रशंसनीय है। रेलवे अपनी आवश्यकता के उपकरण जैसे कि रेल इंजन, यात्रा एवं मालगाड़ी के डिब्बे आदि स्वयं तैयार करती है। इनका निजी स्तर पर भी उत्पादन होता है। रेल इंजन तीन प्रकार के होते हैं : भाप, विद्युत एवं डीजल। वर्तमान समय में भाप से चलने वाले इंजन अब पर्यटन के उद्देश्य से चलाई जानेवाली हेरीटेज का (विरासत) रेलों में ही उपयोग किए जाते हैं। डीजल तथा विद्युत इंजनों का उत्पादन पश्चिम बंगाल के मिहीजाम में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स तथा जमशेदपुर टाटा लोकोमोटिव वर्क्स में होता है। यात्रा के लिए डिब्बे पेराम्बूर, बेंगलुरु, कपुरथला एवं कोलकाता में बनते हैं। तदुपरांत रेल की पटरियां, इन्जन के उपकरण, पहिये आदि के कारखानें भी हैं। हम रेल इंजनों तथा अन्य उत्पादनों का विदेशों में निर्यात भी करते हैं।

सड़क वाहन

स्वतंत्रतापूर्व हम विदेशों से आयात किए गए गाड़ियों के भागों को जोड़कर गाडियां बनाते थे। अब ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकल, स्कूटर तथा साइकल बनाने के कारखाने देश में ही स्थापित हुए हैं। सड़कवाहनों का उत्पादन अधिकांशतः निजी स्तर पर होता है। विश्व में व्यावसायिक वाहनों के उत्पादन में भारत का स्थान पाँचवाँ है। वर्तमान में भारत में तैयार होनेवाले वाहनों तथा उनके विभिन्न भागों का विदेश में निर्यात किया जाता है। ट्रेक्टर तथा साइकल का बड़े प्रमाण में उत्पादन होता है, जिसका हम निर्यात करते हैं।

जहाजनिर्माण

भारत में जहाजनिर्माण का उद्योग प्राचीन समय से ही है। परन्तु वर्तमान समय में आधुनिक स्तर के जहाज बनाने के मुख्य पांच केन्द्र हैं। विशाखापटनम्, कोलकाता, कोचीन, मुंबई एवं मार्मगोवा, जो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। कोची एवं विशाखापटनम् में बड़े आकार के जहाजों का निर्माण होता है। तदुपरांत निजी क्षेत्रोंवाली जहाजों की गोदियां भी स्थानीय आवश्यकता पूर्ण करती हैं।

हेलीकोप्टर का उत्पादन भी हमारे देश में होने लगा है। सैन्य आवश्यकता के लिए बेंगलुरु, कोरापुट, नासिक, हैदराबाद एवं लखनऊ में हवाई जहाज उद्योग की इकाइयां स्थापित की गई हैं। भारत में अभी तक यात्री परिवहन के लिए हवाई जहाज निर्माण का आरंभ नहीं हुआ है।

इलेक्ट्रोनिक उद्योग

रेडियो सेट तथा टेलिफोन उद्योग की स्थापना 1905 में भारत में हुई जिसे इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग का प्रारंभ कह सकते हैं। भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड [B.E.L.] में बेंगलुरु में स्थापित हुई। जिसका उद्देश्य सेना, आकाशवाणी, हवामान विभाग के उपकरण बनाना था। आज भारतीय स्पेश रिसर्च ओर्गेनाईजेशन [I.S.R.O] के साथ सहयोग कर कई इलेक्ट्रिक उपकरणों का निर्माण करती है।

इस उद्योग से सामान्य लोगों के जीवन देश के अर्थतंत्र तथा लोगों की जीवनशैली में बड़े परिवर्तन आए हैं। कम्प्यूटर में हार्डवेर तथा सोफ्टवेर के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। बेंगलुरु को उद्योग की राजधानी बनाया गया है। उसे भारत की सिलिकोन वेली कहा जाता है। इस उद्योग के विकास के लिए सोफ्टवेर पार्क, विज्ञान पार्क तथा प्रौद्योगिक पार्क बनाए गए हैं। भारत में इस उद्योग का भविष्य सुनहरा है।

औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरणीय अतिक्रमण

देश के आर्थिक विकास में औद्योगिक उत्पादनों का योगदान उल्लेखनीय है। उद्योगों ने प्रदूषण में भी वृद्धि की है एवं पर्यावरण का अतिक्रमण किया है। प्राकृतिक तथा मानवसर्जित कारणों से पर्यावरण की गुणवत्ता घटी है। इसे पर्यावरण का अतिक्रमण कहा जाता है। उद्योगों द्वारा मुख्य चार प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं : वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण।

वर्तमान स्पर्धात्मक समय में उद्योगों ने बड़े प्रमाण में हवा एवं जल प्रदूषित किया है। कार्बन मोनोक्साइड एवं सल्फर डायोक्साइड जैसे अति नुकसानकारक गैसों के कारण हवा प्रदूषित बनी है। औद्योगिक कचरे के कारण जल प्रदूषण बढ़ा है। आज कई कारखानें नियमों की अवगणना कर औद्योगिक रूप से प्रदूषित पानी को नदी में बहा देते हैं। आज पानी दूषित क्या अतिदूषित बना है।

ध्वनि प्रदूषण भी मानवजीवन के लिए बहेरेपन का एक कारण है। अतिशय आवाज के कारण मनुष्य मानसिक तनाव का भी अनुभव करता है।

पर्यावरणीय अतिक्रमण रोकने के उपाय

देश का विकास हो परन्तु साथ में पर्यावरण का विनाश न हो इस तरह विकास करना है। औद्योगिक विकास का योग्य आयोजन कर प्रदूषण की मात्रा घटायी जा सकती है। उपकरणों की गुणवत्ता तथा ईंधन के चयन के द्वारा भी प्रदूषण कम किया जा सकता है। वायु में उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण को फिल्टर स्क्रबर, यंत्र, प्रेसिपिटेटर्स द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। उद्योगों के प्रदूषित पानी को प्रक्रिया कर शुद्ध किया जा सकता है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए :

(1) चीनी तथा खांडसरी के कारखाने कहाँ स्थापित होते हैं? क्यों?

(2) भारत के लोहा-फौलाद उद्योग पर टिप्पणी लिखिए।

(3) उद्योगों के महत्त्व पर टिप्पणी लिखिए।

(4) सूती कपड़ा उद्योग की समक्ष समस्याएँ बताइए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के मूद्देवार उत्तर लिखिए :

(1) गुजरात में रसायन उद्योगों के केन्द्र बताकर, चार रसायनों के नाम लिखिए।

(2) रेल इंजन के प्रकार बताकर उसके उत्पादन के स्थान बताइए।

(3) पर्यावरणीय अतिक्रमण रोकने के उपाय लिखिए।

(4) सूती कपड़ा उद्योग की समस्याएँ बताइए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए :

(1) भारत में जहाज निर्माण के मुख्य कितने केन्द्र हैं? कौन-कौन से?

(2) सीमेन्ट बनाने के लिए कौन से कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है?

(3) गुजरात में रासायनिक खादों के उद्योग कहां स्थापित हुए हैं?

(4) गुजरात में कागज उद्योग के चार केन्द्र बताइए।

4. निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) निम्नलिखित नगरों में से कौन-सा नगर सूती कपड़ा का विश्वमहानगर कहा जाता है ?

(A) इंदौर (B) मुंबई (C) अहमदाबाद (D) नागपुर

(2) पटसन के निर्यात में भारत का विश्व में कौन-सा क्रम है?

(A) द्वितीय (B) प्रथम (C) तृतीय (D) एक भी नहीं

(3) भारत का कौन-सा नगर सिलिकोन वेली के रूप में जाना जाता है?

(A) दिल्ली (B) बेंगलुरु (C) जयपुर (D) नागपुर

(4) गुजरात में मिनी स्टील प्लान्ट कहाँ स्थापित हुआ है?

(A) कंडला (B) ओखा (C) द्वारका (D) हज़ीरा

(5) निम्नलिखित में से कौन-सी जोड़ गलत है?

(A) बंगाल-कुल्टी (B) झारखंड-जमशेदपुर (C) कर्नाटक-भद्रावती (D) आंध्रप्रदेश-बर्नपुर

प्रवृत्ति

- अपने विस्तार के औद्योगिक स्थल की मुलाकात अपने शिक्षक के साथ कीजिए।
- भारत के मानचित्र में विविध उद्योगों की नक्शापोथी बनाइए।
- विविध वेबसाइटों की मुलाकात लेकर विभिन्न उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए।

●

14 परिवहन, संदेश-व्यवहार एवं व्यापार

एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य या मालसामान की हेरफेर को परिवहन कहते हैं। सामान्य भाषा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को परिवहन कहा जाता है। आर्थिक एवं भौतिक विकास में परिवहन का महत्त्वपूर्ण योगदान है। परिवहन से वस्तुओं एवं मनुष्य की आवागमन प्रवृत्ति संभवित बनती है। परिवहन से दूर के प्रदेश एक-दूसरे से जोड़े जा सकते हैं। राष्ट्रीय एकता तथा औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण जैसी प्रक्रियाएँ परिवहन से संभवित बनती हैं।

वर्तमान समय की तुलना में प्राचीन समय में लोगों के बीच सम्पर्क अत्यंत कम था। आज संदेशाव्यवहार के आदान-प्रदान के लिए लोग इसके साधनों का उपयोग कर रहे हैं। डाक-टेलीफोन, मोबाइलफोन तथा इन्टरनेट सेवा का उपयोग संदेश-व्यवहार में व्यापक रूप से होने लगा है। भारत ने अवकाशीय संशोधन के क्षेत्र में उपग्रहों को छोड़ा है। इससे दूर-संचार सेवाओं में सुधार संभव हुआ है।

व्यापार प्रवृत्ति तृतीय प्रकार की आर्थिक प्रवृत्ति है। व्यापार उत्पादन प्रवृत्ति को गतिमान बनाता है। कोई भी राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वावलंबी नहीं हो सकता है। इससे उसे अन्य देशों के साथ आदान-प्रदान का व्यवहार करना ही होता है। उदाहरण स्वरूप भारत की कृषि उपजो मध्य-पूर्व के देशों में जाती है। वहाँ से हम खजूर एवं खनिजतेल की आयात करते हैं।

परिवहन

प्रारंभ में मनुष्य भटकता जीवन गुजारता था, परन्तु कृषि की खोज के बाद वह स्थायी जीवन जीने लगा। शुरुआत में अपनी वस्तुओं का खुद ही वहन करता था, समय गुजरने पर कृषि के साथ पशुपालन प्रवृत्ति से पशुओं का उपयोग भारवाहक के रूप में भी होने लगा। वर्तमान समय में पशुओं से अधिक परिवहन प्रवृत्ति में यांत्रिक परिवहन का उपयोग होने लगा है।

परिवहन पद्धति को स्थान, जलवायु, भूपृष्ठ, मानव बस्तियों का प्रमाण इत्यादि बातें प्रभावित करती हैं। इसके उपरांत तक्नीकी विकास, आर्थिक विकास, बाजार एवं पूंजीनिवेश, राजनैतिक निर्णय जैसे सांस्कृतिक परिबल भी परिवहन को प्रभावित करते हैं।

14.1 पर्वतीय क्षेत्र में

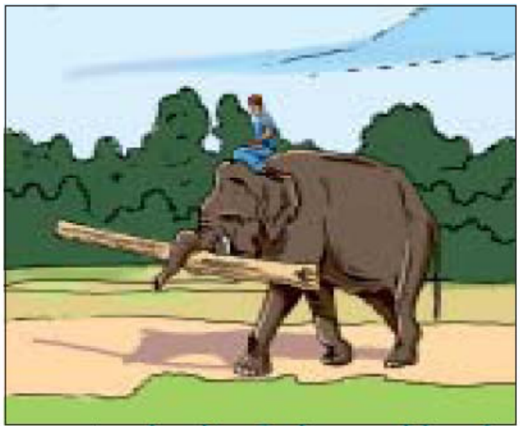

14.2 जंगलक्षेत्र में हाथियों द्वारा होनेवाली सामान की हेराफेरी

मैदानी प्रदेशों में सड़क तथा रेलमार्ग परिवहन होता है। पर्वतीय विस्तारों में आज भी पशु हिमालय के दुर्गम स्थानों पर याक तथा मनुष्य का भारवाहक के रूप में उपयोग होता है। एवरेस्ट आरोहण के समय भोटिया जाति के लोग, जो अच्छे पर्वतारोहक भी हैं, सामान उठाने का काम करते हैं। तदुपरांत पहाड़ी प्रदेशों में जंगल के क्षेत्रों में हाथी, खच्चर तथा घोड़े का उपयोग होता है। रेगिस्तानी प्रदेश में ऊंट श्रेष्ठ भारवाहक है। मैदानी प्रदेशों में भी लकड़हारे को लकड़ी काट कर, सिर पर लेकर जाते हुए आपने देखा होगा। रेलवे स्टेशनों पर कुली भी सिर पर सामान उठाए हुए दिखाई देता है। समुद्री किनारे तथा नदी गहरी हो एवं बारहों महीने पानी रहता हो तो वहां जहाजों या नावों का उपयोग परिवहन में होता है।

सड़कमार्ग अथवा भूमि परिवहन

प्राचीन समय से ही परिवहन मार्गों में सड़क मार्गो का महत्त्व बढ़ा है। भारत में सम्राट अशोक एवं चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में राजमार्गों की जाल बिछी थी। सड़कमार्ग, रेलमार्ग, समुद्रीमार्ग तथा हवाईमार्ग के पूरक बने हैं। सड़क परिवहन का सबसे महत्त्व का गुणधर्म उसके प्रकार एवं क्षमता सेवा का व्यापकक्षेत्र माल की सुरक्षा, समय की बचत एवं बहुमुखी एवं सस्ती सेवा होती है। माल-सामान, मनुष्य एवं क्षेत्रों को जोड़नेवाला एक मात्र सस्ता विकल्प अर्थात् सड़क मार्ग। भारत की सड़क प्रणाली यु.एस.ए. एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी बड़ी प्रणालियों में से एक है।

जानने योग्य

देश में कुल परिवहन सेवा में 83 % सड़कें, 9 % रेलवे, 6 % प्रतिशत हवाईमार्ग एवं 2 % प्रतिशत जलमार्ग है।

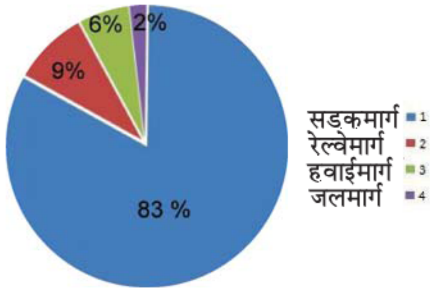

14.3 परिवहन का प्रमाण

भारतीय सड़क मार्गों का वर्गीकरण

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग (2) राज्य राजमार्ग (3) जिला मार्ग (4) ग्रामीण सड़कें (5) सीमा मार्ग।

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) : राष्ट्रीय राजमार्ग आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, परन्तु सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। इन मार्गों के निर्माण का दायित्व केन्द्र सरकार का है। इन मार्गों द्वारा राज्यों की राजधानियों, बड़े औद्योगिक तथा व्यापारी शहर एवं मुख्य बंदरगाहों को एक-दूसरे से जोड़ा गया है। भारत को म्यानमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ यह सड़कें जोड़ती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 देश का सर्वाधिक लम्बा राजमार्ग है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता इन चार महानगरों को जोड़ने की योजना है।

गुजरात में से 27, 41, 47, 48, 141, 147 आदि नंबरों के राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2011 में राष्ट्रीय राजमार्गों के क्रम में परिवर्तन किया है।

जनसंख्या के आधार पर देखने पर चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, गोवा जैसे राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गो की संख्या अधिक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर जैसे राज्य इसके बाद के क्रम में आते हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात जैसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई प्रमाण में कम है।

(2) राज्य राजमार्ग (State Highway) : व्यापार एवं उद्योगों की दृष्टि से राज्य राजमार्गों का बड़ा महत्त्व है। ये सड़कें राजमार्गों तथा जिलामार्गों से जुड़ी रहती हैं। इन सड़कों के निर्माण तथा अच्छी स्थिति में रखरखाव की जवाबदारी राज्य सरकारों पर रहती हैं।

14.4 राष्ट्रीय राजमार्ग मील का पत्थर

14.5 राज्य राजमार्ग मील का पत्थर

14.6 ग्रामीण मार्ग मील का पत्थर

14.7 एप्रोच रोड

(3) जिला मार्ग (District Roads) : ये सड़कें गाँवों तथा शहरों के जिलाकेन्द्रों के साथ जोड़ी गई हैं। ये तहसील के केन्द्रों को जिला केन्द्रों से जोड़ती हैं। पहले ये सड़कें कच्ची थीं, अब लगभग सभी सड़कें पक्की सड़कों में परिवर्तित हो चुकी हैं। इसकी देखभाल जिला पंचायत करती है।

(4) ग्रामीण मार्ग (Village Roads) : इन सड़कों का निर्माण एवं देखभाल ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। गाँवों के पास से गुजरनेवाले रास्तों से जोड़नेवाली सड़कें कच्ची होने से वर्षाऋतु में ये उपयोगी नहीं रहती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण परिवहन सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अनुसार इन सड़कों को पक्की करने का काम बड़े पैमाने पर हुआ है।

(5) सरहदी मार्ग (Border Roads) : सीमा मार्ग संस्थान (Border Road Organization) की स्थापना 1960 में की गई थी। देश की सुरक्षा के लिए संरक्षणात्मक उद्देश्य से सीमान्तक्षेत्रों में रास्तों का निर्माण इस संस्था द्वारा होता है। दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, उसकी देखभाल, बर्फ हटाने जैसे कार्य भी यह करती है।

एक्सप्रेस राजमार्ग (Express Highway)

14.8 एक्सप्रेस मार्ग साइनबोर्ड

14.9 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

एक्सप्रेस हाइवे को द्रुतगति मार्ग भी कहते हैं। चार से छः लेन वाले इन रास्तों पर बिना रुकावट के वाहन चलाए जा सकते हैं। इन रास्तों पर रेलवे क्रोसिंग तथा क्रोस रोड आए वहाँ ओवरब्रिज बनाया हुआ होता है। गुजरात में अहमदाबाद से वडोदरा एक्सप्रेस हाइवे इसका उदाहरण है। इन रास्तों का उपयोग करने के लिए तय किया हुआ टोलटेक्स भरना पड़ता है। देश के बंदरगाहों को जोड़नेवाले रास्ते भी बनाए गए हैं।

ट्राफिक समस्या

बड़े शहरों में ट्राफिक समस्या न खड़ी हो इसलिए ओवरब्रिज, बाइपास रोड तथा शहर के चारों ओर रिंगरोड बनाए गए हैं। इसके बावजूद बढ़ती जा रही वाहनों की संख्या के कारण महानगरों में ट्राफिक की समस्या बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते वाहनों के प्रमाण में शहर के रास्ते चौड़े नहीं हो सकते हैं। तदुपरांत रास्तों पर अतिक्रमण बढ़ने से पीकअवर्स में शहरों में ट्राफिक जाम के दृश्य सामान्य हो गए हैं। बारातें, सामाजिक शोभायात्राएँ तथा जुलूसों के कारण भी शहर में ट्राफिक जाम होता है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तो घंटों तक ट्राफिक कम नहीं होता है। जिससे महत्त्वपूर्ण काम पर जानेवाले लोग, परीक्षार्थी, हवाईजहाज या रेलवे स्टेशन जानेवाले यात्री एवं आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकतावाले रोगी अस्पताल तक समय से न पहुँच सकने के कारण मुश्किल में पड़ जाते हैं।

ट्राफिक समस्या दूर करने के कुछ सुझाव

कक्षा 9 में तुम ट्राफिक समस्या की सूचनाएँ पढ़ चुके हो, अब इनका गहराई से अभ्यास करें :

- यदि आप विद्यार्थी हैं एवं वाहन चलाने का लाइसन्स प्राप्तकर्ता नहीं हैं तो वाहन न चलाएँ। ट्राफिक समस्या के निवारण में आप इस तरह उल्लेखनीय योगदान दे सकते हैं।
- अनिवार्य जरूरत के बिना ओवरटेक न करें।
- साइकिल, स्कूटर आदि दुपहिये वाहन रास्ते पर बाईं तरफ चलाएँ।
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात न करें। अनिवार्य हो तो साइड बताकर, रास्ते के किनारे वाहन खड़ाकर मोबाइल पर बात करें।
- 108 तथा एम्बूलन्स, फायरब्रिगेड के वाहनों को पहले जाने दें।
- अनावश्यक होर्न बजाकर आवाज न करें।
- ट्राफिक सिग्नल के नियमों का पालन करें।
- नजदीक के स्थानों पर चल कर जाएँ या साइकिल का उपयोग करें।
- रात को आवश्यक हो तभी डीपर लाइट का उपयोग करें।
- वाहन चलाते समय दो वाहनों के बीच सुरक्षित अंतर रखें।
- निश्चित समय-मर्यादा में वाहन की देखभाल और मरंमत करवाएँ।
- अग्निशामक तथा प्राथमिक उपचार पेटी वाहन में रखें। वाहन चलाने से पूर्व पर्याप्त, ईंधन, टायर में हवा के आवश्यक दबाव तथा वाहन में कोई यांत्रिक गड़बड़ी है या नहीं, इसकी जाँच करा लें, वाहन में स्पेर व्हील की व्यवस्था भी रखें।
- गाड़ी में बैठे सभी व्यक्ति सीटबेल्ट का उपयोग अवश्य करें। वाहन के पीछे रेडियम पट्टी तथा रिफ्लेक्टर लगवाएँ।
- रेल्वे फाटक या अन्य सिग्नल पर खड़े होने पर वाहन बंद कर दें, जिससे ईंधन की बचत हो।
- वाहन चालक को ट्राफिक संबंधी नियमों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए।
- वाहन चालक के लिए पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है।
- एकमार्गीय रास्ते पर विरुद्ध दिशा में वाहन न चलाएँ।
- वाहन चालक को वाहन के दोनों तरफ के तथा बीच में रहे दर्पण का उपयोग करना चाहिए।
- वाहन का पार्किंग निश्चित किए गए स्थल और अड़चन रूप न हो, उस जगह पर करना चाहिए।
- सभी वाहनों की ब्रेकलाइट चालू होनी चाहिए। दाहिनी तरफ या बाईं तरफ रास्ते पर जाते समय इंडिकेटर लाइट का उपयोग करना चाहिए।
- स्टेट हाइवे तथा एक्सप्रेस हाइवे पर लाइन हो तो स्पीडवाली गाड़ी को नियत लेन में चलाना चाहिए। भारवाहक साधन बाईं साइड चलें, इसका ध्यान रखना चाहिए।
- मालवाहक वाहनो में यात्रियों को न बैठाएँ।
- वाहन चलाते समय गति मर्यादा का ध्यान रखें।
- दुर्घटना के समय अपना वाहन नियत लेन में रखकर ट्राफिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। रास्ते में कोई दुर्घटना देखें तो तुरंत 108 नंबर पर सूचित करके घायल यात्री की चिकित्सा-व्यवस्था में मदद करें।
- द्विचक्री वाहन चालक हेल्मेट पहनकर वाहन चलाएँ।
- रास्ते में मोड़ आने पर वाहन की गति धीमी करें।
- शाला, हॉस्पिटल जैसे 'नो हॉर्न' क्षेत्र से गुजरते समय हॉर्न न बजाएँ तथा गति मर्यादा बनाए रखें। बम्प आने पर भी गति धीमी करें।

रेलमार्ग (Railway)

भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संस्थान है। भारतीय रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा आदि क्षेत्रों के विकास में सहकार देनेवाला मुख्य परिवहन माध्यम है। राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति, व्यवस्था सांस्कृतिक एवं भौगोलिक एकता स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने में यह मुख्य योगदान देता है। रेलमार्गों में भारत का स्थान एशिया में प्रथम तथा विश्व में दूसरा है।

रेलवे का विकास : भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की शुरुआत 1853 में मुंबई से थाना के बीच हुई। भारत में तीन प्रकार के रेलमार्ग हैं – ब्रोडगेज, मीटरगेज एवं नेरोगेज। मीटर गेज तथा नेरोगेज लाइनों को वर्तमान समय में अधिकांशतः ब्रोडगेज में परिवर्तित कर दिया गया है। भारतीय रेल की यह एक बड़ी सिद्धि है। विभिन्न गेज के माप के रेलमार्गों के कारण यात्रा तथा माल की हेर-फेर में समय एवं धन का व्यय होता है।

भारत में जिन राज्यों में मैदानी प्रदेश, घनी जनसंख्या, औद्योगिक विकास, सघनकृषि, खनिज समृद्ध क्षेत्र हैं, वहाँ रेलमार्गों का जाल फैला है। गंगा के मैदानी प्रदेशों में कृषि उपजों तथा घनी आबादी होने के कारण रेलमार्ग बड़े प्रमाण में हैं। कोलकाता, दिल्ली तथा जयपुर जैसे बड़े शहरों में मेट्रोरेल सेवा भी है। अहमदाबाद से गांधीनगर मेट्रोरेल प्रोजक्ट के कार्य की शुरुआत हुई है। मुंबई को उसके उपनगरों से जोड़ने में मेट्रोरेल महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई है।

रेल यात्री तथा मालसामान की हेरफेर के उपरांत अकाल के समय अनाज तथा घासचारे की तेजी से हेरफेर के लिए भी उपयोगी है। संरक्षण की दृष्टि से भी सैनिकों तथा हथियारों के स्थानान्तरण में भी उपयोगी है। कोंकण रेलवे ने दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सुरंगों के माध्यम से मार्ग बनाकर श्रेष्ठ इंजीनियरिंग कौशल का दृष्टांत दिया है। समय, सुरक्षा तथा सुविधा के लिए भारतीय रेलसेवा उत्तम मानी जाती है। एवं उसका तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक रेलमार्ग भारत का सबसे लम्बा रेलमार्ग हैं जो 'विवेक एक्सप्रेस' के नाम से प्रसिद्ध है। गुजरात

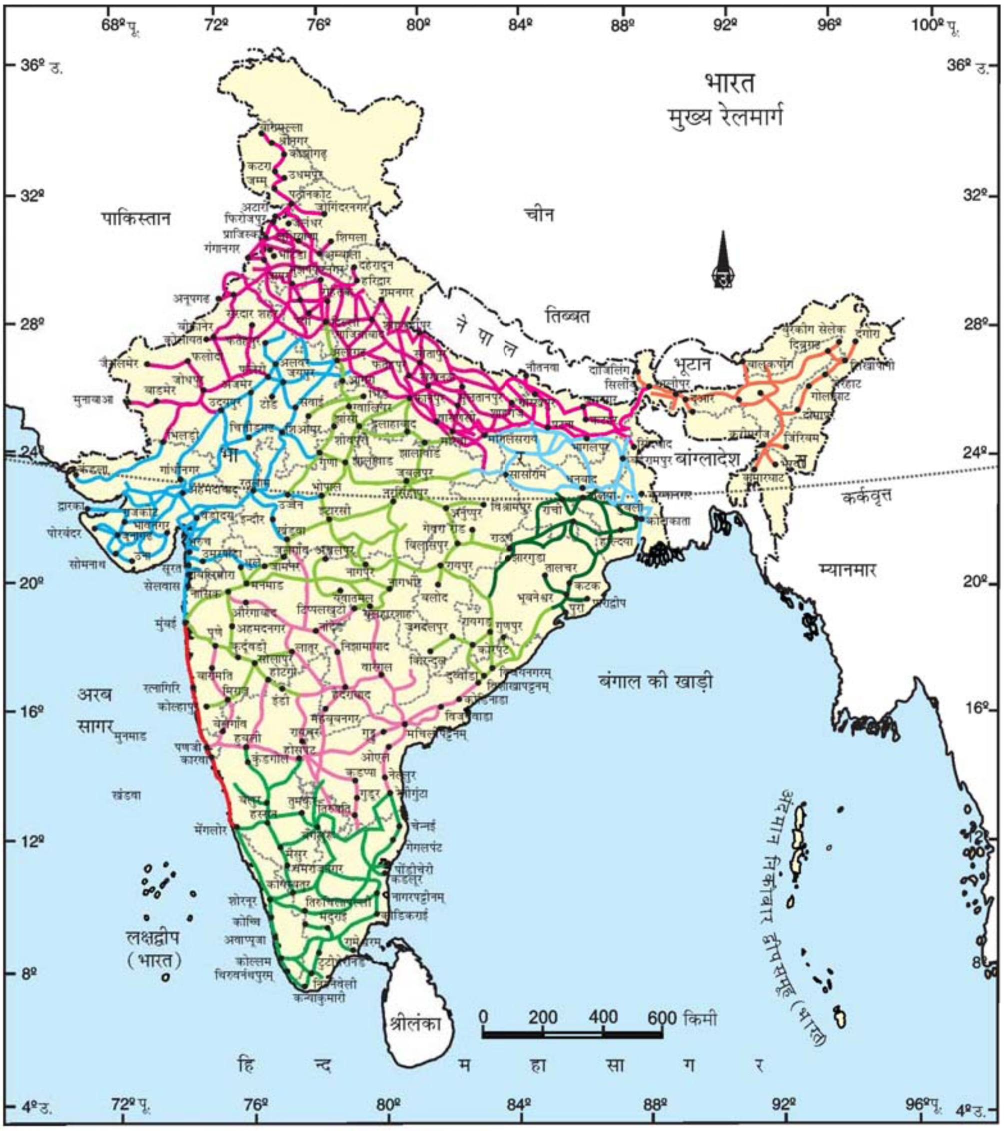

14.10 भारत : मुख्य रेलमार्ग

में अमदाबाद सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके उपरांत महेसाणा, विरमगाम, राजकोट, वडोदरा, सूरत, आणंद महत्त्वपूर्ण जंक्शन हैं।

जलमार्ग

प्राचीन समय से ही भारत में जलमार्गों द्वारा परिवहन होता रहा है। सड़क तथा रेलवे मार्ग नहीं थे, तब जलमार्ग से ही व्यवहार चलता था। सड़क तथा रेल की तुलना में ये सस्ते पड़ते हैं। कारण कि इनके निर्माण में या रखरखाव में खर्च नहीं होता है। भारत में दो तरह के जलमार्ग हैं : (1) आंतरिक जलमार्ग (2) समुद्री जलमार्ग।

आंतरिक जलमार्ग परिवहन सेवा उत्तर-पूर्व भारत के असम, पश्चिम बंगाल एवं बिहार जैसे राज्यों में अधिक है तथा दक्षिण भारत में भी आंतरिक जलमार्ग सेवाओं के लिए उपयोगी है।

नदी-नहर परिवहन : नदी जलमार्ग की दृष्टि से पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु तथा बिहार महत्त्वपूर्ण राज्य हैं। इन बारहमासी जलमार्गों में स्टीमर तथा बड़े-बड़े जहाज चलते हैं। आंतरिक जल परिवहन को बनाए रखने के लिए सरकार ने निम्नलिखित जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों का दर्जा दिया है।

- राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी - हल्दिया-इलाहाबाद 1620 किमी
- राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्रा नदी - धुब्री-सादिया 891 किमी

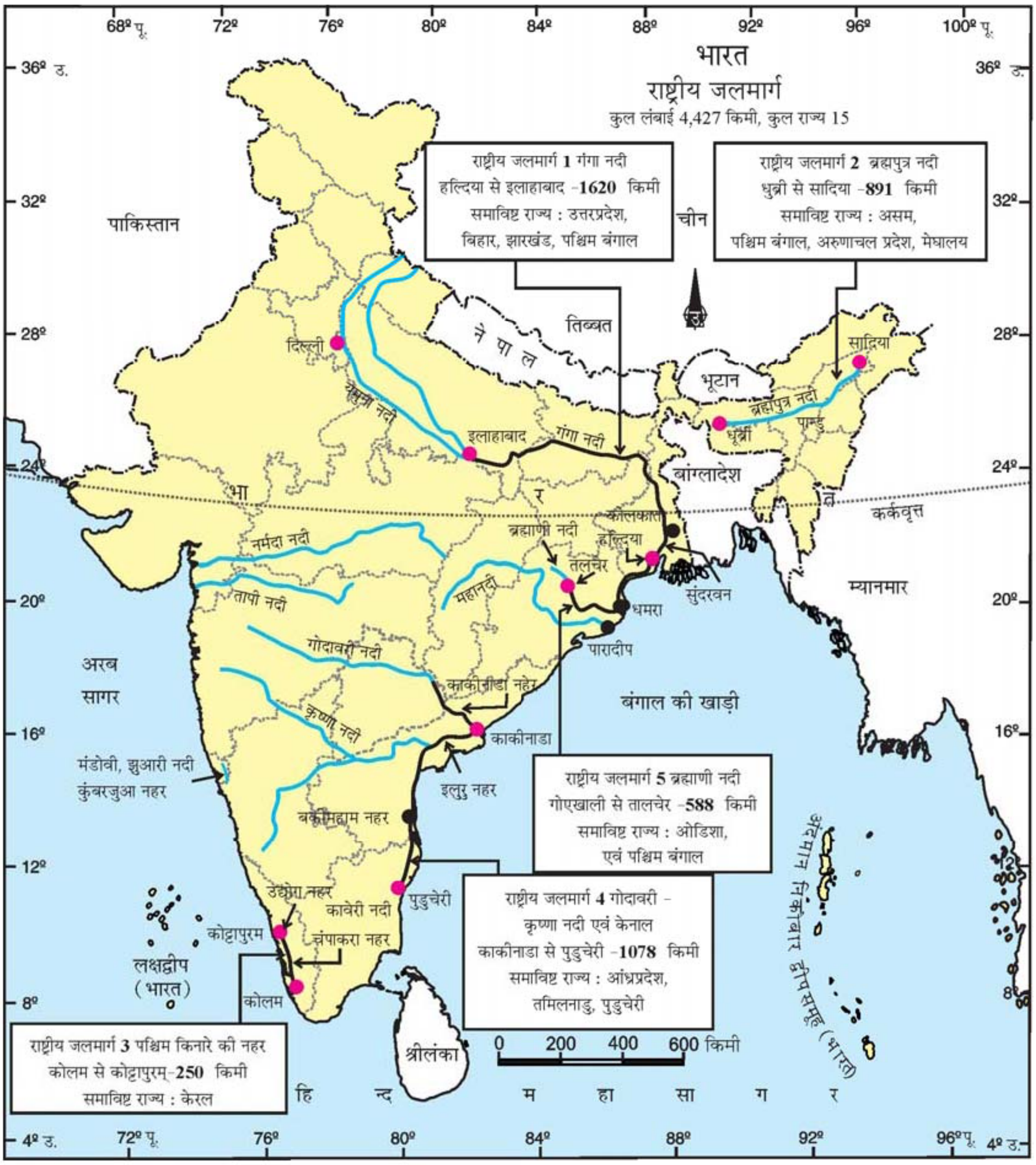

14.11 भारत : मुख्य जलमार्ग

- राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पश्चिम किनारे की नहर – कोल्लम से कोट्टापुरम् 250 किमी
- राष्ट्रीय जलमार्ग 4 गोदावरी-कृष्णा नदी - काकीनाडा-पुदुचेरी 1078 किमी
- राष्ट्रीय जलमार्ग 5 ब्रह्माणी नदी - गोएनखली-ताल्चेर 588 किमी

समुद्री जलमार्ग : भारत को लगभग 7516 किमी लम्बा समुद्री किनारा मिला हुआ है। इस लम्बे किनारे पर 13 मुख्य तथा 200 छोटे बंदरगाह आए हुए हैं। शिपिंग कोर्पोरेशन ऑफ इन्डिया की स्थापना के बाद राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्गों का खूब विकास हुआ है। कंडला, मुंबई, न्हावाशेवा, मार्मागोवा, न्यूमेंग्लोर तथा कोची बंदरगाह पश्चिम किनारे आए हुए हैं तथा कोलकाता, हल्दिया, पारदीप, विशाखापट्टनम्, चेन्नई, तूतीकोरन जैसे पूर्वी किनारे प्रमुख बन्दरगाह हैं।

गुजरात राज्य को लगभग 1600 किमी लम्बा समुद्री किनारा मिला है। गुजरात में कंडला सबसे बड़ा बन्दरगाह है। भावनगर ऑटोमेटिक लोक गेटवाला एकमात्र बन्दरगाह है। पोरबंदर बारहों महीने खुला रहनेवाला बन्दरगाह है। तदुपरांत वेरावल, सिक्का, पीपवाव, नवलखी, मुंद्रा, पोशित्रा, ओखा तथा हजीरा जैसे महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह भी हैं। पोशित्रा बन्दरगाह का विकास करने की योजना अमल में लाई गई है।

हवाई मार्ग

परिवहन मार्गों में हवाई परिवहन सबसे तीव्र परन्तु खर्चीला परिवहन है। दूर के स्थान, दुर्गम तथा सघन जंगल तथा पर्वतीय क्षेत्र जहाँ सड़क मार्गों से न पहुँचा जा सकता हो वहाँ हवाई मार्ग का उपयोग किया जाता है।

भारत में हवाई सेवा का प्रारंभ डाकसेवा के लिए इलाहाबाद से नैनी तक हुआ था। बाद में उसे निजी कंपनी चलाती थी, आज एयर इंडिया के नाम से जानी जाती कंपनी तथा अन्य निजी कंपनियाँ हवाई परिवहन सेवाएँ देती हैं।

देश में भारतीय वायुयान केन्द्र प्राधिकरण द्वारा 15 अंतरराष्ट्रीय, 87 घरेलू वायुयान केन्द्र, 25 नागरिक वायुयान टर्मिनल सहित 127 हवाई केन्द्रों का व्यवस्थापन हो रहा है। देश में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरू, हैदराबाद तथा अहमदाबाद जैसे 15 अंतरराष्ट्रीय हवाई केन्द्र हैं। पवनहंस नामक संस्था ONGC को तथा राज्य सरकारों को हेलीकोप्टर सेवा देती है।

पाइप लाइन

पानी, खनिजतेल, प्राकृतिक गैस तथा अन्य प्रवाही पदार्थों के लिए पाइपलाइन द्वारा परिवहन किया जाता है। असम के नाहर-कटिया से नूनमती-बरौनी तक खनिज तेल की पाइपलाइन है। गुजरात में कलोल से कोयली एवं सलाया से मथुरा आदि मुख्य पाइपलाइन मार्ग हैं। इसके उपरांत बॉम्बेहाई से मुंबई के किनारे तक खनिज तेल तथा गैस परिवहन के लिए समांतर पाइपलाइन डाली गई है। गुजरात में भी खंभात-धुवारण-कोयली, अहमदाबाद में गैस पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन होता है। सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, लीमड़ी, जामनगर, मोरबी, राजकोट, गांधीनगर जैसे शहरों में पाइपलाइन द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति की जाती है।

रज्जुमार्ग (Rope-way) : पर्वतीय क्षेत्रों में मालसामान या यात्रियों की हेरफेर के लिए पर्वत शिखरों को रज्जुमार्गों से जोड़ दिया जाता है। भारत में लगभग 100 रज्जु मार्ग हैं। उत्तर भारत में दार्जिलिंग, कुलुमनाली, चेरापूंजी, हरिद्वार, दक्षिण भारत में चेन्नई एवं पर्वतीय क्षेत्रों में रोप-वे आए हुए हैं। गुजरात में पावागढ़, सापुतारा, अंबाजी में रोप-वे सेवाएँ उपलब्ध हैं। जूनागढ़ में गिरनार में भी रोप-वे का काम चालू किया गया है।

संदेश-व्यवहार

एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानकारी या संदेश भेजने अथवा प्राप्त करने की विस्तृत व्यवस्था को संचारतंत्र कहा जाता है। देश में बाढ़, अकाल, भूकंप, चक्रवात, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव के लिए, रोज-ब-रोज के जीवन में संचारतंत्र अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है। देश के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडितता बनाए रखने में भी संचारतंत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

प्राचीन समय में ढोल बजाकर , धुआँ द्वारा, कबूतर द्वारा तथा अन्य पशुओं के द्वारा संदेश पहुँचाए जाते थे। आधुनिक संदेश-व्यवहार में डाकसेवा, टेलीफोन एवं मोबाइल फोन, स्मार्टफोन तथा उपग्रहों की खोज से संचार सेवा अत्यंत तीव्र एवं सरल भी है। विज्ञान एवं तक्नीकि ने संचारक्षेत्र में विकास लाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम सभी महत्त्वपूर्ण घटनाओं एवं क्रिकेट मैचों का जीवंत प्रसारण देख सकते हैं। संचार साधनों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं : (1) व्यक्तिगत संचारतंत्र (2) सामूहिक संचारतंत्र।

(1) व्यक्तिगत संचारतंत्र : व्यक्तिगत संचारतंत्र के साधनों में इन्टरनेट तथा स्मार्टफोन सबसे असरकारक एवं आधुनिक है। ई-मेल, ई-कॉमर्स, मुद्रा की लेनदेन आदि इंटरनेट के कारण तेज बना है। इसके उपरांत सोशयल मीडिया के विविध एप्लीकेशन के द्वारा संदेश-व्यवहार के क्षेत्र में क्रांति आई है। ग्राम्य विस्तार के लोग भी इनके माध्यम से देश-विदेश के लोगों के साथ जीवंत सम्पर्क में रहते हैं।

(2) सामूहिक संचारतंत्र : समूह संचार में भी दो माध्यम हैं : 1. मुद्रित माध्यम जिसमें समाचारपत्र, डाक, पत्रिकाएँ 2. इलेक्ट्रोनिक माध्यम जिसमें आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का समावेश होता है। प्रसारभारती देश का स्वायत्त प्रसारण निगम है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन इसके मुख्य विभाग हैं। देश में आज आकाशवाणी के 415 स्टेशन हैं। इसके द्वारा 23 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में इसका उपयोग सरलता से हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय यह महत्त्वपूर्ण सम्पर्क साधन बन जाता है। दूरदर्शन, उपग्रहों के उपयोग द्वारा समाचार, मौसम के तथ्यों की जानकारी तथा शैक्षणिक एवं मनोरंजन के कार्यक्रम करते हैं। आज देश में अनेक निजी चैनल्स भी दूरदर्शन की तरह कार्यक्रम प्रसारित करने लगे हैं।

उपग्रह संचार

कृत्रिम उपग्रहों में स्वयं ही संचार योग्यताएँ हैं। परन्तु साथ ही वे अन्य संचार माध्यमों का नियमन भी करते हैं। भारत के द्वारा छोड़े गए 'इंडियन नेशनल सेटेलाइट' (INSA) प्रणाली बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है, जो दूरसंचार, हवामान तथा चक्रवात, तूफान जैसी आपदाओं की चेतावनी, संशोधन तथा अन्य प्रसारण में सहायक होती है। तदुपरांत भारतीय दूरसंवेदन (IRS) पद्धति के उपग्रहों पर आत्मनिर्भर बनकर अपने प्रक्षेपण वाहन पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) का विकास किया है।

व्यापार

भारत विशाल देश है। इससे इसमें कहीं पर्वतीय क्षेत्र हैं तो कहीं उपजाऊ मैदानी प्रदेश, किनारे के मैदानी प्रदेश तथा रेगिस्तान जैसे विभिन्न भूपृष्ठ आए हुए हैं। ऐसी ही भिन्नता जलवायु, वनस्पति तथा खनिजसंसाधन एवं संचालन शक्ति के साधनों में दिखाई देती है। भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रदेश में कृषि की फसलों तथा औद्योगिक उत्पादनों में भी विविधता पाई जाती है। इसके परिणामस्वरूप देश में दो प्रकार की व्यापार प्रणाली है : (1) आंतरिक व्यापार (2) अंतरराष्ट्रीय व्यापार

(1) आंतरिक व्यापार : एक राज्य में विपुल प्रमाण में उपलब्ध वस्तुएँ दूसरे राज्य में निर्यात की जाती हैं तथा दूसरे राज्य में उत्पन्न वस्तुएँ अपने राज्य में आयात की जाती हैं। इसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। उदाहरणस्वरूप पंजाब में गेहूँ अधिक उत्पन्न होता है। इससे वह अन्य राज्यों में भेजता है। जबकि पंजाब को समुद्री किनारा प्राप्त न होने से वह नमक गुजरात में से आयात करता है। इस तरह प्रत्येक राज्य अपने राज्य में होनेवाली उपज का निर्यात करता है। परिणाम स्वरूप भारत में आन्तरिक व्यापार विकसित हुआ है।

(2) अंतरराष्ट्रीय व्यापार : विश्व के अलग-अलग देशों के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार बेचने अथवा आयात करने की पद्धति को अन्तरराष्ट्रीय व्यापार कहा जा सकता है। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में समतुला बनाए रखना आवश्यक है अन्यथा देश की व्यापारतुला नकारात्मक बनती है। यदि देश उत्पादित वस्तु का निर्यात अधिक एवं आयात कम करे तो देश की व्यापारतुला सकारात्मक होती है, ऐसा कहा जा सकता है। इससे हमारे देश के विदेशीमुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। यदि देश में निर्यात की अपेक्षा आयात बढ़े तो व्यापारतुला नकारात्मक है, ऐसा माना जाता है। जो देश अधिक निर्यात करता है उसका चलनमूल्य अन्तरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ता है एवं जिस देश की आयात बढ़ता है उसका चलनमूल्य अन्तरराष्ट्रीय बाजार में घटता है। 1991 से उदारीकरण की प्रक्रिया के बाद भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बड़ा बदलाव आया है। विगत कुछ वर्षों का अभ्यास करें तो भारत की व्यापारतुला लगभग नकारात्मक रही है। यह व्यापारतुला सकारात्मक बने इसलिए सरकार ने अब **'मेक इन इंडिया'** प्रोजेक्ट आरंभ किया है। इससे कई विदेशी कम्पनियां भारत में माल का उत्पादन कर उसे विदेशों में निर्यात करेंगी। अब हम भारत के आयात निर्यात व्यापार का अध्ययन करेंगे।

भारत का आयात व्यापार

भारत में आवश्यकता के अनुसार लोहा-फौलाद का उत्पादन न होने से लोहा-फौलाद एवं तांबा का आयात करता है। पेट्रोलियम, खनिजतेल तथा लुब्रिकन्ट पदार्थ की मांग परिवहन एवं मशीनों को गतिशील रखने के लिए अधिक है इससे इसका भी आयात करते हैं। मशीनें, मोती एवं कीमती पत्थर, खाद्यतेल आदि की विदेशों में से आवश्यकता

अनुसार आयात करते हैं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, म्यानमार, ईरान आदि देशों से आयात करते हैं।

भारत का निर्यात व्यापार

भारत देश की कुछ वस्तुएँ देश में महंगी न हों इसलिए उत्पादन के कुछ भागों का ही निर्यात करने को छूट देता है। कुछ वस्तुओं के कच्चेमाल का आयात कर उसमें से उत्पादित वस्तुओं का हम पुन:निर्यात व्यापार करते हैं। भारत के मुख्य निर्यात में कच्चा लोहा एवं खनिज, इन्जीन्यरिंग सामान जैसे कि साइकल, पंखे, सिलाईमशीन, मोटर, रेल के डिब्बे तथा कम्प्यूटर साफ्टवेर का समावेश होता है।

रसायन एवं उससे संबधित वस्तुएँ, रत्नआभूषण, चमड़ा तथा चमड़े का सामान, सूती कपड़ा, मछलियाँ एवं उनके उत्पादन, हस्तकला की वस्तुएँ, चाय-कॉफी, पटसन की चीज-वस्तुएँ, तैयार किए कपड़े का भी निर्यात करते हैं।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग पर टिप्पणी लिखिए।

(2) ट्राफिक समस्या दूर करने के उपाय बताइए।

(3) भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग कौन-कौन से हैं ?

2. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दासर उत्तर लिखिए :

(1) समूहसंचार में किसका समावेश होता है ?

(2) भारत से निर्यात होनेवाली मुख्य चीजवस्तुएँ कौन-कौन सी हैं?

3. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए :

(1) गुजरात में रज्जुमार्ग किन स्थानों पर आए हैं ?

(2) व्यक्तिगत संचारतंत्र में प्रभावशाली साधन कौन-से हैं ?

(3) आंतरिक व्यापार सदृष्टांत किसे कहते हैं।

(4) प्राचीन समय में संदेश-व्यवहार कैसे होता था ?

4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए :

(1) एवरेस्ट आरोहण के समय सामान उठाने का काम कौन करता है ?

(A) नेपाली (B) भोटिया (C) भैयाजी (D) एक भी नहीं

(2) भारत का सबसे लम्बा राजमार्ग कौन-सा है ?

(A) 3 नम्बर (B) 8 नम्बर (C) 44 नम्बर (D) 15 नम्बर

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की जवाबदारी किसकी है ?

(A) राज्य सरकार (B) केन्द्र सरकार (C) मेम्बर जिला पंचायत (D) एक भी नहीं

प्रवृत्ति

- रेलवे की मोबाइल एप्लीकेशन से रेलवे की ऑनलाइन सुविधा की जानकारी प्राप्त कीजिए।
- यात्रा के दरम्यान दिखनेवाले माइलस्टॉन द्वारा मार्ग की जानकारी प्राप्त कीजिए।
- समाचारपत्रों में आयात-निर्यात व्यापार के समाचार शिक्षक से जानिए।
- ट्राफिक पार्क की मुलाकात करके ट्राफिक के नियमों का प्रत्यक्ष निदर्श देखें और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करें।
- ट्राफिक संबंधी जाग्रति के लिए आयोजित मोकड्रिल में भाग लें।

•

15 आर्थिक विकास

प्रत्येक व्यक्ति की हर सुबह अलग-अलग होती है। कुछ लोग भौतिक सुख-सुविधाओं से भरपूर जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु विश्व की अधिकांश जनसंख्या जीवन-अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष करती नजर आती है। गरीब के रूप में पहचाने जानेवाले इन लोगों के लिए भौतिक सुख-सुविधाएँ या आराम कल्पना का विषय है। ऐसी परिस्थिति किस तरह उत्पन्न हुई? इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलें ? आदि ऐसे प्रश्नों के उत्तर हैं।

आर्थिक विकास

आज के आधुनिक युग में विश्व का प्रत्येक देश विकास के लिए प्रयत्न करता है, परंतु विकास मात्र आर्थिक ही नहीं, अनेक पक्षोंवाला सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है।

आर्थिक विकास यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में होनेवाली सतत वृद्धि दर्शाता है।

आर्थिक विकास अर्थात् :

– देश की राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि होना।

– देश की प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होना।

– लोगों के जीवन-स्तर में सुधार होना।

इस बात को आर्थिक विकास कहा जाता है। देश की कुल आय को 'राष्ट्रीय आय' कहा जाता है। देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। जबकि जीवनस्तर में लोगों को प्राप्त होनेवाली सुविधाएँ जैसे की अनाज, कपड़ा (वस्त्र), शिक्षा, स्वास्थ्य, वाहन-व्यवहार की सुविधा तथा आवास की सुविधा का समावेश होता है। भारत में आजादी के बाद राष्ट्रीय आय और प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होने से अनाज, कपड़ा, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि सेवाओं का उपयोग और सुविधाओं में वृद्धि हुई है। पहले की तुलना में उपर्युक्त आवश्यकताएँ अधिक अच्छी तरह संतुष्ट होती हैं। अतः कहा जा सकता है कि भारत में आर्थिक विकास हो रहा है।

भारत की राष्ट्रीय आय

भारत की राष्ट्रीय आय (GDP) 2011-12 में 2015-16 के भाव से 87,36,039 करोड़ ₹ थी, जो बढ़कर 2015-16 में 1,35,67,192 करोड़ ₹ हो गई थी।

आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर

सामान्य रूप से आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों शब्द वृद्धि दर्शाते हैं, परंतु दोनों के बीच कुछ अन्तर पाया जाता है, जो निम्नानुसार हैं :

(1) विकास की प्रक्रिया के आधार पर : आर्थिक विकास गुणात्मक और आर्थिक वृद्धि परिणात्मक है। आर्थिक विकास यह प्रथम अवस्था है, जबकि आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास के बाद की अवस्था है।

(2) अर्थतंत्र में होनेवाले परिवर्तन के आधार पर : अर्थतंत्र में होनेवाले नये संशोधनों के आधार पर उत्पादन में होनेवाली वृद्धि आर्थिक विकास है। उदाहरणतया – कृषि क्षेत्रों में गेहूं धान जैसी फसलों में नए बीजों की खोज होने पर उत्पादन में अनेक गुना वृद्धि हुई। यह बात आर्थिक विकास दर्शाती है। दूसरी तरफ जोत-जमीन में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि हो तो उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं।

(3) विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में : विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में दोनों के बीच अंतर पाया जाता है। विकसित देशों की राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है, जबकि, विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि, आर्थिक विकास कहलाती है।

विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण

विकसित अर्थतंत्र और विकासशील अर्थतंत्र प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर अलग किए जाते हैं। विश्व बैंक के 2004 के विश्व विकास लेख में 735 $ से कम प्रति व्यक्ति आयवाले देशों को विकासशील अर्थतंत्र के रूप में पहचाना जाता है। विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण निम्नानुसार तय किया जाता है :

(1) नीची प्रतिव्यक्ति आय : विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय नीची होती है, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने से प्रतिव्यक्ति आय नीची रहती है। नीची प्रतिव्यक्ति आय के कारण जीवन-स्तर नीचा रहता है।

(2) जनसंख्या वृद्धि : विकाशशील देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। ऐसे देशों में जनसंख्या वृद्धि दर 2 % अथवा उससे अधिक भी होती है।

(3) कृषि क्षेत्र पर अवलंबन : विकासशील देशों में कृषि मुख्य आर्थिक प्रवृति होती है और देश के 60% से भी अधिक लोग रोजगारी के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। देश की राष्ट्रीय आय में भी कृषि का योगदान लगभग 25% होता है।

(4) आय वितरण की असमानता : विकासशील देशों में आय तथा उत्पादन के साधनों का बंटवारा असमान होता है। यह असमानता ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में होता है। देश के शीर्ष 20% धनिक लोग राष्ट्रीय आय का 40% हिस्सा रखते हैं और निम्नस्तर के 20% गरीब लोग राष्ट्रीय आय का 10% हिस्सा रखते हैं। इस प्रकार विकाशशील देशों में आय और संपत्ति का केन्द्रीकरण धनिक लोगों में हुआ नजर आता है।

(5) बेरोजगारी : बेरोजगारी विकासशील देशों का महत्त्वपूर्ण लक्षण है। इन देशों में बेरोजगारी का प्रमाण कुल श्रमिकों की संख्या के 3% से भी अधिक होता है। इन देशों में बेरोजगारी भिन्न-भिन्न स्वरूपों जैसे कि मौसमी बेरोजगारी, छुपी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी आदि पाई जाती है; जो लम्बे समय की बेरोजगारी होती है।

(6) गरीबी : गरीबी विकासशील राष्ट्र का लक्षण है। जो लोग अपनी प्राथमिक आवश्यताएँ जैसे कि अनाज, कपड़ा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पूरा नहीं कर सकते, उन्हें गरीब माना जाता है। विकासशील देशों में ऐसे लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग तीसरा भाग होती है।

(7) द्विमुखी अर्थतंत्र : विकासशील देशों में अर्थतंत्र का स्वरूप द्विमुखी पाया जाता है। एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ी कृषि पद्धति, पुरानी यंत्र सामग्री, रूढ़िचुस्त सामाजिक ढाँचा, कम उत्पादन पाया जाता है। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में आधुनिक उद्योग, नई उत्पादन पद्धति, आधुनिक यंत्र तथा वैभवी जीवनशैली पाई जाती है।

(8) मूलभूत अपर्याप्त सेवाएँ : विकास के लिए अनिवार्य मूलभूत सेवाएँ जैसे कि शिक्षा, परिवहन, संचार, बिजली, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि का ऐसे अर्थतंत्र में कम विकास होता है। जो देश के विकास के लिए अवरोधक बनता है।

(9) अंतरराष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप : विकासशील देशों में विदेशी व्यापार का स्वरूप और ढाँचा अलग-अलग पाया जाता है। ये देश मुख्यत: कृषि उत्पादों और बगीचों की उपज तथा कच्ची धातुओं का निर्यात करते हैं। इस प्रकार के निर्यात की मांग कम होती है और भाव नीचा होता है। जिससे निर्यात से आय कम होती है, जबकि आयात औद्योगिक उपज और यंत्र सामग्री का होता है। इन वस्तुओं का भाव अधिक होने से आयात के पीछे खर्च अधिक होता है। इस प्रकार विकासशील देशों के लिए विदेशी व्यापार की शरतें प्रतिकूल होने से देश पर विदेशी कर्ज बढ़ता है।

इस प्रकार विकासशील देशों में मुख्यत: ऊपर दिए गए लक्षण पाए जाते हैं। भारत विकासशील राष्ट्र होने से ऊपर के लक्षण कम या अधिक मात्रा में भारत पर लागू पड़ते हैं।

आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्तियाँ

भारतीय अर्थतंत्र का परिचय प्राप्त करने से पहले हम आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्ति का अध्ययन करें।

आर्थिक प्रवृत्ति

आय प्राप्त करने या खर्च करने के उद्देश्य से की जानेवाली प्रवृत्ति को आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। उदाहरण- किसान, कारीगर, व्यापारी, शिक्षक आदि की प्रवृत्ति आर्थिक प्रवृत्ति कहलाती है।

अनार्थिक प्रवृत्ति

जिस प्रवृत्ति का उद्देश्य आय प्राप्त करना या खर्च करना न हो तो उस प्रवृत्ति को अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। उदाहरण - माता अपने बालक की देखभाल करे, व्यक्ति समाजसेवा का कार्य करे आदि अनार्थिक प्रवृत्ति हैं।

भारतीय अर्थतंत्र का ढाँचा

अर्थतंत्र में होनेवाली विविध असंख्य आर्थिक प्रवृत्तियों या विविध व्यवसायों को तीन मुख्य विभागों में बाँटा जाता है : (1) प्राथमिक क्षेत्र (2) माध्यमिक क्षेत्र और (3) सेवा क्षेत्र। आर्थिक प्रवृत्तियों के इस वर्गीकरण को व्यवसायिक ढाँचे के रूप में पहचाना जाता है। इन तीन विभागों और उसमें समावेश होती प्रवृतियों की चर्चा निम्नानुसार करते हैं :

(1) प्राथमिक क्षेत्र : अर्थतंत्र के इस विभाग में कृषि तथा कृषि के साथ संलग्न प्रवृतियों जैसे कि पशुपालन, पशुसंवर्धन, मत्स्य उद्योग, मुर्गी-बतक पालन, जंगल, कच्ची धातुओं की खुदाई आदि प्रवृत्तियों का प्राथमिक विभाग में समावेश होता है।

(2) माध्यमिक क्षेत्र : इस विभाग में छोटे और बड़े आधारभूत उद्योगों, निर्माण कार्य आदि प्रवृत्तियों का समावेश होता है। यह विभाग उद्योग के रूप में भी पहचाना जाता है। जिसमें पिन से लेकर बड़े-बड़े यंत्रों तक के उत्पादन का समावेश होता है।

(3) सेवा क्षेत्र : इस विभाग में अनेकविध सेवाओं का समावेश होता है। ऐसी सेवाओं में व्यापार, संचार, वायु तथा समुद्री मार्गों, शिक्षण, स्वास्थ्य, बैकिंग तथा बीमा कंपनियों, परिवहन और मनोरंजन आदि के कार्यों का समावेश इस क्षेत्र में होता है।

सामान्य रूप से विकासशील देशों में प्राथमिक क्षेत्र का प्रभुत्व होता है। रोजगारी तथा राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक होता है। परंतु जैसे-जैसे आर्थिक विकास होता जाता है वैसे-वैसे प्राथमिक क्षेत्र का महत्त्व माध्यमिक और सेवा क्षेत्र की सापेक्षता में घटता जाता है और उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की व्यापकता बढ़ती जाती है।

उत्पादन के साधन

प्राकृतिक संपत्ति और श्रम की सहायता से चीज वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यह उत्पादन करने के लिए अनेकविध साधनों का उपयोग होता है। इन्हें चार भागों में बाँटा गया है : (1) जमीन (2) पूँजी (3) श्रम और (4) नियोजन। इन सभी साधनों का परिचय निम्नानुसार है :

(1) जमीन : सामान्य अर्थ में जमीन को हम पृथ्वी की सपाटी की ऊपरी परत को कहते हैं। परंतु अर्थशास्त्र की परिभाषा में जमीन अर्थात् सभी प्रकार की प्राकृतिक संपत्ति जिसमें पृथ्वी के धरातल पर आए हुए खनिज, धातु आदि का समावेश जमीन में होता है। इस प्रकार जमीन उत्पादन का प्राकृतिक साधन है।

(2) पूँजी : उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग में लिए जानेवाले मानव सर्जित साधन जैसे-यंत्र, औजार, मकान आदि का समावेश पूँजी में होता है।

(3) श्रम : भौतिक बदले के उद्देश्य से किए जानेवाले किसी भी शारीरिक या मानसिक कार्य को श्रम कहते हैं। श्रम उत्पादन का सजीव साधन है। कृषि मजदूर, कामदार, शिक्षक, डॉक्टर, कारीगर आदि के कार्य को श्रम कहते हैं।

(4) नियोजन (नियोजक) : उत्पादन की प्रक्रिया में जमीन, पूँजी और श्रम जैसे तीनों साधनों को लाभ के उद्देश्य से कुशलतापूर्वक संयोजन करनेवाले व्यक्ति को नियोजक कहते हैं। इस तीनों साधनों को योजनापूर्वक उत्पादन में जोड़ने के कार्य को नियोजन कहा जाता है।

उत्पादन के साधनों का बँटवारा

मानव की आवश्यकताएँ असीमित हैं और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन सीमित हैं। विश्व के किसी भी देश में साधन असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। उत्पादन साधनों की हमेशा कमी रहती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश अपने पास सीमित साधनों का उपयोग कैसे कहाँ और कितनी मात्रा में करें? आदि प्रश्न साधनों के बँटवारे में उद्भव होते हैं। जिसकी चर्चा निम्नानुसार कर सकते हैं :

(1) असीमित आवश्यकताएँ : मनुष्य की आवश्यकताएँ अमर्यादित और असीमित होती हैं। एक आवश्यकता में से अनेक अन्य आवश्यकताओं का उद्भव होता है। अनेक आवश्यकताएँ बारंबार संतुष्ट करनी पड़ती हैं तो कुछ आवश्यकताएँ विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण भी उद्भव होती हैं। इस प्रकार अनेक कारणों से आवश्यकताएँ असीमित होती हैं। इसलिए इन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आवश्यकताओं की पसंदगी करनी पड़ती है।

(2) आवश्यकताओं में अग्रिमताक्रम : असीमित आवश्यकताओं के सामने सीमित उत्पादन के साधन होने से कौन-सी आवश्यकताएँ अधिक महत्त्वपूर्ण यह व्यक्ति को निश्चित करके और आवश्यकताओं को अग्रिमताक्रम के अनुसार संतुष्ट करना पड़ता है। जो आवश्यकता अधिक महत्त्व की हो उसे सर्वप्रथम संतुष्ट करना पड़े और उसके बाद अन्य आवश्यकताएँ। इस प्रकार उत्पादन के साधन सीमित होने से आवश्यकताओं में अग्रिमता क्रम निश्चित करना पड़ता है।

(3) मर्यादित साधन : उत्पादन के साधनों में मुख्यत: प्राकृतिक संपत्ति और मानव संपत्ति होती है। ये सभी साधन मर्यादित होते हैं। इसलिए इनका मितव्ययिता से उपयोग करना पड़ता है और पसंद की गई आवश्यकताओं को लक्ष्य में रख कर साधनों का बँटवारा करना पड़ता है।

(4) साधनों का वैकल्पिक उपयोग : आवश्यकताएँ संतुष्ट करने के साधन सीमित हैं। इतना ही नहीं, परन्तु वे वैकल्पिक उपयोगवाली होती हैं। उत्पादन का कोई भी साधन एक से अधिक उपयोग में आता हो तो वह साधन अनेक उपयोग रखता है। इस साधन का एक समय एक ही उपयोग हो सकता है। इस प्रकार यह उपयोग वैकल्पिक है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे जमीन में गेहूँ की फसल बोएँ तो बाजरी, मकई, मूँगफली या अन्य फसल नहीं बोई जा सकती। जमीन के अन्य उपयोग का त्याग करना पड़ता है।

इस प्रकार उपर्युक्त परिस्थिति में अधिक आवश्यकता संतुष्ट हो इस तरह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में साधनों का बँटवारा करना पड़ता है।

उत्पादन के साधनों के बँटवारे की पद्धतियाँ

उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठ बँटवारा करके और अधिक तीव्रता से आर्थिक विकास करने का प्रयत्न प्रत्येक देश करता है : (अ) बाजार पद्धति और (ब) समाजवादी पद्धति। ये दोनों पद्धतियाँ एक-दूसरे की एकदम विरोधी हैं। इन दोनों पद्धतियों का समन्वय करके अन्य कुछ पद्धतियाँ भी विकसित हुई हैं। प्रत्येक देश अपने अनुरूप हो ऐसी एक या दूसरी पद्धति स्वीकारता है। उत्पादन साधनों के बँटवारे की मुख्य पद्धतियों की जानकारी इस प्रकार है:

(अ) बाजार पद्धति : अमेरिका, जापान आदि देशों ने अपना आर्थिक विकास बाजार पद्धति से किया था। बाजार पद्धति को पूँजीवादी पद्धति के रूप में भी पहचाना जाता है। इस पद्धति में उत्पादन साधनों का बँटवारा लाभ के आधार पर होता है। इस पद्धति में उत्पादन और उसके साथ संलग्न आर्थिक निर्णयों के केन्द्र में लाभ होता है। लोगों ने जिन उद्योगों में पूँजी निवेश करना लाभदायक माना उसमें पूँजी निवेश किया। इस पद्धति में बाजारतंत्र संपूर्ण रूप से मुक्त होता है। सरकार की कोई भी निश्चित आर्थिक नीति या भूमिका नहीं होती है।

बाजारतंत्र में 'स्पर्धा'का तत्त्व अनोखी भूमिका निभाता है। स्पर्धायुक्त बाजार में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यक्षमता अधिक से अधिक ऊँची ले जानी पड़ती है। इस प्रक्रिया के कारण अनेक नए संशोधन होते हैं और उत्पादन की नई पद्धति खोजी जाती है। जिसके द्वारा उत्पादन अधिकतम होता है। इससे देशों का आर्थिक विकास तीव्र होता है।

इस प्रकार बाजार पद्धति में 'स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा'का तत्त्व 'अदृश्य हाथ' की तरह समग्र बाजार पर नियंत्रण रखता है। इस पद्धति में राज्यों का हस्तक्षेप न होने से यह पद्धति 'मुक्त अर्थतंत्र' के रूप में भी पहचानी जाती है।

बाजार पद्धति के लक्षण

(1) उत्पादन के साधनों की मालिकी व्यक्तिगत या निजी होती है।

(2) बाजार पद्धति में आर्थिक प्रवृति के केन्द्र में लाभ होता है।

(3) ग्राहकों को पसंदगी करने के विशाल अवसर मिलते हैं।

(4) बाजार में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है।

(5) उत्पादन के साधनों का बँटवारा लाभ के आधार पर होता है।

(6) आर्थिक निर्णय मूल्यतंत्र के आधार पर लिए जाते हैं।

बाजार पद्धति के लाभ

(1) बाजार पद्धति में व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहती है।

(2) उत्पादन साधनों का अधिकतम और कार्यक्षम उपयोग होता है।

(3) अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

(4) अर्थतंत्र में सतत नये संशोधन होते रहते हैं, जिसके कारण आर्थिक विकास को गति मिलती है।

(5) स्पर्धा के कारण वस्तु की गुणवत्ता श्रेष्ठ बनती है।

बाजार पद्धति की मर्यादाएँ (कमियाँ) : बाजार पद्धति के अनेक लाभ होने पर भी वे संपूर्ण नहीं हैं। इसमें कुछ कमियाँ या उसकी सीमाएँ हैं, जो निम्नानुसार हैं :

(1) लाभ को ध्यान में रखकर उत्पादन होने से विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है और प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन घटता है।

(2) राज्य की कोई भी नीति विषयक भूमिका न होने से प्राकृतिक संपत्ति का अपव्यय होता है।

(3) ग्राहक को बाजार के विषय में अज्ञानता होने से उनका शोषण होता है।

(4) संपत्ति और आय का केन्द्रीकरण होने से आय की असमानता बढ़ती है।

(5) एकाधिकार, अर्थिक अस्थिरता, मजदूरों का शोषण आदि का भय रहता है।

(ब) समाजवादी पद्धति : बाजार पद्धति की अनेक कमियों और असफलताओं के कारण समाजवादी पद्धति का उद्‌भव हुआ। रूस और चीन जैसे देशों ने यह पद्धति अपनाकर तीव्रता से आर्थिक विकास किया था।

समाजवादी आर्थिक पद्धति बाजार पद्धति के एकदम विरोधी है। समाजवादी आर्थिक पद्धति में सभी निर्णय राज्यतंत्र द्वारा लिए जाते हैं। उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व राज्य का होता है। इस पद्धति में समग्र अर्थतंत्र का संचालन राज्य द्वारा होता है। उत्पादन, पूँजीनिवेश, साधनों का बँटवारा आदि समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर राज्य द्वारा लिया जाता है।

समाजवादी पद्धति के केन्द्र में लाभ नहीं, अपितु समग्र समाज का कल्याण रहता है। चीज-वस्तुओं का उत्पादन और भाव राज्य द्वारा निश्चित होता है। राज्यों द्वारा निश्चित किए गए उत्पादन के लक्ष्यांक को सिद्ध करने की जिम्मेदारी राज्य संचालित कारखानों की होती है। कृषि भी राज्य की मालिकी की होती है। श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार वेतन दिया जाता है और उसके अनुसार काम लिया जाता है।

समाजवादी पद्धति के लक्षण

(1) उत्पादन के साधनों की मालिकी राज्य की होती है।

(2) अर्थतंत्र में सभी आर्थिक निर्णय राज्य द्वारा लिए जाते हैं।

(3) आर्थिक प्रवृत्ति के केन्द्र में लाभ नहीं, अपितु समाज का हित होता है।

(4) श्रमिकों को काम के बदले में वेतन चुकाया जाता है।

समाजवादी पद्धति के लाभ

(1) समाज की आवश्यकता अनुसार उत्पादन होने से अनावश्यक या विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है।

(2) इस पद्धति में उत्पादन के निर्णय राज्य द्वारा लिए जाने से प्राकृतिक संपत्ति का अपव्यय नहीं होता है।

(3) आय और संपत्ति की असमानता दूर होती है।

(4) ग्राहकों का शोषण नहीं होता है।

समाजवादी पद्धति की मर्यादाएँ (सीमाएँ) : समान बँटवारा और सामाजिक कल्याण के उमदा उद्देश्य के साथ लागू की गई समाजवादी पद्धति में भी कुछ कमियाँ हैं, जो निम्नानुसार हैं :

(1) उत्पादन साधनों का स्वामित्व राज्य का होने से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है।

(2) स्पर्धा के अभाव के कारण अर्थतंत्र में संशोधन को वेग नहीं मिलता है।

(3) इस पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्र्य नहीं रहता।

(4) राज्य के संपूर्ण हस्तक्षेप के कारण नौकरशाही का भय उत्पन्न होता है।

मिश्र अर्थतंत्र : बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति की कुछ कमियों के कारण दोनों पद्धतियों की कुछ अच्छी बातों का सुमेल साधकर और मध्यम मार्ग के रूप में मिश्र अर्थतंत्र की पद्धति अस्तित्व में आई।

'मिश्र अर्थतंत्र' अर्थात् ऐसी आर्थिक पद्धति जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है और ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के स्पर्धी नहीं परंतु पूरक बनकर काम करते हैं।' इस पद्धति में निजी क्षेत्र में कृषि, व्यापार, विभिन्न उपयोगी माल के उद्योग आदि की मालिकी व्यक्तिगत या निजी होती है। जबकि भारी उद्योग, संरक्षण सामग्री के कारखाने, रेलवे, बिजली, मार्ग, सिंचाई आदि आधारभूत चाबी रूपी क्षेत्रों की मालिकी राज्य की होती है।

इस पद्धति में बाजार संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता। सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न तरह से नियंत्रण रखे जाते हैं। जैसे कि समाज में अनिच्छनीय वस्तुओं का उत्पादन रोकने के लिए राज्य द्वारा ऊँचा कर लादा जाता है। तो इसी तरह पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा सबसीड़ी, कर में राहत आदि प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

इस प्रकार मिश्र अर्थतंत्र एक ऐसी पद्धति है कि जिसमें आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में आर्थिक आयोजन को मुख्य स्थान दिया जाता है, जिसके लिए सार्वजनिक और निजी साहस का सहअस्तित्व स्वीकार किया जाता है। इस पद्धति में अंकुश या नियंत्रण होने से 'नियन्त्रित आर्थिक पद्धति' के रूप में भी पहचाना जाता है। भारत, फ्रांस आदि देशों में मिश्र अर्थतंत्र पाया जाता है।

आर्थिक निर्णय और उत्पादन के साधनों के बँटवारे के लिए बाजार पद्धति, समाजवादी पद्धति मिश्र अर्थतंत्र का हमने अध्ययन किया परन्तु आज विश्व के किसी भी देश में संपूर्णतः बाजार पद्धति या सौ प्रतिशत समाजवादी पद्धति अमल में नहीं है। दोनों पद्धतियाँ अपना विशिष्ट स्वरूप खोकर मिश्र अर्थतंत्र में मिल गई है। बाजार पद्धति में आज आयोजन और राज्य का नियंत्रण देखा जाता है। जबकि समाजवादी पद्धति में भी आर्थिक छूट-छाट और आर्थिक उदारता के प्रभाव देखने को मिलते हैं।

परंतु मिश्र अर्थतंत्र में भी कमियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि आर्थिक अस्थिरता, संकलन का अभाव, आर्थिक नीतियों में असातत्य, आर्थिक विकास का नीची दर आदि मर्यादाएँ मिश्र अर्थतंत्र में भी पाई जाती हैं।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए :

(1) विकासशील अर्थतंत्र के किन्हीं पाँच लक्षणों का वर्णन कीजिए।

(2) आवश्यकताएँ अमर्यादित होती हैं, समझाइए।

(3) बाजारतंत्र की मर्यादाओं की चर्चा कीजिए।

(4) मिश्र अर्थतंत्र में साधनों के बँटवारे की चर्चा कीजिए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दासहित उत्तर लिखिए :

(1) उत्पादन के साधन के रूप में जमीन।

(2) समाजवादी पद्धति की कमियाँ।

(3) आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर की चर्चा कीजिए।

(4) प्राथमिक क्षेत्र के विषय में टिप्पणी लिखिए।

(5) अंतर स्पष्ट कीजिए : आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए :

(1) आर्थिक विकास अर्थात् क्या ?

(2) उत्पादन के मुख्य साधन कौन से हैं ? बताइए।

(3) आर्थिक प्रवृति का अर्थ समझाइए।

(4) भारत ने कौन-सी आर्थिक पद्धति अपनाई है ?

(5) साधनों के वैकल्पिक उपयोग अर्थात् क्या ?

4. निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) आर्थिक रूप से भारत कैसा देश है ?

(A) विकसित (B) पिछड़ा (C) विकासशील (D) गरीब

(2) विश्व बैंक के 2004 के लेख के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितने डॉलर से कम हो तो वह विकासशील देश है ?

(A) 480 \$ (B) 520 \$ (C) 735 \$ (D) 250 \$

(3) किस पद्धति को मुक्त अर्थतंत्र कहते हैं ?

(A) समाजवादी पद्धति (B) मिश्र अर्थतंत्र (C) बाजार पद्धति (D) एक भी नहीं

(4) पशुपालन व्यवसाय का समावेश किस विभाग में किया जाता है ?

(A) माध्यमिक (B) प्राथमिक (C) सेवाक्षेत्र (D) दिए गए तीनों

प्रवृत्ति

- शिक्षक विद्यार्थियों से निरीक्षण द्वारा आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्ति की सूची तैयार करवाएँ।
- अपने देश की भिन्न-भिन्न वर्षों की राष्ट्रीय आय की जानकारी प्राप्त करके चार्ट बनाइए।
- विद्यार्थियों द्वारा देखे गए उत्पादन के साधनों का वर्गीकरण कराना और स्केचबुक बनवाना।

•

16 आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण

भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त करके तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए हमारी सरकार द्वारा आयोजन का मार्ग स्वीकार किया गया। एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं के अमल द्वारा तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त करने का कार्य हाथ में लिया गया। इसके लिए वित्तीय नीति, राजकोषीय नीति और औद्योगिक नीतियों की समय-समय पर घोषणाएँ की गईं। परन्तु अनेक योजनाएँ पूरी हुईं, तब तक सच्चे अर्थो में आर्थिक विकास साधने में सफलता नहीं मिली। इसलिए सरकार ने असफलताओं के कारणों की जाँच की। भूतकाल में की गई भूलों को सुधारने के लिए भिन्न-भिन्न आर्थिक नीतियों को नया संचालक देने का निश्चय किया। इसके अधीन 1991 की औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास को पोषक बने ऐसे आर्थिक सुधार लागू किए, जिन्हें (1) उदारीकरण (2) निजीकरण और (3) वैश्वीकरण के रूप में पहचाना जाता है।

(1) आर्थिक उदारीकरण : सरकार औद्योगिक नीति द्वारा निजी क्षेत्र पर के अंकुशों और नियंत्रणों में क्रमशः कमी करे और विकास को प्रोत्साहित करे, उसे उदारीकरण की नीति के रूप में पहचाना जाता है।

शुरुआत के चरण में उदारीकरण के अधीन जो आर्थिक सुधार अपनाए गए थे वे मुख्यतः निम्नानुसार हैं :

(1) 18 उद्योग सार्वजनिक साहस के लिए आरक्षित थे, उनके अलावा अन्य उद्योगों के लिए परवाना पद्धति को समाप्त किया गया।

(2) रेलवे, अणुक्षेत्र और संरक्षण के सिवाय सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए।

(3) उद्योगों के लिए अनिवार्य पंजीकरण प्रथा रद्द कर दी गई।

(4) प्रदूषण न फैले और पर्यावरण के लिए खतरा न हो, ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की व्यवस्था को रद्द की गई।

उदारीकरण से लाभ :

(1) उदारीकरण के कारण निजी क्षेत्र को मुक्त विकास के अवसर प्राप्त हुए, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई।

(2) उदारीकरण की नीति को स्वीकार करने से विदेशी व्यापार को बल मिलना शुरू हुआ और विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई।

(3) विदेशी व्यापार में वृद्धि होने से विदेशी मुद्रा के आरक्षण में वृद्धि हुई।

(4) उदारीकरण के परिणाम स्वरूप देश में आंतरिक ढाँचागत सुविधाएँ बढ़ीं।

उदारीकरण से हानि :

(1) निजीक्षेत्र पर अंकुश घटने के उपरांत एकाधिकार की बुराई में कमी नहीं हो सकी।

(2) मात्र औद्योगिक क्षेत्र पर ही ध्यान देने से भारत कृषि क्षेत्र के विकास में पीछे रहा।

(3) आय की असमानता में वृद्धि हुई।

(4) आयात बढ़ने से और निर्यात घटने से विदेशी कर्ज में वृद्धि हुई।

(2) निजीकरण : निजीकरण अर्थात् ऐसी प्रक्रिया जिसमें राज्य के स्वामित्व के औद्योगिक साहसों की मालिकी अथवा संचालन निजीक्षेत्र को सौंप दिया जाता है। निजीकरण दो मार्गों से होता है :

(1) पहला जो क्षेत्र सार्वजनिक साहसों के लिए आरक्षित हो, वे क्षेत्र निजी विभाग के लिए खुले रखे जाते हैं।

(2) राज्य के स्वामित्व की कंपनियों की मालिकी राज्य अपने पास रखे और संचालन निजी कंपनी को सौंपे अथवा संचालन राज्य अपने पास रखे और मालिकी निजी कंपनी को सौंपे।

निजीकरण से लाभ :

(1) निजीकरण की नीति के कारण देश में उद्योग क्षेत्र की उत्पादकीय इकाइयों की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई है।

(2) निजीकरण के कारण पूँजीगत और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण होने से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की कार्यक्षमता में सुधार हुआ।

निजीकरण से हानि :

(1) निजीकरण के कारण आर्थिकसत्ता का केन्द्रीकरण हुआ है। जिससे एकाधिकार को वेग मिला है।

(2) निजीकरण से छोटे गृहउद्योगों का विकास उचित ढंग से नहीं हो सका, मात्र बड़े उद्योगों को ही लाभ मिला है।

(3) निजीकरण के कारण मूल्य नियन्त्रण में नहीं रहे, जिससे मूल्यवृद्धि की समस्या खड़ी हुई।

(3) वैश्वीकरण : 'वैश्वीकरण अर्थात् देश के अर्थतंत्र को विश्व के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने की प्रक्रिया। जिसके कारण वस्तुओं, सेवाओं, तक्नीकी और श्रम का प्रवाह विश्व में सरलता से प्राप्त हो।'

वैश्वीकरण में मुख्यतः निम्न सुधार हाथ में लिए गए :

(1) दो देशों के बीच व्यापार के अवरोध दूर करना।

(2) ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना कि जिससे दो देशों के बीच पूँजी की हेरफेर आसानी से हो सके।

(3) टेक्नोलॉजी के आयात-निर्यात के अवरोध दूर करना।

(4) विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का आयात-निर्यात मुक्त रूप से करना।

वैश्वीकरण के प्रभाव : वैश्वीकरण का भारतीय अर्थतंत्र पर मिश्र प्रभाव पड़ा है। कुछ लाभ तो कुछ हानि हुई है, जो निम्नानुसार हैं :

लाभ :

(1) वैश्वीकरण के कारण देश में विदेशी पूँजी निवेश को प्रोत्साहन मिला है।

(2) वैश्वीकरण द्वारा विकसित देशों में उत्पन्न होनेवाली वस्तुएँ आसानी से प्राप्त हो सकती हैं।

(3) वैश्वीकरण के कारण भारत जैसे विकासशील देश अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में टिके रहने की शक्ति प्राप्त करते हैं।

हानि :

(1) वैश्वीकरण से गरीबी और बेरोजगारी की समस्या हल करने में इच्छित सफलता नहीं मिली।

(2) विकासशील देशों को निर्यात वृद्धि द्वारा जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो सका।

(3) वैश्वीकरण का लाभ बड़े उद्योगों को अधिक मिला है जबकि छोटे उद्योगों को लाभ कम मिला है।

विश्वव्यापार संगठन (WTO) (World Trade Organization)

संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य देशों द्वारा 1 जनवरी, 1995 से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए संस्था (WTO) शुरू की गई। इस संस्था का मुख्यालय स्वीट्ज़रलैन्ड के जीनेवा शहर में रखा गया है। इस संस्था के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

उद्देश्य :

(1) विश्व के देशों के बीच व्यापार के अवरोध दूर करना।

(2) विदेशीव्यापार के लिए देश के उद्योगों को दिया जानेवाला संरक्षण दूर करना।

(3) विदेश व्यापार नीति और आर्थिक नीतियों के साथ संकलन साधना।

(4) विश्व में उत्पन्न होनेवाले व्यापारी झगड़ों का निवारण करना।

कार्य

(1) बहु राष्ट्रीय व्यापार और उससे जुड़े करारों के लिए आवश्यक ढाँचे का निर्माण करके करारों को लागू करवाना है।

(2) विश्व व्यापार संगठन बहुराष्ट्रीय व्यापार के लिए हुई चर्चा-विचारणा और वार्ता के लिए 'फोरम' (चर्चा के लिए स्थान) के रूप में कार्य करना है।

(3) WTO भेदभाव बिना अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देता है।

(4) भिन्न-भिन्न देश जो अपनी राष्ट्रीय नीति का अनुकरण करते हैं। उसका अवलोकन करता है और आवश्यक सुधार सूचित करता है।

भारतीय अर्थतंत्र पर प्रभाव

इस संस्था की स्थापना के समय से ही भारत इस संस्था का सदस्य है। इससे भारत पर इस संस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा अथवा भारत को किस प्रकार के लाभ मिलेंगे, उसकी चर्चा निम्नानुसार है :

(1) विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 0.5% था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होने से हमारे निर्यात में भारी वृद्धि हुई। जिसके परिणाम स्वरूप विश्वव्यापार में भारत का हिस्सा बढ़कर 1% से भी अधिक हो गया।

(2) WTO के सदस्य रहने से हमारे तैयार वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि होगी।

(3) WTO के सदस्य बनने से भारत अपनी कृषि उपजों के निर्यात में वृद्धि कर सकेगा।

(4) निर्यात में वृद्धि होने से आयात पर दबाव हल्का होगा और विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगी।

आज विश्व व्यापार संगठन के साथ जुड़ने से सदस्य देश के रूप में भारत को उपर्युक्त लाभ ही होंगे पर साथ-साथ कुछ शर्तों का पालन भी भारत को करना पड़ेगा। विशेषकर भारत अपनी आंतर ढाँचागत सुविधाएँ कितनी तेजी से बढ़ाता है और विकसित देश भारत के साथ कितना सहयोग करते हैं, यह बात उस पर आधारित है।

स्थायी विकास (संपोषित विकास)

स्थायी विकास की व्याख्या के अनुसार ''भावि पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता को नुकसान पहुँचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना।'' स्थायी विकास में पर्यावरणीय संसाधनों का अस्तित्व बनाए रखने पर बल दिया गया है।

मानव सृष्टि के आसपास प्राकृतिक और मानव सर्जित आवरण अर्थात् पर्यावरण पर पड़े गंभीर प्रभावों के कारण स्थायी विकास का विचार विकसित हुआ है। आज की पीढ़ी ने जो विकास साधा है और तेजी से विकास साध रहा है, उसे भविष्य में टिकाए रख सके ऐसा नहीं है। वर्तमान पीढ़ी जो सुविधाएँ भोग रही है, वही सुविधाएँ शायद भावि पीढी को प्राप्त हो ऐसा नहीं, यही भय उत्पन्न हो रहा है।

आर्थिक विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों का प्रमाण घटता है और उसकी गुणवत्ता कम होती है। इस परिस्थिति में विकास के विचार में परिवर्तन जरूरी है। आज का विकास और उसके कारण पर्यावरण पर होनेवाले प्रभावों का अध्ययन स्थायी विकास के विचार के अधीन किया जाता है।

प्राकृतिक साधनों का संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निम्न व्यूहरचना अपनानी चाहिए

(1) पुन: उपयोग में लिए जा सकें ऐसे प्राकृतिक साधनों जैसे, कृषि लायक जमीन, वन, जल संपत्ति आदि का उपयोग, उनकी गुणवत्ता बनी रहे इस तरह करना और जो प्राकृतिक संसाधन एक ही बार उपयोग में लिया जा सके ऐसे हैं – जिनमें कोयला पेट्रोलियम, खनिज आदि का समझदारी पूर्ण उपयोग करना।

(2) परिवहन खर्च कम हो इस तरह उद्योगों का स्थान निश्चित करना और वाहनों में तथा उद्योगों में 'पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी' का उपयोग बढ़े, ऐसे प्रयास करना।

(3) जिन साधनों को एक से अधिक उपयोग में लिया जा सके, उनका अधिकतम उपयोग करना। जैसे विभिन्न सिंचाई योजनाओं का एक से अधिक उपयोग होता है। उदाहरण – बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, परिवहन आदि में करना।

(4) प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग न हो, औद्योगिक कचरे का बिन आयोजित निकाल, जहरी रसायन, बढ़ती गंदी बस्तियाँ रोकने आदि पर नियंत्रण का कार्य करना।

(5) उत्पादन के सभी क्षेत्रों में और पवन ऊर्जा जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने पर बल देना।

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय

पर्यावरण की सुरक्षा हेतु स्वीडन के स्टोकहोम शहर में 1972 में पहली बार 'पृथ्वी परिषद्' का आयोजन हुआ। उसके बाद समय-समय पर वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधित भिन्न-भिन्न अनेक सम्मेलन और शिविरों का आयोजन हुआ उसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय करने का निश्चय किया गया।

भारत भी इन वैश्विक उपायों में शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण जागृति के लिए सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है। जैसे कि (1) देश के मुख्य शहरों में प्रदूषण की जानकारी दी जाती है। (2) प्रदूषण पर नियन्त्रण रखने के लिए केन्द्र तथा राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है (3) विश्व भर में 5 जून को 'पर्यावरण' दिवस के रूप में घोषित किया गया है। (4) 1981 में भारत सरकार ने 'वायु प्रदूषण' नियन्त्रण धारा पास किया। (5) ओजोन स्तर में छिद्र, परमाणु कचरे का निकाल और जैविक विविधता बनाए रखने के लिए वैश्विक समझौते हुए हैं।

इस प्रकार पर्यावरण की जवाबदारी हम सभी की है। यदि हम प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वह समय दूर नहीं कि जब पृथ्वी पर समग्र जीवन नष्ट हो जाएगा !

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर लिखिए :

(1) उदारीकरण का अर्थ देकर उसके लाभ समझाइए।

(2) निजीकरण के लाभ और हानि लिखिए।

(3) पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय बताइए।

(4) स्थायी विकास की व्यूहरचना समझाइए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दासर लिखिए :

(1) वैश्वीकरण के लाभ समझाइए।

(2) विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य लिखिए।

(3) निजीकरण के लाभ बताइए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए :

(1) वैश्वीकरण की संकल्पना समझाइए।

(2) भारत में आर्थिक सुधारों का अमल कब हुआ?

(3) विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई?

(4) स्थायी विकास की संकल्पना समझाइए।

4. निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?

(A) स्टॉकहोम (B) जिनेवा (C) लंदन (D) कोलकाता

(2) पर्यावरणीय जागृति के लिए 'पृथ्वी परिषद्' किस वर्ष में आयोजित की गई?

(A) 1972 (B) 1951 (C) 1992 (D) 2014

(3) विश्व में किस दिवस को 'विश्वपर्यावरण दिवस' के रूप में मनाया जाता है ?

(A) 8 मार्च (B) 11 जून (C) 5 जून (D) 12 मार्च

(4) देश के अर्थतंत्र को विश्व अर्थतंत्र के साथ जोड़ने की प्रक्रिया अर्थात्......

(A) निजीकरण (B) वैश्वीकरण (C) उदारीकरण (D) एक भी नहीं

प्रवृत्ति

- विद्यार्थी समूह चर्चा द्वारा निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के लाभ और हानि की चर्चा कीजिए।
- पर्यावरण की जाग्रति के लिए रैली का आयोजन कीजिए।
- विद्यार्थियों द्वारा वृक्षारोपण और उसके जतन के कार्य करना।
- विद्यालय में विशेषज्ञ का व्याख्यान आयोजित करना।

●

17 आर्थिक समस्याएँ और चुनौतियाँ : गरीबी और बेरोजगारी

भारतीय अर्थतंत्र में कुछ गंभीर और जटिल, आर्थिक और सामाजिक समस्याएँ जैसे जनसंख्या वृद्धि, मूल्यवृद्धि, कालाधन, गरीबी, बेकारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि का समावेश होता है। जिनमें मुख्य आर्थिक समस्याएँ गरीबी, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, जनसंख्यावृद्धि है। जिनमें से गरीबी और बेरोजगारी का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

गरीबी

समाज का बड़ा वर्ग अपने जीवन की मूलभूत और आधारभूत आवश्यकताएँ जैसे अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षण और स्वास्थ्य की सेवाएँ न्यूनतम मात्रा में भी भोगने से वंचित रहकर जीवन गुजारता हो, तब समाज की ऐसी स्थिति को व्यापक या दयनीय गरीबी कहते हैं और ऐसी स्थिति में समाज में रहनेवाले व्यक्ति को 'गरीब' माना जाता है।

गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग (BPL - Below Poverty Line) : गरीबी गुणात्मक विचार है। भारत में गरीबी को व्यक्ति के जीवन के लघुतम स्तर के रूप में देखा जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीनेवाले लोगों के सामान्य लक्षण निम्नानुसार पाए जाते हैं :

17.1 गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते लोग

- जिस व्यक्ति को दो समय का पर्याप्त भोजन नहीं मिलता।
- रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुली जगह प्राप्त नहीं होती।
- न चाहते हुए भी गंदे आवास या स्लम क्षेत्रों में निवास करना पड़ता है।
- उनकी आय निर्धारित अपेक्षित आय से भी कम होती है।
- उनकी आयु राष्ट्रीय औसत आयु से भी कम होती है।
- जो अधिकांशत: निरक्षर होते हैं।
- जो सतत पौष्टिक आहार के अभाव से छोटे-बड़े रोगों से पीड़ित हों।
- जिनके बालकों को परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए पढ़ने की उम्र में मजदूरी या कामधंधे पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- जिनके बालकों की कुपोषण के कारण बालमृत्यु की दर अधिक रहती है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीनेवाले लोगों का जीवनस्तर ऊँचा लाने के लिए सरकारी प्रयास :

- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीनेवाले परिवारों की आय बहुत कम होती है।ऐसे परिवारों को अंत्योदय परिवार या गरीबी रेखा के नीचे जीते परिवार (BPL) कहते हैं।
- सरकार ने ऐसे परिवारों को पहचानकर राशनकार्ड के आधार पर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था शुरू की। इन दुकानों को उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं। ऐसे परिवारों को प्रतिमास आवश्यक चीज-वस्तुएँ जैसे अनाज, चीनी, तेल, नमक, केरोसीन आदि वितरण करती हैं। इसके द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊँचा लाने के प्रयास हुए हैं।

गरीबी रेखा का विचार सर्वप्रथम WHO के नियामक ब्योर्ड ओरे ने प्रस्तुत किया था।गरीबी रेखा की गणना में अथवा मापन में अब अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का स्वच्छ पानी, बिजली, सेनिटेशन की सुविधा, वाहन-परिवहन आदि के पीछे होनेवाला उपभोग व्यय और आय को ध्यान में लेकर, कैलरी के आधार पर जीवन स्तर की निश्चित सतह को गरीबी रेखा के रूप में पहचाना जाता है।गरीबी रेखा का मापदंड समय, स्थल, संयोग या परिस्थिति में आनेवाले परिवर्तन के अनुसार बदलता है।

गरीबी का मापन : भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले व्यक्तियों की संख्या जानने की दो पद्धतियाँ हैं : (1) किसी एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के पीछे किए जानेवाले खर्च के आधार पर और (2) परिवार द्वारा प्राप्त कुल आय के आधार पर। (परिवार अर्थात् अधिक से अधिक 5 सदस्यसंख्या निर्धारित है।)

(अ) निरपेक्ष गरीबी

समाज के लोग अनाज, दलहन, दूध, सब्जियाँ, कपड़े जैसी प्राथमिक आवश्यकताएँ लघुतम बाजार मूल्य पर भी प्राप्त करने में समर्थ न हों, तो वे निरपेक्ष रूप से गरीब कहलाते हैं।

(ब) सापेक्ष गरीबी

समाज के भिन्न-भिन्न आयवाले वर्गों में से जो कोई वर्ग अन्य से कम आय प्राप्त करता हो तो वह सापेक्षरूप से गरीब कहा जाता है। ऐसी सोच विकसित देशों में है।

A. ₹ 10.000 B. ₹ 20.000 C. ₹ 30.000 यहाँ तीनों व्यक्तियों की आय अलग-अलग है। B व्यक्ति के सापेक्ष A व्यक्ति की आय कम होने से A व्यक्ति गरीब माना जाता है, इसी तरह C व्यक्ति के सापेक्ष A और B व्यक्ति की आय कम होने से वे गरीब माने जायेंगे।

भारत में गरीबी

भारत में योजना आयोग ने 2011-12 में गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए ग्रामीणक्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति मासिक खर्च ₹ 816 अर्थात् प्रति परिवार खर्च ₹ 4080 और शहरीक्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च ₹ 1000 अर्थात् प्रति परिवार खर्च ₹ 5000 का अनुपात निर्धारित किया था। अर्थात् आवश्यकताओं पर खर्च कर सके इतनी प्रति व्यक्ति मासिक आय कम से कम प्राप्त होनी चाहिए। इस नये मापदंड के आधार पर भारत में 2011-12 में गरीबों की संख्या घटकर 27 करोड़ हुई थी और गरीबी की मात्रा कुल जनसंख्या में से घटकर 21.9 % हो गई थी। भारत में 2009-10 में गरीबी की मात्रा कुल जनसंख्या के 29.8 % थी। इस प्रकार लगभग 35.47 करोड़ लोग गरीबी में जीवन जी रहे थे। विश्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तुलना की जा सके इसलिए 2012 में 2008 के भाव से प्रति व्यक्ति दैनिक आय US $ 1.90 (डोलर) निर्धारित की थी, जो गरीबी रेखा का मानक है। विश्वबैंक के एक लेख के अनुसार 2010 में भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 121 करोड़ में से 32.7 % लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते थे। जिनकी संख्या लगभग 45.6 करोड़ थी।

UNDP-2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में गरीबी का अनुपात कुल जनसंख्या के 21.92% थी, भारत में कुल गरीब 26.93 करोड़ में से ग्रामीण क्षेत्रों में 21.65 करोड़ लोग 25.7% और शहरी क्षेत्रों में मात्र 5.28 करोड़ लोग 13.7% गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते थे। भारत में सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य छत्तीसगढ़ (36.93 %) है, जबकि कम गरीबी वाला राज्य गोवा (5.09 %) है। गुजरात में गरीबी का अनुपात 16.63 % रहा। भारत में औसत 30 % से अधिक गरीबी के अनुपातवाले राज्यों में छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा आदि हैं।

भारत विपुल मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों और अपार प्राकृतिक उपहारों से समृद्ध है; परन्तु इन विपुल संसाधनों का सुयोग्य लाभ उठाने की क्षमताओं का अभाव, शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल का अभाव, वर्षों के त्रुटिपूर्ण आयोजनों के कारण इन प्राकृतिक संपत्तियों का लोगों के कल्याण और सुख-समृद्धि के सन्दर्भ में कार्यक्षम उपयोग न हो पाने के कारण लोगों में गरीबी का अनुपात नहीं घटा है। इससे कहा जाता है कि 'अमीर भारत में गरीब रहते हैं।'

(अ) ग्रामीण गरीब : ग्रामीण क्षेत्रों में बसनेवाले गरीबों में अधिकांश, भूमिहीन कृषि मजदूर, गृहउद्योगों या कुटीर उद्योगों के कारीगर, सीमांत किसान, भिक्षुक, दैनिक मजदूर, जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में रहनेवाले लोग,जनजातियाँ, कामचलाऊ कारीगर हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं।

(ब) शहरी गरीब : शहरीक्षेत्रों में बसनेवाले गरीबों में कामचलाऊ मजदूर, बेरोजगार दैनिक मजदूर, घरों के नौकर, रिक्शाचालक, चाय-नास्ते के ठेले-गल्ले या होटल-ढाबा पर, ऑटो गेरेज में काम करनेवाले श्रमिक, भिक्षुक, जो अपनी न्यूनतम जीवन की आवश्यकताएँ भी संतुष्ट नहीं कर सकते और गरीबी में सड़ रहे हैं।

गरीबी के उद्भव के कारण

गरीबी की जडें शहरों की अपेक्षा ग्राम्य क्षेत्रों में खूब गहराई तक फैली हुई हैं, जिसके कारण निम्नानुसार हैं :

- कृषि क्षेत्र में अपूर्ण विकास और अपर्याप्त सिंचाई की सुविधाओं के कारण कृषि क्षेत्र से प्राप्त होनेवाली आय में कमी।
- कृषि समय के अलावा वैकल्पिक रोजगारी के अवसरों का अभाव।
- ग्रामीणक्षेत्रों में अन्य रोजगारी के आवश्यक ज्ञान, शिक्षा, कौशल या प्रशिक्षण के अभाव के कारण।
- जातिप्रथा तथा रूढ़ियों, परंपराओं के कारण रीतिरिवाजों के पीछे भयंकर दिखावटी खर्च के कारण कर्जदार बनता है। इस प्रकार गैर उत्पादकीय खर्च में वृद्धि होने से।
- निरक्षरता का अनुपात अधिक होने से शोषण और अन्याय के भोग बनते हैं तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव से लाभ नहीं ले सकते हैं।
- आर्थिक नीतियों के निर्माण के अंत में मनुष्य की आवश्यकताओं और उसके आर्थिक हितों की उपेक्षा होने से।
- नकदी फसलों को प्रोत्साहन मिला और खाद्य पदार्थों का उत्पादन घटा। अनाज, दलहन आदि की कमी उत्पन्न हुई और मूल्य बढ़े। जिससे दो समय का पर्याप्त भोजन प्राप्त न होने से।
- आर्थिक सुधारों के लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट गई, कुटीर और लघु उद्योग समाप्त हो गए, स्थलांन्तरण बढ़ा, कृषि की आय घटने से।
- गरीब कुपोषण और विविध रोगों के शिकार बने। स्वास्थ्य विषयक खर्चे बढ़े, आय स्थिर रही, उपचार – दवा पर खर्च में वृद्धि हुई।
- टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आए। परंपरागत व्यवस्था, कुटीर उद्योग नष्ट हो गए और स्थानीय बाजार बंद होने से बेकारी में वृद्धि हुई।
- जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी, बालमृत्युदर घटी, औसत आयुसीमा बढ़ी। श्रम की कुल माँग की अपेक्षा श्रम की पूर्ति बढ़ने सें बेकारी बढ़ी। दूसरी तरफ उनकी आवश्यकता की वस्तुओं की तुलना में उत्पादन घटने से भाव बढ़े। क्रयशक्ति कम हुई, जीवनस्तर गिरा। अंत में गरीबी में वृद्धि हुई।

गरीबी निवारण की व्यूहरचना

गरीबी का विषचक्र भारत में पकड़ मजबूत कर रहा है, जिसके कारणों की संक्षिप्त में जानकारी दी गई है। जिसके आधार पर गरीबी घटाने में किस प्रकार की व्यूहरचना अपनानी चाहिए, यह समझना सरल होगा।

अभी तक 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई है। तब तक भारतीय अर्थतंत्र में विकास की रणनीति में और कार्ययोजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा मुख्य जिम्मेदार है। भारतीय अर्थतंत्र का स्वर्णशिखर भले ही शहरों में हो; परन्तु उनकी जड़ें तो गाँवों में हैं। गाँव ही भारतीय अर्थतंत्र का हृदय है, इसलिए उसे जीवंत और समृद्ध रखने के लिए अंदाजपत्र में से बड़ा हिस्सा ग्रामोद्धार पर खर्च किया जाना चाहिए था। भारत का सच्चा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास गाँवों के विकास द्वारा ही संभव है। इसलिए अब वर्तमान सरकार ने ''ग्रामोदय से भारत उदय'' के कार्यक्रम द्वारा ग्रामोद्धार के स्थान पर देशोद्धार के मूल विचार को अमल में रखकर केन्द्र और राज्य सरकारों ने गरीबी निमूर्लन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ढाँचागत सुविधाएँ, कृषिक्षेत्र का विकास और गृहउद्योग, कुटीर उद्योग, लघुउद्योग के विकास पर विशेष बल देकर अनेक नई योजनाएँ और कार्यक्रम अमल में रखे। इसके द्वारा रोजगार के अवसर मिलेंगे, परिणामस्वरूप आय बढ़ने से गरीबी घटेगी।

(1) आजादी के बाद के वर्षों में आयोजन में 'गरीबी हटाओ' के सूत्र के साथ जिस किसी भी सरकार ने बड़े स्तर के और भारी तथा चाबीरूप उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उनके विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए जिसके कारण शहर विकसित हुए और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में 'हरियाली क्रांति' के लक्ष्य के साथ जमीन सुधार कानून धारा के कार्यक्रमों के अमल से कृषि क्षेत्र का विकास साधकर देश में उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार

के अवसर बढ़ेंगे, रोजगारी बढ़ेगी और उससे आय बढ़ने से गरीबों की स्थिति सुधरेगी। उद्योगों के विकास में से उद्योग मालिकों को मिलने वाले आर्थिक लाभ उद्योग मालिकों, धनिक किसानों, जमींदारों जैसे धनिक वर्गों को मिलती आय की वृद्धि का लाभ क्रमशः गरीबों तक पहुँचेगा और इससे गरीबों की संख्या घटेगी, परन्तु यह व्यूहात्मक आशावाद ठगी निकला। देश में आर्थिक विकास की गति धीमी रही। मंद आर्थिक विकास के साथ आय का अन्यायी और असमान वितरण की गति धीमी रही। मंद आर्थिक विकास के साथ आय का अन्यायी और असमान वितरण होने से आय और संपत्ति का केन्द्रीकरण समाज के शीर्ष के कुछ धनिकों के हाथ में ही रहा। इस प्रकार आर्थिक विकास के लाभों का विस्तरण न होने से गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, आय के असमान बँटवारे से धनिक अधिक धनिक बने, गरीब अधिक गरीब बने।

(2) सरकार ने आय की असमानता दूर करने के लिए कर की नीति में गरीबों को जीवन की अनिवार्य वस्तुएँ प्राप्त होती रहे, उसका उत्पादन बढ़े, इस उद्देश्य से अमीरों के उपयोग की चीज-वस्तुओं और सेवाएँ, मौजशौक तथा भोगविलास की चीज-वस्तुओं और सेवाओं पर तथा उनकी आय पर ऊंचे कर लगाए हैं। इसके साथ ही गरीबों की चीज-वस्तुओं पर उपभोग खर्च न बढ़े, आय का बड़ा हिस्सा जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ संतुष्ट करने पर खर्च न हो इसको ध्यान में रखकर ऐसी उपभोग की जीवन आवश्यकता की वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधीन 'उचित मूल्य की दुकानों' (FPSS) द्वारा निश्चित प्रमाण में राहतदर पर स्थानीय आपूर्ति के द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊँचा लाने का व्यूह अपनाया। इस तरह, धनिक वर्गों की वस्तुओं का उत्पादन घटे और उत्पादन के साधनों का बँटवारा गरीबों की चीज-वस्तुओं के उत्पादन की तरफ बढ़े ऐसे प्रयत्न सरकार ने किए। इस प्रकार गरीबों की रोजगारी बढ़े, कार्यक्षमता बढ़े, उत्पादन बढ़े और अंत में आय में वृद्धि हो तो जीवन स्तर भी सुधरे ऐसे प्रयत्न सरकार ने किए हैं।

(3) गरीबी समाप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष बल देने की आवश्यकता समझकर सरकार ने जमीन सुधार धारा के उपाय, जमीन सीमा मर्यादा धारा, गणोत धारा, कृषि मालिकी की सुरक्षा जैसे अनेक कानूनों से ग्रामीणक्षेत्र के धनिक किसानों तथा जमींदारों की आय में कमी करके भूमिहीन कृषिमजदूरों, गणोतियों की आय में वृद्धि हो, इस तरह गरीबों की स्थिति में सुधार लाने की व्यूहरचना अपनाई है।

(4) सरकार ने कृषि, कृषि पर आधारित अन्य उद्योग, अन्य प्रवृत्तियाँ विकसित हो, जैसे कि; पशुपालन, डेरी उद्योग, मत्स्य उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन सहायता दी। स्वावलंबन क्षेत्र में यंत्रों का कम उपयोग ऐसे धंधे-उद्योगों में रोजगारी बढ़े तथा परंपरागत व्यवसायों, हस्तकला और कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन नीतियाँ घोषित करके आर्थिक सहायता दी। कुछ गृहउद्योगों को कानून से आरक्षित रखे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के आर्थिक अवसर सर्जित हुए। ग्रामीण युवकों को वैकल्पिक रोजगार के लिए अवसर मिले इस उद्देश्य से शिक्षण-प्रशिक्षण और कौशल में वृद्धि हो ऐसे प्रबन्ध किए, जिससे उसमें रोजगारलक्षी क्षमताओं का विकास हो। रोजगार के नए क्षेत्र खुले, जिससे आय बढ़ी और परिणामस्वरूप उनकी स्थिति में सुधार लाने की व्यूहरचना के रूप में अनेक कल्याणकारी स्वरोजगारी के कार्यक्रम सरकार ने लागू किए हैं।

(5) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, परिवार-नियोजन, संचार, आंतर सुविधायुक्त ढाँचे में सुधार किया। सिंचाई, सड़क, फसल संरक्षण, कौशल और प्रशिक्षण क्षेत्र, कृषिक्षेत्र में सुधार किए, फसल की विविध प्रजातियाँ विकसित की, बीज, खाद, ट्रेक्टर की सुविधा के लिए सस्ते बैंक लोन उपलब्ध करवाकर ग्रामोद्धार के अन्तर्गत अनेक महत्त्वाकांक्षी कदम उठाए हैं, स्थानीय स्तर पर युवकों के लिए रोजगारी के क्षेत्र खोले, जिससे शहरों की तरफ स्थलांतर घटे और शहरों पर जनसंख्या का भार घटे। ग्रामीण या नगर-स्तर पर विद्यालयों और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नजदीक के अंतर पर कॉलेज शुरू करके टेक्निकल और व्यवसायलक्षी पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण केन्द्रों की सुविधाएँ खड़ी की। युवक-युवतियों को उच्च शिक्षण पूरा करने तक अधिक सहयोग के रूप में स्कोलरशिप, फीस-माफी की सुविधा, आश्रमशालाओं, कन्याशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता द्वारा प्रोत्साहन-जैसे अनेक कदम उठाये हैं। महिला सशक्तिकरण के प्रयास रूप में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार उत्पन्न करने के विविध सक्रिय प्रयास और कार्यक्रम लागू किए। इस प्रकार सरकार गरीबी के राक्षस को समाप्त करने में व्यूहात्मक रूप से और क्रमबद्ध रूप से कदम उठा रही है। इन उपायों के लागू होने पर भी अर्थतंत्र में गहराई तक घर कर गई गरीबी की समस्या को जड़मूल से उखाड़कर फेंक देने के स्वप्न को साकार

करने में और विश्व बैंक के 2030 तक विश्व से गरीबी को निर्मूल करने के विजन को मिशन के रूप में पूर्ण करने में भारत को अभी भी कई मंजिलों तक कड़े कदम उठाने पड़ेंगे।

गरीबी निवारण कार्यक्रम (पोवर्टी एलिवियेशन प्रोग्राम — PAP)

गरीबी को निर्मूल करने के उपायों को व्यूहात्मक रूप से सफल बनाने के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीनेवाले शहरी और ग्राम्य क्षेत्र के लोगों का सीधा प्रभाव हो इस तरह विविध कल्याणकारी योजनाओं का सीधा आर्थिक लाभ उन्हें मिले इस उद्देश्य से तथा रोजगारी के अवसर उपलब्ध करवाकर आय वृद्धि द्वारा गरीबी निवारण के कार्यक्रम अमल में लाए गए हैं।

गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमों/योजनाओं को मुख्यत: पांच विभागों में बाँट सकते हैं : (1) वेतनयुक्त रोजगारी के कार्यक्रम (2) स्वरोजगारी के कार्यक्रम (3) अन्न सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम (4) सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम (5) शहरी गरीबी निवारण के कार्यक्रम।

वर्तमान में इन पाँच क्षेत्रों में अनेक क्रमबद्ध कार्यक्रम अमल में हैं, परन्तु उनमें से मुख्य कार्यक्रमों और योजनाओं की निम्नानुसार संकलित और सर्वग्राही चर्चा करेंगे :

1. कृषि विकास : सिंचाई, सड़क, फसलसंरक्षण सेन्द्रिय कृषि और खेत उत्पादों की बिक्री जैसे क्षेत्रों में नीचे की योजनाओं मे दर्शाए कार्यों में जुड़कर रोजगारी प्राप्त कर सकें, जिनमें से सीधी आय प्राप्त हो और गरीबों की स्थिति सुधरे यह मुख्य उद्देश्य है।

(i) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : राष्ट्रीय कृषि योजना के अधीन कृषि की वृद्धि दर बढ़े, कृषि से संलग्न विभाग विकसित करना, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करना, जमीन को सिंचाई के अन्तर्गत लाना, टपक पद्धति से सिंचाई करना, प्रत्येक खेत को पानी मिले जिससे जलसंकट को दूर करने के छोटे, बड़े, मध्यम कद के चेकडेम खड़े करना, ऐसे अनेक उपाय करके किसानों को कृषि के खतरे और कर्ज से बचाने तथा रोजगारी द्वारा आयपूर्ति से गरीबी से बाहर निकालने का प्रयत्न है।

(ii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : इस अन्तर्गत खेत सुरक्षा बीमा योजना को अधिक सुग्रथित करके प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होनेवाले नुकसान से अर्थिक सहारा देने की सहायता करना, समर्थन भाव से कपास की खरीदी में बोनस और फसल के नुकसान में हर्जाना देना शुरू किया है। भावों की स्थिरता के लिए 'क्षतिमुक्त कृषि मूल्य आयोग' की रचना की है।

(iii) राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम : इसके अधीन प्रत्येक खेत को पानी, उपयोगी नहरों का ढाँचा सुधारना, मिट्टी के कटाव को रोकना, अनुसूचित जनजाति के किसानों को नए ट्यूबेल, क्षार प्रवेश नियंत्रण – जैसे कार्यक्रम अमल में रखे तथा तालाबों की खुदाई, वॉटर शेड विकास, टांकी निर्माण, वर्षा के जल का संग्रह, वृक्षारोपण, नहर की लाइनिंग बनाना, पेड़–पौधे लगाना–जैसे नवीनीकरण और चेकडेम का पुनरोद्धार करना, रोजगारलक्षी कार्यक्रम अमल में रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित गरीब परीवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कुछ आर्थिक सहारारूपी सहायता की है।

(iv) राज्य सरकार ने भी कृषिक्षेत्र में लाभदायक योजनाओं में खरीफ की फसल के लिए काफी कम व्याज दर पर बैंक द्वारा कर्ज देना, पशुपालन के लिए, खाद के संग्रह के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करवाई हैं और केन्द्र सरकार के सिंचाई के कार्यक्रमों में भी राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाएँ हैं।

गुजरात सरकार ने गरीबी निवारण के उपाय हाथ में लिए हैं, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पिछले दशक से गरीब कल्याण मेले आयोजित कर गरीबों को स्वावलंबन के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है।

(v) 'ई-नाम् योजना' : इस योजना के अन्तर्गत किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार खड़ा किया गया है, जिसमें किसान ऑन लाइन अपने उत्पादनों को सूचीबद्ध करा सकते हैं। व्यापारी किसी भी जगह से उस उत्पादन की बोली लगा सकते हैं। बिचौलियों, दलालों से होते नुकसान से किसानों को बचाकर अधिक भावरूपी मूल्य मिले और स्पर्धा से अधिक लाभ प्राप्त करें–यह इस योजना का उद्देश्य है।

इस प्रकार कृषिविकास और अधिकतम लाभ मिले ऐसे कदम उठाए, जिससे किसान कृषि व्यवसाय में जुड़े रहें यह जरूरी है।

2. 'ग्रामोदय से भारत उदय' : जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किसानलक्षी योजनाओं में वन्यप्राणियों से होनेवाले नुकसान प्राप्त फसलों की रक्षा करने के लिए तार की बाड़ लगाने के लिए आर्थिक मदद, कमी या अकाल के समय पशुधन की सुरक्षा के लिए घास उत्पादन और पशु शेल्टर बाँधने के लिए मदद, अत्याधुनिक सेटेलाइट या ड्रोन टेक्निक से बरसात की आगाही और खनिजक्षेत्र संशोधन। जमीन का सर्वे करके रिकोर्ड रखकर कृषि में यंत्रीकरण के लिए ट्रेक्टर तथा मिनी ट्रेक्टर की खरीदी में कम व्याज दर पर लोन और सबसीडी के रूप में मदद, पानी की टंकियों के निर्माण में मदद, बागायती फसलों की गुणवत्ता सुधारना, कृषि ऋण मंडली में कंप्यूटराइज़ेशन, कपास, दलहन, मसालों के उत्पादन के लिए नई टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करना, उचित मूल्य मिलते रहें ऐसा प्रबंध, जलसंग्रह के लिए जलाशयों में से कांप निकालकर गहरा करना, बड़े करने, खेत-तलाबों का निर्माण, जलाशयों की नहरों और नालों की सफाई तथा लंबाई में वृद्धि करना, जलमंदिरों का पुनः स्थापन और चेकडेमों की रिपेरिंग और जल की संग्रहशक्ति में वृद्धि करने जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें कृषि के अलावा के समय में रोजगारी मिले और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति का निर्माण हो। इस तरह किसानों को कर्ज से उबारने के प्रयत्न के रूप में विविध प्रकार की मदद करने के प्रयत्न केन्द्र और राज्य सरकार ने इस योजना में किए हैं।

3. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना : ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवरोध के बिना 24 × 7 रात-दिन सतत बिजली की आपूर्ति करना, घरों में और खेतों में सस्ती दर पर बिजली देना, देशभर में बिजली की सुविधा बिना के 18000 गाँवों में बिजली पहुँचाने की नई लाइनें, नये पावर सबस्टेशन स्थापित करने तथा कृषिक्षेत्र के बिजली के साधनों की खरीदी में सबसीडी के रूप में मदद करके गरीब किसानों की आय में सहायता करने का प्रयास है। सौरऊर्जा द्वारा बिजली प्राप्त करने, सोलर टेक्निक साधनों के लिए भी सबसीडी दी गई है।

4. आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए वनबंधु कल्याण योजना के तहत सहायता : आदिवासी महिलाओं को पशुपालन के लिए संकलित डेरी विकास रोजगार योजना के अन्तर्गत कृषि विषयक और बागायती खेती के विकास के लिए फसलों के लिए मंडल बनाने में मदद, सजीव खेती ग्रेडिंग और पैकेजिंग का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है। समरस छात्रालय और स्मार्ट आश्रमशालाएँ स्थापित की जाती हैं।

5. सेन्द्रिय खेती को प्रोत्साहन : देने में, रजिस्ट्रेशन में, फीस में मदद, कृषि सामग्री की खरीदी में मदद, किसानों को शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था, कम दर पर कर्ज, उचित बाजार व्यवस्था करने जैसे कदम उठाकर पर्यावरण की देखभाल और कृषि खर्च में कमी हो, इस योजना का यह उद्देश्य है।

6. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना : इस योजना के अन्तर्गत मार्गों के कार्यों का आयोजन किया गया है। गाँव एक-दूसरे के साथ सड़क मार्गों से तथा हाईवे से जुड़े रहें, इसलिए ग्राम पंचायतों को मदद की जाती है, शौचालय निर्माण के कार्यों जैसे रोजगारलक्षी कार्यक्रम अमल में लाए गए हैं।

7. माँ अन्नपूर्णा योजना : इस योजना के अन्तर्गत गुजरात सरकार ने सभी अंत्योदय परिवारों को और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रति परिवार प्रतिमास 35 किग्रा अनाज मुफ्त में वितरण करना तथा गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दर प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 5 किग्रा अनाज जिसमें गेहूँ-2 रुपये प्रति किलो, चावल 3 रुपये प्रति किलों के भाव पर, उचित मूल्य की दुकानों द्वारा देकर राज्य की

17.2 'माँ अन्नपूर्णा योजना' अधीन FPS द्वारा अनाज वितरण

3.82 करोड़ की जनता को इस योजना के अधीन शामिल करके अन्न सुरक्षा प्रदान की है जिससे आय का बड़ा भाग अनाज पर खर्च करने से बचेगा। इस बचत के माध्यम से अन्य उपभोग की बस्तुएँ खरीद कर गरीब व्यक्ति के मुख पर मुस्कान लाकर जीवन स्तर में सुधार लाना योजना का उद्देश्य है।

8. सांसद आदर्श ग्राम योजना : इसके अन्तर्गत सांसद द्वारा संसदीयक्षेत्र में दत्तक लिए गए गाँव में शिक्षण, स्वास्थ्य रोजगारी की सुविधाएं बढ़ाकर आधुनिक सुविधायुक्त 'आदर्श गाँव' की रचना द्वारा स्थलांतरण को रोकना। सार्वजनिक स्थायी संपति तैयार करना, अच्छे जीवन स्तर का निर्माण करना, ग्रामोद्धार, सांस्कृतिक विरासत का जतन, सामाजिक समरसता के कार्यों द्वारा रोजगारी उत्पन्न करने के प्रयत्न करना, मानव विकास में वृद्धि करना – जैसे उच्च उद्देश्य शामिल किए गए हैं।

9. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना : (MGNREGA) मनरेगा रोजगार लक्षी कार्यक्रम 'हमारे गाँव में हमारा काम, साथ में मिलता हैं उचित दाम' के नारे के साथ खूब ही लोकप्रिय योजना, जिसमें राज्य के ग्राम्य क्षेत्रों में रहते परिवारों के जो वयस्क सदस्य हैं (18 वर्ष के ऊपर), शारीरिक श्रम कर सकें ऐसे बिनकुशल कार्य करने के इच्छुक ऐसे प्रत्येक परिवार के जीवन-निर्वाह के अवसर बढ़ाने के लिए प्रति परिवार एक सदस्य को वित्तीय वर्ष में 100 (सौ) दिन की (रोजाना सात घण्टे) वेतनयुक्त रोजगारी देने का उद्देश्य है। सरकार निर्धारित वेतन दर पर दैनिक वेतन चुकाती है। यदि काम मागने के बाद काम देने में सरकार असमर्थ हो तो नियमानुसार 'बेकारी भत्ता' चुकाया जाता है। यहाँ ग्राम विकास के कार्य, व्यक्तिगत शौचालय बनाना, व्यक्तिगत कुएँ, भूमि समतल करनें के कार्य, बागायती कार्य, इन्दिरा आवास योजना के मजदूरी के कार्य, पशुओं के छपरे, जैविक खाद बनाना, मुर्गा-बकरी के लिए शेड, मछली सुखाने के यार्ड, केनाल सफाई, जल संग्रह के कार्य, मार्गों पर वनीकरण जैसे अनेक कार्य कराकर प्रत्येक परिवार को निश्चित वेतन युक्त रोजगारी देने की गारण्टी देकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाकर उनके जीवन स्तर को सुधारने के कार्यक्रम शामिल हैं।

10. मिशन मंगलम् : इसके अन्तर्गत राज्य सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीनेवाले परिवारों की महिलाओं को सखीमण्डलों या स्वसहाय समूहों से जोड़कर कौशलवर्धक प्रशिक्षण देकर पापड़, अचार, अगरबत्ती जैसे गृहउद्योगों के विकास के माध्यम द्वारा रोजगारी (आजीविका) उपलब्ध करवा कर गरीबी रेखा के ऊपर लाती है।

11. दत्तोपंत ठेंगड़ी कारीगर व्याज सहायता योजना : इसके द्वारा सरकार हस्तकला और हस्तबुनाई के कुटीर उद्योगों के कारीगरों को कच्चे माल की खरीदी के लिए कम व्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाती है।

12. ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना : इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों मे आय और उद्योग की साहसिकता के लिए बेरोजगारों को ग्राम क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु प्लांट, यंत्रसामग्री, बिजली, जमीन आदि के लिए आर्थिक मदद, सबसीडी देकर स्वरोजगारी के अवसर खड़े करने का उद्देश्य है। 'स्टार्ट-अप-इण्डिया' में नये विचारों के साथ रोजगार युवा उद्योग साहसिकों को प्रशिक्षण, मुफ्त बिजली, जमीन और आर्थिक सहायता दी जाती है।

13. वाजपेयी बेंकेबल योजना : शहरी और ग्रामीण बेरोजगारों को जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष है और कक्षा-4 पास हों उन्हें प्रशिक्षण देकर उद्योगों के लिए या परम्परागत कारीगरों को धंधे के लिए नियत रकम कर्ज देकर स्वरोजगारी के कार्यक्रम को अमल में लाना है।

14. एग्रो बिजनेश पॉलीसी 2016 : राज्य सरकार ने प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के निर्यात में सहायता, एग्रो फूड प्रोसेसिंग युनिट स्थापित कर 10 लाख लोगों को रोजगारी देने की योजना लागू की है, जिसके द्वारा गरीबी में कमी की जा सके।

बेरोजगारी (Un-employment)

भारत की वर्तमान समस्याओं में से गंभीर आर्थिक समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण गरीबी उत्पन्न होती है। यह समस्या लंबे समय की और अर्थतंत्र में गहराई से घर कर चुकी समस्या है। विश्व के अधिकांश देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं।

बेरोजगारी का अर्थ : वह वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 15 से 60 वर्ष के बीच हो, जो बाजार में प्रवर्तमान दर पर कार्य करने की इच्छा और वृत्ति रखता हो, कार्य करने योग्य शक्ति और योग्यताएँ रखता हो, काम की खोज में होने पर भी वह काम प्राप्त करने में समर्थ न हो तो वह व्यक्ति बेरोजगार या बेकार कहलाता है। ऐसी सामूहिक परिस्थिति बेरोजगारी कहलाती है। वे ऐसी बेकारी अनिवार्य रूप से भोगते हैं। तो इसे इच्छा के विरुद्ध या अनैच्छिक बेकारी कहते हैं।

यदि कोई व्यक्ति प्रवर्तमान बाजार के वेतन दर से अधिक वेतन मांगे, 15 से 60 वर्ष के बीच के वयसमूह में जिनका समावेश नहीं होता हो, अपंग, अशक्त, रोगिष्ट या वृद्ध, आलसी, गृहिणी, जो शक्ति होने पर भी काम करने की वृति या तैयारी न रखते हों, ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं माना जाएगा।

बेरोजगारी के मुख्य स्वरूप : भारतीय अर्थतंत्र में बेरोजगारी के कुछ स्वरूप निम्नानुसार पाए जाते हैं :

(1) ऋतुगत बेरोजगारी : भारतीय कृषि क्षेत्र में सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएँ, वर्षा की अनियमितता और वैकल्पिक रोजगारी के अवसरों के अभाव में तीन से पांच मास बेरोजगार रहना पड़ता है, उसे ऋतुगत या मौसमी बेरोजगारी कहते हैं।

(2) घर्षणजन्य बेरोजगारी : पुरानी तक्नीक के स्थान पर नई तक्नीक आए तब कुछ समय के लिए श्रमिक बेरोजगार बनता है, उसे घर्षणजन्य बेरोजगारी कहते हैं।

(3) ढाँचागत बेरोजगारी : भारतीय अर्थतंत्र पिछड़ा और रूढ़िचुस्त है, सामाजिक पिछड़ापन, परंपरागत रूढ़ियाँ, रिवाज, निरक्षरता और ढाँचागत सुविधाओं का अभाव आदि कारणों से ढाँचागत बेरोजगारी पाई जाती है।

(4) प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी : किसी भी काम धन्धे या व्यवसायिक प्रवृति में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों, इन अतिरिक्त श्रमिकों को उत्पादन कार्य में लगा देने से कुल उत्पादन पर कोई भी प्रभाव न हो तो इन अतिरिक्त श्रमिकों को प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगार कहते हैं।

(5) औद्योगिक बेरोजगारी : औद्योगिक क्षेत्र में होनेवाले परिवर्तनों के कारण यदि व्यक्ति को लम्बे या कम समय के लिए काम के बिना रहना पड़े तो ऐसी स्थिति को औद्योगिक बेरोजगारी के रूप में पहचाना जाता है।

(6) शिक्षित बेरोजगारी : कम से कम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की हो और यदि व्यक्ति बेरोजगार हो तो उसे शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है।

भारत में बेरोजगारी का प्रमाण : भारत में राज्यों के अनुसार बेरोजगारी की मात्रा अलग-अलग है। रोजगार विनिमय केन्द्रों में रोजगार इच्छुकों के नाम दर्ज करवाने में उदासीनता के कारण संख्या में उनकी निश्चित मात्रा या अंदाजा निकालना मुश्किल है। फिर भी भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नेशनल सेम्पल सर्वे (NSS) के आधार पर भारत में बेरोजगारी की व्यापकता की जानकारी मिलती है।

सन् 2011 की जनगणनानुसार 116 मिलियन लोग रोजगारी की खोज में थे। 32 मिलियन लोग अशिक्षित बेरोजगार और 84 मिलियन शिक्षित बेरोजगार थे। जिनकी उम्र 15 से 24 वर्ष की है, ऐसे लगभग 4.70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं।

लेबर ब्यूरो सर्वे के अनुसार भारत में 2013-14 में बेरोजगारी की दर 5.4 प्रतिशत पाई गई थी और गुजरात में प्रति हजार 12 व्यक्ति (1.2 %) बेरोजगार थे। भारत में 2009-10 में प्रति हजार शहरी क्षेत्रों में 34 व्यक्ति (3.4 %) जबकि ग्राम्य क्षेत्रों में 16 व्यक्ति (1.6 %) बेरोजगार थे। शिक्षित बेरोजगारों का अनुपात शहरों में अधिक था। 2013में स्त्रियों की बेरोजगारी दर 7.7 प्रतिशत थी।

भारत में सिक्किम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा जैसे राज्यों में बेरोजगारी का अनुपात अधिक ऊँचा पाया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्णाटक, चंडीगढ़ और गुजरात में बेरोजगारी का अनुपात क्रमशः नीचा रहा है। गुजरात में रोजगारी के क्षेत्र में अच्छी तथा उल्लेखनीय परिस्थिति है।

भारत में एक अनुमान के अनुसार उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले 15 % प्रतिशत लोग युवा हैं। विश्व की जनसंख्या के 66 प्रतिशत लोग जो 35 वर्ष की उम्र तक के युवा हैं, वे भारत में हैं। यदि भारत को विश्व में युवाओं के देश के रूप मे महासत्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा तो भारत को बेरोजगारी के कड़वे स्वरूप को बदलना होगा।

भारत में बेरोजगारी की समस्या अधिक गहन बनने के पीछे मुख्य जवाबदार कारणों में जनसंख्या में वृद्धि मात्र सैद्धांतिक ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान का अभाव, टेक्निकल ज्ञान का अभाव सम्पूर्ण रोजगारी उत्पन्न करने में असफलता, कृषि क्षेत्र में वर्षा की अनियमितता और जोखिम की अधिक मात्रा, कृषि व्यवसाय में रुचि घटना, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएँ, कृषि के अलावा के समय में वैकल्पिक रोजगारी के अभाव से बेकार बैठना पड़े; कुटीर उद्योग, गृहउद्योग और लघुउद्योगों की कमजोर स्थिति, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, परंपरागत व्यवसाय या पारिवारिक धंधे में ही लगे रहना पड़े, अन्य नये व्यवसाय या उद्योग शुरू करने में साहसों का अभाव, ज्ञान, कौशल, तालीम और अनुभव की कमी, श्रम की अगतिशीलता, मानवश्रम का दोषपूर्ण आयोजन, औद्योगिक विकास की धीमी दर, बचतवृत्ति की नीची दर, जिससे पूँजी सर्जन दर में कमी होना, परिणामस्वरूप नए धंधा-उद्योगों में निवेश के अभाव से शुरू न हो सकने जैसे अनेक कारण हैं।

बेरोजगारी कम करने के उपाय : बेरोजगारी की समस्या हमारे आयोजन की सबसे कमजोर कड़ी है। गरीबी और बेरोजगारी दोनों सगी बहन हैं। दोनों के बीच सहसंबंध है। गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है। इस चुनौती स्वरूप समस्या का प्रभाव युवा-शिक्षितवर्ग पर विशेष है। जैसे की उनकी शिक्षा में रुचि में कमी होना, सामाजिक और मानसिक परिस्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ना, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रोजगार न मिलने के कारण हताशा में धकेला जाना, यदि वे लम्बे समय तक बेकार रहें तो युवा असामाजिक, अनैतिक प्रवृतियों में जुड़ जाते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों की हेराफेरी, गैरकानूनी व्यवसायों, चोरी, लूटमार, धन वसूली जैसे अपराधिक कृत्य करने को प्रेरित होना, सामाजिक और आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है, वर्गभेद सर्जित होना, जीवन स्तर गिरना, बेकारी के साथ मूल्यवृद्धि जुड़ने से गरीबी की और बेकार परिवारों की स्थिति अधिक कमजोर और दयनीय बनना-वे नशीले पदार्थों या अन्य व्यसनों की तरफ जुड़ते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी के प्रभाव व्यक्ति-परिवार तथा अर्थतंत्र पर और सामाजिक दृष्टि से घातक सिद्ध हुए हैं।

बेरोजगारी घटाने की सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का हमने आगे गरीबी निवारण के कार्यक्रमों में अध्ययन किया है। उनका फिर से स्मरण करना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा लिए गए कुछ असरकारक उपाय निम्नानुसार हैं :

(1) भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि दर 10% जितना ऊँचा लक्ष्य रखकर सिद्ध करने का सर्वग्राही कदम उठाना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पूँजी निवेश की मात्रा बढ़ाना और रोजगारी के अवसरों में वृद्धि करना। अर्थतंत्र में कृषि सहित छोटे और गृहउद्योगों, कुटीर उद्योगों सहित सभी विभागों में और प्रदेशों में तीव्र और संतुलित विकास सिद्ध करने के लिए रोजगारी के नए क्षेत्र खोलने चाहिए। सरकार ने रोजगारी बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं द्वारा आर्थिक सहायता, शिक्षण प्रशिक्षण के केन्द्र शुरू किए हैं।

(2) श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति पर आधारित उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करनेवाली इकाइयों, छोटे और लघुउद्योगों, ग्रामोद्योगों, हस्तबुनाई कारीगरों से संकलित हुन्नर उद्योग के विकास पर बल दिया है। इसके लिए योजनाओं में प्रोत्साहन नीतियाँ भी लागू की हैं।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा के समय में बेरोजगारी घटाने के लिए खेतों में एक से अधिक बार फसल ले सके ऐसी पद्धति विकसित करनी, नई जमीन जुताई के अधीन लानी, प्रत्येक खेत को पानी और बिजली की सुविधाएँ उपलब्ध करवाना, छोटी बड़ी सिंचाई योजनाएँ, डेम, चेकडेम, जलाशयों, नहरों, ट्यूबेलों, बांधों, सड़क निर्माण की प्रवृत्तियाँ, कृषि से संलग्न प्रवृत्तियाँ, मुर्गा - बतक, मत्स्य पालन, डेरी उद्योग, वनीकरण के कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण

क्षेत्रों में कम पूँजी निवेश से अधिक लोगों को रोजगारी उपलब्ध करवाई जा सकती है, इसके लिए रोजगारलक्षी आयोजन होना चाहिए।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए जिससे उन्हें वही पर्याप्त आय और रोजगारी प्राप्त होती रहे तो शहरों की तरफ स्थलांतरण घटा सकते हैं और रोजगारी की माँग पर दबाव घटाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में बागायती खेती, सेन्द्रिय खाद आधारित खेती, शुष्क कृषि और बहुलक्षी फसल पद्धति सब्जियों - फलों की खेती की तरफ अधिक बल देकर प्रोत्साहन देना। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवता और मात्रा बढ़े इस पर अधिक ध्यान देना।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में मानवविकास को टिकाए रखने के लिए उनके स्वास्थ्य शिक्षण, शुद्ध पीने का पानी, पौष्टिक आहार, बिजली, मार्ग, बैंकिंग, बीमा, इन्टरनेट, सूचनासंचार की मनोरंजन की सुविधाओं में वृद्धि करके, जलसंचयन की प्रवृत्तियाँ, सार्वजनिक स्थायी संपत्ति का निर्माण करके, स्थानीय उद्योगों का विकास और प्रोत्साहन देकर, रोजगारी मूलक कार्यक्रम अपनाकर, ग्रामीण लोगों के जीवन में गुणात्मक और परिमाणात्मक सुधार लाने का मुख्य उद्देश्य रहा है।

(6) शिक्षित बेरोजगारी और युवा बेरोजगारी में कमी करने के लिए उनमें कौशल का विकास करना और शिक्षण के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाना। कुशल कारीगर पैदा हों ऐसी व्यवसायलक्षी तथा तक्नीकी शिक्षा की नीति अपनानी। विद्यालयों - महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में वहाँ के स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें, ऐसे रखना। युवा बेरोजगारों को शिक्षण और प्रशिक्षण देकर उनमें विशिष्ट कौशलों की वृद्धि करके, उत्पादकता के साथ गुणवत्ता बढ़े, रोजगारी बढ़े, अधिक आय मिले और जीवनस्तर ऊँचा उठे ऐसे प्रयत्न होने चाहिए। उन्हें लगातार कार्य मिलता रहेगा ऐसा आश्वासन देना चाहिए। कार्य की नई परिस्थिति के अनुसार नई जानकारी प्राप्त करके उन्हें योग्य सक्षम बनाकर, रोजगारी प्राप्त कर सकें और वैश्विक देशों के श्रमशक्ति की तुलना में वैश्विक स्तर पर भारतीय युवा समकक्ष खड़े हो सकें ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के प्रयत्न करने चाहिए।

(7) भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और राज्य सरकार ने युवा बेरोजगारों को औद्योगिक विकास के साथ उनके ज्ञान, समझ, उत्साह और कार्यक्षमता में वृद्धि हो इसके लिए प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम 'मेक इन इन्डिया', 'स्कील इण्डिया' और 'डिजीटल इण्डिया' जैसी महत्त्वाकांक्षी योजनाएँ अमल में रखी हैं। टेक्निकल संस्थाओं, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की स्थापनाएँ देशभर में करके उन्हें व्यवसायिक अभ्यासक्रमों और आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुरूप शिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर, विद्यालयों - कॉलेजों में आधुनिक अभ्यासक्रमों, व्यवसायिक और टेक्निकल शिक्षण द्वारा रोजगारी की माँग के अनुरूप सक्षम बनाने के प्रयत्न किए हैं। वर्तमान में प्रत्येक राज्य में एक IIT (आई. आई. टी.) और IIM (आई. आई. एम.) जैसी उच्च संस्थाएँ स्थापित की जा रही हैं।

(8) श्रम शक्ति के आयोजन द्वारा सरकार ने रोजगारी के क्षेत्र में नए क्षेत्र खोले हैं। कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, इन्फर्मेशन टेक्नॉलोजी, फार्माक्षेत्र, बिजनेस मैनेजमेन्ट, धंधाकीय व्यवस्थापन, पैकिंग और प्रोसेसिंग, आउट सोर्सिंग, मार्केटिंग, केटरिंग, इवेन्ट मैनेजमेन्ट, ऑफिस मैनेजमेन्ट, होटल मैनेजमेन्ट, शेयर-स्टॉक मार्केटिंग आदि नए क्षेत्रों में रोजगारी के विपुल अवसर हैं। इससे इन क्षेत्रों के अनुरूप स्थानीय आवश्यकताओं के पूरक नए पाठ्यक्रमों को यूनिवर्सिटियों में शामिल किया गया है। उनके अनुरूप प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों मे बदलाव किया गया है। जिनके माध्यमों से वे नौकरी के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। श्रमशक्ति की माँग के अनुरूप युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके, इसके लिए अल्प समय के डिप्लोमा या सर्टीफिकेट प्रकार के प्रत्यक्ष तालीमी पाठ्यक्रमों जैसे की स्पिनिंग, विविंग, टर्निंग, प्लम्बरिंग, रेडियो-टी.वी.-फ्रीज, मोबाइल - एसी रिपेयरिंग कोर्ष शुरू किए गए हैं। ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में आई क्रांति के अनुरूप इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर, साइन्स, जिनेटिक साइन्स, एरो-स्पेस-रोबोर्ट मेकिंग के क्षेत्रों में नए कोर्ष का प्रशिक्षण देकर कुशल कारीगरों, इनिजनियरों और टेक्निशियनों को तैयार किया जा रहा है तथा नए धंधा-उद्योग शुरू करने के लिए उद्योग साहसियों को 'स्टार्टअप इण्डिया' के अन्तर्गत सस्ते ऋण की सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयास भी किए हैं। स्थानीय उद्योगों के साथ रहकर प्रशिक्षण संस्थाओं

का सहयोग परस्पर संकलन द्वारा संभव बना है। जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की माँग के अनुसार श्रम की आपूर्ति द्वारा रोजगार के नए अवसरों का सर्जन करके व्हाइट कॉलर जोब के स्थान पर सरकारी आर्थिक सहायता द्वारा स्वरोजगारी उत्पन्न हो ऐसे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में और शैक्षणिक खर्च कम तथा प्रवेश सरल बने, ऐसा वातावरण सर्जित करना चाहिए और योग्य सुदृढ़ ढाँचा तैयार करना चाहिए।

(9) उद्योगों संबंधी विकास सिद्ध हो, नए रोजगारी के अवसर सर्जित हों इसके लिए नए उद्योग-व्यापार की शुरुआत हो यह आवश्यक है। युवाओं में उद्योग साहसिकता बढ़े, कुशलता, संगठन शक्ति के साथ पूंजीनिवेश जरूरी है। सरकार द्वारा कम पूँजीनिवेश से, प्रारंभिक कम मार्जिन के साथ यंत्र, कच्चामाल या ऑफिस फर्नीचर खरीदने के लिए कम व्याज दर पर कर्ज (ऋण) की सुविधाएँ, ब्रिक्री के लिए सहायता जैसी अनेक योजनाएँ स्वरोजगारी के अवसरों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। धंधा शुरू करने और चलाने के लिए टेक्निकल और व्यवसायिक ज्ञान, प्रशासन की कुशलता, कौशल और सहायता देने का कार्य सरकारी प्रयत्नों के अधीन हुआ है। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता, सस्ती सरल लोन की सुविधाएँ और स्थानीय व्यापारी संगठनों, सेवाभावी संस्थाओं के प्रयासों से महिलाओं के लिए गृहउद्योग स्थापित कर उन्हें स्वरोजगारी प्रदान की जा रही है। इस प्रकार परंपरागत व्यवसायों में से बाहर निकल कर परिवार के सदस्यों की एक नई पीढ़ी तैयार हुई है, जिन्होंने नए-नए व्यापार, धंधे और औद्योगिक क्षेत्र की क्षितिजों का विस्तार किया है।

(10) रोजगार विनिमय केन्द्र रोजगार खोजनेवाले व्यक्तियों, श्रमिकों, मजदूरों या शिक्षित कुशल-अर्धकुशल युवाओं को काम देनेवाले मालिकों को जोड़ने की कड़ीरूप कार्य करता है। यह संस्था शिक्षित बेरोजगारों को नामांकित करके काम के स्थान-प्रकार की विश्वसनीय जानकारी देता है। कार्यक्षेत्र पसंद करने का मार्गदर्शन देता है। ये केन्द्र 'रोजगार', 'कारकिर्दी' जैसे मैगज़िन और सामयिकों द्वारा रोजगार की पर्याप्त जानकारी देता है। 'मॉडल कैरियर सेन्टर' द्वारा तथा हेल्पलाइन नंबर 1800-425-1514 द्वारा लोगों को आवश्यक जानकारी, स्कील प्रोग्राम, रोजगार मेला आयोजित करने की मुफ्त सेवा देता है। दिसम्बर 2015 तक देश में 947 'रोजगार विनिमय केन्द्र' थे। जिसमें दिसम्बर 2013 में 468.23 लाख बेरोजगार देश में और गुजरात में 8.30 लाख बेरोजगार दर्ज किए गए।

विश्व श्रम बाजार

विश्व के देश अपने श्रमिकों का आदान-प्रदान करते हैं उसे विश्व श्रम बाजार कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का एक से दूसरे देश में स्थलांतरण रोजगारी के लिए, व्यापार धंधा, प्रशिक्षण या उच्च अध्ययन के लिए होता है, इसे श्रम की अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता कहते हैं। शैक्षणिक ज्ञान, उच्च तकनिकी ज्ञान और कौशल प्राप्ति हेतु, विदेशों में अधिक आय, अधिक सुविधा और अधिक अच्छी नौकरी की खोज में बुद्धिधन का बर्हिगमन 'ब्रेइन ड्रेइन' (Brain Drain) अंतरराष्ट्रीय स्थलांतरण है। सामाजिक स्थिति बढ़ानेवाला यह विदेशगमन अब अधिक ध्यानाकर्षक रूप से प्रचलित हुआ है। बुद्धिशाली और प्रतिभाशाली व्यक्तियों, प्रशिक्षण प्राप्त कुशल और दक्ष कारीगरों का अन्य देशों में स्थलांतरण होने या वहीं स्थायी रूप से बसने की संभावना के कारण हमारे देश में प्रतिभावान, टेक्निकल ज्ञान संपन्न और वैज्ञानिक विचारधारावाले तेजस्वी प्रतिभाओं की कमी पाई जाती है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण अर्थव्यवस्था में एक नई स्थिति का सर्जन होने लगा है। अत्याधुनिक कुशल और सूचना तक्नीक (IT), संचार टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर या चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान और कौशल प्राप्त करनेवालों की माँग बढ़ी है। अनेक देश ऐसे विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता और कुशलता प्राप्त लोगों की, प्रशिक्षण प्राप्त कुशल श्रमिकों की, विशेषज्ञों की भरती करते हैं। उन्हें आकर्षित करने के लिए लुभावनी युक्ति-प्रयुक्ति और तरीके अपनाते हैं। औद्योगिक इकाइयों प्रतिस्पर्धा

में टिके रहने के लिए स्वयं को आवश्यक हो, ऐसी अनिवार्य योग्यताएँ, ज्ञान, कौशल प्राप्त कर्मचारियों को उच्च प्रशिक्षण देने के लिए विदेशों में प्रशिक्षणार्थी के रूप में भेजते हैं, जो अन्तरराष्ट्रीय स्थलांतरण का एक भाग है। इस प्रकार विदेशों में नौकरी-धंधे के लिए जाने से देश में विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है। इस तरह विदेशी धन देश में आने से विदेशी कमाई से देश में विदेशी चलन या मुद्रा की समस्या कुछ अंशों में कम होती है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार दीजिए :

(1) गरीबी निवारण के विविध उपायों का वर्णन कीजिए।

(2) गरीबी निवारण के कार्यक्रम के माध्यम से 'कृषिक्षेत्र' तथा 'ग्रामोदय से भारत उदय' के कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तार से चर्चा कीजिए।

(3) गरीबी निवारण के मुख्य सरकारी उपायों की जानकारी दीजिए।

(4) बेरोजगारी घटाने के प्रयास के रूप में सरकारी योजना और कार्यक्रमों (मुख्य चार) को सविस्तार से समझाइए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दासर लिखिए :

(1) गरीबी अर्थात् क्या ? गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीनेवाले लोगों के लक्षण लिखिए।

(2) भारत में गरीबी का वर्णन कीजिए।

(3) गरीबी उत्पन्न होने का कारण समझाइए।

(4) सामाजिक सुरक्षा और अन्न सुरक्षा के सरकारी कार्यक्रम समझाइए।

(5) 'धनिक भारत में गरीब बसते हैं।' समझाइए।

(6) बेरोजगारी के कारण बताइए।

(7) बेरोजगारी के असर समझाइए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए :

(1) सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी क्या है ?

(2) 'एग्रो बिजनेस पॉलिसी' तथा 'ई-नाम' के विषय में लिखिए।

(3) 'मनरेगा' कार्यक्रम की स्पष्टता कीजिए।

(4) औद्योगिक बेरोजगारी अर्थात् क्या ?

(5) विश्व श्रम बाजार की संकल्पना समझाइए।

4. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए :

(1) भारत में गरीबी की सबसे अधिक प्रमाण किस राज्य में है ?

(A) उत्तरप्रदेश (B) ओडिशा (C) छत्तीसगढ़ (D) बिहार

(2) भारत में 2011-12 में गरीबी का प्रमाण कितना था (करोड़ में) ?

(A) 21.65 (B) 26.93 (C) 36.93 (D) 21.92

(3) महिला सशक्तिकरण, कौशलवर्धन प्रशिक्षण, स्वरोजगारी और बाजार के साथ जोड़ने का उद्देश्य किस सरकारी योजना में रखा गया है ?

(A) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (B) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

(C) मिशन मंगलम् योजना (D) एग्रो बिजनेस पॉलिसी - 2016

(4) भारत के किस राज्य में बेरोजगारी का प्रमाण ऊँचा है ?

(A) बिहार (B) झारखंड (C) केरला (D) छत्तीसगढ़

(5) अन्न सुरक्षा धारा के अन्तर्गत कौन-सी योजना गुजरात में लागू की गई ?

(A) माँ अन्नपूर्णा योजना (B) मनरेगा (C) अंत्योदय योजना (D) सुकन्या समृद्धि योजना

(6) युवा बेरोजगारों को नए विचारों के साथ उद्योग साहसिक बनकर स्वरोजगार की तरफ कौन-सी योजना प्रेरित करती है ?

(A) मेकइन इण्डिया (B) स्टार्ट अप इण्डिया (C) डिजिटल इण्डिया (D) स्वच्छ भारत अभियान

(7) बेरोजगारी निवारण के लिए शिक्षित बेरोजगारों का पंजीकरण करनेवाली संस्था...

(A) रोजगार विनिमय केन्द्र (B) श्रम मंत्रालय

(C) मॉडेल कैरियर योजना (D) ग्राम पंचायत

प्रवृत्ति

- 'भारत में गरीबी' के संदर्भ में समाचारपत्रों, मैगजीन अथवा सामयिकों में छपे समाचारों की कटिंग्स करके चित्रात्मक स्क्रेपबुक बनाइए।
- पिछले दस वर्षों के गरीबी के आंकड़े प्रदेश अनुसार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों सहित प्राप्त करके इनसे एक तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार कीजिए। आवश्यकता पड़े तो कोष्ठक, नक्शे या ग्राफ का उपयोग कीजिए।
- रोजगार विनिमय केन्द्र या इन्टरनेट और गूगल से सर्च करके भारत और विविध राज्यों के बेरोजगारी का अनुपात और पुरुष-स्त्री सहित संख्या की जानकारी एकत्रित कीजिए।
- रोजगार विनिमय केन्द्र अथवा पोलिटेक्निक या आई.टी.आई. कॉलेज के विशेषज्ञ को विद्यालय में आमंत्रित करके भविष्य के कार्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन और कक्षा 10 के बाद के व्यवसायलक्षी पाठ्यक्रमों के विषय में दक्षता प्रवचन और प्रदर्शन आयोजित कीजिए।
- भारत में गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं पर दो हस्तलिखित अंक अलग-अलग बनवाइए।

•

18 मूल्यवृद्धि और ग्राहक जागृति

भारत की अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं में एक समस्या मूल्यवृद्धि की है। अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में मूल्य में लगातार और नियमित ऊँची दर से होती वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं, जो एक समस्यारूप है। परंतु स्थिरता के साथ होनेवाली मूल्यवृद्धि अर्थतंत्र के लिए पोषणरूप है। सामान्यरूप से मूल्य बढ़ने से नियोजकों, उत्पादकों का लाभ बढ़ता है। नफा रूपी अप्रत्याशित लाभ से उन्हें नये उत्पादकीय साहस शुरू करने का अवसर प्रदान करता है। उत्पादन खर्च में होनेवाली वृद्धि मूल्यवृद्धि से कम होने से नफा का समयान्तर बढ़ता है, जिससे उन्हें नया पूँजी निवेश करने को प्रोत्साहन मिलता है। परिणाम स्वरूप उत्पादकीय प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं। उत्पादन बढ़ते हैं, रोजगार बढ़ते हैं। उत्पादक, आयोजक या व्यापारी अपनी आय बढ़ने से, इस बढ़ोतरी में से अपने मजदूरों को वेतन अतिरिक्त वेतन के रूप में देता है। इस प्रकार सबकी आय बढ़ने से खरीदशक्ति में वृद्धि होती है। अधिक चीज-वस्तुओं के उपयोग करने के पीछे वित्त खर्च करने से उनका जीवन स्तर भी ऊँचा होता है। आर्थिक विकास की प्रवृत्ति वेगवान बनती है। इससे कह सकते हैं कि स्थिरता के साथ मूल्यवृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है।

जब अर्थतंत्र में सभी चीज वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यस्तर लगातार ऊँची दर से, उल्लेखनीय रूप से बढ़ता रहता है तब तात्कालिक चीज वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन नहीं बढ़ता; परंतु मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है। इस प्रकार अधिक मुद्रा की पूर्ति व मर्यादित वस्तुएँ मुद्रा स्फीति की स्थिति का निर्माण करती हैं। ऐसी मूल्यवृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति की परिस्थिति कहते हैं। मूल्यों में होनेवाली बड़ी उथल-पुथल, खर्च, आय और उत्पादन के साधनों की कीमत की गणना को तथा उसके बटवारे को, मुद्रा की आपूर्ति को अस्तव्यस्त करके अर्थतंत्र में गंभीर असंतुलन पैदा करती है, तब मूल्यवृद्धि अर्थतंत्र के आर्थिक विकास में समस्या बनती है।

हमेशा मूल्यवृद्धि मुद्रास्फीति नहीं होती है। कई बार अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति दर घटने के उपरांत बाजार में सामान्य प्रजा की आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। जब अन्य क्षेत्रों में मूल्य स्थिर या घटने की वृत्ति पाई जाती है।

मूल्यवृद्धि के कारण

मूल्य वृद्धि के मुख्य दो परिबलों में (अ) अर्थतंत्र में चीज-वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन और आपूर्ति में तात्कालिक वृद्धि नहीं हो सकने के कारण और (ब) उसके सामने देश की कुल मांग में तीव्र वृद्धि होने के कारण मूल्यों में सतत वृद्धि दिखाई देती है। इसके लिए निम्न कारण जवाबदार हैं :

(1) वित्तीय आपूर्ति में वृद्धि : अर्थतंत्र में वित्त आपूर्ति में तीन तरह से वृद्धि होती है : (i) कमी पूरक द्वारा अर्थात् नई मुद्रा के सर्जन द्वारा (ii) मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि अर्थात् बाजार में मुद्रा की लेन-देन बढ़े (iii) साख विस्तरण की नीति द्वारा ऋण की ब्याजदर घटाकर।

अर्थतंत्र में मुद्रा की आपूर्ति बढ़े, लोगों की आय बढ़े, क्रयशक्ति बढ़े, चीज-वस्तुओं और सेवाओं की प्रभावकारी माँग बढ़े, परंतु उसके सामने कुल आपूर्ति में वृद्धि नहीं होती, जिससे मूल्यवृद्धि होती है।

सरकार योजनाकीय और बिन-योजनाकीय खर्च पूरा करने के लिए खाद्यपूरक नीति द्वारा नई मुद्रा का सर्जन करके मुद्रा की पूर्ति बढ़ाती है। सरकार के प्रशासनिक खर्च, बिनयोजनाकीय खर्चों में, संरक्षण खर्चों में हुई वृद्धि विविध कल्याणकारी योजनाओं और मेलों, उत्सवों के खर्चों से, सार्वजनिक खर्च या निजीखर्च में वृद्धि करके, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति एकदम बढ़ती है, जो क्रय-शक्ति बढ़ाती है, जो मूल्य वृद्धि को ऊँचा ले जाती है। इस प्रकार क्रय-शक्ति में वृद्धि मूल्यवृद्धि का कारण बनती है।

सरकार के बिनयोजनाकीय खर्च से चीज-वस्तुओं या सेवाओं के कुल उत्पादन में या पूर्ति में वृद्धि नहीं होती; परंतु वेतनवृद्धि या बोनस भत्तों में होनेवाली वृद्धि से प्रजा के हाथ में मुद्रा की पूर्ति बढ़े तथा उत्पादन के साधनों को भी बदले के रूप में आय में वृद्धि होते ही आपूर्ति में समान वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप क्रय-शक्ति बढ़े, कुल माँग बढ़े और सामने कुल-आपूर्ति में वृद्धि न होने से भाव वृद्धि का जन्म होता है।

इस प्रकार मूल्य वृद्धि वित्त की पूर्ति में हुई वृद्धि का परिणाम भी और कारण भी है।

बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज दर घटाकर और बैंको की नकद आरक्षित मुद्रा में वृद्धि करके बैंक सरल शर्तों पर कम ब्याज की दर पर सस्ते कर्ज या लोन के स्वरूप में प्रजा के हाथ में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करती है। जो चीजवस्तुओं की माँग पर दबाव लाकर मूल्यों में वृद्धि करती है।

(2) जनसंख्या वृद्धि : भारत मे औसतन 1.9% की दर से जनसंख्या बढ़ती है। भारत की सन् 2011 में कुल जनसंख्या 121 करोड़ दर्ज हुई थी। देश की कुल जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि चीज-वस्तुओं और सेवाओं की माँग में वृद्धि करके माँग-आपूर्ति की स्थिति में असंतुलन बढ़ाती है। वस्तु की कमी उत्पन्न होते ही मूल्यवृद्धि होती है।

(3) निर्यात में वृद्धि : विदेशी बाजार में देश की वस्तुओं की माँग में वृद्धि होने से, सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहक कदमों के कारण निर्यात की चीज-वस्तुओं की स्थानीय, आंतरिक बाजार में उपलब्धता घटती है, कमी उत्पन्न होती है, माँग के सामने आपूर्ति कम होने से मूल्यवृद्धि होती है।

(4) कच्चे माल की ऊँची कीमत पर प्राप्ति : कच्चे माल की कमी हो और उसका मूल्य बढ़े तो उससे वस्तु का उत्पादन खर्च बढ़ता है। अंत में वस्तु की कीमत बढ़ती है। दूसरी तरफ उत्पादित वस्तुओं के ग्राहक मजदूर या प्रजा है। वे क्रयशक्ति घटने पर वेतन वृद्धि की माँग करते हैं, जिसे संतुष्ट करने पर फिर से चीज-वस्तुओं का उत्पादन खर्च बढ़ने से फिर से मूल्य वृद्धि होती है। इस प्रकार मूल्यवृद्धि का विषचक्र चलता रहता है।

(5) गैरदर्ज मुद्रा का चलन (काला धन) : सरकार को चुकाने पात्र कर में से बचने के लिए कुछ आर्थिक व्यवहार को हिसाबी खाते में दर्ज नहीं किया जाता। कुछ लोग अपनी उच्च आय या अतिरिक्त आय को छुपाते हैं। इस तरह हिसाबी खाते में दर्ज नहीं हुआ और जिस पर कर नहीं चुकाया हो ऐसी गैर हिसाबी आय को काला धन कहते हैं। यह काला धन रखनेवाले लोग आयकर या सर्विस टैक्स के अधीन पकड़े जाने के डर से वित्त का संग्रह करने के बदले जल्दी से जल्दी खर्च कर देने की भावना रखते हैं और अनावश्यक वस्तुएँ खरीदते हैं। ये सभी प्रकार का काला धन मूल्यवृद्धि का पोषक रहा है।

(6) सरकार द्वारा मूल्यवृद्धि : सरकार समय-समय पर प्रशासनिक आदेश देकर पेट्रोलियम उत्पादों, रसायनिक खाद, चीज वस्तुओं, कृषि फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाकर और पूरक कमी द्वारा मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, जिसके कारण मूल्यवृद्धि होती है। इस प्रकार सरकार ही मूल्यवृद्धि को जन्म देती है !

(7) प्राकृतिक कारण : अतिवृष्टि, भूकंप, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण तथा युद्ध, तूफान, आंदोलन, हड़ताल, औद्योगिक अशांति के कारण, तालाबंदी जैसे मानवीय परिबलों के कारण उत्पादन घटता है और उसकी आपूर्ति पर विपरित प्रभाव पड़ता है। आपूर्ति घटने के साथ मुद्रा की मात्रा स्थिर रहने से चीज वस्तुओं की माँग पर दबाव से मूल्य स्तर में वृद्धि होती है।

(8) कर चोरी, संग्रहखोरी और कालाबाजारी : कई बार आयात कर की ऊँची दर के कारण तथा कुछ वस्तुओं के आयात प्रतिबन्ध या निर्यात प्रतिबन्ध के कारण चोरी के विचार, चोरी-छिपकर, कर नहीं भरकर विदेशी सामान देश में लाया जाता है, उसे दान-चोरी कहते हैं।

भविष्य में मूल्य बढ़ेगा ऐसी अटकलें या अफवाएँ या आगाही के कारण भविष्य में मूल्य वृद्धि का लाभ उठा सकें तथा उसके सामने रक्षण प्राप्त कर सकें, जिससे समाज के सभी वर्ग, व्यापारी, उत्पादक, ग्राहक, वस्तुओं का जत्था कम-अधिक मात्रा में संग्रहखोरी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु की आपूर्ति पर दबाव बढ़ता है। कृत्रिम कमी उत्पन्न होती है और बाजार में बहुत ही ऊँचे मूल्य वसूल करके लाभ की मात्रा बढ़ाकर प्रजा का अनुचित लाभ उठाते हैं, उसे नफाखोरी कहते हैं।

इस प्रकार संग्रहखोरी, कालाबाजारी और नफाखोरी जैसी असामाजिक प्रवृतियाँ बाजार में चीज-वस्तुओं की कमी उत्पन्न करती हैं। जो मूल्यवृद्धि के लिए एक जवाबदार कारण है।

मूल्य नियंत्रण किसलिए : सतत मूल्यवृद्धि का अर्थतंत्र पर तथा समाज के लोगों के जनजीवन पर व्यापक, दूरगामी और विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों से बचने के लिए मूल्यनियन्त्रण की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। मूल्य वृद्धि से होनेवाले प्रभाव निम्नानुसार समझेंगे :

(1) मूल्यवृद्धि से लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, क्रयशक्ति में वृद्धि, चीज-वस्तुओं सेवाओं की माँग में वृद्धि, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का विषचक्र चलता रहता है। गरीब और मध्यम वर्ग का जीना दुष्कर बन जाता है।

(2) मूल्यवृद्धि से बचत और पूँजी सर्जन की दर में कमी होती है। आवश्यक चीजवस्तुओं के उत्पादन घटते हैं। नये उद्योग-धंधे, रोजगार अवरुद्ध होते हैं।

(3) विदेशी पूँजी निवेश घटता है। आयातित वस्तुओं में वृद्धि होने से आन्तरिक बचत खर्च होती है, जो नई समस्या सर्जित करती है।

(4) आवश्यक चीज वस्तुओं का उत्पादन घटता है, कमी उत्पन्न होती है, लोगों का जीवनस्तर गिरता है, गरीब अधिक गरीब बनते हैं।

(5) देश में आवश्यक चीज-वस्तुओं के उत्पादन खर्च बढ़ने से वे महंगी हो जाती हैं, जिससे देश की निर्यात वस्तुओं का मूल्य बढ़ने और अनुपात में आयातित वस्तु बाजार में सस्ती होने से देश के निर्यात में कमी होने से और आयात बढ़ने से मुद्रा का संतुलन बिगड़ जाता है। आयात-निर्यात में असंतुलन उत्पन्न होता है।

(6) मूल्य बढ़ने से गरीब तथा मध्यम वर्ग के जीवन-स्तर में गिरावट आती है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चोरी, लूटमार, हत्या, अपराधी प्रवृत्ति, सट्टाखोरी, संग्रहखोरी, कालाबाजारी, भष्टाचार, आत्महत्या जैसी अनैतिक प्रवृत्तियाँ समाज में बढ़ती हैं। समाज का नैतिक पतन होता है।

इस प्रकार मुद्रास्फीति रूपी मूल्यवृद्धि अर्थतंत्र में बाधक होती है। इसलिए मूल्यवृद्धि को नियन्त्रण में लाना एकदम आवश्यक है।

मूल्यवृद्धि को नियन्त्रित करने के उपाय : अर्थतंत्र में कुल खर्च लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन चीजवस्तुओं-सेवाओं का उत्पादन उसी अनुपात में नहीं बढ़ता, जिससे मूल्यवृद्धि होती है। मूल्यवृद्धि नियंत्रण के लिए सरकार कदम उठाती है :

(1) वित्तीय कदम : (i) भारत की मध्यस्थ बैंक अर्थव्यवस्था में से वित्त की आपूर्ति कम कर देती है, जिससे लोगों की उपयोगी वस्तुओं पर वित्तीय खर्च की वृत्ति पर अंकुश लगता है। इससे वस्तुओं की माँग घटने से क्रमशः मूल्य घटते हैं। (ii) मध्यस्थ बैंक द्वारा ऋणनीति में ब्याज दर ऊँची की जाती है। जिससे लोन या ऋण महंगा होने से अनावश्यक पूँजी निवेश या सट्टाकीय निवेश बंद हो जाता है। दूसरी तरफ ब्याज की दर बढ़ाने से लोगों की बचतवृत्ति में वृद्धि होती है और डिपोजिटों में, विविध बचतों में निवेश बढ़ता है। इस प्रकार फंड प्राप्ति के अभाव से संग्रहखोरी, सट्टाखोरी बंद होती है और नफाखोरी पर अंकुश लगता है। (iii) बैंक दर में वृद्धि होने पर बैंकों को ऋण दर बढ़ानी पड़ती है जिससे ऋण की मात्रा घटती है। ब्याजदर बढ़ने पर सट्टाखोरी में से अतिरिक्त वित्त खींचकर अर्थव्यवस्था में बचत के रूप में वापस आता है जिससे पूँजी सर्जन की दर बढ़ती है। नये धंधे-रोजगार के क्षेत्र खुलते हैं। (iv) बैंकों की नगद आरक्षित मात्रा में वृद्धि होने से व्यापारी बैंकों की शाखा पर नियंत्रण लगता है। कर्ज कम हो जाता है। (v) खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करके व्यापारी बैंकों की और लोगो के नकद आरक्षण में कमी आती है। लोगों के पास वित्त की आपूर्ति घटने से, उपयोग खर्च घटने से मूल्य अंकुश में रहते हैं।

(2) राजकोषीय कदम : ''राजकोषीय नीति अर्थात् सरकार की सार्वजनिक आय-व्यय की नीति, कर और सार्वजनिक ऋण की नीति।'' (i) सरकार जितना संभव हो वहाँ तक अपने खर्च में कमी करके देश के कुल खर्च में कमी करके वित्त की आपूर्ति घटाती है। जिन योजनाओं पर अधिक मात्रा में खर्च होता हो और तात्कालिक वह लाभदायक न हो तो ऐसी योजना को स्थगित करती है। प्रशासनिक खर्च में मितव्ययिता और अनावश्यक खर्चों में कमी करती है। (ii) कर की नीति के अधीन सरकार मूल्य बढ़ने पर लोगों के पास व्यय करने योग्य रकम की आपूर्ति घटे इस उद्देश्य से चालू करों में वृद्धि करती है। आयकर, कंपनी कर, संपत्ति कर आदि बढ़ाए जाते हैं। निर्यात पर नियंत्रण लगाया जाता है और आयातों पर अधिक मात्रा में कस्टम्स ड्यूटी लगाकर आयातित वस्तुएँ महंगी होने से आयात घटती है। (iii) सार्वजनिक ऋण की नीति के अनुसार सरकार लोन देकर अथवा 'अनिवार्य बचत योजना' जैसी स्कीम लाकर समाज में होनेवाले कुल खर्च को सीमित करने का प्रयास करती है, बचतों को प्रोत्साहन देने के विविध प्रोत्साहकीय कदम उठाती है, सार्वजनिक करों की मात्रा घटाती है। सरकारी सबसीडी रूपी मदद में कमी करके, प्रत्यक्ष करों की मात्रा और क्षेत्र बढ़ाकर, धनिक वर्ग की उपभोग की वस्तुओं (विलासिता की) पर ऊँची दर से कर लगाकर उनका उत्पादन घटाती है और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाती है। इस प्रकार इन कदमों के माध्यम से आय की मात्रा घटेगी, जिससे वस्तुओं की माँग घटेगी और अंत में मूल्यों में कमी होगी।

(3) पूँजी निवेश पर अंकुश : अनावश्यक और मौज-शौक की वस्तुओं के पीछे पूँजी निवेश घटे इसके लिए लायसन्स या परवाना (अनुमति) पद्धति लागू करती है और उत्पादकीय स्वरूप के कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन बढ़े ऐसे पूँजीनिवेश को प्रोत्साहन देती है। सट्टाकीय पूँजी निवेश घटे, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़े, उत्पादन शक्ति बढ़े, ऐसे प्रोत्साहक कदम उठाने चाहिए, ब्याज की दर बढ़ाकर बचत प्रवृति को उत्तेजित करके पूँजीसर्जन बढ़े ऐसे प्रयत्न करने पड़ेंगे।

(4) मूल्य नियंत्रण और मात्रा नियंत्रण : (सार्वजनिक वितरण व्यवस्था द्वारा) मूल्यवृद्धि पर अंकुश रखने की व्यूहरचना का एक कदम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) है, जो भारत में 1977 से लागू की गई। जिसका उद्देश्य समाज के निम्न आय समूहों को (अंत्योदय) और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीनेवाले (BPL) और गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर कम आयवाले लोगों को आवश्यक चीज वस्तुएँ उचित मूल्य पर, उचित मूल्य की दुकानों (FPSS) द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में देश में लगभग 4.92 लाख उचित मूल्य की दुकानें (FPSS) हैं। इन दुकानों में बिकनेवाली वस्तुओं का भाव खुले बाजार की अपेक्षा कम होता है। वास्तविक भाव और सार्वजनिक वितरण के बाजार के भाव का अंतर सरकार चुकाती है। इस रकम को सबसीडी कहते हैं। कृत्रिम कमी, संग्रहखोरी और कालाबाजारी में मनचाहे मूल्य बढ़ाने की परिस्थिति में गरीबी रेखा के नीचे जीनेवाले लोगों के जीवन स्तर को टिकाए रखने में यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आशीर्वाद स्वरूप बनी है। जो मूल्यवृद्धि को अंकुश में रखती है। इस व्यवस्था की सफलता का आधार अनाज वितरण और वितरण की व्यवस्था के लिए कुशल और कार्यक्षम प्रशासनिक तंत्र, पारदर्शी प्रशासन और प्रमाणिक दुकानदारों पर होता है।

(5) मूल्य निर्धारण तंत्र : संग्रहखोरी, सट्टाखोरी को नियंत्रण में लाने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को उचित स्तर पर टिकाए रखने के लिए तथा वह बाजार में आसानी से मिलती रहे इसके लिए सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का कार्य करती है। व्यापारियों से उसी निर्धारित मूल्य पर बाजार में वस्तु बेचने का आग्रह करती है। सरकार, मूल्यस्तर को स्थिर रखने के लिए 'आवश्यक चीज-वस्तु धारा –1955' अमल में लाई है, जो व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर अपना माल-सामान नहीं बेचते, उनके विरुद्ध इस धारा के आधार पर कार्यवाही करके दण्ड दिया जाता है। संग्रहखोरों, काला बाजारियों, सट्टाखोरों के विरुद्ध अभियान स्वरूप 'प्रिवेन्शन ऑफ एन्टिसोशियल एक्टिविटीज-एक्ट (PASA)' के अधीन आवश्यकता पड़े तो कानूनी रूप से गिरफ्तारी की जाती है। मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए व्यापारियों के गोदामों में रखी चीजवस्तुओं के जथ्थे का नियमन, चेकिंग, स्टॉकपत्रक, भावपत्रकों को पेश करने संबंधी कानूनी व्यवस्था और उसका उल्लंघन करने पर सख्त दण्डात्मक कार्यवाही द्वारा मूल्यवृद्धि को रोकने के प्रयास किए गए हैं। सरकार ने अब तक प्याज, कपास, सीमेन्ट, खाद्यतेल, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसीन, चीनी, एल्युमिनियम, लोहा-फौलाद, रेलवे किराया आदि के मूल्य मूल्यनिर्धारण तंत्र के आधार पर निश्चित किए हैं। कुछ जीवन-रक्षक दवाओं के मूल्य भी इसके अन्तर्गत निश्चित किए गए हैं और मूल्यवृद्धि को रोका गया है।

इस प्रकार मूल्यवृद्धि को रोकने के उपाय एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं, अलग नहीं, परंतु परस्पर आधारित हैं, जिससे छिट-पुट एक-दो कदम उठाने के बदले सर्वग्राही कदम उठाएँ जायेंगे तो ही निर्धारित परिणामप्राप्त किया जा सकेगा।

ग्राहक जागृति (जागो ग्राहक जागो)

आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह से ग्राहक है। बाजार में समान लक्षणोंवाली और अनेक ब्रान्ड की असंख्य वस्तुएँ मिलती हैं। वस्तु की विविधता और विकल्पोंवाली अनेक उपयोगवाली वस्तुओं के संबंध में निरक्षर और अनजान ग्राहकों को संपूर्ण ज्ञान या जानकारी नहीं होती। उत्पादक और ग्राहक के बीच अनेक बिचौलिए होने से ग्राहकों का विविध रूप से शोषण होने लगा है।

18.1 ग्राहक जागृति संदेश

ग्राहक जो वस्तु, सेवा, माल वित्त या उसके बदले में खरीदे वह निश्चत गुणवत्ता, वजन और उचित मूल्य पर प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था को ग्राहक सुरक्षा कहते हैं। ग्राहक सुरक्षा यह ग्राहक जागृति का अभियान है। ग्राहक जागृति के संबंध में अमरीका में राल्फना डरे ने ग्राहकवाद को आंदोलन शुरू किया, इसलिए वे ग्राहक आंदोलन के जन्मदाता कहलाए।

ग्राहक का विविध प्रकार से होनेवाला शोषण

उत्पादकों या व्यापारियों द्वारा ग्राहकों का विविध प्रकार से शोषण होता है जो निम्नानुसार है। ग्राहक को पैकिंग पर लिखे से कम वजन देकर, हल्की-कमीयुक्त या नकली वस्तु-माल या सेवा देकर, छपी हुई कीमत से अधिक कीमत वसूलकर ग्राहक के स्वास्थ्य को हानि हो ऐसी मिलावटी वस्तुओं की बिक्री करके, बिक्री के बाद असंतोष जनक सेवाएँ, निर्धारित शर्तों या मानदंड के अनुसार निर्माणकार्य, चीज वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति न करके, बैंक, बीमा, टेलीफोन, डॉक्टरी सेवा या सेवा में लापरवाही युक्त व्यवहार, ग्राहक के साथ दुव्यवहार या मानहानि हो ऐसा विक्रेता या व्यापारी द्वारा व्यवहार हो, लुभावने भ्रामक विज्ञापनों द्वारा वस्तुओं की सही पसंदगी में ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होने के कारण, भ्रष्ट विक्रयकला द्वारा वस्तु का विक्रय जिससे ग्राहकों को शारीरिक और मानसिक नुकसान भोगना पड़े, इस प्रकार के नकली माल-सामान बेचकर तथा कृत्रिम कमी उत्पन्न करके, अपूर्ण जानकारी देकर ग्राहक का शोषण होता है।

ग्राहक शोषण के कारण

ग्राहक का शोषण निम्नानुसार विविध कारणों से होता है :

(1) ग्राहक स्वयं जवाबदार : अज्ञानता, जागृति का अभाव, निरक्षरता, संगठित होकर विरोध प्रदर्शित करने की वृत्ति का अभाव, नुकसान या शोषण के विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी और वृत्ति का अभाव और उससे संबंधी उचित जानकारी के अभाव के कारण व्यापारी, उत्पादक, नियोजकों द्वारा ग्राहकों का विविध प्रकार से शोषण करके उनका अनुचित लाभ उठाया जाता है।

(2) मर्यादित जानकारी : पूँजीवादी अर्थतंत्र में उपभोक्तावादी सोच रखनेवाले निर्माता और विक्रेता किसी भी चीजवस्तु या सेवा की जितनी चाहें उतने प्रमाण में उत्पादन और बिक्री करने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके उत्पादन के मापदंडों, मूल्यों और गुणवत्ता नियमन के संबंध में कोई विशेष नियम नहीं है और जहाँ है वहाँ सख्त नियमों का पालन नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में ग्राहक को चीज-वस्तुओं के उपयोग संबंधी सही जानकारी, सूचना या ज्ञान का अभाव, वस्तु के उपभोग संबंधी सही प्रशिक्षण न मिलने के कारण, गुणवता की रखरखाव और उपयोग के तरीके और बिक्री के बाद की सेवाएँ, वॉरंटी और गेरंटी जैसी जानकारी के अर्थघटन के संबंध में खरीदी के समय ग्राहक को पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है। इस प्रकार मर्यादित जानकारी मिलने के कारण ग्राहक सही खरीदी में समझदारी के अभाव से भूल कर बैठता है।

(3) मर्यादित आपूर्ति : जब वस्तु या सेवा की माँग के सामने पर्याप्त मात्रा में उसकी आपूर्ति नहीं होती तब कृत्रिम कमी सर्जित होती है। इस प्रकार व्यापारी, उत्पादकों द्वारा संग्रहखोरी, सट्टाबाजी, धोखा या प्राकृतिक आपदाओं जैसे कारणों से कमी उत्पन्न होती है। ग्राहक से ऐसी परिस्थितियों में अधिक मूल्य वसूल करके अनुचित लाभ उठाया जाता है। इस प्रकार बाजार में वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति भी ग्राहक शोषण का कारण बनती है।

(4) मर्यादित स्पर्धा : जब कोई एक ही उत्पादक या उत्पादक समूह किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में और वितरण में एकाधिकार रखता हो तब उत्पादक ऐसी मर्यादित या एकाधिकार वाले बाजार में अन्य विकल्पों के अभाव से ग्राहकों का विविध प्रकार से शोषण करता है। कमीयुक्त सेवा और हल्का मालसामान का विक्रय करता है।

ग्राहक सुरक्षा क्षेत्र : ग्राहक जागृति

ग्राहकों के विविध प्रकार से होनेवाले शोषण को रोकने और ग्राहकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने तथा उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। सर्वप्रथम भारत में ग्राहकों के रक्षण के संबंध मे कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे उद्योगों और व्यापार द्वारा ग्राहकों के साथ किए जाने वाले

दुर्व्यवहार और शोषण का उल्लेख है, जिसमें माप-तौल और मिलावट या बनावटी जैसी अपराधिक व्यापार की पद्धतियों के बदले दण्ड देने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन फ्रेन्कलीन केनेडी ने अमेरिका की संसद मे 15 मार्च, 1962 के दिन ग्राहकों को चार अधिकार दिए और ग्राहकों के मंतव्यों को सुना नहीं जाता, इसके लिए व्यथा प्रकट की थी।

'कन्जुमर्स इन्टरनेशनल' अंतरराष्ट्रीय संगठन ने ता. 15 मार्च, 1983 के दिन ग्राहकों के चार अधिकारों को दर्शाती हुई घोषणा की थी। जिसके कारण विश्व में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को 'विश्व ग्राहक अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ (युनो) ने अपनी ता. 16 अप्रैल, 1985 की सभा में 'युनाइटेड नेशन्स गाइडलाइन्स फॉर कन्जयूमर्स प्रोटेक्शन' के कानून में ग्राहकों के मूलभूत आठ अधिकार घोषित किए और उसके अनुसार विश्व के देशों से अपने देश के ग्राहकों के लिए अधिकारों और उनके हितों के संरक्षण के लिए प्रभावी कानूनी ढाँचा बनाने की सिफ़ारिशें की थीं। उसके अनुसार भारतीय संसद ने 'राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियम - 1986' बनाया, जिसे राष्ट्रपति ने ता. 24 दिसम्बर, 1986 के दिन हस्ताक्षर करके मंजूरी प्रदान की। जिसके कारण भारत में प्रत्येक वर्ष ता. 24 दिसम्बर, को 'राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

18.2 विश्वग्राहक दिवस उत्सव

गुजरात सरकार ने दिनांक 18 फरवरी 1988 के दिन 'गुजरात ग्राहक सुरक्षा नियम -1988' लागू किया जिसके अनुसार ग्राहक सुरक्षा की कानूनी कार्यवाही राज्य में लागू की गई है।

भारत में ग्राहक सुरक्षा धारा में 1993 और 2002 में कुछ महत्त्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं और वर्षों पुराने कानूनों में समयानुसार परिवर्तन करने की भावना लोगों में उत्पन्न हुई है।

ग्राहक सुरक्षा अधिनियम - 1986 की अनेक व्यवस्थाओं में से मुख्य और महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाओं के विषय में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे।

ग्राहक अधिकार का कानून

भारत में सामाजिक-आर्थिक कानून के इतिहास में 'ग्राहक सुरक्षा अधिनियम-1986' एक सीमाचिह्न के रूप में और लोकोपयोगी कानून है। यह ग्राहकों के अधिकारों तथा ग्राहकों के हितों की रक्षा के सन्दर्भ में बनाया गया सबसे अधिक प्रगतिशील और सर्वग्राही कानून है, जो निम्नानुसार अनेक व्यवस्थाएँ करता है, जिनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे।

18.3 ग्राहक सुरक्षा अधिनियम-1986

1 ग्राहक सेवा संबंधी : इस कानून के तहत व्यापारी, माल या सेवा के संदर्भ में ग्राहक की परिभाषा इस प्रकार दी गई है :

माल के संदर्भ में ग्राहक अर्थात् जिसे कानून का रक्षण है इसके लिए नीचे दर्शाया कोई भी व्यक्ति,

(i) यदि कोई भी व्यक्ति चीज-वस्तु, माल या सेवा को पैसे देकर अथवा एवज के बदले में खरीदी करे अथवा वस्तु या सेवा देने के बदले में कीमत चुकाने की व्यक्ति गारंटी देकर अथवा कुछ कीमत चुका दे और बाकी रकम चुकाने का वचन देकर वह वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, वह व्यक्ति (ii) हप्तों में चुकाकर अथवा किराये पर खरीदने की पद्धति द्वारा कोई माल-सामान कीमत चुकाकर खरीदे अथवा सेवा किराये पर रखे अथवा सेवा प्राप्त करे और उस माल-सामान को व्यक्ति या उसको कोई भी व्यक्ति उपयोग करे या सेवा का लाभ प्राप्त करता है, वह व्यक्ति ग्राहक है।

परंतु यदि कोई भी व्यक्ति खरीदे गए माल की फिर से बिक्री अर्थात् धंधाकीय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसा माल सामान प्राप्त करता हो तो या किसी व्यक्तिगत करार के अधीन सेवा प्राप्त की गई हो तो ऐसी सेवाओं का समावेश कानून में नहीं होता है। वे रक्षण के पात्र नहीं है।

इस प्रकार इस कानून का उद्देश्य ग्राहकों को उच्च गुणवत्तायुक्त विविध वस्तुएँ या सेवाएँ प्राप्त हों तथा ग्राहकों के हितों का रक्षण हो यह देखना है। इस कानून की व्यवस्था के अनुसार माल या सेवा की गुणवत्ता, प्रकार तथा करार के अनुसार प्रचलित कानून के अनुसार सेवा देने की पद्धति के विरुद्ध सेवा में कमी पाई जाए या हल्की लगे या माल कम गुणवत्तावाला कमीयुक्त हो तो ग्राहक कानून के अधीन शिकायत कर सकता है।

2 ग्राहकों के अधिकार (हक) : बाजार में मिलनेवाली वैविध्यपूर्ण अनेक वस्तुओं की जानकारी के अभाव में ग्राहक सही वस्तु की पसंदगी में भूल करता है और अपने द्वारा खर्च किए गए धन का पर्याप्त बदला प्राप्त नहीं कर सकता, जिसका धन व्यर्थ जाता है और स्वयं ठगे जाने का अफसोस करता है। हल्की गुणवत्तावाली, बनावटी, मिलावटी, नीची गुणवत्ता की खाद्य वस्तुएँ खरीद कर अनेक रोगों को आमंत्रण देता है, जिससे स्वास्थ्य को नुकसान होता है। कम तोलमाप, मिलावट और बनावटी, ठगी, कीमतों में लूटपाट और भ्रष्टाचार जैसी अनीतियों से समाज का नैतिक स्तर गिरता है।

उत्पादक, व्यापारी दोनों अपनी उत्पादित वस्तुओं के मूल्य, संग्रह प्रवृत्ति में एकरूपता और पारदर्शिता रखें इसके लिए कानून में व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं से ग्राहक जागृत बनता है और वह धोखाधड़ी के विविध तरीकों, गलत पद्धतियों के विरुद्ध लड़ाई किस तरह से लड़ सके उससे सम्बन्धित शिक्षण और विविध उपयोगी जानकारी देने के कई अधिकारों की इस कानून में व्यवस्था की गई है। इन अधिकारों का रक्षण करना ग्राहक जागृति का मुख्य उद्देश्य है। कानून के अन्तर्गत ग्राहकों को छः अधिकार दिए गए हैं : .

(1) सलामती का अधिकार : यदि उत्पादन प्रक्रिया के अंत में चीज वस्तुओं या सेवाओं से ग्राहक की जान का खतरा हो या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो उसके विरुद्ध रक्षण या सुरक्षा प्राप्त करना ग्राहक का अधिकार है। इस अधिकार द्वारा भौतिक पर्यावरण की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता की सलामती प्राप्त करना है।

(2) जानकारी प्राप्त करने का अधिकार : ग्राहक को चीज वस्तुओं की गुणवत्ता, जत्था, क्षमता, शुद्धता, स्तर, उपभोग, कीमत आदि बातों की जानकारी होनी चाहिए जिससे वह बाजार में व्यापारी की अयोग्य रीतियों या भ्रष्ट तरीकों से बच सके। इस जानकारी प्राप्त करने के अधिकार द्वारा ग्राहक अधिकारयुक्त और जिम्मेदारीपूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। ग्राहक को जानकारी लेबल से, पैकिंग से, सार्वजनिक खबर, मूल्यपत्रों, सरकारी सार्वजनिक खबरों और लेखों से मिलती है।

(3) पसंदगी करने का अधिकार : वैविध्यपूर्ण और असंख्य वस्तुएँ, प्रतिस्पर्धा, गुणवत्तावाली वस्तुओं में से अधिकतम लाभ मिले इस तरह अपनी पसंद की वस्तुएँ या सेवा की खरीदी करने का अधिकार है। पसंदगी का अधिकार अर्थात् ग्राहक को वस्तु उचित कीमत पर, संतोषप्रद सेवा और गुणवत्ता का विश्वास दिलाता है। विविध प्रकार की अनेक वस्तुओं में से ग्राहक को अपने अधिक अनुकूल होनेवाली वस्तुएँ पसंद करने की स्वतंत्रता यह अधिकार देता है।

(4) प्रस्तुतीकरण का अधिकार : ग्राहकों के अधिकारों और हितों के रक्षण करने तथा ग्राहकों की शिकायतों या अधिकारों संबंधी मामले सही स्तर पर प्रस्तुत करने तथा अंत में उस पर उचित विचार किया जाये ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने और ग्राहकों के कल्याण संबंधी चर्चा करने के लिए ग्राहकों का गैर राजनैतिक, बिनधंधाकीय स्तर पर ग्राहक मंडलों की रचना हो और उनके प्रतिनिधियों को स्थान मिले, उनकी प्रस्तुति सुनने की व्यवस्था करने का प्रावधान कानून के अन्तर्गत किया गया है।

(5) शिकायत निवारण का अधिकार : इस अधिकार के अधीन ग्राहक को अप्रमाणिक व्यापारी रीति से या लापरवाही से हुए नुकसान या अनैतिक शोषण हुआ हो उसके विरुद्ध शिकायत करके, उसका निवारण करके ग्राहक के नुकसान के बदले मुआवजा मांगने का अधिकार है। इस मुआवजे में माल बदल कर देने, वापस लेने, पैसे वापस देने, चार्ज वसूल किए बिना मरम्मत करके देना आदि। ऐसी एक या एक से अधिक प्रतिपूरक राहत माँग सकता है। ग्राहक प्रतिपूरक माँगे या न माँगे तो भी राहत प्राप्त करना कानूनन हकदार है।

(6) ग्राहक शिक्षण प्राप्त करने का अधिकार : यह अधिकार ग्राहक को जीवनभर जानकार ग्राहक बनाने की सभी जानकारी या ज्ञान, चतुराई, धैर्य और कौशल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ग्राहक की अज्ञानता, ग्राम्य क्षेत्रों के ग्राहकों में उनके अधिकारों के प्रति जागृति का अभाव आदि ग्राहक शोषण के जिम्मेदार कारण हैं। विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में स्थान देकर, विविध संस्थाओं की मीटिंगों में ग्राहक शिक्षण संबंधी चर्चासभा, वार्तालाप, कार्यशालाओं द्वारा ग्राहक शिक्षण का प्रशिक्षण देकर ग्राहकों की कुशलता बढ़े ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं, जिससे बाजार में वह जागृत ग्राहक के रूप में अच्छी तरह कर्तव्य निभा सके, इसमें ग्राहकशिक्षण सहायक बनता है।

3 ग्राहक के कर्तव्य : ग्राहक जिस तरह अपने अधिकारों के प्रति सावधान रहता है उसी तरह उसकी जिम्मेदारियों या कर्तव्यों के प्रति उतनी ही जागृति रखनी चाहिए :

(1) ग्राहक को खरीदी करते समय चीज वस्तुओं या सेवा की सही पसंदगी करनी चाहिए। वस्तु की खरीदी में गुणवत्ता, उचित मूल्य, गारंटी या वारेन्टी, बिक्री के बाद की सेवा और BIS, ISI और 'एगमार्क' जैसे गुणवत्ता मानक चिह्नोंवाली ही वस्तुएँ खरीदनी चाहिए। बिजली या इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों की खरीदी के समय स्टान्डर्ड अथवा ब्रान्ड नाम वाली वस्तु की खरीदी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए।

(2) खरीदी के समय विविध वस्तुओं में से वस्तु की पसंदगी के संबंध में निर्णय लेते समय वस्तु की सभी जानकारी, लेबल और घोषणा संबंधी जाँच करके आस्वस्थ होकर समझदार और जागृत ग्राहक बनकर जवाबदारीपूर्वक निर्णय करके खरीदनी चाहिए। ग्राहक के रूप में उसके निर्णय में, व्यवहार में बुद्धिमत्ता, चातुर्य, विवेकपूर्वक व्यवहार होना चाहिए, जिससे वह शोषण और धोखेबाजी से बच सके।

(3) ग्राहक का कर्तव्य है कि उसे अपने व्यवहार द्वारा बिक्रेताओं या उत्पादकों के साथ एक सज्जन और प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में पुष्टि करनी होती है, ऐसी अपेक्षा भी कानून में रखी गई है।

(4) ग्राहकों को खरीदे गए माल या सेवा का पक्का बिल या पैसा चुका कर पक्की रसीद लेनी चाहिए तथा वॉरंटीकार्ड भी विक्रेता से भरवाकर दुकानदार की सील के साथ व्यापारी के हस्ताक्षर लेने का निवेदन रखना चाहिए।

(5) ग्राहकों को गैरराजनैतिक और बिनधंधाकीय स्तर पर स्वैच्छिक रूप से इकट्ठा होकर ''स्वैच्छिक ग्राहक-मंडलों'' और संगठनों की रचना करनी चाहिए और उन मंडलों द्वारा ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी लड़ाई करने की तैयारी रखनी चाहिए। सरकार की ग्राहक संबंधी विविध समितियों में प्रतिनिधित्व माँगना चाहिए और इस माध्यम से शोषण के सामने लड़ाई लड़ना भी ग्राहक का कर्तव्य है।

(6) ग्राहकों को उनकी सही शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारी को मौखिक अथवा लिखित स्वरूप में अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। व्यापक हितों को स्पर्श करती शिकायतों के निवारण हेतु ग्राहक मंडलों को और विविध स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए।

(7) ग्राहकों को वस्तु की खरीदी में माल की गुणवत्ता के संदर्भ में या माल की सुरक्षा के स्तर में किसी भी प्रकार का रोकटोक या समझौता नहीं करना चाहिए। खरीदी में पैंकिंग, कीमत, उत्पादन का दिनांक, बैच नंबर, सही वजन, अंतिम तिथि, उत्पादक का नाम, पता आदि देखकर जाँचकर हमेशा खरीदी करनी चाहिए।

(8) खरीदी के समय माल खराब हो, बनावटी या नकली हो, वजन कम-ज्यादा हो, तो तुरंत ग्राहक को व्यापारी को ध्यान दिलाना चाहिए और व्यापारी से शिकायत निवारण में विलम्ब हो तो प्राधिकारी या ग्राहक अदालत के समक्ष अपनी मांग रखनी चाहिए। इस प्रकार ग्राहकों को जवाबदार नागरिक के रूप में भूमिका अदा करनी चाहिए।

(9) ग्राहक को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में या संख्या में वस्तुएँ खरीदनी चाहिए। आकर्षक विज्ञापनों से प्रेरित होकर, देखा-देखी या 'सेल' से अनावश्यक और अधिक खरीदी से बचना चाहिए तथा पैसे बचाने चाहिए।

(10) खरीदी के समय वजन कांटे, मापतौल के साधन, इलेक्ट्रोनिक्स यंत्र सही है या नहीं उसकी पुष्टि करनी चाहिए। तौलमाप के साधनों की नियमित जाँच और सत्यता समय-समय पर जाँच अधिकारी द्वारा हुई है या नहीं उसकी पुष्टि करनी चाहिए। यदि साधन प्रति वर्ष प्रमाणित किए हुए न हों तो तौलमाप अधिकारी, कानूनी माप विज्ञान और नियामक ग्राहक मामलों के स्थानीय कार्यालय में संपर्क स्थापित कर ध्यान दिलाना चाहिए और आवश्यक हो तो शिकायत करना जागृत और जिम्मेदार ग्राहक का कर्तव्य होता है।

(11) ग्राहक के घर पर गैस सिलेन्डर आए तो उसकी सील की जाँच करनी चाहिए कि वह सीलबन्द है या नहीं। वजन जाँचना चाहिए। रिक्षा और टैक्सी में मीटर शून्य करवाकर ही मीटर के भाव के अनुसार बैठना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, सी. एन. जी. गैस भरते समय इन्डिकेटर पर '0000' शून्य मीटर की रीडिंग देखकर भरवाना चाहिए। केरोसीन खरीदते समय मापिए में झाग बैठ जाए उसके बाद ही पूरा मापिया भरवाकर ही खरीदना चाहिए। तराजू स्टैण्ड पर सही-सही लगा हुआ हो ऐसे तराजू से ही वजन करवाना। हाथ में उठाए गए तराजू से वजन में कमी होने या ठगी की संभावना रहती है।

(12) रेलवे, बैंक, बीमा, टेलीफोन सुविधा तथा हॉस्पिटल आदि की सेवाओं में होनेवाली लापरवाही से सेवा में उत्पन्न होनेवाला शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान के सामने बदला (भुगतान) प्राप्त करने हेतु 'ग्राहक फोरम' में स्वयं या ग्राहक मंडलों द्वारा शिकायत दर्ज करवानी चाहिए और मामले की पूरी जानकारी और प्राप्त मुआवजे का समाचार स्थानीय टी.वी. चेनलों, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर अन्य ग्राहकों को उनके साथ हुए अन्याय की और प्राप्त न्याय की जानकारी देकर उन्हें भी अन्याय का भोग बनने से रोका जा सकता है। इस प्रकार ग्राहक जागृति और ग्राहक शिक्षण कार्य करना भी उसका कर्तव्य होता है।

(13) ग्राहक शिक्षण द्वारा ग्राहक जागृति के सभी कार्यक्रमों में, अभियानों में, ग्राहक मंडलों द्वारा आयोजित किए जानेवाले कार्यशिविर, परिसंवाद या सेमिनार में उत्साहपूर्वक जुड़कर समाज में ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र में जागृति लाने के अभियान को वेग प्रदान करने में यथाशक्ति मदद करनी चाहिए।

ग्राहक सुरक्षा के उपाय : ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र में चार प्रकार के उपाय अमल में लाए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं :

(अ) त्रिस्तरीय अर्धन्यायी अदालतें : राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियम - 1986 के तहत 'केन्द्रीय ग्राहक सुरक्षा काउन्सिल' (राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग) की रचना की गई है। इसी तरह राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थापना की गई है। इन कमीशनों के द्वारा ग्राहक सुरक्षा कानून के अधीन नियम बनाए हैं। ''राष्ट्रीय ग्राहक समाधान आयोग'' त्रिस्तरीय अदालतों का ढाँचा तैयार किया है और ग्राहक फोरम तथा कमीशनों की कार्यवाही के लिए कानून कायदे बनाए गए हैं।''

18.4 ग्राहक सुरक्षा के उपाय, त्रिस्तरीय अदालतें

(1) जिला फोरम (जिलामंच) : प्रत्येक जिले के लिए एक अदालत है जो सबसे महत्त्वपूर्ण अदालत है। जो ग्राहकों की शिकायतों का अध्ययन करके न्यायिक समाधान करती है। इस न्यायालय में अब ₹ 20 लाख तक के दावों के लिए उसकी निर्धारित फीस भरकर अरजी स्वीकारी जाती है। जिला फोरम के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष निर्णय की जानकारी होने के 30 दिन के अंदर राज्य कमिशन में अपील दाखिल कर सकता है। उससे पहले मुआवजे के दावे की रकम का 50 % अथवा ₹ 25000 जो कम हो वह, निश्चित शर्तों के अनुसार डिपोजिट जमा करनी होती है।

(2) राज्य कमीशन (राज्य फोरम)

- देश में वर्तमान में लगभग 35 राज्य फोरम कार्यरत हैं।
- 20 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के मुआवजे की रकम के दावे की शिकायत निर्धारित फीस भर कर दाखल कर सकते हैं।

● जिला फोरम से असंतुष्ट हुआ कोई भी पक्षकार आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर निश्चित नमूने और दावे की रकम 50 % अथवा ₹ 35000 डिपोजिट भरकर राष्ट्रीय कमीशन में अपील कर सकता है।

(3) राष्ट्रीय कमीशन (राष्ट्रीय फोरम)

- 1 करोड़ से अधिक मुआवजे के दावा संबंधी शिकायत निर्धारित कोर्ट फीस भरकर कोर्ट में प्रस्तुत की जा सकती है।
- पाँच सदस्यों की बेंच इस कमीशन के सदस्य होते हैं।
- राज्य कमीशन और राष्ट्रीय कमीशन को संभव हो उतना जल्दी अर्थात् शिकायत दर्ज करने की तारीख के 90 दिन में शिकायत का निवारण करना होता है।
- राष्ट्रीय कमीशन से नाराज व्यक्ति या पक्षकार इस कमीशन के आदेश के 30 (तीस) दिन के अन्दर सुप्रिम कोर्ट (सर्वोच्च अदालत) में निर्धारित शर्तों के आधार पर शिकायत दर्ज कर सकता है। यद्यपि अपील से पूर्व पक्षकार को मुआवजे के दावे की रकम का 50% अथवा ₹ 50,000 दोनों में से जो कम हो वह डिपोजिट के रूप में कोर्ट मे जमा करवाना अनिवार्य है।

यदि कोई व्यक्ति इन तीनों अदालतों में से किसी भी अदालत के द्वारा दिए गए आदेश का पालन न करे तो सजा अथवा दंड या दोनों सजा का पात्र होता है।

बी. पी. एल. के अन्तर्गत व्यक्तियों को, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को कुछ शरतों के अधीन फीस भरने से मुक्ति दी जाती है और 'जिला मुफ्त कानूनी सेवा' मागदर्शन कानूनी सहायता, मार्गदर्शन और वकील की मुफ्त सेवा उपलब्ध करवाई जाती है।

(ब) ग्राहक मंडल (ग्राहक सुरक्षा परिषदें) : इस अधिनियम के तहत तालुका, जिला और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ग्राहक मंडलों की स्थापना की गई है। ये ग्राहकमंडल और परिषद गैरराजनैतिक और गैर व्यवसायिक स्तर पर ग्राहकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से रचित ग्राहक मंडल हैं। इन ग्राहक मंडलों का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को अपने अधिकार के प्रति जागृत बनाना और प्रोत्साहन देना तथा उनके हितों की सुरक्षा के लिए नीतियों के निर्माण में सरकारों को मदद करना है। वे ग्राहकों के अधिकार तथा कानून की व्यवस्थाओं की समय-समय पर समीक्षा करते हैं और कानूनी व्यवस्थाओं में सुरक्षा संबंधी सरकार को सुझाव देते हैं। ये ग्राहक जागृति के लिए अभियान स्वरूप ग्राहक शिक्षण देते हैं। इसमें ग्राहकों के अधिकारों, कर्तव्यों, विविध प्रकार के शोषण और उससे किस तरह बच सकें इसकी कानूनी व्यवस्थाओं जैसे मुख्य विषयों पर परामर्श देते हैं। इन ग्राहक मंडलों और संगठनों द्वारा ग्राहक सुरक्षा 'इनसाइट', 'दी कन्ज्यूमर', 'ग्राहक मंच' जैसे मासिक, द्विमासिक पत्रिकाओं और समसामयिकी प्रकाशित करके ग्राहक जागृति फैलाने का कार्य किया जाता है और ग्राहक की शिकायतों का निवारण लाने में सहायता दी जाती है।

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) : सार्वजनिक वितरण प्राणाली के द्वारा 'उचित मूल्य की दुकानों' द्वारा नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता वाला माल, निश्चित मात्रा में राहत दर पर अनाज और अन्य वस्तुएँ उपलब्ध करवाया जाता है, इस माध्यम से ग्राहकों को खुले बाजार में अधिक भाव लेने, हल्की गुणवत्तावाले माल सामान और कम मात्रा में मिलने वाली चीजवस्तुओं द्वारा होनेवाले शोषण से बचाया जाता है। व्यापारी के गलत तौर-तरिकों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंकुश लगा रहता है।

(ड) तौलमाप और चीज-वस्तुओं की शुद्धता को प्रमाणित करता तंत्र : ग्राहकों के स्वास्थ्य और सलामती के रक्षण के लिए सरकार ने कुछ कानूनी संस्थाओं की रचना की है, जो उत्पादकों द्वारा तैयार किए हुए मालसामान, वस्तुओं की गुणवत्ता और शुद्धता की जाँच-पड़ताल करके उसे प्रमाणित करने का कार्य करते हैं।

भारत सरकार ने गुणवत्ता का नियमन करने के लिए ई.स. 1947 में 'इन्डियन स्टान्डर्ड इन्स्टिट्यूट' (ISI) नामक संस्था की स्थापना की थी। इसके बाद ई.स. 1986 में 'ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टान्डर्ज' नाम से पहचाना जाता है। यह योग्य गुणवत्तावाले विविध उत्पादकों को 'ISI' मार्क उत्पादकीय उपकरणों पर उपयोग करने की छूट देता है।

18.5.1 ISI संस्था का चिह्न

मानकः पथप्रदर्शकः

18.5.2 BIS संस्था का चिह्न

कृषि पर आधारित चीज-वस्तुओं, वन उपजों, बागायती और पशु उत्पाद की गुणवत्ता का मानक चिह्न 'एगमार्क' लगाने का कानून खेती-बाड़ी उत्पन्न बाजार कानून - 1937 था। भारत सरकार के 'डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग इन्टेलिजेन्स संस्था' (DMI) द्वारा एगमार्क उपयोग करने का आदेश दिया गया है। यदि ग्राहक को मार्का संबंधी शंका उत्पन्न हो तो BIS के नजदीकी प्रादेशिक कार्यालय में शिकायत कर सकता है।

18.6 एगमार्क का चिह्न

इसके उपरांत सोने के आभूषण की खरीदी के समय भी 'BIS' मार्क के साथ सोने की शुद्धता के नंबर उदाहरण स्वरूप 916 अर्थात् 22 केरेट सोने की शुद्धता दर्शाता मार्का के साथ 'होलमार्क' 'केन्द्र का लोगो', 'J' जिस वर्ष में होलमार्किंग हुआ हो उस वर्ष का चिह्न उदाहरण स्वरूप 2008 उपरांत ज्वेलरी बनानेवाले और बिक्रेता का चिह्न शुद्धता और गुणवत्ता की गॉरंटी देता है।

18.7 सोने के आभूषण खरीदते समय ध्यान देने योग्य चिह्न

एफ. पी. ओ. (FPO - Food Product Order) का मार्का जाम, फ्रूट, ज्यूस, केन या टीन में पैक किए गए फल और सब्जी के उत्पादक वस्तु पर लगाया जाता है।

18.8 FPO का चिह्न

18.9 वुलमार्क का चिह्न

18.10 एम. पी. ओ.

18.11 एच. ए. सी. सी. पी. का चिह्न

आई. एस. आई. (ISI) टेक्सटाइल, केमिकल, जंतुनाशकों, रबड़-प्लास्टिक की बनावटों, सीमेन्ट की धातुओं, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों पर यह मार्क BIS लगाने दिया जाता है।

वुलमार्क मार्का - ऊन की बनावटों और पोशाक को दिया जाता है।

एम. पी. ओ. (MPO - Meat Processing Optimiser) मार्क मांस, मटन की उत्पादों और उससे बनी बनावटों को दिया जाता है।

एच. ए. सी. सी. पी. (HACCP - हेजार्ड एनालिसीस एन्ड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइन्ट) - मार्क प्रक्रिया द्वारा तैयार की गई खाद्य उत्पादनों को BIS दिया जाता है।

ई. सी. ओ. (ECO) – मार्क साबुन, डिटरजन्ट, कागज, लुब्रीकेटिंग ऑइल पैकेजिंग मटीरीयल, रंगरसायन, पाउडर कोटिंग, बैटरी, सौंदर्यप्रसाधन, लकड़ी के बदले उपयोग होती वस्तुएँ, चमड़े और प्लास्टिक की बनावटों को ISI (इन्डियन स्टान्डर्ड ब्यूरो) द्वारा दिया जाता है, जो अब BIS है।

18.12 ई. सी. ओ. का चिह्न

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएँ : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो अंतरराष्ट्रीय संगठन स्टान्डर्डाइजेशन (गुणवत्ता मानक) का कार्य कर रही हैं।

(1) आई. एस. ओ. (ISO – इन्टरनेशनल स्टान्डर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन) इसका मुख्यालय 'जिनीवा' में है, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसके द्वारा ISO-9000 अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का प्रमाण पत्र उत्पादन इकाइयों तथा संस्थाओं को दिया जाता है, जबकि ISO-14000 श्रेणी पर्यावरण व्यवस्थापन पद्धति के लिए इन्टरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है। जो उच्च गुणवत्तावाली ऑफिस या संस्था होने का प्रमाणपत्र है।

18.13 आई. एस. ओ. का चिह्न

(2) कोडेक्स एलीमेन्टरीयस कमीशन (CAC) : खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित अंतरराष्ट्रीय कमीशन है। जिसमें अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करने का कार्य होता है। इस कमीशन की स्थापना 1963 में खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा की गई है। इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। दूध की बनावटों, माँस, मछली, खाद्य पदार्थों के उत्पादनों को प्रमाणित करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर की व्यापार नीति-नियम बनाने का कार्य यह संस्था करती है। भारत में ISO के साथ संपर्क का कार्य भारतीय संस्था BIS करती है जबकि CAC के साथ संपर्क में रह कर कार्य भारत की 'डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसीस' करती है।

शिकायत कौन दर्ज कर सकता है और कहाँ : (1) ग्राहक स्वयं (2) केन्द्र, राज्य सरकार अथवा केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकार (3) ग्राहक मंडल जो कंपनी कानून या अन्य प्रवर्तमान कानून के तहत दर्ज हो अथवा (4) एक या उससे अधिक ग्राहकों के प्रतिनिधित्व स्वरूप में कोई ग्राहक, जिसमें सभी ग्राहकों का समान हित हो अथवा (5) कोई माल चीज-वस्तु, सेवा खरीदनेवाले की संमति से उपयोग करनेवाले परिवार का कोई सदस्य माल या सेवा में त्रुटि या कमी से हुए नुकसान के सामने शिकायत कर सकता है।

यदि उत्पादक या विक्रेता ग्राहक की सही, योग्य और स्पष्ट शिकायत के सन्दर्भ में किसी निराकरण के लिए पहल न करे या तैयारी न दिखाए तब भोग बननेवाले ग्राहक या उसके परिवार के सदस्य द्वारा स्थानीय जिला फोरम, राज्य कमीशन, राष्ट्रीय कमीशन में केस करके स्थानीय आपूर्ति कार्यालय, तौलमाप विज्ञान और ग्राहक अदालत, ग्राहक मंडलों, कलेक्टर कार्यालय में शिकायत कर सकता है।

जब माल या सेवा में त्रुटि अथवा कमी लगे तब अथवा करार के अधीन कानून के अधीन जिसका पालन करना जरूरी हो उस कार्य करने के तरीके में अपूर्णता या कमी को सेवा में कमी माना जाता है। इस प्रकार वस्तु की गुणवत्ता, प्रकार और शुद्धता, वजन में कमी के विरुद्ध ग्राहक शिकायत कर सकता है।

कैसे शिकायत कर सकते हैं ?

- शिकायत का प्रार्थना-पत्र सरल, स्पष्ट, सादी भाषा में टाइप करके या हस्त लिखित या ई-मेल से हो सकती है। यदि कोर्ट में वकील के द्वारा केस दर्ज करवाया हो तब सौगन्धनामा करना पड़ता है। याचिका में याचिका कर्ता का नाम, पता, संपर्क नंबर होना चाहिए।
- शिकायत का विस्तार से वर्णन करने के साथ शिकायत का कारण स्पष्ट लिखना।

- आरोप के संदर्भ में अगर कोई भी आधार, सबूत या दस्तावेज हो उसकी प्रमाणित नकल जोड़नी चाहिए। कभी भी मूल सबूत नहीं देना चाहिए।
- बिल, बिल की कच्ची / पक्की रसीद जोड़ना। यदि भुगतान चेक से किया हो तो उसकी जानकारी लिखना।
- विक्रेताओं द्वारा निश्चित की गई शर्तों, सार्वजनिक सूचना की नकल, गारंटी या वारंटी कार्ड, पेम्पफ्लेट्स या प्रोस्पेकटर्स की नकल जोड़ना।
- आवेदन के साथ मांगी गई मुआवजा की रकम के अनुसार नियम से फीस भरने से ग्राहक फोरम में (कोर्ट में) शिकायत दर्ज हो सकती है।
- ग्राहक शिकायत का कारण उद्भव होने के दो वर्ष में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- कोई भी ग्राहक संबंधी शिकायत करने या कानून की विशेष जानकारी प्राप्त करने या मार्गदर्शन के लिए गुजरात राज्य की हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800-233-0222 और राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 1800-114000 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और मार्गदर्शन ले सकते हैं।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए :

(1) मूल्य वृद्धि के कारणों की विस्तार से जानकारी दीजिए।

(2) मूल्य नियंत्रण के लिए दो मुख्य उपायों की चर्चा कीजिए।

(3) ग्राहक के अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में (छ मुद्दे) सविस्तार समझाइए।

(4) ग्राहक अदालतों के प्रावधानों की जानकारी दीजिए।

(5) गुणवत्ता मानक की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की जानकारी दीजिए।

(6) ग्राहक को खरीदी करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए?

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दासर लिखिए :

(1) मूल्यवृद्धि आर्थिक विकास का पोषक भी है, अवरोधक भी है-समझाइए।

(2) काला धन मूल्यवृद्धि का एक कारण है, समझाइए।

(3) मूल्यनियंत्रण में सार्वजनिक वितरण प्राणाली की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

(4) ग्राहक का शोषण होने के कारण समझाइए।

(5) ग्राहक सुरक्षा में ग्राहक मंडलों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

(6) शिकायत कौन कर सकता है ? तथा उसमें समाविष्ट विवरण का वर्णन कीजिए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त मे दीजिए :

(1) मूल्यनियंत्रण क्यों अनिवार्य हो गया है?

(2) मूल्यवृद्धि की पूँजी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है ? समझाइए।

(3) मूल्यनिर्धारण तंत्र की मूल्यनियमन में क्या भूमिका है?

(4) ग्राहक किसे कहते हैं?

(5) ISI, ECO, FPO, एगमार्क के विषय में जानकारी दीजिए।

4. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) सरकार द्वारा किस उत्पाद का मूल्य निर्धारित होता है ?

(A) सब्जी (B) चिकित्सा उपचार (C) पेट्रोल-डीजल (D) होटल का खाना

(2) सरकार द्वारा किस आपूर्ति में की गई वृद्धि मूल्यवृद्धि का कारण बनती है ?

(A) चीजवस्तुओं (B) अनाज (C) कच्चा माल (D) वित्त

(3) भविष्य में मूल्य वृद्धि होनेवाली है ऐसी भविष्यवाणी से लोग क्या करते हैं ?

(A) कालाबाजारी (B) नफाखोरी (C) सट्टाखोरी (D) संग्रहखोरी

(4) 15 मार्च का दिन भारत में किस दिन के रूप में मनाया जाता है ?

(A) ग्राहक अधिकार दिवस (B) विश्व ग्राहक दिवस

(C) ग्राहक जागृति दिवस (D) राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस

(5) केन्द्र सरकार ने ग्राहक संबंधी कानून के नियमों के लिए कौन-सी संस्था स्थापित की है ?

(A) ग्राहक तकरार निवारण तंत्र (B) राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

(C) राष्ट्रीय ग्राहक कमीशन (D) ग्राहक सुरक्षा आयोग

(6) ग्राहक सुरक्षा जागृति के लिए कौन-सा सामयिक प्रकाशित किया जाता है ?

(A) इनसाइट (B) ग्राहक जागृति मंच (C) ग्राहक शिक्षण (D) कन्ज्यूमर एक्ट

(7) खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का नियमन करनेवाली स्वैच्छिक संस्था कौन-सी है?

(A) BIS (B) CAC (C) ISO (D) FPO

प्रवृत्ति

- 'ग्राहक अधिकार दिवस' को विद्यालय में मनाने के स्वरूप में 'ग्राहक सुरक्षा धारा' कितनी उचित है? विषय पर 'मोक पार्लियामेन्ट' आयोजित कीजिए।
- मूल्य वृद्धि से सम्बन्धित वर्तमान समाचार पत्रों में छपे समाचारों (पिछले तीन माह) की कटिंग एकत्रित करके स्क्रेप बुक बनाकर संक्षिप्त लेख तैयार कीजिए।
- विद्यालय में ग्राहक मंडलों के अधिकारियों का व्याख्यान आयोजित करना और ग्राहक सुरक्षा की प्रदर्शनी आयोजित कीजिए।
- मिलावट और तौलमाप में होनेवाली धोखाधड़ी को दर्शानेवाले कार्यक्रम विद्यालय, मुहल्ले, सोसायटी में आयोजित कीजिए।
- विविध चीज-वस्तुओं और उपकरणों पर लगे मार्कों की छापवाली पैकिंग एकत्रित करवाइए और लेख तैयार कराइए।
- विद्यालय स्तर पर ग्राहक क्लब की रचना करके जाग्रति के कार्यक्रम आयोजित करना।

●

19 मानव विकास

परिवर्तन संसार का नियम है। एक शिशु धीरे-धीरे वयस्क मानव के रूप में विकसित होता है। मानव आदिमानव अवस्था में से वर्तमान जटिल समाज व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ है। सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का भी विभिन्न स्वरूपों में विकास हुआ है। आर्थिक उत्पादन और उपयोग, आय-व्यय और लाभ-हानि का हिसाब बनाने के लिए शुरू हुआ अर्थशास्त्र पिछले 60-70 वर्षों से भौतिक सुख-सुविधा और मानव विकास का शास्त्र बनने लगा है। विश्व के अनेक देशों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में काफी अंतर पाया जाता है। दो देशों के बीच ही नहीं, अपितु देश के दो क्षेत्रों के बीच भी अंतर पाया जाता है। जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए अन्न, वस्त्र, और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करना जरूरी है। इसके बाद शिक्षण, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि आवश्यकताएँ उत्पन्न होती है। इस प्रकरण में हम मानव विकास अर्थात् क्या ? और मानव विकास अंक में भारत की स्थिति क्या है? आदि बातों का अध्ययन करेंगे।

मानव विकास का अर्थ

इस शब्द का उपयोग प्रसार माध्यमों, राजनेताओं, विविध संस्थाओं और सरकारों द्वारा बार-बार किया जाता है। 'मानव विकास शब्द समूह' मानव क्षमताओं का विस्तरण, पसंदगी की व्यापकता, स्वतंत्रता का विकास और मानव अधिकारों के लागू होने के अर्थ में उपयोग होता है। मानव विकास केवल शिक्षण, स्वास्थ्य, पोषण और संसाधनों के नियंत्रण से कुछ अधिक बातों का संकेत करता है।

'मानव विकास, मनुष्य की आकांक्षाओं और आवश्यक हो ऐसी जीवन निर्वाह की सुविधाओं के विस्तार करने की प्रक्रिया हैं।' - UNDP.

मानव विकास, विकास की दिशा में मानव केन्द्रित अभिगम है। मानव विकास का उद्देश्य प्रत्येक के लिए जीवन की एक समान परिस्थिति खड़ी करना है। जिससे लोग अपनी प्रतिभा के अनुसार सार्थक और सर्जनात्मक जीवन जी सकें। प्रारंभ में आर्थिक विकास को ही मानव विकास के रूप में मापा जाता था। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक, उस देश का मानव विकास अधिक यही मानदंड माना जाता था। जिसके कारण प्रत्येक देश ने अपनी कुल राष्ट्रीय उत्पादन (Gross National Product-GNP) पर ध्यान केन्द्रित किया। आर्थिक विकास होने पर भी लोगों के जीवन स्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर भी लोगों के जीवन स्तर या सुख-सुविधा पर व्यापक प्रभाव नहीं हुआ। इस प्रकार मात्र आर्थिक विकास से ही मानव विकास नहीं हो सकता। मात्र आय नहीं, परंतु आय का उपयोग किस तरह करना उस पर मानव विकास निर्भर करता है। मानव विकास के चार स्तंभ हैं : समानता, स्थिरता, उत्पादकता और सशक्तिकरण।

मानव विकास अर्थात्

- मनुष्य को अपनी रुचि, रस, क्षमता, बुद्धि-क्षमता के अनुसार सफल और सर्जनात्मक जीवन, जीने में सहायक बने।
- मानव क्षमताओं का निर्माण हो, समानता प्राप्त हो, विविध क्षेत्रों में पसंदगी का क्षेत्र बढ़े।
- मानव स्वस्थ, स्वास्थ्यवर्धक, स्वस्थ और दीर्घायु हो।
- सूचना और शिक्षण द्वारा ज्ञान प्राप्त करे।
- आर्थिक उपार्जन के अवसर प्राप्त हों।
- ऊँचे जीवन स्तर के लिए प्राकृतिक संसाधन समान रूप से प्राप्त हों।
- गुणवत्तायुक्त जीवनशैली प्राप्त हो।
- गंदगी का योग्य निकाल हो और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थिति सुधरे।
- व्यक्तिगत और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो।
- मानव अधिकारों का उपयोग करे।

ऐसे सभी अवसरों का सर्जन और विस्तार के साथ मानव विकास का संबंध है। इस तरह मात्र आर्थिक नहीं

परंतु मानव जीवन की सुख-शांति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक पक्षों का इसमें समावेश होता है। विकासशील देशों में नवीन सुधार के प्रति उदासीनता या घृणा, निम्न आकांक्षा, निरक्षरता, साहसवृत्ति का अभाव, वहम – अंधश्रद्धा, संकुचित मानसिकता, रूढ़िवादिता, पुराने रीति-रिवाजों के उपरांत भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग आदि के कारण आर्थिक विकास और अंत में सामाजिक विकास नहीं सिद्ध किया जा सका।

मानव विकास अंक (HDI)

मानव विकास अंक की विभावना नोबल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने व्यक्त की थी। इस सन्दर्भ में प्रथम मानव विकास लेख 1990 में प्रकाशित किया गया था। तब से इस क्षेत्र में 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme - UNDP)' द्वारा प्रतिवर्ष मानव विकास लेख प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें विभिन्न देशों के विकास के विभिन्न निर्देशकों के आधार पर एक वैश्विक विश्लेषण पेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रकाशित हुए प्रथम मानव विकास लेख में मानव विकास अंक (Human Development Index-HDI) की संकल्पना प्रस्तुत हुई थी। जिसमें मानव विकास अंक में तीन निर्देशकों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया था : (1) औसत आयु (स्वास्थ्य) (2) शिक्षण संपादन (ज्ञान) और (3) जीवन स्तर (प्रति व्यक्ति आय) इन तीनों निर्देशकों के संयुक्त अंक के आधार पर किसी एक देश के मानव विकास का अंक निश्चत किया जाता था। UNDP द्वारा मानव विकास लेख के लिए मानव विकास अंक (HDI) की गणना के लिए वर्ष 2009 तक उपर के तीन निर्देशकों का उपयोग किया जाता था। इसके लिए 2010 से नीचे दिए अनुसार नवीन विधि का उपयोग किया जाता है।

UNDP का चिह्न

(1) अपेक्षित आयु अंक [(Life Expectancy Index-LEI) (औसत आयु)] : स्वस्थ और दीर्घायु के मापन के लिए बालक के जन्म के समय से वह कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है ऐसी अपेक्षा को अपेक्षित आयु के रूप में पहचाना जाता है। जिसमें अधिकतम 83.6 वर्ष और न्यूनतम 20 वर्ष निर्धारित की गयी है। मानव विकास लेख 2015 में भारत की अपेक्षित आयु अंक 68 वर्ष है।

(2) शिक्षण अंक [(Education Index-EI) (शिक्षण संपादन)] : जिसमें निम्नानुसार दो उपनिर्देशक हैं : (i) विद्यालयी औसत वर्ष (Mean Years of Schooling-MYS) 25 वर्ष के वयस्क व्यक्ति द्वारा विद्यालय में बिताए गए वर्ष। जिसमें उच्चतम 13.3 वर्ष और न्यूनतम शून्य वर्ष निर्धारित किए गए हैं। जिसमें मानव विकास लेख 2015 के अनुसार भारत के विद्यालयी औसत वर्ष 5.4 वर्ष हैं। (ii) अपेक्षित विद्यालयी वर्ष (Expected Years of schooling-EYS) 5 वर्ष का बालक अपने जीवन के कितने वर्ष विद्यालय में बिताता है, वे वर्ष। इसमें उच्चतम 18 वर्ष और न्यूनतम शून्य वर्ष निश्चित किए हैं। जिसमें भारत की अपेक्षित विद्यालयी वर्ष अंक 11.7 वर्ष है।

(3) आय अंक [(Income Index-II) (जीवन स्तर)] : जीवन निर्वाह के मापन के लिए प्रति व्यक्ति कुल घरेलू उत्पादन (Gross Domestic Product per capita-GDP) को प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय (Gross National Income per capita-GNI) के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। मानव विकास लेख 2015 में भारत की प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय 5497 $ और प्रतिव्यक्ति कुल घरेलू उत्पादन 5238 $ है। प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए उस देश की आय को अमेरिका के चलन-मूल्य में गिना जाता है। जिसे समक्रय शक्ति (Purchasing Power Parity) के रूप में पहचाना जाता है।

इतना जानना अच्छा लगेगा

मानव विकास अंक की गणना करने के लिए प्रत्येक मापदंड का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निश्चित किया जाता है। प्रत्येक अंक की सूत्र के अनुसार गणना की जाती है। जिसके आधार पर मानव विकास अंक मिलता है। जिसका मूल्य 0 से 1 बीच होता है। किसी देश के लिए मानव विकास अंक अधिकतम 1 मूल्य तक पहुँचने का अंतर सूचित करता है। यह अंतर देश–देश के बीच मानव विकास की तुलना करने में उपयोगी सिद्ध होता है। जिसके आधार पर किसी देश के विकास की गति किस दिशा में है, अन्य देशों की तुलना में कितने आगे–पीछे है? यह जान सकते हैं।

मानव विकास रिपोर्ट

UNDP द्वारा वर्ष 1990 से प्रति वर्ष मानव विकास लेख (Human Development Report-HDR) प्रस्तुत किया जाता है। मानव विकास लेख वर्ष 2015 में समाविष्ट 188 देशों को उनके मानव विकास अंक - HDI मूल्य के आधार पर नीचे की सारणी के अनुसार चार विभागों में विभाजित किया गया है। जिसमें नॉर्वे (0.944) प्रथम स्थान पर है !

दूसरे क्रम पर आस्ट्रेलिया (0.935) और स्वीटजरलैण्ड (0.930) तीसरे क्रम पर है। एशियाई देश सिंगापुर (0.912) ग्यारहवें क्रम पर है। भारत 0.609 मानव विकास अंक के साथ 188 देशों में 130 वें स्थान पर है। इसलिए वह मध्यम मानव विकासवाले देशों की श्रेणी में शामिल है। इस लेख में सबसे नीचे के 188 वें क्रम पर नाईजर (0.348) है।

मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास अंक के आधार पर देशों का वर्गीकरण

क्रम	मानव विकासवाले देश	विभाजन का क्रम	मानव विकास अंक (HDI)	मुख्य देश
1.	उच्चतम मानव विकास	1 से 49	0.802 से अधिक	नॉर्वे, आस्ट्रेलिया, स्विटजरलैण्ड, डेन्मार्क, नेदरलैण्ड, अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस
2.	उच्च मानव विकास	50 से 105	0.700 से 0.798	रशिया, मलेशिया, ईरान, श्रीलंका, मेक्सिको, ब्राजील चीन, थाईलैण्ड, जमैका
3.	मध्यम मानव विकास	106 से 143	0.555 से 0.698	इन्डोनेशिया, फिलिपाइन्स, दक्षिण अफ्रीका, इराक, भारत
4.	निम्न मानव विकास	144 से 188	0.550 से नीचे	केन्या, पाकिस्तान, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे नाईजर

भारत का मानव विकास अंक वर्ष 1990 में 0.428, वर्ष 2000 में 0.496, वर्ष 2010 में 0.586, वर्ष 2014 में 0.604 था और वर्ष 2015 में 0.609 हुआ है। इस प्रकार क्रमशः सुधार हो रहा है।

क्रम	73	90	104	130	132
देश	श्रीलंका	चीन	मालदीव	भारत	भूटान
HDI	0.759	0.727	0.706	0.609	0.605
मानव विकास रिपोर्ट 2015 में भारत और पड़ोसी देशों का स्थान					
क्रम	142	145	147	148	171
देश	बांग्लादेश	नेपाल	पाकिस्तान	म्यानमार	अफगानिस्तान
HDI	0.570	0.548	0.538	0.536	0.465

मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 2015 में भारत और पड़ोसी देशों का स्थान

भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका, चीन, मालदीव की स्थिति भारत से अधिक अच्छी है और ये मानव विकास अंक में भारत से ऊपर के क्रम पर हैं।

भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यानमार और अफगानिस्तान ये देश भारत से नीचे के क्रम पर हैं।

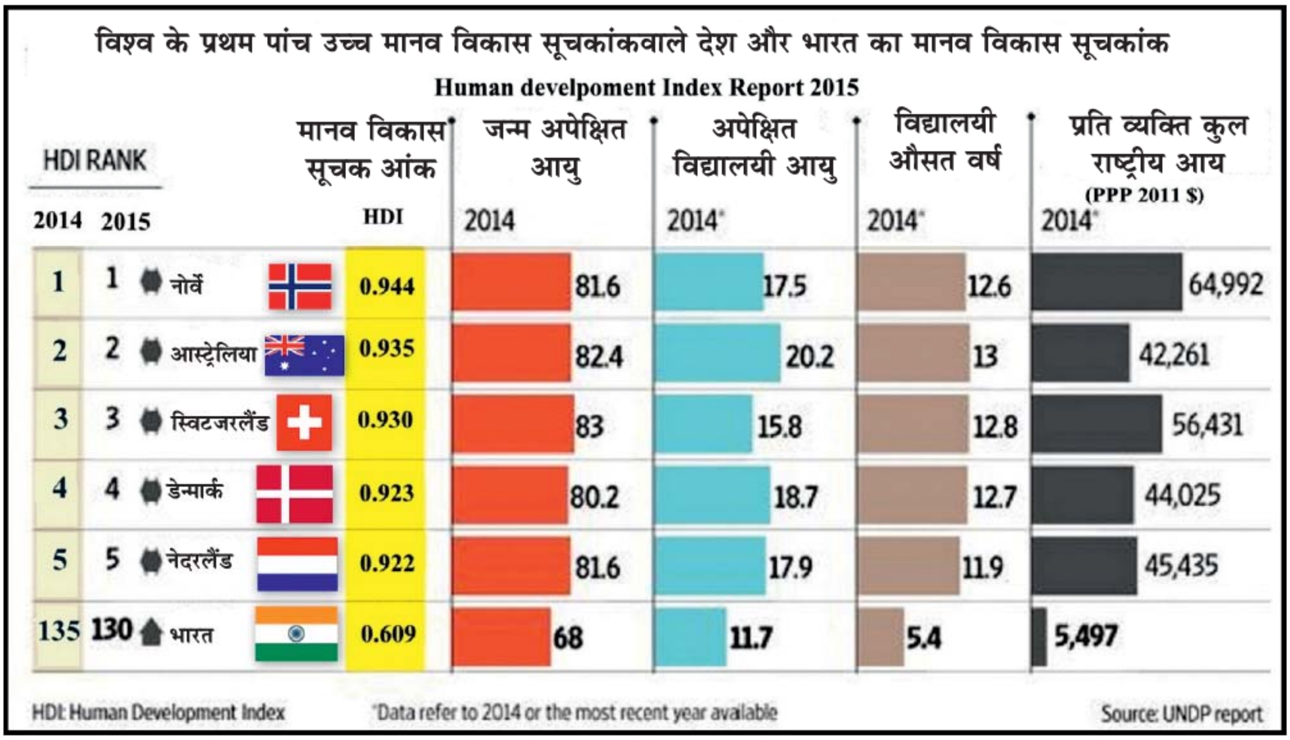

19.2 भारत और विश्व के प्रथम पाँच देशों के मानव विकास अंक : निर्देशकों की तुलना

मानव विकास के सक्षम चुनौतियाँ :

मानव विकास रिपोर्ट में प्रथम पाँच देशों की तुलना करने पर पता चलता है कि भारत को सभी निर्देशक स्वास्थ्य, शिक्षण और आय (प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय) के क्षेत्र में अनेक मंज़िल तय करना बाकी है। मानव विकास का देश के निर्जीव भौतिक साधनों के साथ नहीं, अपितु सजीव मानव संपदा के विकास के साथ सीधा संबंध है।

मानव विकास अंक में मानव विकास की प्रगति में बाधक जो चुनौतियाँ दर्शाई गई हैं, जिन पर विशेष बल दिया जा रहा है उनमें (1) स्वास्थ्य (2) लैंगिक समानता (स्त्री-पुरुष समानता) (3) महिला सशक्तिकरण हैं।

स्वास्थ्य (आरोग्य)

स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक और कीमती पूँजी है। व्यक्ति का पारिवारिक, सामाजिक जीवन उत्तम बने उसके लिए सबसे पहले उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे यह अधिक महत्त्वपूर्ण है। भारत सहित विकासशील देशों ने अपनी स्वास्थ्य नीतियों के अन्तर्गत जनसंख्या वृद्धि, सामान्य रोग, कुपोषण, अपगंता, एड्स जैसे संक्रमित रोग, मानसिक रोग और उससे संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए खर्च मात्र जीवन की गुणवता बढ़ाने के लिए हैं ऐसा नहीं, परंतु मानव संसाधन विकास का एक निवेश है। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हुई है। बाल टीकाकरण कार्यक्रम ओ. पी. वी. (पोलियो के लिए), बी. सी. जी. (क्षय के लिए) हीपेटाईटीस-बी (जहरी - पीलिया), डी. पी. टी. (डिप्थेरीया - काली खांसी के लिए टीका), खसरा, एम. एम. आर. और टाइफाइड विरोधी टीका बालकों को देने से बाल स्वास्थ्य और बाल मृत्यु दर में काफी सुधार लाया जा सका है। आयोडिन, विटामिन और लौहतत्त्व की कमी के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। हम प्लेग, चेचक, रक्तपित और पोलियो निर्मूल कर सके हैं। खसरा, छोटी चेचक, मलेरिया, डेंग्यु, पोलियो, कोढ़, क्षय, मधुमेह (डायाबिटीस), कैन्सर, हृदयरोग आदि पर नियंत्रण पाया जा सका है। परिणाम स्वरूप मनुष्य लंबा, तंदुरस्त और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जन्मदर, मृत्युदर, बाल मृत्युदर में कमी दर्ज हुई है। औसत आयु बढ़ी है इसके उपरांत भारत में कई राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर घटाने के लिए ऊँची जन्म दर घटाना यह स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण लक्ष्य बन रहा है। जल जन्य रोग, श्वसन रोग और कुपोषण ने जनसंख्या के लिए समस्या उत्पन्न की है। महिलाओं, बालकों और गरीब लोगों के लिए पोषक तत्त्वों की कमी, मूलभूत खनिजों, कुछ विटामिन और प्रोटीन की कमी स्त्रियों और बालकों के अवरुद्ध विकास के लिए मुख्य जिम्मेदार हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण और जहरी पदार्थों का उद्भव दैनिक जीवन में नई चुनौती है। बढ़ते शहरीकरण ने घनी बस्तियों में नई स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समस्या उत्पन्न की है। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पहले की स्वास्थ्य कार्य सूचियों में विशेष ध्यान और परिवर्तन करना अनिवार्य हुआ है।

लैंगिक समानता (स्त्री-पुरुष समानता)

भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता और न्याय का वचन देता है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 48.46% स्त्रियाँ और 51.54 % पुरुष हैं। इस दृष्टि से देखें तो भारत ही नहीं, अपितु विश्व के किसी भी राष्ट्र की प्रगति और विकास में मानव संसाधन के रूप में स्त्रियों की भूमिका अग्रगण्य है। परंतु स्त्री-पुरुष की जैविक भिन्नता के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से स्त्रियों की देखरेख और अपेक्षाएँ अलग होने के कारण दोनों के विकास पथ भी अलग रहे हैं। आज भी कई महिलाएँ घरकाम करती हैं, रसोई में खाना बनाती हैं, बालकों की देखभाल करती हैं, उनका आर्थिक उपार्जन या राष्ट्रीय आय में कोई हिस्सा नहीं माना जाता। स्त्रियों को परिवार में कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है ! स्वास्थ्य की अपूर्ण देखभाल तथा शिक्षण और आर्थिक अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाता है। पुत्र-पुत्री के वस्त्र में, खेल में, अध्ययन के अवसरों में, भोजन में, घूमने-फिरने में आचार-विचार और व्यवहार में पुत्री को विभिन्न भेदभाव सहन करने पड़ते हैं। महिलाओं में साक्षरता का निम्न प्रमाण होने से स्त्रियाँ बाल विवाह, पर्दाप्रथा, दहेजप्रथा तथा अनेक सामाजिक कुरिवाजों का भोग बनती रही हैं। समाज में भ्रूणहत्या, नीचा आदरभाव, पुत्रजन्म की चाहत, सामाजिक परंपराएँ और लैंगिक भेदभाव के कारण स्त्रियाँ को ही अन्याय का भोग बनना पड़ता है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में अवसर तथा निर्णय

भारत में स्त्री-पुरुष समानता का साँख्यिकीय विश्लेषण

मानव विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार	मानव विकास अंक HDI	जन्म समय अपेक्षित आयु 68 वर्ष	अपेक्षित विद्यालयी वर्ष 11.7 वर्ष	विद्यालयी औसत वर्ष 5.4 वर्ष	प्रति व्यक्ति आय 5497 $	श्रम शक्ति में भागीदारी (15 वर्ष से अधिक आयु)	संसद में प्रति-निधित्व प्रमाण (2014)	युवा साक्षरता दर (15-24 वर्ष)
स्त्री	0.525	69.5	11.3	3.6	2,116	27.0	12.2	74.4
पुरुष	0.661	66.6	11.8	7.2	8,656	79.9	77.8	88.4

प्रक्रिया में असमानता दिखाई देती है। भारत में अधिकांश राज्यों में उच्च पद, ऊँची आय, अधिक लाभ, अधिक वेतन मिलता हो ऐसे कार्योंवाले उद्योग और नौकरियों में पुरुषों का वर्चस्व है। संसद में महिला सांसदों का अनुपात मात्र 12.2% जितना ही है। संसद, विधानसभा, वरिष्ठ अधिकारी, मैनेजर, कंपनी डायरेक्टर, व्यवसायिक और टेक्निकल क्षेत्र में महिलाओं का निम्न प्रमाण और स्त्री-पुरुष में स्पष्ट रूप से भेदभाव पाया जाता है।

महिला सशक्तिकरण

स्त्रियाँ समग्र विकास की प्रक्रिया का केन्द्रबिन्दु हैं। किसी भी विकासशील राष्ट्र में आर्थिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। एक स्त्री शिक्षित बने तो एक घर, एक समाज और अंत में तो एक राष्ट्र सशक्त बनता है। महत्त्वपूर्ण है कि हमारे भारत देश ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू किया है। भारत में प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में समय-समय पर महिलाओं ने शोभा बढ़ाई है। टैक्सी चलाने से लेकर विमान के पायलट तक का सफर महिलाएँ कर रही हैं। समाज सेवा, साहित्य, पत्रकारिता, खेल जगत, शिक्षण और अभिनय क्षेत्र में काम करती महिलाओं को हम टीवी और न्यूज चेनलों पर देखते ही हैं। मात्र कृषि में श्रम कार्य करने के बदले व्यापार-वाणिज्य, संचार तथा व्यक्तिगत विभिन्न नौकरियों में वर्तमान समय में शिक्षण प्रशिक्षण, कुशलता के कारण स्त्री-रोजगार का क्षेत्र बढ़ रहा है। इसके उपरांत भी देश की आधी जनसंख्या के लिए विकास की अनेक संभावनाएँ हैं, जिन्हें फैलाने में हमें अभी बहुत प्रयास करना है।

महिला कल्याण योजनाएँ

भारत में महिलाओं को समान स्तर, शिक्षण, सुरक्षा और मूलभूत स्वतंत्रता प्राप्त हो इसके लिए 1980 से महिलाओं को एक अलग लक्ष्य समूह मानकर महिला विकास संबंधित अनेक योजनाएँ, कार्यक्रम लागू किए गए हैं। 1999 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। इसके उपरांत महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीयनीति 2001 के अनुसार महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सामर्थ्य निर्माण, रोजगार, आर्थिक उपार्जन, कल्याण तथा सहायक सेवाओं और लैंगिक संवेदनशीलता के क्षेत्र में विविध कार्य किए जाते हैं। युनाइटेड नेशन्स ने 1975 के वर्ष को 'महिलावर्ष' और 1975-1985 के दशक को महिला दशक के रूप में घोषित किया तथा 2002 के वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। परिवार की संपत्ति में महिलाओं को समान हिस्सा मिले इसके लिए कानून में सुधार किया गया।

महिला शोषण को रोकने के प्रावधान

महिला सुरक्षा के अंतर्गत विविध प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला तथा अपने विकास के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओं को मात्र एक ही कॉल से मदद मिलती रहे, इसके लिए 181 अभयम् महिला हेल्पलाइन शुरू करके उसे समग्र गुजरात राज्य में लागू किया गया है। गरीब महिलाएँ आसानी से सहायता प्राप्त कर सकें इसके लिए महिला अदालतों की स्थापना और महिलाओं को सामाजिक, कानूनी और रोजगार संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए महिला कल्याण केन्द्रों की रचना की गई है। महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और लैंगिक शोषण के विरुद्ध रक्षण के लिए

19.3 अभयम् हेल्पलाइन लोगो

सरकार जागृत हुई हैं। सरकारी कार्यालयों में, निजी व्यवसाय और गृह नौकर के रूप में कार्य कर रही महिलाओं की लैंगिक सुरक्षा हो और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें इसके लिए संसद ने कानून पास करके महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है।

महिला समानता संबंधित गुजरात सरकार की विविध योजनाएँ

महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रगति के लिए गुजरात सरकार ने वर्ष 2001 मे महिला और बाल विकास विभाग की रचना की है। गुजरात सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए गरीब एवं सामान्य परिवारों की तथा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के उत्कर्ष के लिए मुख्य तीन पहलू महिलाओं का शैक्षणिक सशक्तिकरण, महिलास्वास्थ्य और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर महिला केन्द्रित जेन्डर बजट में विविध योजनाएँ लागू की हैं :

- गुजरात में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन देने के आशय से विद्यालय प्रवेशोत्सव और कन्या शिक्षा रथयात्रा की शुरुआत की गई, जिसके कारण विद्यालयों में 100% नामांकन और महिला साक्षरता दर में वृद्धि दिखाई दी है।
- राज्य में 35 % से कम स्त्री साक्षरता दर वाले गाँवों और शहरी क्षेत्रों में बसनेवाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीनेवाले परिवारों की पुत्रियों को प्राथमिक विद्यालय में और माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेते समय 'विद्यालक्षी बॉन्ड' दिए जाते हैं।
- 'सरस्वती साधना योजना' के अन्तर्गत प्रति वर्ष डेढ़ लाख कन्याओं को बिना मूल्य साइकिल दी जाती है। गाँव-घर से दूर अध्ययन के लिए जानेवाली कन्याओं को एस. टी. बस में मुफ्त मुसाफिरी की सुविधा दी जाती है।
- किशोरियों के लिए पौष्टिक आहार तथा उनके कौशल विकास के लिए 'सबला योजना' लागू की गई है।
- गुजरात सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों मे 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। इसी तरह स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण था, उसे बढ़ाकर 50% किया गया है।
- श्रमजीवियों और निराधार वृद्धों को उम्र के अंतिम पड़ाव में जीवननिर्वाह के लिए पेन्शन मिले और उनका भविष्य सुरक्षित बने इसके लिए 'राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना' लागू की गई है। इसके उपरांत, निराधार विधवा महिलाओं को दूसरे पर आधारित जीवन जीने के लिए लाचार न बनना पड़े इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है।
- महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु सखीमंडल द्वारा 'सरकार मिशन मंगलम् योजना' के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है।
- महिला स्वास्थ्य के लिए ई-ममता कार्यक्रम में मोबाइल टेक्नोलॉजी द्वारा सगर्भा माता को दर्ज करके उसे ममता कार्ड देकर शिशु और प्रसूति संबंधित मृत्यु दर घटाने की पहल की गई है तथा उसकी नियमित स्वास्थ्य जाँच करके उपचार तथा बालक के जन्म के बाद टीकाकरण कार्यक्रम द्वारा माता एवं बालक की तंदुरुस्ती का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है।
- 'बेटी बचाओ' अभियान द्वारा लिंगभेद (Gender Discrimination) समाप्ति हेतु अभियान चलाकर 'बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ' द्वारा स्त्री सशक्तिकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- अनुसूचित जाति और जनजाति के सामान्य परिवारों की महिलाओं को 'चिरंजीवी योजना' के अन्तर्गत प्रसूति, दवाइयों, लेबोरटरी जाँच, ऑपरेशन आदि सेवा बिनामूल्य देने का प्रावधान किया गया है।

गुजरात सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु विविधलक्षी कल्याण संबंधी योजनाएँ चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का व्यापक विस्तार करके हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में रही चुनौतियों का सामना कर सकेंगे।

मानव विकास के संबंध में अपने परिवार, मुहल्ले या गाँव में नजर डालें तो हमें पता चलता है कि कई सगर्भा माताओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है। कम वजनवाले बालक का जन्म होता है, बालक कुपोषण वाला होता है, बालक आंगनवाड़ी या विद्यालय में नहीं जाता है, विद्यालय में बालक को पढ़ना-लिखना नहीं आता है, अध्ययन बीच में ही छोड़ देता है, लड़कियों ने उच्च अध्ययन नहीं प्राप्त किया है, युवाओं को रोजगारी नहीं मिलती है, दुर्घटना के कारण किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, कोई गंभीर बीमारी का भोग बनता है, इन सभी बातों का प्रभाव हमारे देश के मानव विकास पर पड़ता है। इस कारण मात्र सरकार ही नहीं, परंतु देश का प्रत्येक नागरिक मानव की दिशा में सक्रिय बने तो आनेवाले समय में हम भी ऊँचे मानव विकास वाले देशों में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।

इतना जानना अच्छा लगेगा

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा 14 दिसम्बर 2015 को मानव विकास रिपोर्ट 2015 'मानव विकास हेतु कार्य' शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। इस लेख के अनुसार मानव विकास सूचकांक के साथ-साथ नीचे के संकेतकों का भी समावेश किया गया था।

(1) लैंगिक विकास सूचकांक (Gender development Index), (2) बाल-युवा स्वास्थ्य (Health Children and Youth), (3) वयस्क स्वास्थ्य और स्वास्थ्य खर्च (Adult Health and Health Expenditure), (4) शिक्षण (Education), (5) संसाधनों का वितरण और नियंत्रण (Command Over and Allocation of Resources), (6) सामाजिक सशक्तिकरण (Social Competencies), (7) व्यक्तिगत असुरक्षा (Personal Insecurity), (8) अंतरराष्ट्रीय ऐक्य (International Integration), (9) पर्यावरण (Environment), (10) जनसंख्या की दिशा (Population Trends), (11) पूरक निर्देशक सुखकारी (Supplementary Indicators: Perceptions of Well-being). यह रिपोर्ट UNDP वेबसाइट http:/ /hdr.undp.org/en/2015-report पर देखी जा सकती है। प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी के अलावा हिन्दी और अन्य भाषा में लेख घोषित किए जाते हैं। भारत में उसकी साईट है। http:/ /www.in.undp.org/

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए :

(1) मानव विकास अंक की गणना किस तरह की जाती है।

(2) मानव विकास के समक्ष चुनौतियाँ, समझाइए।

(3) भारत में महिलाओं के साथ किस प्रकार का भेदभाव पाया जाता है।

(4) भारत में स्वास्थ्य सुधार के लिए हुए कार्यों का वर्णन कीजिए।

(5) गुजरात सरकार ने महिला समानता के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ लागू की हैं ? समझाइए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दासर लिखिए :

(1) मानव विकास का मानव जीवन की किन-किन बातों के साथ संबंध है?

(2) भारत सरकार की महिला कल्याणकारी योजना को क्रम से समझाइए।

(3) 'अभयम्' योजना क्या है ? समझाइए।

(4) हमारे आस-पास में पाई जानेवाली कौन-कौन सी बातें देश के मानव विकास अंक को प्रभावित करती हैं?

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए :

(1) मानव विकास अर्थात् क्या ?

(2) मानव विकास अंक को मापने की नई प्रविधि में किन-किन निर्देशकों का उपयोग होता है ?

(3) मानव विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत का मानव विकास अंक कितना और किस क्रम पर है ?

(4) भारत के कौन-कौन से पड़ोसी देशों का मानव विकास अंक भारत से अधिक है ?

(5) बाल टीकाकरण कार्यक्रम में बालक को कौन-कौन से टीके दिए जाते हैं ?

4. प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए :

(1) मानव विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कौन - सी संस्था कार्य करती है ?

(A) UNESCO (B) UNICEF (C) FAO (D) UNDP

(2) निम्नलिखित देशों में सबसे उच्च मानव विकासवाला देश कौन-सा है ?

(A) भारत (B) नाईजर (C) नोर्वे (D) ब्राजील

(3) निम्नलिखित देशों को मानव विकास अंक में उतरते क्रम में दर्शानेवाला सही जोड़ा कौन-सा है ?

(A) भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान (B) श्रीलंका, भूटान, भारत, नेपाल

(C) श्रीलंका, भारत, भूटान, नेपाल (D) श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान

(4) भारत में महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में किस वर्ष को मनाया गया है ?

(A) 1975 (B) 2002 (C) 1985 (D) 1999

(5) भारतीय मूल के किस अर्थशास्त्री को नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ है ?

(A) महबूब उल हक (B) अमर्त्य सेन (C) रवीन्द्रनाथ टेगौर (D) सी. वी. रामन

प्रवृत्ति

- मानव विकास रिपोर्ट संबंधी समाचारपत्रों में आए समाचार प्राप्त करके चर्चा कीजिए।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वेबसाइट http:/ /hdr.undp.org/en/-2015report से विविध देशों के मानव विकास अंक के विषय में जानकारी प्राप्त करें।
- अपने क्षेत्र के तहसील और जिले की स्त्री साक्षरता दर के आंकड़े प्राप्त कीजिए।
- भारत के विविध क्षेत्रों में अग्रगणीय रही महिलाओं की जानकारी का एलबल तैयार कीजिए।

•

20 भारत की सामाजिक समस्याएँ और चुनौतियाँ

भारत एक विशाल जनसंख्यावाला और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है । जहाँ विविध धर्म, जाति, भाषा, संस्कृतिवाले लोग बसते हैं । भारत की संस्कृति समन्वयकारी और सर्वधर्म समभाववाली विशेषता रखती है ।

परंपरागत समाज में से आधुनिक समाज की तरफ गति करते भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन आए हैं । इन परिवर्तनों के साथ समाज में कुछ समस्याओं का उद्भव हुआ । जिनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों की समस्याओं का समावेश होता है । इस प्रकरण में हम दो सामाजिक समस्यायों (1) सांप्रदायिकता और (2) जातिवाद की चर्चा करेंगे ।

देश को स्वतंत्रता दिलाने में विविध धर्म, जाति, भाषावाले लोगों ने साथ मिलकर प्रयत्न किया और उनके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप हमने अमूल्य स्वतंत्रता प्राप्त की है । स्वतंत्रता आंदोलन के दरम्यान पाया जानेवाला सद्भाव, एकता, सहिष्णुता आदि में स्वतंत्रता के बाद बाधा आई हो, ऐसा लगता है । जातिगत झगड़े, सांप्रदायिक संघर्ष, प्रादेशिक हिंसा, आदि देश में शांति और विकास के लिए बाधक, नकारात्मक कारक है । जिसके कारण देश के लिए सामाजिक सद्भाव असांप्रदायिकता, लोकतांत्रिक मूल्य राष्ट्रीय एकता के सामने गंभीर चुनौती उत्पन्न होती है ।

सांप्रदायिकता

धर्म यह श्रद्धा और आस्था का विषय है । अधिकांश मानव किसी न किसी धर्म या सम्प्रदाय को मानते हैं । भारत एक असांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष देश है इसलिए संकुचित सांप्रदायिकता का आचरण संविधान की भावना के विरुद्ध है । जब कोई धार्मिक समूह या समुदाय किसी कारण दूसरे धर्म या संप्रदाय का विरोध करता है तब सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है। किसी भी धर्म या संप्रदाय के सदस्य अन्य धर्मों की तुलना में अपने धर्म या संप्रदाय को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करें और अपने धार्मिक हितों को अधिक महत्त्व देते हैं तब वे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत रूप से नहीं, परंतु सांप्रदायिक रूप से देखते हैं और ऐसी विचारधारा समाज को विभाजन की तरफ ले जाती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षो बाद भी हम सांप्रदायिकता की समस्या पर संपूर्ण रूप से नियन्त्रण नहीं ला सके । संकुचित सांप्रदायिकता कई तरह से नुकसानदायक है। उससे देश में सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है। व्यक्ति अपने ही भाइयों को अपना विरोधी मानता है। उससे समाज में मतभेद और घृणा का वातावरण उत्पन्न होता है । सांप्रदायिक तनाव से सांप्रदायिक हिंसा या झगड़े होते हैं । ये सभी बातें लोकतांत्रिक विचारधारा, राष्ट्रीय विकास के लिए बाधक हैं ।

सांप्रदायिकता के विरूद्ध संघर्ष

हम सब जानते हैं कि सांप्रदायिकता व्यक्ति, समाज और देश के विकास में अवरोधक है । सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए कुछ उपाय अमल में लेने चाहिए :

- सर्व प्रथम नागरिक और सरकार को सांप्रदायिक तत्त्वों का सख्तीपूर्वक सामना करना पड़ेगा और उसे दूर करने के प्रयत्न करने पड़ेंगे ।
- सांप्रदायिकता दूर करने के प्रभावशाली कार्य शिक्षा कर सकती है । हमारे शिक्षण और पाठ्यक्रमों में सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश करना चाहिए तथा विद्यालयों में आयोजित होनेवाली सर्वधर्म सभाएँ, सामाजिक उत्सव आदि प्रवृत्तियों से सभी धर्मों के प्रति बालकों में आदरभाव विकसित होता है ।

- सांप्रदायिक विचार आधारित राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं देनी चाहिए। चुनाव के लिए विशेष आचार संहिता और उसका अमल करना और करवाना चाहिए।
- रेडियो, टी.वी., सिनेमा सामान्य नागरिक तक पहुंचने के श्रेष्ठ दृश्य-श्राव्य माध्यम हैं । उन्हें सर्वधर्म समभाव, सहिष्णुता का प्रचार करना चाहिए। राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिले ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करने चाहिए।
- धार्मिक मुखिया और राजनेताओं के साथ मिलकर देश के विकास के लिए सांप्रदायिकता को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए।
- सांप्रदायिकता दूर करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। युवाओं को सांप्रदायिकता के स्थान पर असांप्रदाकिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो ऐसे प्रयत्न सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में करने चाहिए।
- इस प्रकार सरकार ही नहीं, अपितु समाज को भी विशिष्ट प्रयत्न करने चाहिए।
- धर्म, जाति, प्रांत, भाषा के ऊपर राष्ट्रहित, राष्ट्र गौरव है ऐसी समझ लोगों को एकसूत्र में बाँधती है और वह राष्ट्रवाद और राष्ट्र एकता का पोषण करती है।

जातिवाद

भारत की सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक स्तर रचना के स्वरूप में जातियों का अस्तित्व सदियों से रहा है, इस प्रकार भारत की सामाजिक रचना जाति पर आधारित है ऐसा कहा जा सकता है। आज जो जाति व्यवस्था की प्रारंभिक संकल्पना है, प्राचीन समय में उससे भिन्न थी । समाज की आवश्यकताओं की परिपूर्ति और श्रम विभाजन के आधार रूप कार्य पर आधारित जातियाँ थीं। प्रारंभिक परिकल्पना के अनुसार वह चार व्यवसायों पर आधारित वर्ण व्यवस्था (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) थी। जाति आधारित निवास व्यवस्था और व्यवसाय थे। व्यवसाय के आधार पर आय के स्रोत रहते समाज में आय वर्ग के आधार पर कुछ जातियाँ कम आय प्राप्त करती थीं जिससे समाज के अन्य जातिसमूहों की तुलना में आर्थिक स्थिति में कमजोर थीं।

भारत में अंग्रेजों के शासन काल से पहले के समय में कुछ जातियाँ अन्य समूहों से दूर, आसानी से पहुँचा न जा सके ऐसे दुर्गम जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में अलग निवास करती थीं। इन जातियों का सामाजिक जीवन और साँस्कृतिक जीवन अन्य प्रजा समूह से अलग था। उनकी अपनी महत्त्वपूर्ण संस्कृति-बोली थी। उन जातियों के लोग भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी अलग निवास, एकाकी जीवन आदि के कारण विकास नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी कमजोर रही।

अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों के हितों के रक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधाना : भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों के रक्षण, कल्याण और विकास के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। ये संवैधानिक प्रावधान उनके हितों की रक्षा, सामाजिक असमानता का निवारण तथा अनेक कल्याण और विकास को सुनिश्चित करते हैं।

- भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है।
- भारत के संविधान में बताए अनुसार जाति, समूह, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और समान दर्जा प्राप्त हो इसका भी संविधान में उल्लेख है।
- इसके उपरांत राज्यों को ऐसा भी अधिकार दिया गया है, कि उसे कल्याणकारी राज्य का दायित्व निभाने तथा कमजोर और पिछड़े वर्गों की रक्षा करने हेतु कुछ मूलभूत अधिकारों पर भी संविधान में रहकर योग्य प्रतिबंध लगा सकता है।
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है।
- लघुमतियों, कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों को संवैधानिक अधिकार दिए जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि उन्हें राष्ट्र में समान अवसर, न्याय और स्थान देना।
- राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना में भी इन सभी वर्गों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है।

अल्पसंख्यक

धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी प्रदेश अथवा प्रदेशों में बहुसंख्यक न हों ऐसे लोगों के समूह को अल्पसंख्यक कहा जाता है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक के लिए स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। देश या प्रदेश की जनसंख्या में आधे या उससे कम जनसंख्यावाले लोगों के समूह को अल्पसंख्यक कहते है। अल्पसंख्यकों की विभावना किसी भी धर्म, भाषा या प्रदेश तक मर्यादित नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की तरह ही राज्य स्तर पर स्थानीय अथवा प्रादेशिक अल्पसंख्यकों को दर्ज करना पड़े, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की संकल्पना राज्य स्तर की संकल्पना से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए कोई भी लोक समुदाय किसी प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुसंख्यक हो तो भी राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक हो सके, तथा उससे अलग यदि उस राज्य में अल्पसंख्यक हो ऐसा वर्ग राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक हो सकता है।

भारत में अल्पसंख्यकों की बहुसंख्यकों की तरह ही अधिकार समान स्तर पर मिलते हैं। अल्पसंख्यकों की संस्कृति, धर्म, लिपि तथा भाषाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए संविधान में कुछ विशेष व्यवस्थाएँ की गयी हैं। जैसे कि,

- अल्पसंख्यकों के हितों और कल्याण तथा विकास के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रचना की गयी है ।
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अल्पसंख्यकों को विश्वास देता है, कि वे अपने धर्म के प्रचार, प्रसार और प्रोत्साहन के लिए प्रयास कर सकते हैं। कानून बलपूर्वक, धर्मान्तरण को मान्य नहीं रखता है। सरकारी सहायता लेनेवाली किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। सभी धार्मिक समुदायों को उनके धर्म के व्यवस्थापन और धार्मिक कार्य हेतु संपत्ति प्राप्त करने तथा उसकी देखभाल करने का अधिकार है।
- सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि और संस्कृति का रक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है। सरकारी सहायता प्राप्त किसी भी संस्था में धर्म, वंश, जाति, वर्ण या भाषा के आधार पर किसी को भी प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता। समाज के सभी वर्गों को अपनी पसंद की भाषा, लिपि बनाए रखने, विकास करने और इसके लिए शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। भारतीय अल्पसंख्यकों के बालकों को प्राथमिक शिक्षण मातृभाषा में मिले ऐसी सुवधि राज्य सरकार देती है।

अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ

अनुसूचित जातियों और अनुसूंचित जनजातियों की कोई भी स्पष्ट व्याख्या संविधान में नहीं की गई है। संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसका विशेष उल्लेख किया गया है । जातिवाद के कारण कुछ जातियों का शोषण रोकने, उनके प्रति अन्याय कम करने, समानता और भातृत्व भाव से उनमें रही संकुचितता दूर करने और उनका सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास हो इस उद्देश्य से भारतीय संविधान में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। संविधान की कलम 341 के अनुसार अनुसूची में समाविष्ट जाति को अनुसूचित जातियों के रूप में पहचाना जाता है ।

जबकि संविधान की कलम 342 की अनुसूची में समाविष्ट जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में पहचाना जाता है। अनुसूचित जनजातियों में ऐसे लोगों का समावेश किया गया है जो अधिकांशत: जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में निवास करते हैं । एक दूसरों से अलग सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन ये जातियाँ जीती हैं। सामान्य लोगों से आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पीछे हैं।

संवैधानिक प्रावधान

हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो निम्नानुसार है :

(अ) सामान्य प्रावधान

(1) संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार : संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार केवल धर्म, जाति, समूह, जन्म स्थान या उनमें से किसी भी बात के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कलम के द्वारा ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को इन बातों के तहत (क) दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेन्ट, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश प्राप्त करने (ख) कुएँ, तालाब, स्नान के घाट, मार्ग, संपूर्ण अथवा अंशत: राज्य की ओर से चलते अथवा सार्वजनिक जनता के उपयोग के लिए अर्पण किए गए स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार की अयोग्यता, जवाबदारी, नियंत्रण अथवा शर्तें नहीं लादी जा सकती है।

(2) आर्टिकल 29 के अनुसार : (क) भारत के प्रदेश अथवा उसके किसी भी भाग में निवास करनेवाले किसी भी नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या अपनी कही जा सके ऐसी संस्कृति हो तो उसे बनाए रखने का अधिकार है। (ख) केवल धर्म, जाति, भाषा या उसके किसी भी आधार पर राज्य की ओर से चलनेवाली अथवा वित्तीय सहायता से चलनेवाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में नागरिक को प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता।

(ब) विशेष प्रावधान

(1) राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों की कलम 46 के अनुसार राज्य के पिछड़े विभागों और विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षण विषयक और आर्थिक लाभ मिले इसके लिए राज्य विशेष महत्त्व देगा और सामाजिक अन्याय तथा किसी भी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा।

(2) आर्टिकल 16, (4) के अनुसार राज्य की नौकरियों में कुछ वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ ऐसा राज्यों को लगे तो उनके लिए स्थान अथवा नियुक्ति आरक्षित रखने की व्यवस्था करने का अधिकार राज्य को होगा।

(3) आर्टिकल 330, 332, 324 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राज्य की विधानसभा तथा केन्द्र की लोकसभा में उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए हैं। केन्द्र में राज्यसभा में किसी भी बैठक को आरक्षित नहीं रखा गया है ।

(4) ग्रामपंचायत और नगरपालिका में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए हैं।

इसके उपरांत भिन्न-भिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन छात्रालयों की रचना, छात्रवृत्ति की योजना और विविध प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कक्षाएँ शुरू की गई हैं । शैक्षणिक विकास हेतु आश्रम विद्यालय शुरू किए गए हैं । सरकारी नौकरियों में इन जातियों के उमीदवारों के लिए उम्र, फीस, योग्यता के निम्नस्तर में कुछ छूट-छाट दी गयी है । डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर संस्था द्वारा डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं को दिया जाता है जो कमजोर वर्गों में सामाजिक समझ, उद्धार, परिवर्तन, क्षमता, न्याय और मानव गरिमा के लिए कार्य करते हैं । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कल्याण और विकास के अर्थ में राज्य में अलग विभाग और केन्द्र में विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति की गई है । इसके उपरांत राष्ट्रीय स्तर पर इन जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है तथा राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा इन जातियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए विविध प्रकार की योजनाएँ शुरू की गई हैं।

केवल अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान

(1) संविधान की कलम 17 द्वारा अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है । अस्पृश्यता के संदर्भ में किसी भी स्वरूप में होनेवाला शोषण अमान्य है । अस्पृश्यता में से फलित होनेवाली किसी भी प्रकार की अयोग्यता का अमल करना कानून की दृष्टि में दण्डात्मक अपराध है ।

(2) आर्टिकल 25 के अनुसार राज्यों के सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक मानी जाये ऐसी हिन्दू धार्मिक संस्थाओं में हिन्दुओं के सभी वर्गों और विभागों के लिए सार्वत्रिक प्रवेश के लिए समान कानून बनाने, यदि इसके संबंध में लागू हो तो ऐसे कानून को चालू रखने का अधिकार है । इसमें हिन्दुओं के उल्लेख में सिक्ख,

जैन अथवा बौद्ध धर्म पालनेवाले और हिन्दू धार्मिक संस्थाओं के उल्लेख में सिक्ख, जैन अथवा बौद्ध धर्म पालनेवाली धार्मिक संस्थाओं का भी उल्लेख होता है ।

केवल अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान

आर्टिकल 19(5) के अनुसार राज्यों के राज्यपालों को अनुसूचित जनजातियों के हित में सभी नागरिकों को चाहे जिस प्रदेश में आने-जाने अथवा व्यापार धंधा करने के सामान्य अधिकार पर नियंत्रण करने की सत्ता देता है । इससे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में जमीन की फेर बदल, वित्त उधार तथा अन्य प्रकार से अनुसूचित जनजातियों का होनेवाला शोषण रोकने और उससे उनका रक्षण करने का विशेष कानून बनाने का अधिकार है ।

निष्कर्ष

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सरकार द्वारा विविध प्रकार की योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके कारण उन लोगों की स्थिति में सुधार हो रहा है । जिनमें से कई लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं ।

आतंकवाद-एक वैश्विक समस्या

इक्कीसवीं सदी में आतंकवाद मानव समाज के लिए एक समस्या बना हुआ है । विश्व के कुछ देशों द्वारा फैलाया जाने वाला आतंकवाद आज वैश्विक समस्या बन रहा है । आतंकवाद मानव अधिकारों का नाश, रक्तपात, विनाश, भय, अराजकता हिंसा, अशांति आदि उत्पन्न करता है । ऐसे तो आतंकवाद का किसी धर्म या संप्रदाय के साथ संबंध नहीं होता । इसके उपरांत आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ने का कायरतापूर्ण और घृणास्पद कार्य करते हैं । आतंकवाद हिंसा संबंधी एक विचार है जो प्रकृति के सिद्धांत 'जियो और जीने दो' का खुल्लेआम उल्लंघन करता है ।

आतंकवाद कुछ गिने-चुने लोगों द्वारा संगठित, आयोजित और जानबूझकर किया जानेवाला अनैतिक और हिंसात्मक कृत्य है ।

आत्मघाती हमला करना, बॉम्ब विस्फोट, हथियार छिपाना और उनका उपयोग करना, अपहरण करना, विमानों का हाईजेक करना, पैसे वसूलना, नशीले पदार्थों की हेराफेरी करना आदि ऐसी हिंसात्मक प्रवत्तियाँ आतंकवादी करते हैं ।

भारत में विद्रोह और आतंकवाद

आतंकवाद और विद्रोही प्रवृत्ति के बीच बहुत सूक्ष्म अंतर है :

विद्रोह	आतंकवाद
• विद्रोह किसी एक राष्ट्र की समस्या है ।	• यह एक वैश्विक समस्या है ।
• यह अपनी सरकार के विरुद्ध एक प्रादेशिक स्तर पर फैला होता है ।	• यह अपने अथवा अन्य देश के विरुद्ध होता है । यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है ।
• यह स्थानीय लोगों के सहयोग से चलता है ।	• इसे स्थानीय सहयोग मिलता भी है और नहीं भी मिलता है ।
• विद्रोह से प्रभावित राज्यों या प्रदेशों का विकास रुक जाता है ।	• आतंकवाद से प्रभावित राष्ट्रों का विकास रुक जाता है ।

इस तरह देखें तो विद्रोह स्थानीय असंतोष से पैदा होता है और आतंकवाद के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। आज भारत आंतरिक विद्रोह और आतंकवाद से लड़ रहा है ।

नक्सलवादी आंदोलन

माओ-त्से-तुंग के नेतृत्व में चीनी क्रांति से प्रेरणा लेकर नक्सलवादी आंदोलन भारत में सर्वप्रथम ई.स. 1967 में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था । यह उग्रवादी विचारधारा पश्चिमी बंगाल के नक्सलबारी क्षेत्र से उद्भव होने से इसे नक्सलवाद कहते हैं । पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ यह आंदोलन झारखंड, बिहार, आंध्रप्रदेश, केरल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्यप्रदेश में पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में फैला है । जिसमें पीपुल्स वॉर ग्रुप और माओवादी, साम्यवादी केन्द्र -ये दो संगठन मुख्य थे ।

उत्तर-पूर्व में विद्रोह

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक उत्तर-पूर्व में विद्रोह एक स्थायी समस्या बनी है । अनेक जनजातियाँ, वनाच्छादित पर्वतीय प्रदेश, भिन्न-भिन्न विद्रोही संगठनों के बीच तालमेल और कुछ क्षेत्रों की अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा विदेशी एजन्सियों का हस्तक्षेप आदि कारणों से इस क्षेत्र में विद्रोह की समस्या गंभीर बनी है ।

राज्य	विद्रोही संगठन
नागालैण्ड	एन. एस. सी. एन. (नेशनल सोस्यालिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैण्ड)
मणिपुर	के.एन.एफ. (कुकी नेशनल फ्रंट) के.एन.ए. (कुकी नेशनल आर्मी)
त्रिपुरा	एन.एल.एफ.टी. (नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा) ए.टी.टी.एफ. (ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स) टी.यु.जे.एस. (त्रिपुरा उपजाति जुपा समिति)
असम	उल्फा (युनाइटेड लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ असम) यु.एम.एफ. (युनाइटेड माइनोरिटी फ्रन्ट) एन.डी.एफ.बी. (नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बोडोलैण्ड) बी.एल.टी.एफ. (बोडोलैण्ड, लिबरेशन टाईगर फोर्स)

इन विद्रोही संगठनों के बीच अलग राज्य की मांग, अपने राजनीतिक आर्थिक हित प्रस्थापित करने और गैरकानूनी निवास आदि समस्याओं से संघर्ष होता है और उनके कारण आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को हानि पहुंचती है ।

कश्मीर में आतंकवाद

15 अगस्त, 1947 के दिन भारत आजाद हुआ था । भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग राज्य बने । आजादी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ भाग पर अपना कब्जा जमा रखा था । जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने पर भी पाकिस्तान बार-बार उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और इसके लिए उसने युद्ध भी किया है । प्रत्येक युद्ध में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को शर्मनाक पराजय भी दी है । ई.स. 1988 के बाद कश्मीर में आतंकवाद बढ़ गया है । अपहरण, हत्या, बम विस्फोट आदि प्रवृत्तियों द्वारा आतंकवादी भय फैला कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं । जिसके कारण कश्मीर के अनेक पंडित परिवारों को अपना घर-बार छोड़कर स्थलांतरण करना पड़ा है । ऐसे हजारों परिवार शरणार्थी के रूप में काश्मीर के बाहर जी रहे हैं । कश्मीर के आतंकवाद को सतत सीमा पार से मदद मिल रही है ।

आतंकवादियों का आशय भारत में भय और अस्थिरता उत्पन्न करनी है । आतंकवादी प्रवृत्तियों को बंद करने के लिए

भारत सख्त और मजबूत कदम उठा रहा है । भारत मात्र भारत में होनेवाले आतंकवाद का विरोध करता है ऐसा नहीं, किसी भी स्थान, किसी भी तरह और किसी भी समय होनेवाले आतंकवाद का विरोध करता है। इस आतंकवाद का सफाया हो उस उद्देश्य से भारत के अनेक सैनिक शहीद हुए हैं।

आतंकवाद के सामाजिक प्रभाव

- आतंकवाद समाज को विघटन की ओर ले जाता है।
- आतंकवादी भय, लूटमार, हिंसा जैसी प्रवृत्तियाँ करके लोगों में संदेह, भय उत्पन्न करते हैं। छोटे बालकों से लेकर वृद्धों पर इस भय का प्रभाव पड़ता है।
- आतंकवाद के प्रभाव से लोगों का एक-दूसरे पर विश्वास कम हो जाता है। परस्पर भाईचारे की भावना कम हो जाती है।
- कई बार सांप्रदायिक झगड़े उत्पन्न होते हैं और जिसके कारण समाज व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है। समाज में अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न होती है। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में लोग सामाजिक उत्सव उत्साह से मना नहीं सकते हैं। जिसके कारण लोगों को जोड़नेवाला आंतरव्यवहार समाप्त हो जाता है।

आतंकवाद के आर्थिक प्रभाव

- आतंकवाद के परिणाम स्वरूप व्यापार-उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहक वातावरण नहीं बन पाता है । उन क्षेत्रों के उद्योग-व्यापार का विकास रुक जाता है।
- व्यापार उद्योगों के ठप हो जाने से लोगों को अन्य प्रदेशों में व्यापार रोजगार के लिए स्थानांतर करना पड़ता है।
- कुछ आतंकवादी संगठन पूंजीपति, उद्योगपति, कर्मचारियों, व्यापारियों को डराकर धन वसूल करते हैं।
- आतंकवादी नशीले पदार्थों की हेराफेरी और कालाधन वगैरह असामाजिक कार्य करते हैं। जिससे देश में सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ उद्‌भव होती हैं ।
- आतंकवादी रेलवे, रेडियो स्टेशनों, मार्ग, पुल, सरकारी संपत्ति आदि को नुकसान पहुंचाते हैं । जिससे इस संपत्ति की पुनः स्थापना के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं ।
- सरकार को सलामती और सुरक्षा हेतु करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं । जिससे समाज उपयोगी कार्य कम मात्रा में होता है ।
- आतंकवाद के परिणामस्वरूप राज्य और राष्ट्र के परिवहन उद्योग, पर्यटन उद्योग को आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ता है । इस प्रकार आतंकवाद सामाजिक, आर्थिक रूप से नुकसानदायक है, इससे इस समस्या का निवारण लाना अनिवार्य है ।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए :

(1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के लिए संवैधानिक प्रावधानों का परिचय दीजिए ।

(2) आतंकवाद के सामाजिक प्रभाव समझाइए ।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दासर उत्तर दीजिए :

(1) सांप्रदायिकता दूर करने के उपाय समझाइए ।

(2) अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए संवैधानिक प्रावधानों का परिचय दीजिए ।

(3) आतंकवाद के आर्थिक प्रभाव समझाइए ।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए :

(1) आतंकवाद और विद्रोह के बीच भेद स्पष्ट कीजिए ।

(2) नक्सलवादी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए ।

4. प्रत्येक प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए :

(1) भारत की सामाजिक संरचना किस पर आधारित है ?

(A) सांप्रदायिकता (B) जातिवाद (C) भाषावाद (D) वर्गवाद

(2) अनुसूचित जाति निश्चित करने के लिए किस बात को आधार माना जाता है ?

(A) अस्पृश्यता (B) धर्म (C) संप्रदाय (D) इनमें से एक भी नहीं ।

(3) संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार अस्पृश्यता समाप्त की गई है ?

(A) आर्टिकल 25 (B) आर्टिकल 29 (C) आर्टिकल 17 (D) आर्टिकल 46

(4) निम्नलिखित में से कौन-सी समस्या वैश्विक है ?

(A) जातिवाद (B) सांप्रदायिकता (C) भाषावाद (D) आतंकवाद

(5) जोड़ों में से सही विकल्प पसंद कीजिए :

राज्य	विद्रोही संगठन
(1) त्रिपुरा	(A) उल्फा
(2) मणीपुर	(B) एन. एस. सी. एन.
(3) नागालैण्ड	(C) ए. टी. टी. एफ.
(4) असम	(D) के. एन. एफ.

(A) 1-A 2-D 3-C 4-B (B) 1-C 2-D 3-A 4-B

(C) 1-C 2-D 3-B 4-A (D) 1-C 2-B 3-D 4-A

प्रवृत्ति

- सर्वधर्म समभाव विषय पर निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन कीजिए ।
- आतंकवाद को रोकने के उपायों पर चर्चा सभा का आयोजन कीजिए ।
- भारत की राष्ट्रीय एकता का पोषक हो, ऐसे समाचारों, फोटो का संग्रह करके स्क्रेप बुक बनाइए।
- भारत की उपलब्धियों, सांस्कृतिक एकता, विविधता में एकता, वैज्ञानिक उपलब्धियों, प्राकृतिक विशेषताओं आदि विषयों पर वक्ताओं के वक्तव्य का आयोजन कीजिए ।

•

21 सामाजिक परिवर्तन

समाज की रचना के ढाँचे में और विविध सामाजिक संस्थाओं में आनेवाले बदलावों को सामाजिक परिवर्तन के रूप में पहचाना जाता है। इसके साथ समाज की रचना और कार्यों में भी परिवर्तन आए उन्हें सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। पश्चिमीकरण, वैश्वीकरण और शहरीकरण के कारणों से सामाजिक संबंधों, पारिवारिक व्यवस्था, विवाह व्यवस्था, संस्कृति में लोगों की जीवनशैली, साहित्य, कला, संगीत और नृत्य के क्षेत्रों में अमूल सांस्कृतिक परिवर्तन आए हैं। जिसके कारण लोग एक-दूसरे की संस्कृति से परिचित हुए। भौतिक वस्तुओं, भोगविलास के साधन, आधुनिक उपकरणों का उपयोग तथा दैनिक जीवन की आधुनिक शैलियों में परिवर्तन आए हैं। समाज में भौतिक परिवर्तनों के माध्यम से लोगों का जीवनस्तर सुधरा है। जीवन शैली में पाश्चात्य संस्कृति की छटा देखने और अनुभव होने लगी है।

कानून का सामान्य ज्ञान और उसकी आवश्यकता

हमारे देश में साक्षरता की नीची दर, सामान्य रूप से दैनिक व्यवहार में आवश्यक हो ऐसे नीति-नियमों की जानकारी के अभाव के कारण लोगों को कानून की जानकारी न हो और वे कानून का उल्लंघन करें तो उन्हें सजा या दण्ड से माफी नहीं मिलती। इसलिए सामान्यरूप से प्रत्येक नागरिक को कानून का ज्ञान, समझ और जानकारी देना जरूरी बन जाता है।

कानून के सामान्य ज्ञान की आवश्यकता किसलिए ?

कानून की सामान्य जानकारी ज्ञान और समझ होना अत्यंत जरूरी है :

(1) कानून का सामान्य ज्ञान और कानून के दण्ड के माध्यम से प्रजा कानून का भंग करने या अपराधिक कार्य करने से रुकते हैं और दण्ड के प्रावधान से बच सकते हैं।

(2) शोषण और अन्याय के विरुद्ध लड़ने हेतु कैसे कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं, इसका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

(3) संवैधानिक अधिकारों और व्यक्तिगत हितों का रक्षण, अधिकार अच्छी तरह से भोग सकते हैं।

(4) व्यक्ति के रक्षण और उत्कर्ष के लिए बनाए गए विविध कानूनी व्यवस्थाओं से वे परिचित होते हैं।

(5) समाज, राज्य और राष्ट्र के प्रति उनकी वफादारी बढ़ती है।

(6) समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में अधिकारों से वंचित न रहे तथा सामान्य नागरिक के रूप में कर्तव्यों को अदा कर सके इसलिए।

(7) कानून की जानकारी और समझ से प्रत्येक व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा और गौरवपूर्ण जीवन जी सके इसके लिए कानून का सामान्य ज्ञान और जानकारी अत्यंत जरूरी है।

नागरिकों के अधिकार

सामाजिक परिस्थितियों के बीच कोई भी सामान्य व्यक्ति मानव अधिकारों के बिना अपना सर्वोच्च विकास नहीं सिद्ध कर सकता । मानव अधिकार नागरिकता का अनिवार्य लक्षण है। संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) ने अपने मानव अधिकारों के घोषणा पत्र (चार्टर ऑफ राइट्स) में सभी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना कुछ सामान्य अधिकार दिए हैं। उसके अनुसार विश्व के सभी राष्ट्र अपने नागरिकों को अधिकार सरल और सुगमता से प्राप्त हो सकें ऐसे प्रयत्न करें, ऐसा कहा गया है।

भारतीय संविधान में लोकतंत्र की स्थापना के लिए उसके प्रत्येक नागरिक को किसी भी भेदभाव के बिना छः मूलभूत अधिकार दिए गए हैं । जिसका विस्तार से अध्ययन हमने कक्षा 9 में किया है, इसलिए यहाँ इनका मात्र स्मरण करेंगे ।

नागरिकों के मूलभूत अधिकार निम्नानुसार हैं :

(1) समानता का अधिकार

(2) स्वतंत्रता का अधिकार

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार

(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

(5) सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार

(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

21.1 नागरिकों के अधिकार

यदि कोई भी राज्य अथवा राष्ट्र इन अधिकारों को भंग करके नागरिकों को उनके अधिकार से वंचित रखने का प्रयत्न करे तो नागरिक उसके संवैधानिक अधिकारों के रक्षण के लिए और न्याय प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) अथवा सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) का द्वार खटखटा सकता है। यह अधिकार नागरिकों को संवैधानिक उपचारों के अधिकार तहत प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहते है। न्यायतंत्र का कर्तव्य बनता है कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे और प्रत्येक नागरिक को सरल, सस्ता, तीव्र और प्रभावशाली न्याय प्रदान करे।

बालकों के अधिकार

हमारे समाज में सबसे असुरक्षित वर्ग बालक है। किसी भी देश के विकास का आधार उसके बालकों की सुरक्षितता, उनकी शिक्षा, संस्कार और उसे उपलब्ध करवाए गए विकास के अवसरों पर निर्भर करता है । यदि बालक शिक्षित, रक्षित और संस्कारों से संपन्न होगा तो वह अच्छा नागरिक बनकर परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में यथाशक्ति योगदान दे सकेगा इसलिए बालकल्याण को सिद्ध करना यह सामाजिक विकास की पूर्व शर्त है। यदि बालक राष्ट्र की संपत्ति है तो उनका लालन-पालन देखभाल और विकास बहुत ही अच्छी तरह, ध्यानपूर्वक, जिम्मेदारीपूर्वक करना ही पड़ेगा । बालक शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और सक्षम बने, मानसिकरूप से वे सचेत बनें, उनकी बौद्धिक शक्तियों का विकास हो, नैतिक मूल्यों के संवर्धन द्वारा वे स्वस्थ समझदार और जवाबदार नागरिक बनें यह देखना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है।

संयुक्त राष्ट्र ने ई.स. 1992 में अपने 'अधिकारों के घोषणा पत्र' में (चार्टर ऑफ राइट्स) बालकों के कल्याण और उनका विकास सिद्ध करने हेतु कुछ बाल अधिकार सार्वजनिक किए हैं। इन बाल अधिकारों को हमारे संविधान में स्थान देकर उन्हें व्यवहार में चरितार्थ करने का प्रयत्न किया गया है। जो निम्नानुसार हैं :

(1) जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म या राष्ट्रीयता के किसी भी भेदभाव बिना प्रत्येक बालक को जीवन जीने का जन्मजात अधिकार है।

(2) माता-पिता द्वारा बालकों का योग्य ढंग से पालन-पोषण हो तथा किसी खास कारण के बिना बालकों को उनके माता-पिता से अलग नहीं कर सकते हैं।

(3) बालक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके इसके लिए प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का मूलभूत और अब कानूनी अधिकार है।

(4) प्रत्येक बालक को अपनी वय स्तर के अनुरूप खेल-कूद और मनोरंजन की प्रवृत्तियों में भाग लेकर तंदुरस्त, स्वस्थ और आनन्दपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है।

(5) प्रत्येक बालक को अपने अंत:करण के अनुसार धर्म और उसके समुदाय में रहने तथा अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है।

(6) प्रत्येक बालक को अपना किसी भी प्रकार के होनेवाले शारीरिक और मानसिक शोषण तथा अत्याचार के विरुद्ध, नशीले पदार्थों के उपयोग के विरुद्ध, अमानवीय यातनाओं के विरुद्ध, दण्ड के विरुद्ध, रक्षा और सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

(7) प्रत्येक बालक को सामाजिक सुरक्षा द्वारा सामाजिक विकास साधकर तंदुरस्त जीवन स्तर प्राप्त करने का अधिकार है।

बालकों के शोषण और अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा

बालक बहुत ही संवेदनशील होता है। बालक को जानबूझकर या दुर्घटना स्वरूप शारीरिक चोट पहुँचानी, शारीरिक दण्ड, धमकी देना, कड़वे वचन या अपशब्दों का उपयोग करके उसका अपमान या सार्वजनिक मानहानि करना, लैंगिक प्रताड़ना और यौन शोषण करना, असह्य मार-पीट करनी-यदि ऐसे विविध प्रकार के शारीरिक या मानसिक अथवा दोनों प्रकार की हिंसा बाल-अत्याचार कहलाता है।

अधिकांश बालकों का शोषण या अत्याचार उनके सगेसंबंधियों, स्वजनों, निकटवर्ती मित्रों, पड़ोसियों, नजदीकी परिचित व्यक्तियों या माता-पिता द्वारा होने के समाचार, समाचारपत्रों, टी.वी. या अन्य संचार माध्यमों द्वारा दिखाई देता है तब हमारा कर्तव्य बनता है कि.....

(1) जब हम बालक के व्यवहार से या शारीरिक चोट के चिह्नों से परिचित होते हैं तभी उसका समय पर और उचित चिकित्सा उपचार करने में सहायता करनी चाहिए।

(2) सामान्य रूप से शोषण-पीड़ित बालक, भय, धमकी या शर्म संकोच के कारण और सामाजिक प्रतिष्ठा भंग होने के डर से घटना की जानकारी माता-पिता को कहने से संकोच तथा घबराहट अनुभव करके जानकारी छुपाते हैं और शोषण सहन करते हैं । इसलिए माता-पिता को बालकों का विश्वास संपादन करके वास्तविकता को सामाजिक डर को ध्यान में न रखकर जवाबदारों को सजा मिले इसलिए त्वरित कानूनी कदम उठाने चाहिए ।

(3) ऐसे शोषण और अत्याचारों का भोग बने बालकों के प्रति समाज और मित्रों द्वारा घृणा या तिरस्कार और अवगणना किए बिना उनके प्रति प्रेम और अपनी संवेदना प्रकट करके स्वीकृति के साथ सहानुभूति देनी चाहिए ।

बाल मजदूरी और उपेक्षित बालक

बाल मजदूरी वैश्विक समस्या है और प्रत्येक देश में बेखौफ चल रही है, जिस तुरन्त नियन्त्रण करना आवश्यक है। 14 वर्ष से कम उम्र के श्रमिक को बाल मजदूर या बालश्रमिक कहते हैं । युनिसेफ के लेख के अनुसार 'संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करते बाल श्रमिकों की संख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में विश्व में सबसे अधिक भारत में पाई जाती है ।'

21.2 बाल मजदूरी

भारतीय अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में ही बाल मजदूरी विपुल प्रमाण में पाई जाती है, जैसे होटलों, फैक्टरियों, निर्माण कार्य के क्षेत्र में, जोखमी व्यवसायों में जैसे कि पटाखों के व्यवसाय में, ईंट के भट्टों में, कृषि के साथ संलग्न कार्यों में, कृषि मजदूर पशुपालन और मत्स्य उद्योग जैसी प्रवृत्तियों में पाया जाता है और सेवाक्षेत्र में घर में नौकर, चाय की लारी-गल्लों में, होटलों, ढाबों में, गैरेजों में, ठेला खींचने, अखबार वितरण, प्लास्टिक, भंगार बीनने जैसे कार्यों में, भीख माँगना तथा रास्ते पर साफ-सफाई के कार्य करते पाए जाते हैं ।

बाल मजदूरी के कारण

उपर्युक्त क्षेत्रों में बालमजदूरी की स्थिति अत्यंत दयनीय है । ये स्थितियां ही बाल अपराधी को जन्म देनेवाला एक जिम्मेदार कारक है । बालमजदूरी मजबूरीवश करने के पीछे अनेक कारण हैं : जैसे गरीबी, माता-पिता की निरक्षरता, परिवार का बड़ा आकार, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में परिवार की आय में बालमजदूरी करके वृद्धि करने के प्रयास, परिवार के वयस्क सदस्यों की बेकारी, घर से भागकर शहर में बसनेवाले लोगों को आश्रय का अभाव, उनके सगे-संबंधियों द्वारा और आश्रय देनेवालों द्वारा दिया जानेवाला आश्रय, भोजन के बदले में बलपूर्वक बाल मजदूरी करवाई जाती है । बाल श्रमिकों की मांग विपुल मात्रा में होने के कारण कई उद्योगों में मालिकों या काम पर रखनेवाले सेठ अपने यहाँ वयस्क श्रमिकों की अपेक्षा बालश्रमिकों को रोजगारी पर रखना अधिक पसंद करते हैं । नीचे के विविध कारणों से बालश्रमिकों की मांग विपुल मात्रा में पाई जाती है ।

बाल श्रमिकों की मांग विपुल मात्रा में होने के कारण

नीचे के विविध कारणों से बाल श्रमिकों की मांग विपुल मात्रा में पाई जाती है :

(1) बाल श्रमिक श्रम का सस्ते से सस्ता उत्पादन साधन है । वयस्क उम्र के श्रमिकों की अपेक्षा बालश्रमिकों से तुलनात्मक ढंग से कम वेतन, कम मजदूरी चुकाकर कार्य करवाया जा सकता है ।

(2) वे असंगठित होते हैं । संगठन के अभाव से वे मालिकों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए उनको खबर न पड़े इस तरह बाल श्रमिकों का सरलता से शोषण कर सकते हैं ।

(3) कठिन और जोखमी परिस्थितियों में भी कम वेतन पर और निर्धारित कार्य के घण्टों से अधिक काम करना हो तो धमकाकर या लालच देकर काम करा सकते हैं।

(4) बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है इसलिए आसानी से और अधिक मात्रा में वे मिल जाते हैं ।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव में, बालकों के पढ़ने की उम्र में परिवार के सदस्यों की आवश्यताएँ पूरी करने, कमानेवाले अधिक दो हाथ के रूप में माता-पिता बालकों को देखते हैं और बाल मजदूरी में धकेलते हैं ।

इस तरह बालक छोटी उम्र में खेल-कूद, मनोरंजन, आराम, बचपन, माता-पिता का प्रेम, गर्मजोशी, देख-भाल और शिक्षा से वंचित रह रहे हैं । उनमें से कुछ कोमल उम्र में अपराधिक प्रवृत्तियाँ करके बाल अपराधी बन रहे हैं ।

बाल मजदूरी रोकने के उपाय

बाल मजदूरी, बालशोषण और बाल अपराध को रोकने के लिए सरकार ने कुछ संवैधानिक प्रावधान, कानून बनाकर उनको लागू करके तथा बाल सुरक्षा, बाल कल्याण विकास संबंधित विविध योजनाएं लागू करके सहायता की है, जो निम्नानुसार हैं :

संवैधानिक प्रावधानों में - (अ) 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भी प्रकार की नौकरी या धंधे पर नहीं रखा जा सकता । इसका उल्लंघन करनेवाले नौकरीदाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही द्वारा सजा दी जा सकती है । (ब) बचपन में और किशोरावस्था में उसका किसी प्रकार से शोषण न हो तथा उसे नैतिक सुरक्षा और भौतिक सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता । (क) संविधान के लागू होने के

21.3 बाल मजदूरी रोको

10 (दस) वर्षों में 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई है। इस सन्दर्भ में केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने 6-14 वर्ष के उम्र के सभी बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार संबंधी कानून 2009 में लागू किया है ।

वृद्धों और असहायों की रक्षा

वृद्ध और असहाय व्यक्तियों की समस्याओं का प्रश्न विश्वव्यापी है, परंतु वृद्धावस्था प्राकृतिक क्रम है । उसके जीवन की वृद्धावस्था में सुरक्षा और सुविधा के लिए समाज को चिंता और चिंतन करने का कर्तव्य है ।

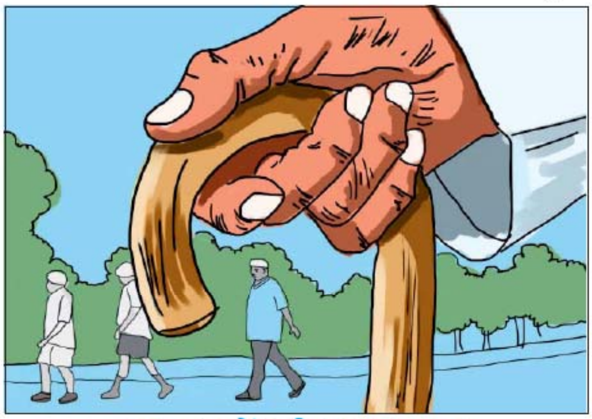

21.4 वृद्धों की रक्षा-सुरक्षा

भारत में स्वास्थ्य विषयक सेवाओं, आधुनिक चिकित्सा देखभाल, औषधीय सुविधाओं के कारण व्यक्ति की आज औसत आयु में 4.3 वर्ष की वृद्धि हुई है । 2001 से 2005 के समयांतर में भारत की प्रजा की औसत आयु 63.2 वर्ष थी, जबकि 2015 में बढ़कर औसत आयु 67.5 वर्ष हुई है । भारत में 2001 से 2011 के एक दसक में वृद्धों की संख्या में 2.75 करोड़ की वृद्धि हुई है । सन 2011 में एक अनुमान के अनुसार वृद्ध महिलाओं की संख्या 5.28 करोड़ थी, जबकि पुरुष वृद्धों की संख्या 5.11 करोड़ थी । भारत में सबसे अधिक वृद्धों की संख्या केरल में और सबसे कम संख्या अरुणाचल प्रदेश में है। गुजरात में वृद्धों की संख्या 35 लाख से अधिक है। वृद्धों की बढ़ती संख्या और उनकी औसत आयु में वृद्धि होने से सामाजिक और शारीरिक समस्याओं को जन्म दे रही है ।

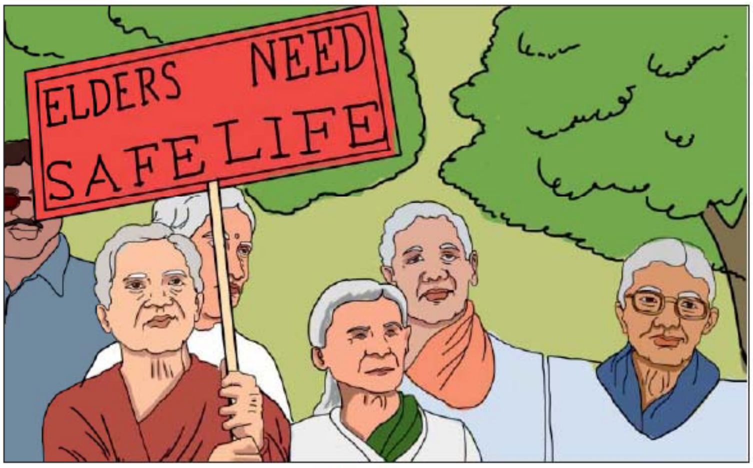

21.5 वृद्धों की रक्षा-सुरक्षा

पश्चिमी संस्कृति, विभक्त परिवारों में रहनेवाले खुले विचारों की संतानें इन वृद्ध माता-पिता के प्रति नैतिक कर्तव्यों, मूल्यों और संस्कृति को भूले हैं । वृद्ध माता-पिता को आर्थिक सहायता, संवेदना और भावशून्य व्यवहार में मजबूर होकर वृद्धाश्रमों में रहना पड़ता है । वृद्धों की समस्याओं के प्रति लोगों का ध्यान खींचने के लिए संयुक्त राष्ट्र (U.N.) ने सन् 1999 के वर्ष को अंतरराष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में घोषित किया था तथा प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर के दिन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'विश्व वृद्ध दिवस' के रूप में मनाया जाता है ।

वृद्धों और असहाय व्यक्तियों की रक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में सरकार द्वारा लिए गए कदम निम्मानुसार हैं :

- **वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति** – 1999 में केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई है । जिसके तहत वृद्धों को पेन्शन / आर्थिक सहायता दी जाती है । जैसे, इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना ।
- 'सीनियर सिटिजन्स' के लिए स्कीम के तहत वृद्धों को बैंक या पोस्ट ऑफिस में रखे डिपोजिट पर अधिक ब्याज की सुविधा, बस, रेलवे या हवाई यात्रा में पुरुष-स्त्रियों को टिकट की दर में 40 से 50 तक राहत दी जाती है ।
- राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक सुविधायुक्त वृद्धाश्रम खोले हैं, शहरों में वृद्धों के लिए अलग बगीचे खोले हैं । वृद्धाश्रमों में संगीत, योग, खेल-कूद और मानसिक क्षमता बढ़े, ऐसी प्रवृत्तियों द्वारा जीवन में शांति स्थापित करने का प्रयास किया है ।

वृद्धों की सुरक्षा और सलामती हेतु तथा घरेलू हिंसा, शोषण और अत्याचारों के विरुद्ध रक्षा हेतु सरकार ने 'माता-पिता और सीनियर सिटिजन्स की देखभाल और कल्याण संबंधी कानून 2007' लागू किया है । जिसके तहत वृद्धों को परेशान करने

वाली उनकी संतानों को सजा और दण्ड का प्रावधान किया गया है । वृद्धों की देखभाल की जिम्मेदारी कानूनी तौर से उनके परिवार वाले और सगे-संबंधियों को दी गई हैं । संतानों से कानूनी रूप से भरणपोषण प्राप्त करने के वे अधिकारी बने हैं । केन्द्र सरकार ने विशिष्ट योगदान के लिए प्रौढों को सम्मानित करने का कार्यक्रम लागू किया है ।

असामाजिक प्रवृत्तियाँ

''समाज में कानून द्वारा स्थापित नियमों के अधीन हो ऐसा व्यक्ति या समूह की प्रतिबंधित प्रवृत्ति या व्यवहारों को असामाजिक रूप में माना जाता है ।''

समाज में कुछ अपराधजन्य प्रवृत्तियाँ, असामाजिक और प्रतिबंधित प्रवृत्तियाँ हमें दिखाई देती हैं। जैसे खून, चोरी, अपहरण, लूटपाट, धोखाधड़ी, बलात्कार, छल-कपट और साइबर क्राइम आदि जिन्हें ब्ल्यू कॉलर अपराध कहते हैं ।

दूसरी तरफ समाज में लाँच, रिश्वत, भ्रष्टाचार, करचोरी, संग्रहखोरी, मिलावट, काला बाजार, जमीन को दबाना (गैरअधिकृत कब्जा लेना) आदि व्हाइट कॉलर अपराध है ।

भ्रष्टाचार :

भ्रष्टाचार वैश्विक दूषण है । विश्व बैंक की व्याख्या के अनुसार ''भ्रष्टाचार अर्थात् सार्वजनिक पद या सत्ता का व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए उपयोग करना ।'' इस प्रकार भ्रष्टाचार पद और सत्ता के दुरुपयोग से जन्मता है । भारतीय समाज के कुछ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार व्यापक स्वरूप में पाया जाता है । भ्रष्टाचार आचरणकर्ता दोनों देनेवाला और लेनेवाला कानूनी तौर से अपराधी है और सजा का पात्र है ।

भ्रष्टाचार : देश और विदेश में

वर्तमान समय में भ्रष्टाचार विश्व के अनेक देशों में कम या अधिक प्रमाण में व्याप्त है। भ्रष्टाचार का आचरण विविध स्वरूपों में पाया जाता है । जिसमें मुख्यत: नगद लेन-देन, भेट-सौगाद, कीमती आभूषण और चीज-वस्तुओं या विदेशी प्रवास के स्वरूप में, पक्षपाती व्यवहार, निर्णय में प्रभाव, भाई-भतीजावाद, लाभकारी एहसास करना आदि स्वरूपों में पाया जाता है।

भ्रष्टाचार के अर्थतंत्र और समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं जो निम्नानुसार हैं :

- समाज में भ्रष्टाचारी आचरण से नैतिक मूल्यों और सामाजिक नीति नियमों का स्तर गिरा है ।
- अर्थतंत्र में काले धन की समस्या उद्भव होती है, जो राष्ट्र के विकास के लिए अवरोध है ।
- राज्य के कानूनों, न्याय प्रणाली, सत्ता और प्रशासनतंत्र पर लोगों का विश्वास घटता है । प्रमाणिक व्यक्ति हताशा और निराशा अनुभव करता है।
- मानव अधिकारों का हनन होता है । जिसके माध्यम से समाज में अन्याय और आय की असमानता उद्भव होती है, जिससे वर्ग विग्रह उत्पन्न होता है ।
- भ्रष्टाचार से लोगों में नैतिकता और राष्ट्रीय चरित्र खतरे में पड़ता है और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का स्तर नीचा गिरता है ।

भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उपाय

भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय निम्नानुसार है :

(1) भारत में 1964 में 'केन्द्रीय लाँच रिश्वत विरोधी ब्यूरो' की स्थापना की है, जो सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आचार को नेस्तनाबूद करने का प्रयास करता है । भ्रष्टाचारी को रंगे हाथों पकड़कर उसके विरुद्ध कानूनी दण्डात्मक कार्यवाही करता है ।

यह सरकार का एक स्वतंत्र और अलग विभाग है । गुजरात में इसका मुख्यालय शाहीबाग, अहमदाबाद में स्थित है । सार्वजनिक जनता की भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत हो तो वह हेल्पलाइन फ्री नंबर 1800 2334 4444 पर शिकायत कर सकता है ।

(2) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी नियम-1988 बनाया जिसका उद्देश्य सार्वजनिक जीवन को शुद्ध करना और सत्ता या पद का दुरुपयोग होने से रोकना है ।

किसी भी सार्वजनिक सेवक या उच्च पदाधिकारियों, राजनेताओं का पद या उच्च पदाधिकारी पहले अपनी संपूर्ण संपत्ति की जानकारी शपथनामों करके घोषित करना अनिवार्य है । यदि उनके कार्यकाल के दरम्यान उनकी आय से अधिक संपत्ति रखते पकड़े जाए तो दण्डात्मक अपराध है । ऐसी संपत्ति या बेनामी संपत्ति सरकार स्वयं जप्त कर लेती है ।

(3) 'सूचना का अधिकार-2005' और 'नागरिक अधिकार पत्र' पेश किया जिसके पीछे सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक कार्य नियमित समयसीमा में काम पूरा करने का आदेश देकर अपने क्षेत्र और सत्ता के अधीन कार्य में विलंब दूर करके पारदर्शक और सरल प्रशासन की सार्वजनिक जिम्मेदारी बढ़ाने का उद्देश्य है ।

(4) केन्द्र सरकार ने वर्तमान में ब्लेक मनी एक्ट-2005 बनाया, जिसमें भ्रष्टाचार को अपराधिक स्वरूप में समावेश किया है । इसके उपरांत फेमा (FEMA) (फोरेन एक्सचेंज मैनेजमेन्ट एक्ट) कानून तथा 'मनी लेन्डरिंग एक्ट' में तथा कस्टम एक्ट की धारा-132 में सुधार किया । लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति करके कालाधन को खोजने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के प्रयास किए हैं ।

(5) सरकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त सत्ता का बेहिसाब उपयोग और भ्रष्टाचार की फरियाद के आधार पर विभागीय जाँच का कार्य 'गुजरात सतर्कता सेवा आयोग', गांधीनगर कर रहा है ।

21.7 सूचना के अधिकार का कानून

सूचना प्राप्त करने का अधिकार संबंधित अधिनियम-2005 (RTI-2005) : सूचना प्राप्त करने का अधिकारसंबंधी अधिनियम दिनांक 15 जून, 2005 के दिन लागू किया । यह जम्मू-कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू होता है । यह धारा देश की गुप्तचर संस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सलामती एकता और अखण्डता को स्पर्श करती हो ऐसी बाबतों की संस्थाएँ और विदेशी राजदूतों के कार्यालय सहित कुछ अपवााद के सिवा सभी संस्थाओं के ऊपर लागू होता है । गुजरात सरकार ने इस वैधानिक प्रावधानों के अधीन ''गुजरात सूचना अधिकार संबंधी नियम-2005'' 5 अक्टूबर-2005 के दिन घोषित कर लागू किया है ।

पारदर्शक, स्वच्छ, सरल और तीव्र प्रशासनिक कार्य हो और उसमें जनता का सहयोग प्राप्त करना इस धारा का मूल रहा है । इस वैधानिक प्रावधान के तहत कोई भी नागरिक अपने अटके कार्यों के संबंध और योजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से, प्रजालक्षी कार्यों की सफलता और स्थिति के संबंध में संबंधित विभाग के ऊपरी अधिकारी को प्रश्न पूछ कर सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

सूचना किस तरह प्राप्त करें ?

इस अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक को निश्चित नमूने में निर्धारित शुल्क की रकम (वर्तमान में ₹ 20 (बीस) नगद में अथवा पोस्टल ऑर्डर, पे-ऑर्डर या नोन ज्यूडिशियल स्टेम्प आवेदन के साथ जोड़ना होता है । यह आवेदन स्वहस्ताक्षर में टाइप किया हुआ या ईमेल द्वारा भी किसी भी विभाग में कर सकते हैं । बी.पी.एल. की सूची के परिवार के व्यक्तिगत किसी भी फीस और नकल का चार्ज चुकाना नहीं होता । सूचना के आवेदन में किस कारण सूचना मांगी है उसके

कारण जानने की आवश्यकता नहीं। आवेदन मिलने की रसीद नमूने में सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी (PIO) वह आवेदन का क्रमांक (ID नंबर) देकर आवेदक को एक नकल देगा। उसके बाद आवेदन के संदर्भ में पत्रव्यवहार में क्रमांक दर्शाना होता है।

सूचना प्राप्त करने के आवेदन स्वीकार करने के 30 (तीस) दिन में आवेदन का निकाल APIO करेगा। यदि कोई नमूना या नकल मांगी हो तो कानून में निर्धारित मात्रानुसार आवेदक से फीस या चार्ज वसूल करके सूचना का उत्तर देगा। यदि सूचना राष्ट्र के सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय हित या सुरक्षा को स्पर्श करती गोपनीयता की बातों, अदालती तिरस्कार हो सके ऐसी, वैज्ञानिक रहस्यों या अपराध को उत्तेजन मिले, ऐसी सूचना देने के लिए इन्कार कर सकता है।

अपील का प्रावधान

यदि किसी भी विभाग में 30 (तीस) दिन में सूचना का निकाल न हो या सूचना देने से इन्कार करे तो असंतुष्ट व्यक्ति (पक्ष) सार्वजनिक सूचना अधिकारी (PIO) के आदेश मिलने के 30 (तीस) दिन में प्रथम अपील कर सकता है । इसके लिए आवेदक को कोई फीस की रकम नहीं चुकानी होती है ।

प्रथम अपील में निर्धारित समय सीमा में निर्णय की जानकारी न हो या सूचना के इंकार से नाराज हुए पक्षकार 90 (नब्बे) दिन में राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी को दूसरी अपील कर सकता है ।

दण्ड का प्रावधान

यदि कोई भी सूचना अधिकारी उचित कारणों के बिना सूचना देने से इन्कार करे, गलत इरादे से सूचना छुपाए, जानबूझ कर अधूरी या गलत और गलतमार्ग की ओर ले जानेवाली सूचना दे या सूचना का नाश करे ऐसे किस्सों में सूचना के विलंब के बदले जितने दिन विलंब हो उतने दिन (प्रति दिन) नियमित रकम के अनुसार दंड दोषित सूचना अधिकारी को देना होता है ।

सूचना के अधिकार के कानून का उपयोग तथा विशेष जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए देश की सर्व प्रथम हेल्प लाइन नंबर 9924085000 पर सार्वजनिक अवकाश के दिनों के सिवाय कार्य दिवसों में जान सकते हैं। इससे अधिक इस धारा के तहत 'नागरिक अधिकार पत्र' घोषित हुआ है, जिससे किसी भी कार्यालय में काम के निकाल का पहले से समयमर्यादा निश्चित की गई है, इससे आवेदन के संदर्भ में क्या स्थिति है यह जान सकते हैं। गुजरात सरकार ने 'कोमन सर्विस पोर्टल' सेवा शुरू की है, जिस पर नागकिर 28 सेवाओं के संदर्भ में ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेजों की जांच, पेमेन्ट जैसी सुविधा और आवेदन की ताजी स्थिति 24 × 7 दिन में जान सकता है । भ्रष्टाचार को समाप्त करने का यह एक क्रांतिकारी अधिनियम है।

बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का कानून-2009 (RTE-2009)

21.8 Right To Education

केन्द्र सरकार ने 2009 के वर्ष में बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का कानून लागू किया, इस कानून के अनुसार गुजरात सरकार ने दिनांक 18 फरवरी, 2012 के दिन ''बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का नियम - 2012'' घोषित किया है ।

यह कानून क्यों ?

भारतीय संविधान के 86 वें संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया गया है । बालकों की मानवीय क्षमताओं के शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास के

लिए जरूरी शिक्षा के अवसर उत्पन्न करने की दिशा में तथा गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा की माँग को पूरा करने की दिशा में यह कानून एक महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

(1) इस कानून में बालक के शिक्षण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर विद्यालयी शैक्षणिक सुविधाओं और भौतिक सुविधाओं के निश्चित मानदण्ड निर्धारित किए हैं और उसके अनुसार कक्षा में, प्रयोगशाला में, शुद्ध पीने का पानी, बिजली, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था और गुणवत्ता, शिक्षकों की योग्यता और नियुक्ति के मानक, विद्यालयों को आर्थिक सहायता के रूप में दिए जानेवाले अनुदान की व्यवस्थाएँ निर्धारित की गई है। जिसमें कुछ नीचे दिए अनुसार हैं :

(2) इस कानून में 6 से 14 वर्ष की उम्रवाले प्रत्येक बालक को उसके आवास के नजदीक हो ऐसे विद्यालय में प्रवेश देना। उम्र के आधार सबूत के रूप में जन्म प्रमाणपत्र न होने के कारण कोई भी प्रवेश देने से इन्कार नहीं कर सकता है।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी करें तब तक अर्थात् 14 वर्ष पूरे हुए तो भी उसकी शिक्षा चालू रखकर उसे मुफ्त शिक्षण देना है।

(4) प्रवेश देते समय बालक की उम्र 6 वर्ष होनी चाहिए और उसके पास जन्म का प्रमाण न हो तो भी हॉस्पिटल का रिकोर्ड माँ-बाप के उम्र संबंधी शपथनामा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

(5) विद्यालय में किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना प्रवेश देने का आदेश है।

(6) प्रवेश के समय दान या केपिटेशन फीस के स्वरूप, अन्य डिपोजिट के रूप में या अन्य किसी भी फीस के रूप में रकम नहीं वसूल सकते हैं।

(7) प्रवेश के समय बालक और माता-पिता का इन्टरव्यू लेकर प्रवेश देना या माता-पिता की आय और शैक्षणिक योग्यता या अयोग्यता के आधार पर प्रवेश परीक्षा लेकर प्रवेश नहीं दे सकते हैं।

(8) 3 से 5 वर्ष की आयु सीमा के बालकों की शिक्षा के लिए प्रि-स्कूल के (बालमंदिर) शिक्षा, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और उनके शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण संबंधित नियम प्रथम बार बनाकर क्रांतिकारी कदम उठा करके नर्सरी के कानून में शामिल किया गया है।

(9) कमजोर वर्गों या पिछड़े वर्गों (SC और ST) में से पाठ्यक्रम प्रवेश के इच्छुक बालकों को उनको कानून में दर्शाई गई पहचान के आधार पर पी.पी.एल. की सूची के परिवारों के बालकों को सरकार मान्य निजी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 (एक) में वर्ग की कुल क्षमता से 25 प्रतिशत की सीमा में अनिवार्य प्रवेश देने का आदेशात्मक प्रावधान इस कानून में किया गया है।

(10) विद्यालय के शिक्षक निजी ट्यूशन की प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं।

(11) विद्यालय के कम योग्यतावाले शिक्षकों को 5 वर्षों में निर्धारित स्तर की शैक्षणिक योग्यताएँ प्राप्त करनी होती हैं।

(12) स्थानान्तरण के सिवाय प्राथमिक शिक्षा पूरी न करें तब तक बालकों को विद्यालय से निकाला नहीं जा सकता है।

(13) निजी प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त SC, ST के बालकों की फीस चुकाने की शर्तों के अधीन सरकार उस विद्यालय को चुका देगी।

(14) इस कानून के प्रावधान के पालन के अर्थ में एकांत व्यवस्थातंत्र, ट्रिब्यूनल या राज्य काउन्सिल जैसा प्रावधान किया है। इस अधिनियम के भंग के बदले विद्यालय संचालकों को दण्ड तथा विद्यालय की मान्यता समाप्त (रद्द) करने तक का प्रावधान कानून में है।

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कानून – 2013 (RTE-2013)

अन्न सुरक्षा अर्थात् "प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर समय सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त पौष्टिक आहार की प्राप्ति।"

केन्द्र सरकार द्वारा दिनाक 15 जुलाई, 2013 के दिन से यह विधेयक लागू हुआ।

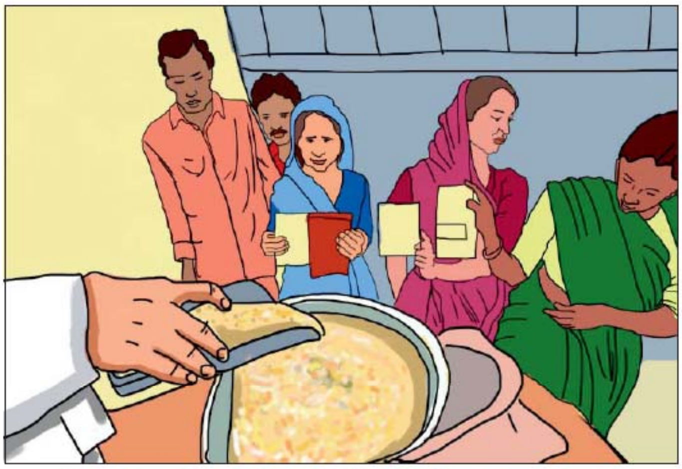

21. अन्न सुरक्षा धारा-2013 उचित मूल्य/मुफ्त अन्न सहायता

अन्न सुरक्षा विधेयक की आवश्यकता (उद्देश्य)

(1) देश की बढ़ती जनसंख्या की अनाज की कुल माँग को संतुष्ट करना तथा प्रत्येक समय पर्याप्त मात्रा में सस्ती दर पर, गुणवत्तायुक्त अनाज की पूर्ति करना।

(2) बालकों और प्रजा में कुपोषण की समस्या के निवारण हेतु उचित प्रबंध करना और पौष्टिक आहार के कुल उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन देना।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक सुदृढ़, पारदर्शक और सरल बनाना।

(4) अंत्योदय योजना और बी.पी.एल.की सूची में दर्ज अग्रिम परिवारों को अन्न सुरक्षा, पौष्टिक आहार के रूप में पर्याप्त मात्रा में राहत दर पर अनाज उपलब्ध करवाने और आनुषंगिक मामलों में सरलता से मिलता रहे, इसलिए।

(5) गर्भवती स्त्रियाँ, स्तनपान कराती महिलाओं (धात्रीमाताओं) को पर्याप्त मात्रा में अनाज की आवश्यकता की सहायता के लिए।

कुछ विधायी प्रावधान :

- इस धारा के अन्तर्गत और 'माँ अन्नपूर्णा योजना' के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जरुरतमंद, मध्यमवर्ग के गरीब परिवारों की उचित मूल्य पर अनाज वितरण किया जाता है, इसके अनुसार राज्य के अंत्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किग्रा. अनाज मुफ्त में दिया जाता है।
- इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को अनाज में गेहूँ ₹ 2-00 प्रति किलो और चावल ₹ 3-00 प्रति किलो और मोटा अनाज ₹ 1-00 प्रति किलो भाव से समय पर, निश्चित मात्रा में, गुणवत्तायुक्त अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत निश्चित शर्तों पर उपलब्ध करवाया जाता है।
- गर्भवती स्त्रियों को प्रसूति सहायता में ₹ 6000 की रकम केन्द्र सरकार द्वारा चुकाई जाती है।
- इस विधेयक के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को भोजन और अनाज के बदले में 'अन्न सुरक्षा भत्ता' प्राप्त करने का अधिकारी बनाता है।
- इस धारा के अनुसार 'गुजरात सरकार' अंत्योदय और बी.पी.एल. परिवारों को प्रति माह चीनी, आयोडाइज नमक, केरोसीन और वर्ष में दो बार खाद्यतेल का राहत दर पर वितरण रेशनिंग की दुकानों द्वारा किया जाता है।
- राज्य सरकारें इन अग्रिम परिवारों की सूची को आधुनिक बनाएगी और सुधारेगी तथा ऐसे नामों की सूचियाँ (परिवार की महिलाओं के नाम) ग्रामपंचायत, ग्रामसभा में, वॉर्ड सभा में, ई-ग्राम और उचित मूल्य की दुकानों, मामलतदार के कार्यालय, आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगी।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करके उसे सुदृढ़ बनाकर, भ्रष्टाचारमुक्त वितरण व्यवस्था हेतु बायोमेट्रिक पहचान, 'एपीक कार्ड, बारकोडेड रेशनकार्ड, अन्न कूपन तथा वेब कैमरे से इमेज लेने के कदम उठाए हैं।'
- इस विधेयक के तहत 'आंतरिक शिकायत, निवारण केन्द्र' खड़े करना और शिकायतें निवारण हेतु, 'मॉडेल अधिकारी' नियुक्त करने में अनाज व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण तथा शिकायत के अर्थ में 'राज्य अन्न आयोग' की रचना और फूड़ कमीश्नर की नियुक्ति करेगा। इस प्रकार 'राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा धारा' के अनेक प्रावधान के अंतर्गत 'माँ अन्नपूर्णा योजना' के माध्यम से गुजरात के लगभग 3.82 करोड़ जरूरतमंद नागरिकों को सस्ती दर पर अनाज देने की कल्याणकारी योजना राज्य सरकार ने लागू करके स्वागत योग्य कदम उठाए है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए :

(1) भारतीय संविधान में किन बाल अधिकारों का समावेश किया गया है।

(2) वृद्धों की समस्याओं का वर्णन तथा उनके रक्षण और कल्याण संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

(3) सूचना प्राप्त करने के अधिकार के उद्देश्य बताकर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाइए।

(4) बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षण का अधिकार के मुख्य प्रावधानों को समझाइए।

(5) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा धारा के माध्यम से अनाज संबंधी विविध कार्यक्रमों के अनाज वितरण संबंधी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी प्रावधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दासर दीजिए :

(1) सामाजिक परिवर्तन होने के मुख्य कारण समझाइए।

(2) कानून के सामान्य ज्ञान की जानकारी क्यों अनिवार्य बनी है ?

(3) 'बाल विकास यह आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है' समझाइए।

(4) भ्रष्टाचार को समाप्त करने के कानूनी प्रयास बताइए।

(5) अन्न सुरक्षा विधेयक के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए :

(1) बाल श्रमिक की माँग का प्रमाण क्यों अधिक होता है ?

(2) नागरिकों के मूलभूत अधिकार समझाइए।

(3) बाल मजदूरी के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए।

(4) भ्रष्टाचार मूल्यवृद्धि का एक कारण है, क्यों ?

(5) 'माँ अन्नपूर्णा योजना' के महत्त्वपूर्ण प्रावधान बताइए।

4. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए :

(1) भारतीय समाज में परिवर्तन लानेवाला मुख्य परिबल कौन-सा है ?

(A) रूढ़ियाँ-परंपराएँ (B) लोकमत (C) पश्चिमीकरण (D) साक्षरता

(2) मानव अधिकारों का घोषणा-पत्र किसने पेश किया ?

(A) ग्रेटब्रिटेन (B) संयुक्त राष्ट्र (C) युनिसेफ (D) विश्व बैंक

(3) 'विश्व वृद्ध दिवस' किस तारीख को मनाया जाता है ?

(A) 8 मार्च (B) 1 अक्टूबर (C) 1 अप्रैल (D) 15 जून

(4) निम्नलिखित में से किस सूचना को देने से इन्कार किया जा सकता है ?

(A) चुनाव (B) सरकारी योजनाएँ

(C) न्यायिक चुकादा (D) राष्ट्रीय अखंडितता, सार्वभौमिकता सम्बन्धी

(5) मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने के कानून में किस बात पर रोक लगाई गई है ?

(A) जन्म के सबूत के बिना प्रवेश (B) विशेष प्रशिक्षण की सुविधा

(C) प्रवेश परीक्षा बिना प्रवेश (D) प्रवेश बिना केपिटेशन फीस

(6) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक सक्रिय बनाने के लिए किस नयी बात को अमल में रखा गया है ?

(A) बारकोडेड रेशनकार्ड (B) ए.टी.एम. कार्ड

(C) बायोमेट्रिक पहचान (D) चुनाव का पहचान-पत्र

प्रवृत्ति

- अपने आस-पास के स्थलों पर कार्यरत बाल मजदूरों का सर्वे कीजिए। उनके परिवार, शिक्षा, कार्य स्थिति-प्रकार, शोषण या अत्याचार संबंधी सूचना पर लेख तैयार कीजिए।
- जिले में स्थित 'वृद्धाश्रमों' की मुलाकात कर वृद्धों की समस्याएँ, उनकी प्रवृत्तियों और उनको मिलती सुविधाओं की चित्रात्मक रिपोर्ट बनाइए।
- 'बाल दिवस -14 नवम्बर' को मनाकर बाल मजदूरी के विरुद्ध अभियान के रूप में एक जनजागृति रैली का आयोजन कीजिए।
- सस्ते अनाज की दुकानों और अन्य दुकानों पर मिलनेवाला अनाज, तेल, चीनी, नमक आदि मूल्यों, गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। (पिछले वर्षों की विगतों के आधार पर)
- मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार में किए गए प्रावधानों के आधार पर अपने प्राथमिक विद्यालय का मूल्यांकन करके एक लेख तैयार कीजिए और त्रुटियाँ दूर करने हेतु संचालकों से निवेदन कीजिए।

●●●